1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक : 10] दसवीं विधान सभा के दसवें सत्र का दसवां दिवस [संख्या : 6

बुधवार,

18 मार्च, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 101.

अजमेर में साम्प्रदायिक दंगे

101. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर में हुए साम्प्रदायिक दंगों के क्या–क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने इन दंगों से निपटने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) अजमेर नगर में दिनांक 17-2-98 को दोपहर बाद गुजरात के श्री असलम पठान (जायरीन) के परिवार के सदस्यों द्वारा श्री जीवतराम ठेलेवाले से नला बाजार से की गई खरीददारी के सम्बन्ध में खरीदे हुए सामान को खराब बताते हुए पैसे वापस लेने की बात को लेकर आपस में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गयी। इस पर आसपास के दुकानदार एवं खादिम व मुस्लिम समाज के व्यक्ति एकत्रित हो गये व दोनों समुदायों में मारपीट शुरू हो गयी। इस पर दोनों समुदाय के व्यक्तियों ने आगजनी एवं मारपीट करना शुरू कर दिया।

(2) घटना की सूचना मिलते ही तुरन्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर दंगाइयों को चेतावनी देकर तितर-बितर करने का प्रयास किया, नहीं मानने पर आंसू गैस का प्रयोग किया तथा लाठी चार्ज किया फिर भी स्थिति नियंत्रण में न होने पर हिंसात्मक भीड़ द्वारा लोकशांति व जानमाल के खतरे को देखते हुए फायर भी किये व संभावित क्षेत्रों में धारा 144 व कर्फ्यू लगाया गया। अफवाहों का खण्डन कराया गया, शांति समिति की बैठक कर वस्तुस्थिति की जानकारी दी गयी एवं दरगाह बाजार में अस्थायी पुलिस थाना प्रारम्भ किया गया। विवादों से निपटने के लिये व्यापारियों, जायरीनों, पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों, नाजिम दरगाह को सदस्य बनाते हुए समिति गठित की गयी तथा पक्षकारों की तरफ से अभियोग पंजीबद्ध कर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया एवं निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अजमेर में हुए साम्प्रदायिक दगे, उनको साम्प्रदायिकता का केवल रूप ही दिया गया जबकि साम्प्रदायिकता नहीं थी और साम्प्रदायिकता के लिये

(श्री मदन मोहन)

वहां पर एक संघ विशेष के लोगों ने इस तरह का षड़यन्त्र रचा और उसमें दोनों पार्टीज थी। जो दुकानदार था वह भी हिन्दू था और जो सहयात्री था वह भी हिन्दू था। जब हिन्दू समाज के दोनों व्यक्ति थे तो दोनों के अन्दर साम्प्रदायिकता का कोई सवाल ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह साम्प्रदायिकता के नाम पर इस चुनावों को मद्देनजर रखते हुए यहां पर आग फैलाई गयी और एक समाज विशेष को षड़यन्त्र के रूप में फंसा कर उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया गया कि इस वर्ग विशेष के लोगों को दो फाड़ कर दिया जाए जबकि वहां पर अधिक तादाद में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग बसते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये ...

श्री अध्यक्ष : यह एक पाइण्टेड प्रश्न है।

श्री मदन मोहन : नम्बर एक, दुकानदार और खरीददार, क्या दोनों ही हिन्दू थे? नम्बर दो, शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो प्रचार कराया गया वहां पर जगह-जगह घूम कर पुलिस ने भी सहयोग किया कि यहां पर इस तरह का साम्प्रदायिक माहौल न बनाया जाए जबकि वहां पर केबल ऑपरेटर के द्वारा पूरे मार्केट के अन्दर जो फिल्म दिखायी गयी उसके आधार पर साम्प्रदायिकता का रूप घटना ने ले लिया, क्या यह सही है?

श्री अध्यक्ष : यह आप पूरा वक्तव्य न पढ़ें, आप पाइण्टेडली पूछें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने कहा है कि चुनावों में लाभ लेने की दृष्टि से ऐसा किया गया।

श्री मदन मोहन : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय विधायक को सूचित कर दूं कि चुनावों में वोट 16.2.98 को पड़े थे और 16.2.98 को चुनाव हो जाने के बाद किस तरह चुनावों में लाभ लेने की दृष्टि से कोई कार्य कराया गया, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के दंगें भी इसी तरह के थे, वहां भी समाज एक ही था, केवल मुस्लिम समाज था, उसको भी सम्प्रदायिक रूप दे दिया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का पुलिस प्रशासन दोषी नहीं है। पुलिस प्रशासन ने वहां पर शांति और व्यवस्था कायम करने की कोशिश की लेकिन वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने जो एक वर्ग विशेष के एक संघ विशेष के लोग थे, उन्होंने वहां पर साम्प्रदायिक माहौल तैयार किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोग उसमें गिरफ्तार किये गये हैं उनके एक-एक के नाम माननीय मत्री महोदय बताएं और इसी के साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप कोई एक पाइण्टेड प्रश्न पूछें, बहुत देर हो गयी, प्रश्न पूछें यह नहीं।

श्री मदन मोहन : हां, प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो व्यापार एसोसिएशन है, उस व्यापार एसोसिएशन के अन्दर पूरे हिन्दू समाज के लोग हैं न कि दूसरे समाज के लोग हैं, उसके बाद भी उस एसोसिएशन ने ही बाजार बन्द क्यों करवाया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय आप पाइण्टेड प्रश्न पूछें, आप तो पूरी बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं।

श्री मदन मोहन : हां, पूछ रहा हूं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): एसोसिएशन ने बन्द नहीं करवाया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बन्द करवाया था, यह मेरा आरोप है।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पार्टी और व्यक्ति विशेष के प्रति ब्लेम नहीं लगाना चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि वह संघ विशेष के लोग थे जिन्होंने इस तरह का षड्यन्त्रपूर्वक प्रचार करके वहां पर साम्प्रदायिकता का माहौल तैयार किया। क्या माननीय मंत्रीजी बताएंगे कि वे लोग कौन-कौन थे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यहां पर ऐसे आरोप लगेंगे तो यहां की स्थिति और राजस्थान की स्थिति बिगाड़ेंगे। क्वेश्चन ऑवर में केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, इस प्रकार यह छूट नहीं दी जा सकती, क्वेश्चन ऑवर के माध्यम से आरोप लगाए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदन मोहनजी, बैठिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : यह सदस्य का अधिकार है क्वेश्चन पूछने का, उसे क्वेश्चन पूछने दिया जाए, बीच में इन्टरवीन नहीं किया जाए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुख्य मंत्रीजी आपसे कह रहे हैं कि आप बिराज जाएं।

श्री मदन मोहन : जिस तरह का माननीय मुख्य सचेतक जी कह रहे हैं

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौन क्या कह रहा है, मुझे पता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुख्य मंत्रीजी आपके चीफ व्हिप को कौन कब तक वहन करता रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : बैठो-बैठो, आप दोनों बैठो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : चीफ व्हिप के पद की गरिमा जितनी इन महानुभाव ने गिरायी है, आज तक किसी ने नहीं गिरायी।

श्री अध्यक्ष : आप कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : कमाल कर दिया आपको अहसास होना चाहिए कि आप चीफ व्हिप हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने अपनी मूछों से बहुत गरिमा बढ़ाई है

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय मुख्य मंत्रीजी इशारा कर रहे हैं, आप बैठ

(श्री हरिसिंह)

जाइए, ग्राप इर्रेलेवेन्ट बोल रहे हैं, उसके बाद भी हर बार, हर बात पर बोलने का शौक चर्राया है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने बहुत गरिमा बढ़ायी है, यह सारा सदन जानता है कि आपने किस प्रकार से गरिमा बढ़ायी है । (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री मदन मोहन : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं । नम्बर एक, क्या वह दुकानकार ग्रौर जिस लड़के के थप्पड़ मारा गया, वे दोनों हिन्दू समुदाय के थे ? नम्बर दो, केबल ग्रॉपरेटर ने वहां पर माहौल को बिगाड़ने के लिये क्या इस तरह की कोई फिल्म दिखायी जिससे पूरे ग्रजमेर शहर में साम्प्रदायिक माहौल तैयार हुग्रा ? नम्बर तीन व्यापार एसोसिएशन ने जो कुछ किया वह साम्प्रदायिकता के आधार पर ही किया ग्रौर जिन लोगों के खिलाफ एफ.ग्राई.ग्रार. दर्ज हुई है वे किन–किन समुदायों के लोग थे, उनके नाम बताएं ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया, बिलकुल ठीक ढंग से काम किया । ग्राजकल कई प्राइवेट केबल ग्रॉपरेटर्स अपने सीमित क्षेत्रों में केबल दिखाते है ग्रौर इस घटना के बारे में भी ग्रजमेर में दिखाया गया है, ऐसी सूचना हमारे पास है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भ में झगड़ा एक किसी परफ्यूम की शीशी में ठीक माल न होने के कारण प्रारम्भ हुग्रा कि यह परफ्यूम ठीक नहीं था, वह लौटाने गया तो जिस जीवतराम ठेले वाला, जिसने बेची थी, उसने लेने से मना कर दिया, मना करने पर वहां ग्रापसी बातचीत हुई तो जीवतराम ने एक झापड़ भी उसके लगा दिया । उसके बाद उसे क्रोध ग्राया, वह कुछ लोगों को फिर दरगाह शरीफ से लाया, फिर बातचीत आगे बढ़ी ग्रौर उसके बाद यह झगड़ा चालू हुग्रा । इस झगड़े के बारे में, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं सभी पक्षों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी वहां गया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी गये थे, वहां के हिन्दू समुदाय, मुस्लिम समुदाय ग्रौर खादिम समुदाय, जो वहां दरगाह का व्यवस्थापक भी है, दीवान ग्रौर उन सबसे बातचीत करके ग्रौर ग्राज वहां जो शांति की स्थिति बनी है, वहां की सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थिति को हम सब बिगाड़ें नहीं, यहां पर राजनीतिक दृष्टि से कि बन्द किसने कराया, किसने नहीं कराया । जो जानकारी है वह व्यापारिक संगठनों ने बन्द कराया था, उन व्यापारिक संगठनों की ग्रगुवाई में कौन लोग हैं, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन ये कुछ घटनाएं वहां हुई हैं लेकिन इन पर नियन्त्रण भी पा लिया गया । पुलिस ने बड़ी स्फूर्ति से ग्रौर सख्ती से सारी सिच्यूएशन को नियन्त्रण में किया है । ऐसी स्थिति में ग्राज हम ऐसे कोई ग्रारोप-प्रत्यारोप इस संवेदनशील प्रश्न पर नहीं लगाएं, क्योंकि वहां पर ग्राज शांति स्थापित हो चुकी है, उसमें किसी तरह से खराबा नहीं ग्राए, यह मेरा ग्रापसे निवेदन है ।

इस विषय में वहां की स्थिति पर ग्राज वक्तव्य की स्थिति भी है, जब वक्तव्य

(श्री कैलाश मेघवाल)

आएगा उस समय इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी पक्षों के मन में यह इच्छा है कि राजस्थान में शांतिपूर्ण-सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, उस पर हम चर्चा कर लेंगे, उस पर वक्तव्य आने वाला है आज।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाएं, बिराजें।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो पॉइंटेड प्रश्न थे। जो दुकानदार था, दूसरा खरीददार था वे दोनों हिन्दू थे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केबल ऑपरेटर के बारे में इस तरह से कह दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : बाद में आएगा यह। अभी इसके बाद में आने वाला भी है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : कब आएगा ? इस पर सप्लीमेंटरी पूछने दीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): सदन में क्या आ गया, यह देखिए।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा उस झगड़े के अन्दर, जब दोनों समुदाय का झगड़ा हुआ तो क्या दोनों समुदायों के लोगों को गिरफ्तार किया गया था एक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं होता कि सप्लीमेंटरी अलाउ नहीं करें आप।

श्री अध्यक्ष : वो वापस बाद में होने वाला है। आज उस पर चर्चा होने वाली है चर्चा होने वाली है इसलिए मैं कह रहा हूं। नैक्स्ट, रामस्वरूप जी मीणा। (व्यवधान) अभी इस पर चर्चा होगी। माननीय मदन मोहनजी, बैठिए आप।

श्री मदन मोहन : एक बात तो बताइए आप।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोंडाभीम) : प्रश्न संख्या 102.

श्री गोपीचन्द गुर्जर : मंत्रीजी यह बता रहे हैं कि दोनों समुदायों का झगड़ा हुआ। तो क्या दोनों ही समुदायों के लोगों को गिरफ्तार किया गया या एक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : चर्चा में आप पूरा मौका देंगे प्रश्न पूछने का ?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : 102 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन भी सुनिए। (व्यवधान) ओलों से जिस प्रकार किसानों की, गांवों की दुर्दशा हुई . (व्यवधान).... इन ओलों से फसल का नुकसान हुआ है.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न आ गया, बैठिए आप।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : उसी से रिलेटेड है। .. (व्यवधान)....

(6)

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न आ गया।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : जवाब एक का दे नहीं पा रहे हो और आप दूसरा प्रश्न ले रहे हो।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : यहां दोनों समुदायों का झगड़ा हुआ है और माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि दोनों समुदायों के कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित न हो।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित न हो। गोपीचन्द जी, माननीय विधायक बिराजें। (व्यवधान)....गोपीचन्द जी बिराज जाएं।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपीचन्द जी, बिराज जाइए आप।

राजकीय चिकित्सालय, जयपुर में गुर्दा काण्ड

102. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में राजकीय चिकित्सालय में गुर्दा काण्ड हुआ है जिसमें धोखे से ऑपरेशन करके पैसे के लालच में डाक्टरों द्वारा गुर्दा बेच दिया गया है?

(2) क्या सरकार गुर्दा काण्ड में शरीक मुलजिमों को पकड़ने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार जिस व्यक्ति का गुर्दा निकाला गया है उसको मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी, नहीं। जयपुर स्थित किसी भी राजकीय चिकित्सालय में गुर्दा धोखे से ऑपरेशन द्वारा नहीं निकाला गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी, हां। उक्त काण्ड में सम्मिलित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है व शेष की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

(3) निजी चिकित्सालय में इस प्रकार की घटना होने पर मुआवजा देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती चली आ रही हैं। अस्पताल जो रक्षक हैं वे ही में भक्षक बनते चले जा रहे हैं। जहां मरीज इलाज कराने के लिये जाते हैं वहां उनके गुर्दे निकाल लिये जाएं इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। माननीय मंत्री महोदय ने इसका जो जवाब दिया है वह बिलकुल गलत जवाब दिया है, मैंने पूछा कि 'क्या यह सही है कि अभी हाल ही राजकीय चिकित्सालय जयपुर में गुर्दा काण्ड, हुआ है?' आपने कहा है, 'जी, नहीं'। इतना बड़ा काण्ड जो सारे राजस्थान में क्या सारे हिन्दुस्तान में जिसकी आवाज गुंजी हो, चारों तरफ जिसकी आलोचना हुई हो, अखबारों में आया, टेलीविजन में आया....

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछें, यह क्या कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : फिर आपने कहा कि 'जी, नहीं'। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरे सीधे चार प्रश्न हैं। माननीय मंत्री महोदय से पहला क्वेश्चन यह है कि यह काण्ड किस हास्पिटल में हुआ? इसकी सरकार को जानकारी है या नहीं?

नम्बर दो, जांच या तफतीश की क्या स्टेज है? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कानून बनाया है? यदि नहीं, तो अब क्या कानून बना रहे हैं?

क्वेश्चन नम्बर तीन, उनको मुआवजा नहीं देने के क्या कारण हैं? जब सरकार सड़क दुर्घटना में मुआवजा देती है, तो इसमें मुआवजा क्यों नहीं दे रही है?

मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि इसके अन्दर कितने मुलजिम हैं? डाक्टर, कम्पाउण्डर और नर्स, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, ऑपरेशन थियेटर में ले गये, जिन्होंने यह कार्यवाही की है, आंखों से चश्मदीद इसको देखा है, क्या उनको आपने मुलजिम बनाया या नहीं बनाया?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसमें भेदभाव बरता है। उसको सदन के सामने स्पष्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह घटना जयपुर के किसी राजकीय चिकित्सालय में नहीं, बल्कि बम्बई के बॉम्बे हॉस्पिटल में हुई थी। 23.9.97 को एक मुकेश नामक व्यक्ति संतोकबा दुर्लभ जी चिकित्सालय में अपना इलाज कराने आये थे। वहां उन्हें एक प्रभु नाम का व्यक्ति मिला। यह मुकेश नामक व्यक्ति पहले से अपना खून भी बेचने का काम करते रहे हैं। प्रभु नामक के व्यक्ति ने इन्हें किसी मुरली नाम के व्यक्ति से मिलाया और वहां इनके यह तय हुआ कि यह अपना गुर्दा इस मुरली के चचेरे भाई को दे देंगे और 50 हजार रुपये इसके एवज में मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद इन मुकेश जी को जब पैसा नहीं मिला तब वापस आकर इन्होंने अपने भाई को सारी घटना बतायी। 18.2.98 को प्रताप नगर पुलिस थाना में इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, एफ. आई. आर. नं. 55/98, अण्डर सेक्शन 420, 120 (बी) 9/19 मानव अंग अधिनियम के तहत।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सारी घटना एक निजी चिकित्सालय में हुई है और इसका राज्य सरकार के किसी चिकित्सालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके पश्चात् भी पुलिस इसमें मुस्तैदी से जांच कर रही है। दो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे तफतीश जारी है और इसके लिये जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिये भी सार्थक प्रयास किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1995 में भारत सरकार ने बनाया। इस अधिनियम के पीछे मकसद एक ही था कि कई बार ऐसा व्यक्ति, जो गरीब है, असहाय है उसको धोखाधड़ी या पैसों के लालच से उनके किसी अंग को उनको बेचने के लिये लालच दे दिया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था। इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिनियम को राजस्थान सरकार ने भी 1996 में लागू कर दिया और इस अधिनियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने किसी अंग को प्रत्यारोपण के लिये दूसरे को देना चाहता है, तो उसके लिये एक समिति बनी हैं। उस समिति से उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन होता है और वही समिति आज्ञा दे सकती है। इस तरह की घटना राजस्थान में न हो इसके लिये इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अनुसार कड़ाई से कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की तफतीश जारी है और निश्चित तौर पर मैं गृह मंत्री महोदय को कहकर और कोशिश करूंगा कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कारगर कार्यवाही हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने जो नियम बना रखा है उस नियम के तहत कितने लोगों को लिया है और कितने लोगों के खिलाफ अब तक कार्यवाही की है ? सारे लोगों को अब तक छोड़ा गया है, ऐसा प्रमाण मिला है। इसलिए आगे क्या सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

पिचूपाड़ा टोल टैक्स से राजगढ़ सीमा तक सड़क विस्तार

103. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजपथ–25, पीचूपाड़ा टोल टैक्स (पंचायत समिति बांदीकुई) से कालेड ग्राम (राजगढ़ की सीमा) तक सड़क के दोहरीकरण (चौड़ाईकरण) हेतु किस-किस मद से कुल कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है ?

(2) उपरोक्त चौड़ाईकरण का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया था और अब कार्य की नवीनतम प्रगति क्या है ? विवरणमय नाप सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सड़क के पुराने बीच के हिस्से की मरम्मत (कुल 27 किलोमीटर लम्बी) हेतु क्या प्रावधान है तथा मरम्मत कार्य कब तक हो जाएगा ?

(4) क्या यह सही है कि सड़क को पेवर से बनाये जाने हेतु मंत्री महोदय ने कोई लिखित आश्वासन विधायक बांदीकुई को दिया था ? यदि हां, तो उसकी पालना कब तक हो जाएगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) राजमार्ग 25 पर पीचूपाड़ा टोल टैक्स से कालेड ग्राम (राजगढ़ तहसील की सीमा तक) सड़क से दोहरीकरण (चौड़ाईकरण) हेतु राज्य सरकार द्वारा जिन किलोमीटरों में विभिन्न मदों में स्वीकृतियां प्रदान की गयी है उनका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है (परिशिष्ट 'क')

(2) उपरोक्त चौड़ाईकरण का कार्य माह दिसम्बर, 95 से प्रारम्भ किया गया था और अब तक किये गये कार्य की नवीनतम प्रगति परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(3) इस सड़क के पुराने बीच के हिस्से की मरम्मत (कुल 26.50 किलोमीटर लम्बी) हेतु साधारण मरम्मत पेचवर्क का कार्य इस वर्ष पूर्ण कराया जा चुका है।

(4) जी, हां। चौड़ाईकरण का कार्य पूर्ण हो जाने पर पेवरीकरण करने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार समस्त राजमार्गों को सम्पूर्ण पेवरीकरण करने के बारे में कोई योजना या विचार रखती है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि पीचूपाड़ा से राजगढ़ की सीमा 27 किलोमीटर तक सम्पूर्ण पेवरीकरण करने के बारे में आपने यह शर्त रखी थी कि यदि डी.आर डी.ए. से मैं सात लाख रुपये मंजूर करा दूं तो आप पेवरीकरण करा देंगे। मंत्री महोदय, मैं आपका पत्र पढ़कर बता रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे पास पत्र है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न तो पेवरीकरण का है ही नहीं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : है साहब।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह पेवरीकरण शब्द कहां से आया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आप भी बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जो कह रहे हैं उसी शब्द को मैं कह रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 'पेवर' शब्द का भारतीयकरण कर दिया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह जहां से 'चौड़ाईकरण' आया वहीं से 'पेवरीकरण' आया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पेवर शब्द का भारतीयकरण है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा चौथा प्रश्न है क्या यह सही है कि सड़क को पेवर से बनाने हेतु मंत्री महोदय ने कोई लिखित आश्वासन विधायक, बांदीकुई को दिया था? यदि हां, तो उसकी पालना कब तक हो जाएगी? आपने लिखा है, 'जी हां। चौड़ाईकरण का काम पूर्ण हो जाने पर पेवरीकरण करने पर विचार किया जाएगा।'

मेरा निवेदन करना यह है कि क्या सरकार स्टेट हाईवे जितने भी राजस्थान में हैं उनका पेवरीकरण, जो नई टेक्नीक है जापान की, पेवर से बनाने की, उससे बनाने का विचार रखती है?

दूसरा, मेरा सवाल यह है कि यह रूट 27 किलोमीटर का है उस पर डबल लेन की सड़क बनाकर उसका पेवरीकरण कब तक कम्पलीट हो जाएगा? मंत्री महोदय, मेरे यहां आपने जो अभी तक कार्य करवाये उसके लिये धन्यवाद। इन दो प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो धन्यवाद

(10)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दिया उसके लिये तो उनको धन्यवाद। सारे राजमार्ग को पेवर कराने के लिये जो प्रश्न माननीय सदस्य महोदय ने किया है, हमारी प्राथमिकता में यह है किन्तु जैसे–जैसे संसधान आते चले जाएंगे, प्राथमिकता के आधार पर राजमार्ग को पेवर करने का राज्य सरकार ने निश्चय किया हुआ है।

नम्बर दो। माननीय सदस्य महोदय, जिसके लिये आपने धन्यवाद दिया कि साढ़े तीन मीटर सड़क को साढ़े पांच मीटर चौड़ी आपके और मेरे विचार के अनुसार करने का प्रयत्न किया गया है और जो थोड़ा सा बचा है उसमें जून, 1998 तक इस सारी 26.50 किलोमीटर को डामर की सड़क से साढ़े पांच मीटर चौड़ा कर दिया जाएगा।

जहां तक पेवर करने का सवाल है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य को शुभ सूचना देना चाहता हूं कि इस सड़क को हमने जो वर्ल्ड बैंक के आने वाले प्रोजेक्ट हैं और जिनमें बहुत अधिक किलोमीटर ले जाने हैं, इसको प्रयोरिटी में "ए" श्रेणी में रखा है। उसमें इस सड़क का सुधरीकरण भी होगा, इस सड़क को सात मीटर चौड़ा भी किया जाएगा और इस सारी सड़क को पेवर भी किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसी प्रयत्न में हम लगे हैं कि जल्दी से जल्दी वर्ल्ड बैंक में इसको स्वीकृत कराकर सात मीटर चौड़ी सड़क का सुधरीकरण और हम कर दें। यह हमारा प्रयत्न है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको डबल धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी। यह दूसरा प्रश्न है।

पंचायत समिति महुआ (दौसा) में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

104. **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति महुआ, जिला दौसा में कुल कितने चीनी एवं कैरोसीन के खुदरा विक्रेता हैं ? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत एक वर्ष में किन–किन ग्राम पंचायतों में कैरोसीन के खुदरा विक्रेता नियुक्त किये जाने हेतु विज्ञप्ति निकाली गयी ? विज्ञापित स्थानों के अतिरिक्त और कितने कैरोसीन के खुदरा विक्रेता नियुक्त किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बिना शिकायत जांच किये कितने खुदरा विक्रेताओं को हटाया या निलम्बित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) पंचायत समिति, महुआ जिला दौसा में कुल 41 ग्राम पंचायतों में चीनी एवं कैरोसीन के 70 उचित मूल्य के दुकानदार नियुक्त हैं तथा कैरोसीन (आर.टी.ए.एल.) खुदरा विक्रेता 16 कार्यरत हैं। पंचायतवार सूची क्रमशः परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) गत एक वर्ष में केवल कैरोसीन के खुदरा विक्रेता नियुक्त किये जाने हेतु कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी तथा न

(डा. रामप्रताप)

ही कैरोसीन के खुदरा विक्रेता नियुक्त किये गये हैं।

(3) बिना शिकायत की जांच किये किसी भी खुदरा विक्रेता को नहीं हटाया गया है न ही किसी को निलम्बित किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्रीजी से प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि महुग्रा पंचायत समिति में उचित मूल्य के दुकानदार नियुक्त करने के लिये क्या कोई पिछले एक वर्ष में विज्ञप्ति जारी की गयी ? यदि हां, तो किन–किन को उचित मूल्य की दुकानें किन–किन ग्राम पंचायतों में दी गयी ?

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गहणोली में उचित मूल्य का जो दुकानदार था उसको हटा दिया ग्रौर उसने एम.जे. एम. कोर्ट, सिकराय से स्टे ले रखा है ग्रौर स्टे के बावजूद भी आपने जो नया दुकानदार नियुक्त किया है उसको आपने सप्लाई जारी कर रखी है ?

डा. रामप्रताप : ग्रध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति महुआ के लिये एक वर्ष में दिनांक 29.5.97, 11.7.97 तथा 10.11.97 को विज्ञप्ति निकाली गयी। दिनांक 29.5.97 को ग्राम पंचायत वाली में, दिनांक 11.7.97 को ग्राम पंचायत रायपुर, रसीदपुर, नोरंगबाड़ा, गहणोली तथा दिनांक 10.11.97 को ग्राम पंचायत ग्रोण्डमीणा, महुग्रा, तालचिड़ी की विज्ञप्ति निकाली गयी है। तीनों विज्ञप्तियों के द्वारा 8 ग्राम पंचायतों में 9 उचित मूल्य की दुकानें नियुक्त की जानी थी।

दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, मैं उपलब्ध करवाकर ग्रापको दे दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : कोर्ट में केस चला है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न लगाने का मकसद ही यही था। ग्रब मैं ग्रापसे एक निवेदन कर रहा हूं कि महुआ के लिये कितनी दुकानें खोलने की ग्रापने विज्ञप्ति निकाली ग्रौर कितने दुकानदार आपने नियुक्त किये, नम्बर एक।

नम्बर दो, महुआ में ग्रापने गिरिराज प्रसाद सैनी और सुनील कुमार सिंघल को किस ग्रधिकार के तहत लाइसेंस जारी किया ? नोरंगबाड़ा में निरंजन कुमार गुप्ता को बिना विज्ञप्ति निकाले नियुक्त कर दिया। ओण्डमीणा में दिलीप कुमार मीणा को ग्रापने नियुक्त किया है। मंत्रीजी, मैं ग्रापसे निवेदन करूं कि यह लड़का 10वीं क्लास में पढ़ता है और इसकी उम्र 15 वर्ष है। यह बात डी एस.ग्रो. की जानकारी में ला दी गयी थी कि यह लड़का अण्डर–ऐज है। उसके बाद में भी क्या कम्पल्शंस थे कि इस लड़के को आपने चीनी ग्रौर कैरोसीन का खुदरा विक्रेता नियुक्त किया ?

आपने कहा कि शिकायत पर किसी को नहीं हटाया गया। ग्रगर नहीं हटाया गया तो गहणोली ग्राम पंचायत का पहले जो खुदरा विक्रेता था वह कोर्ट में गया और स्टे ले ग्राया ग्रौर स्टे लाने के बाद भी जो नव नियुक्त वहां का डीलर है रूपसिंह सैनी, उसको ग्राप माल दे रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

(12)

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, महुआ में विज्ञप्ति दो दुकानों की निकाली गयी थी उसके खिलाफ 5 दुकानों का आवंटन किया गया। इसी तरीके से रसीदपुर में एक की बजाय दो को आबंटन किया गया और गहणोली में भी एक की जगह दो को आवंटन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विज्ञप्ति निकालने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि उस विशेष पंचायत में पूरे लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए कि फलां दिन उचित मूल्य की दुकान के लिये कमेटी बैठेगी और इस बात को पूरा करने के लिये

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी, मैं बीच में थोड़ा सा इन्टरप्ट कर रहा हूं। आपने महुआ के लिये एक विज्ञप्ति निकाली कि महुआ में दो दुकानदार नियुक्त किये जाएंगे और उन दो दुकानों के लिये ही लोगों ने एप्लाई किया। तो फिर आपने पांच डीलर कैसे नियुक्त किये? रसीदपुर में एक ही जगह निकाली और आपने एक एक्सट्रा क्यों कर दिया? गहणोली में एक की जगह निकाली और वहां पर आपने एक एक्सट्रा क्यों कर दिया? तालचिड़ी में एक की जगह निकाली और वहां भी आपने एक एक्सट्रा और क्यों कर दिया?

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रश्न यह है कि या तो आपने नियम क्यों बनाये और नियम बनाये तो उन नियमों की खुली अवहेलना आपके अधिकारियों ने की है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उनको बचाने का प्रयास नहीं करें।

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि दो के खिलाफ आपने पांच को दे दिया। दो दुकानों के लिये 35 एप्लीकेंट्स आये और राजस्थान पत्रिका में इसकी विज्ञप्ति दी गयी थी, पूरा प्रचार-प्रसार हुआ है। सिर्फ विज्ञप्ति का मैन्सरिया इतना ही है कि क्या वहां पर सब लोगों को सूचना मिल गयी। उसके बाद में जो कमेटी है, चयन समिति हैं, उसने सर्वसम्मति से, महुआ की आबादी 22,500 है और हमें 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ऐसे दिशा-निर्देश है कि दो हजार यूनिट्स के ऊपर एक दुकान खोली जाए। तो वहां की कमेटी में वहां की पंचायत का सरपंच, वहां की पंचायत समिति का सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता और एक डी.एस.ओ., इस प्रकार पांच आदमी उस कमेटी में बैठते हैं और उन्होंने 35 एप्लीकेशंस देखकर के उनमें से पांच दुकानों की आवश्यकता थी जिससे कि 11 दुकानें हो जाएं, इस हिसाब से 11 दुकानें खोली गयीं। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि फिर भी इसमें अगर कहीं अनियमितता हुई है तो आप मुझे जानकारी दे दें, मैं सक्षम अधिकारी से जांच करवा लूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं सदन में कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं और बहुत ही विश्वासपूर्वक आपको जानकारी दे रहा हूं कि कमेटी के सामने दो दुकानों के मसले जो तय किये थे वह कर दिये। उसके बाद में मैं आरोप लगा रहा हूं कि तीन अतिरिक्त दुकानें एक महुआ में, एक रसीदपुर में, एक गहणोली में और एक तालचिड़ी में जो खोली हैं वह डी.एस.ओ.

(श्री हरिसिंह)

ने पैसे लेकर के खोली हैं। यह मेरा आरोप है। (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : खुदरा विक्रेता है (व्यवधान) जनता ने इसे बहुत बड़ों लाभ मिले है .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। पूरी बात सुनें। बैठिये।

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, चयन समिति तो अनुशंषा करती है, प्राधिकारी पत्र देने का अधिकार जिला कलक्टर को है और जिला कलक्टर ने प्राधिकार पत्र दिया है। फिर भी माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं, उस आधार पर सक्षम अधिकारी से जांच करवा कर और आपको पूरी जानकारी दूंगा और उसमें दोषी पाया गया कोई अधिकारी तो किसी तरह से उसको बख्शा नहीं जाएगा ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोर्ट के स्टे वाली बात की भी जांच करवा लें।

डा. रामप्रताप : हैं जी ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री परसादी लाल मीणा। नैक्स्ट प्रश्न।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोर्ट स्टे होने के बाद में भी उस डीलर को क्यों सप्लाई दे रहे हैं, यह भी आपकी जांच का विषय होना चाहिए और अगर सप्लाई दी गयी है तो निश्चित रूप से आपका फर्ज बन जाता है कि कोर्ट की अवमानना तो नहीं हो रही है। स्टे के बावजूद भी अगर अवमानना हो रही है तो उस अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर आप कार्यवाही करें।

डा. रामप्रताप : बिलकुल कार्यवाही करूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्न संख्या 105.

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपको यह जानकारी है कि प्रदेश में जितनी उचित दामों की दुकानें चल रही हैं, उनके अन्दर डीलर्स अपना प्राइवेट धंधा कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को चीनी तेल आदि लेने के साथ में या तो साबुन या कपड़ा या नमक या माचिस का पैकेट लेने पर जबरदस्ती मजबूर कर रहे हैं और सारे प्रदेश में यह अव्यवस्था हो रही है। क्या इसको बन्द करवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। विराजिये।

श्री किशनाराम नाई : माननीय सदस्या यह गलत आरोप लगा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप माननीय सदस्य। श्री परसादीलाल जी।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताऊं कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन कपड़ा देती थी हमें, आज की तारीख में नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 105.

जिला दौसा में असहाय व्यक्तियों के बकाया पेंशन प्रकरण

105. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) दौसा जिला में असहाय व्यक्तियों को पेंशन सहायता राशि के ऐसे कितने मामले हैं, जिनकी पेंशन सहायता राशि एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित है ? यदि हां, तो सूची मय बकाया राशि के नाम, पते सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान नियमों में एक वर्ष से अधिक समय की बकाया पेंशन सहायता राशि नहीं दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में पेंशन सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियमों में निर्धारित समय सीमा अवधि को विलोपित करने विषयक परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) दौसा जिले में असहाय व्यक्तियों की पेंशन सहायता राशि का ऐसा कोई मामला बकाया नहीं जिसकी एक वर्ष से अधिक समय की पेंशन राशि बकाया हो ।

(2) यह सही नहीं है । राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन एवं अपाहिज/अपंग अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियमों में प्रस्ताव है कि यदि रु. 1200/– से अधिक भुगतान राशि हो, तो उसका भुगतान सम्बन्धित जिला कलक्टर से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही किया जाए ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, एक वर्ष से अधिक का कोई मामला बकाया नहीं है तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 4–5 मामले तो मैंने कलक्टर, दौसा को दिये हैं । मंत्रीजी, क्या यह सही है कि पति-पत्नी की मृत्यु होने पर या दोनों में से एक की मृत्यु होने पर भी उनको पेंशन नहीं देने के बहुत सारे मामले दौसा जिले में बकाया हैं ? आपने लिखा है कलक्टर की अनुमति से 1200/– से ज्यादा का भुगतान होगा । दौसा जिले में ऐसे कितने मामले हैं पेंशन प्रकरण के जिनमें कलक्टर से अनुमति नहीं मिली, उनके एक साल से भी अधिक पेंशन के मामले बकाया हैं ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय हमने अलग-अलग जिला कलक्टर महोदय और वहां के कोषाधिकारी हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : दौसा की बताओ ।

श्री मदन दिलावर : उनसे हमने अलग अलग सूचना प्राप्त की है और उस सूचना के आधार पर कोई भी प्रकरण इस प्रकार से बकाया नहीं है । इस प्रकार का प्रकरण यदि बकाया है, जैसा माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं तो पुनः इसकी जांच करके ऐसे प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो सवाल उठाये हैं । एक तो पति-पत्नी की मृत्यु या दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो जब तक दुबारा उनका पेंशन का प्रकरण नहीं बने, जब तक पति जिन्दा रहे या पत्नी जिन्दा रहे, उसको पेंशन बिलकुल नहीं देते हैं, क्योंकि ये मामले नहीं सुलझाने से ऐसे सैकड़ों मामले दौसा जिले में विचाराधीन हैं जो कलक्टर

(श्री परसादीलाल मीणा)

की निगाह में भी हैं और वहां कोषाधिकारी के भी निगाह में हैं।

दूसरा यह है, असहाय व्यक्तियों को पेंशन सहायता राशि के ऐसे कितने मामले दौसा जिले में विचाराधीन हैं, आपने कहा है कि एक वर्ष से अधिक की अनुमति कलक्टर की अनुमति से ही देंगे, ऐसे कितने मामले कोषाधिकारी दौसा के पास विचाराधीन हैं, जिनकी अनुमति कलक्टर से नहीं मिली या उन्होंने अनुमति नहीं ली ?

श्री मदन दिलावर : प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी प्रकरण इस प्रकार से विचाराधीन नहीं है। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है, इस प्रकार का....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप सूचना पर भी विश्वास कर रहे हैं कि नहीं ?

श्री मदन दिलावर : हां, विश्वसनीय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार बीच में नहीं बोलें। यह क्या कर रहे है ? हरिसिंह जी, बैठिये।

श्री मदन दिलावर : एक मिनट, क्योंकि इसको सीधा समाज कल्याण विभाग नहीं देखता है। वहां का जिला कलक्टर और कोषाधिकारी है, वह इसको देखता है और वहां से सूचना प्राप्त की हैं और जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि 1200 रु. से ज्यादा का पेंशन का प्रकरण है और जो जिला कलक्टर महोदय की अनुमति से दी जाती है। वह यह पेंडिंग बता रहे है। यदि इस प्रकार का मामला विचाराधीन है तो शीघ्रातिशीघ्र उनका भी निस्तारण कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : खतम हो गया पूरा। नेक्स्ट, श्री भीमसेन जी चौधरी।

खाजूवाला व दंतोर मण्डियों का क्षेत्र निर्धारण

106. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर स्टेट की जागीरी क्षेत्रों में प्रथम सैटलमेंट संवत् 2005-2006 से सम्पन्न हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सैटलमेंट में ग्राम दंतोर व खाजूवाला में अवाप्ति भूमि दर्शायी गयी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना वर्ष 1976 में खाजूवाला व दंतोर को नई मण्डियां घोषित करके उनका एरिया अलग निर्धारित किया गया ? यदि हां, तो उक्त नई मण्डियों में पुरानी आबादी भूमि क्यों सम्मिलित की गयी ?

(4) क्या सम्बन्धित ग्राम पंचायतें (दंतोर व खाजूवाला) उक्त पुरानी आबादी भूमि को हस्तांतरित करने की मांग कर रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेगी ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित है। श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : प्रश्न संख्या 107.

(16)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 106 स्थगित है, बाद में लिया जाएगा ।

श्री भीमसेन चौधरी : कब लिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : बाद में ले लेंगे ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप यह आदेश तो कर दें कि जवाब कब दिया जाएगा । आप यह आदेश तो कर जाओ कि यह बजट सत्र में प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा । यह तो आदेश फरमा दो आप ।

श्री अध्यक्ष : यह बाद में लिया जाएगा । बैठें आप ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : सिर हिलाने से नहीं, मुंह से बोलने से काम चलेगा । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप बोलते हैं, तो वह कानून बन जाता है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : हम तो इतना चाहते हैं कि आप यहां बिराजें रहें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 107.

थाना क्षेत्र मांगलियावास का हत्याकांड प्रकरण

107. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद के थाना मांगलियावास के ग्राम लीडी में दिनांक 24.3.96 को हुए हत्याकांड में लिप्त सभी अभियुक्तगण गिरफ्तार किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस सम्बन्ध में मुख्य अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) इस ग्राम में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूर्व में स्थानीय विधायक द्वारा कितनी बार पुलिस विभाग को लिखा गया तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) इस हत्याकांड के चार में से तीन अभियुक्त क्रमशः कासम, नाथू एवं चतुर्भुज को गिरफ्तार किया जा चुका है । चौथे अभियुक्त राजू का स्थायी गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से जारी करवा लिया गया है । गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

(2) मुख्य अभियुक्त कासम पुत्र श्री हजारी लुहार दिनांक 15.8.96 को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

(3) माननीय विधायक द्वारा दो पत्र लिखे गये । विभाग में पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही पुलिस द्वारा दिनांक 6.6.96, 23.8.96, 28.12.96, 16.1.97, 7.6.97 30.6.97, 11.9.97 तथा 24.9.97 को दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107, 116 (3) जा. फौ. के तहत कार्यवाही कर इस्तगासे एस. डी. एम. कोर्ट, अजमेर में प्रस्तुत कर दोनों पक्षों को पाबंद कराया जाकर शांति व्यवस्था कायम की गयी ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने कहा कि राजू अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मैंने दो पत्र लिखे आपके डी. जी. साहब को। आपने पढ़े होंगे ये जवाब देने से पहले ? आपने पढ़ लिया ?

श्री कैलाश मेघवाल : पत्रों को नहीं पढ़ा, पत्रों की जानकारी है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं पढ़ा। उन दोनों पत्रों में मैंने आपको इस अभियुक्त को और बाकी अभियुक्तों को, आपको ध्यान है दो साल हो गये हत्याकांड को और एक गांव के आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सके और उसका कारण मैंने आपको मेरे पत्र में लिखा है। उसके दो रिश्तेदार एस. पी. आफिस में कार्यरत हैं। आपके यहां से कोई भी जाता है, वह उसको इत्तला कर देते हैं और वह एक दिन इधर उधर हो जाता है और फिर वह गांव में आकर उत्पात मचाता है तो एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आदमी गांव का गांव में मौजूद है, अवेलेबल है, उपलब्ध है और आपकी पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्या कारण है ? दूसरा, इस केस में हमारे यहां जिले की पुलिस है, वह तो असफल रही। उसने इस केस को हत्याकांड नहीं मानकर एक आत्महत्या का केस बना दिया। यह तो भला हो यहां का कि यहां मामला आ गया और उससे यह आदमी पकड़े गये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस हत्याकांड के जो मुलजिम अभी तक फरार हैं, उनको कब तक गिरफ्तार कर लेंगे ? तीसरा, जो आपने गिरफ्तारी की, उनका भी आपको ध्यान होगा, छह महीने बाद, फिर छह महीने बाद। अब अभियुक्त को इस तरह से गिरफ्तार न करने का क्या कारण है जबकि वह गांव में ही मौजूद है। तीसरा आपने जवाब दिया है मेरे पत्र के ऊपर आपने शांति व्यवस्था के लिये जाब्ता फौजदारी में 107 में कार्यवाही की है। आप देखेंगे कि आपने आठ दफे कार्यवाही की है जबकि जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही तो एक दफा ही बहुत होती है। एक गांव में आप आठ दफे उसी कार्यवाही को रिपीट कर रहे है मतलब गांव में अशांति है। और उस अशांति को मिटाने की क्या स्थायी व्यवस्था आपने की हैं ? यह भी बताने की कृपा करें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, यह प्रकरण सी.आई.डी (सी.बी.) द्वारा वर्क आउट किया गया और सी.आई.डी. (सी.बी.) में इस प्रकरण को लाने के लिये माननीय सदस्य ने पत्र लिखा था। मैं यह भी आपसे निवेदन करूं, जो दो पत्रों का जिक्र है, वह आपने पुलिस मुख्यालय के डी.जी.पी. को लिखे थे, मुझे वो पत्र नहीं लिखे हैं। उन पत्रों का जिक्र अभी आया है और जो तथ्य आपने बताये हैं मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि अगर स्थानीय पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारियों की वजह से राजू की गिरफ्तारी में बाधा पड़ रही है तो इस बात को बड़ी सख्ती से लिया जाएगा और इस पर कार्यवाही करके राजू की गिरफ्तारी की विशेष टीम गठित कर दी जाएगी, आपसे भी उसमें सहयोग लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ यह भी सही है कि जब गांव वालों में इस तरह के तनाजे पड़ जाते हैं तो आपसी झगड़े चलते

(श्री कैलाश मेघवाल)

रहते हैं। एक बार ही कार्यवाही करने से और 107 या 116 में पाबंद करने के बाद भी कुछ दुस्साहसी अभियुक्त ऐसे होते हैं जो धमकियां देते रहते हैं, जो आपके इस गांव में होता रहा है और इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि समय-समय पर जब भी ऐसी सूचनाएं आयीं उन सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही की गयी है और अब भी अगर वहां की शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये कार्यवाही जो की गयी है उससे अगर शांति स्थापित नहीं हो रही है, तो आपके सहयोग से भी बिलकुल पुख्ता वहां शांति स्थापित रहे यह प्रयत्न राज्य सरकार करने को तत्पर है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाह रहा हूं, जिले की पुलिस ने एक सरासर नृशंस हत्या के मामले में कार्यवाही नहीं की, आत्महत्या बताने की कोशिश की, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया कि इस बिंदु को दिखवाया जाएगा और यह सही है कि इस प्रकरण को वर्क-आउट जो किया है, सी. आई. डी. (सी. बी.) ने किया है और जिला पुलिस ने जहां प्रथम दृष्टया यह प्रकरण ध्यान में आया, उस पुलिस ने इसमें क्या कार्यवाही की और अगर उसमें अक्षमतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण किसी के कोई कारण रहे हैं तो उनकी जांच करवा ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष : हो गया। श्री चुन्नीलाल जी धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बेगूं में .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं (चित्तौड़गढ़) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

108. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में कितने-कितने रोग विशेषज्ञ डाक्टरों/कम्पाउण्डरों, महिला ए. एन. एम; नर्सों के पद कितने अर्से से रिक्त हैं ? स्थान, पद व रिक्त होने की अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रिक्त पदों की शिकायत पूर्व में भी सरकार के समक्ष आयी थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी और अब इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र), दो पद चिकित्सा अधिकारी, चार पद नर्स श्रेणी द्वितीय एवं 19 प्रसाविकाओं के पद रिक्त हैं। स्थान व पद रिक्त होने की अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के रिक्त पद के अतिरिक्त अन्य सभी पदों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को भरे जाने के प्रयास प्रारम्भ किये जा चुके हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) का रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक होने के उपरांत भरा जाना सम्भव हो सकेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चिकित्सा अधिकारियों की आरक्षित सूची प्राप्त हो गयी है, अतः चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय एवं प्रसाविकाओं के पदों को प्रशिक्षण उपरांत सीधी भर्ती से भरा जाता है, उक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर एवं वित्त विभाग से शिथिलता प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बेगूं में आपने सिर्फ एक नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ का पद खाली बताया है जबकि गायनी जे.एस. का पद भी काफी अर्से से रिक्त है, क्या इस पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है, यदि कर दी गयी है तो कब ? दूसरा, भैंसरोडगढ़ ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र पर चिकित्सा अधिकारी का पद 5/95 से रिक्त होना बताया है, इतने लम्बे अर्से से, कृपया यह कब तक पूर्ति कर दी जाएगी और एक ही विधान सभा क्षेत्र में 19 प्रसाविकाओं के पद डेढ़ साल, दो साल से रिक्त चले आ रहे हैं, कृपया इन पर कब तक पूर्ति कर दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि बेगूं विधान सभा क्षेत्र में एक पद नहीं, तीन पद चिकित्साधिकारियों के रिक्त है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र में कुल 17 विभिन्न संवर्ग के चिकित्सा अधिकारी हैं जिनमें से तीन खाली हैं और पूरे विधान सभा क्षेत्र में नर्सेज संवर्ग के कुल 106 पद हैं जिनमें से 21 खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी ए.एन.एम. की ट्रेनिंग पूरी हुई है और प्रशिक्षित ए.एन.एम. हमें उपलब्ध हो गयी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक माह के अन्दर-अन्दर इस विधान सभा में ए.एन.एम. के जितने भी पद हैं वह भर दिए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारियों के जितने पद रिक्त हैं वह भर दिये जाएंगे परन्तु विशेषज्ञों के जो पद हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बेगूं। बेगूं की बात हो रही है। दयारामजी का आने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय चूंकि ये पदोन्नति समिति की बैठक के पश्चात होते हैं, डी.पी.सी. के पश्चात् हमें ज्यों ही विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे उन पदों को भी भर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : दयारामजी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : बाकी जगह कब तक भर देंगे, बेगूं ही थोड़े है। राजस्थान में बहुत सी जगह हैं जहां ए एन एम. की पोस्ट खाली पड़ी है। मेरे ही क्षेत्र में 15 सीट खाली पड़ी है, यह कब तक भरेंगे ? बताइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बेगूं की बात हो रही है। विराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के लिये माननीय मंत्री महोदय पिछले चार वर्षों से यह घोषणा कर रहे हैं और यह आश्वासन दे रहे है कि प्रयास कर रहे है, प्रयास कर रहे हैं । इन थोथे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा

श्री अध्यक्ष : विराजें । यह तो माननीय बेगू की बात हो रही है । विराजें ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने क्या ठोस प्रयास किये ? राजस्थान में सैंकड़ों, हजारों पद आपके नर्सेज के, लेब असिस्टेन्ट के, टेक्नीशियन्स के और रेडियोग्राफर्स के, डाक्टर्स के खाली है....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अब । विराजें आप ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : तो खाली थोथे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा । आप क्या ठोस प्रयास करने जा रहे हैं ? यह पूरे राजस्थान का प्रश्न है ।

श्री जुबेर खान : राजस्थान का सवाल है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हमेशा मीठी-मीठी लीपापोती करके चले जाते हैं और ठोस कुछ करते नहीं हैं यहां पर ।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने के लिये पिछले वर्षों में बहुत प्रयास किये हैं । मेरे पास पूरी सूची है, अध्यक्ष महोदय, कि किन–किन वर्षों में कितने–कितने पद हमने लोक सेवा आयोग के माध्यम से एडहाक बेसिस पर भरने की कोशिश की है । अध्यक्ष महोदय, इसमें कठिनाई एक है कि आज जो भी चिकित्सक है और जब उनका पदस्थापन हम गांवों में करते हैं, तो गांवों में लोग रहना नहीं चाहते । गांवों में चिकित्सक रहें इसके लिये जो इनके पोस्ट ग्रेजुएशन के जो नियम बने हुए हैं उनमें भी गांवों में रहने वाले चिकित्सकों को हमने उनके दो वर्ष के अध्ययन के पश्चात् उनको इन सर्विस जी. एस. सर्विस में पी.जी. करने के लिये छूट भी दी है । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हजारों की संख्या में पद खाली हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में 1325 स्पेशलिस्टों के पद हैं जे.एस. और एस.एस. के, इनमें से 164 मात्र खाली हैं और यह भी पदोन्नति समितियों की बैठक अब एक क्रमवार हो रही है, इन पदों को भी भरने का पहले भी प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करेंगे । अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में 3560 चिकित्सा अधिकारियों के पद हैं इनमें से 440 रिक्त हैं । अभी आर.पी.एस.सी से 560 के लगभग चिकित्सा अधिकारियों के चयन होने की सूची हमें प्राप्त हुई थी परन्तु संकट यह है कि इन 560 में से लगभग 200 से ज्यादा चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में जब इनको नियुक्ति दी गयी तो वहां उन्होंने अपनी ड्यूटी जोइन नहीं की है । हमने आरक्षित अभी 200 की सूची और मंगवाई है और पूरा प्रयास करेंगे कि यह पद भी भरें । अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में 19529 नर्सेज संवर्ग के पद हैं उनमें 2350 निश्चित तौर पद रिक्त है ...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हजारों होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैं जो कह रहा हूं माननीय सदस्य, बड़ी जिम्मेवारी से और जो मुझे विभाग से सारे आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनको देख कर कह रहा हूं ...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हम तो यही कह रहे हैं हजारों हो गये हैं। आपने हजारों को कंटेस्ट किया था, हजारों हो गये हैं, टोटल कर लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि 2350 पद खाली हैं और अभी हमने 1600 ए. एन. एम. जो ट्रेंड हुए हैं, अब यह एक दिन में तो प्राप्त हुए नहीं, अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में ट्रेनिंग सेन्टर्स जो बन्द किये गये थे, यह सरकार के आने के पश्चात् हमने ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले। अब, अध्यक्ष महोदय, उन ट्रेनिंग सेंटरों पर किसी को डेढ़ साल की ट्रेनिंग है, कोई तीन साल की ट्रेनिंग है। ज्यों-ज्यों ट्रेंड लोग हमें अवेलेबल हो रहे हैं त्यों–त्यों हम उनको पदस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मै तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन चिकित्सा अधिकारियों के पद और नर्सेज संवर्ग के पद पर जितनी नियुक्तियां पिछले चार सालों में हुई हैं उतनी, अगर पीछे का इतिहास उठा कर देख लें, 45 वर्षों में कभी नहीं हुई है और अब भी सरकार संवेदनशील है और पूरा प्रयास है कि यह पद भरें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठें। श्री दयारामजी।

श्री दयाराम परमार : प्रश्न संख्या 109.

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : पहले के अस्पताल तो सब खाली पड़े रहते होंगे? चालीस साल के अस्पताल तो सब खाली पड़े रहते थे, आपने ही आकर के सब नियुक्ति दी है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दयारामजी।

श्री दयाराम परमार : प्रश्न संख्या 109.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके समय में तो सब खाली रहते थे....

श्री अध्यक्ष : दयारामजी। बैठें आप।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : एक दर्जन पत्र लिखने के बाद भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आप डाक्टर नहीं भेज सके और घमण्ड कर रहे हैं यहां पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। 1800 नर्सों के पद और आ रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : लेब असिस्टेंट नहीं हैं, टेक्नीशियन नहीं हैं आपके वहां पर। अध्यक्ष महोदय, केवल खोलते जाते हैं खोलते जाते है....

श्री अध्यक्ष : दयारामजी। कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय बैदजी की बात के लिये। बैदजी, आपने पिछले साल डेढ़ साल से अपने निर्वाचन क्षेत्र की सुध नहीं ली है, अब वापस जाकर मालूम करो, अगर डेढ़ साल से अपने निर्वाचन क्षेत्र में गये होते तो पता लगता। डेढ़ साल पहले की बात दूसरी थी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : खेतसिंहजी जो कहते थे वह करते थे, जो करते थे वह कहते थे। आप जो कहते हैं वह नहीं करते, जो करते हैं वह नहीं कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें। दयारामजी।

श्री चन्दनमल बैद : अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही आया हूं, और कहां से आया हूं ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हमारे राठौड़ असली राठौड़ हैं, यह राठौड़ नकली राठौड़ हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण

109. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि वर्ष 1997–98 के बजट प्रस्तावों के अनुसार खैरवाड़ा में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण किया जाना था ? यदि हां, तो भवन निर्माण नहीं करवाने के क्या कारण हैं ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : जी, हां। भवन निर्माण की स्वीकृति राजस्थान पुल एवं निर्माण निगम को दिनांक 20 फरवरी, 1998 को दी जा चुकी है।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गयी है, 10 लाख रुपये की इस वर्ष में 20 फरवरी, 1998 को दी गयी है। निगम उस अनुसार अपनी तैयारी कर रहा है और काम जल्दी से प्रारम्भ हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

घरेलू कुकिंग गैस का अवैध उपयोग प्रकरण

110. हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में घरेलू कुकिंग गैस का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(2) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आकलन किया है कि जयपुर शहर में किसी सीमा तक यह अवैध धन्धा चल रहा है ? यदि हां, तो आकलन का क्या नतीजा रहा ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) जी, हां। यह सही है कि कुछ उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू कुकिंग गैस का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, ऐसे अवैध उपयोग को रोकने के लिये तेल कम्पनियों एवं रसद विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है :–

1. तेल कम्पनियों एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से व्यावसायिक

(डा. रामप्रताप)

प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किये जाते हैं तथा घरेलू कुकिंग गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिये कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में भीलवाड़ा में 3 सिलेण्डर तथा अजमेर में 6 सिलेण्डर जांच करने के पश्चात् जब्त किये गये हैं। जयपुर जिले में भी गत 2 वर्षों में 18 सिलेण्डर जब्त किये गये हैं तथा न्यायालय में चालान भी पेश किये गये हैं। कुछ मामलों में पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज करायी गयी है।

2. भारतीय तेल निगम द्वारा एल.पी.जी. गैस वितरकों की रिफिल ऑडिट की जाती है तथा इस दौरान अनियमितताएं पाये जाने पर, यह मानकर कि घरेलू कुकिंग गैस का अवैध उपयोग किया गया है, कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में राजस्थान में 5 वितरकों से 95,000 रुपये की राशि अनियमितताएं पाये जाने पर वसूल की गयी है।

3 घरेलू कुकिंग गैस सिलेण्डर्स का व्यावसायिक प्रयोग रोके जाने के लिये द्रवित पैट्रोलियम गैस आदेश, 1993 के खण्ड 3(1) (सी) में आदेश में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिये केन्द्र सरकार अधिकृत है। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार को पत्र लिखा गया है।

(2) इस सम्बन्ध में कोई आकलन नहीं किया गया है, अपितु घरेलू कुकिंग गैस के अवैध प्रयोग को रोकने के लिये समय-समय पर निरीक्षण आदि किये जाते हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी निगाह में यह कोई मामूली अपराध हैं। आपने प्रश्न के भाग-1 में यह उत्तर दिया है कि नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। आपने यह नहीं बताया कि नियमानुसार आपको क्या कार्यवाही करने का अधिकार है और जो कार्यवाही की गयी उसमें आपने लिखा है कि भीलवाड़ा में तीन सिलेण्डर जब्त किये, अजमेर में 6 और जयपुर में दो वर्षों में आपने 18 सिलेण्डर जब्त किये। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके हिसाब से यह कोई गम्भीर समस्या नहीं है जबकि आपने बार-बार पेपरों में पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा कि लाखों रुपयों का अवैध धंधा जयपुर में चल रहा है।

दूसरा, आपने आगे यह लिखा है कि इस अध्यादेश में संशोधन करने के लिये हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है जबकि प्रश्न के भाग-2 के उत्तर में आपने यह लिखा है कि इस सम्बन्ध में आकलन नहीं किया गया है, तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आपने न कोई इसकी जानकारी की, न कोई आकलन किया तो फिर आप संशोधन के लिये क्यों लिख रहे हैं?

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं निश्चित तौर पर शिकायतें हमारे पास आती हैं कि घरेलू गैस का उपयोग व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है लेकिन जब भी कार्यवाही करने के लिये जाते हैं, जैसे कोई होटल आप ले लीजिये तो वहां पर अगर सिलेण्डर हमें मिलता है तो आदमी

(२५)

(डा. रामप्रताप)

सीधे यह कहता है कि मैं तो मेरा खुद का खाना बना रहा हूं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है यह हमारे लिये सबसे बड़ी समस्या का कारण जनता है निश्चित तौर पर मैं आपको मजाक में नहीं कह रहा हूं यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है इसलिए जो आपको अभी मैंने निवेदन किया है कि इतने-इतने सिलेण्डर्स हमने पकड़े हैं मोटे तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वहां पर छापा मारा जाए तो अगर एक से अधिक सिलेण्डर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर हम यह मानकर चलते हैं कि यह व्यावसायिक उपयोग के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है इस आधार पर पकड़े गये। फिर पकड़े जाने के बाद जो आपने फरमाया कि आकलन, तो आकलन वाला मामला इसमें समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि इसको हम डिफ्रेशिएट कैसे करें और पकड़ने के बाद में यह एल.पी.जी. का जो आर्डर है इसमें स्पष्ट कोई उसके लिये दण्ड का प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने केन्द्र सरकार को इस बारे में लिखा है कि आदेश के खण्ड 3 (1) (सी) में पी.डी.एस. के एल. पी.जी. पर वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध स्पष्ट तौर पर हो, ऐसा इस गैस आर्डर में स्पष्ट तौर पर निर्देश नहीं है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मेरा शुरू का प्रश्न तो आप टाल ही गये हैं। मैंने शुरू में यह पूछा था कि आपको नियमानुसार क्या कार्यवाही करने का अधिकार है? दूसरा, आपने जो भारत सरकार को संशोधन करने के लिये लिखा है....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने इसमें लिखा है कि चालान पेश किये गये हैं जो नियमानुसार चालान किये थे।

श्री हरजीराम बुरडक : क्या किये?

श्री अध्यक्ष : चालान पेश किये गये हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : चालान पेश करने के बारे में मैं कहां पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि शुरू में आपने उत्तर दिया है कि नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। रसद विभाग को नियमानुसार क्या कार्यवाही करने का अधिकार है? क्या-क्या अधिकार हैं?

डा. रामप्रताप : मैंने आपसे निवेदन किया कि हम अगले को पकड़ते हैं पकड़ने के बाद में हम उसके घरेलू उपयोग और व्यावसायिक उपयोग में डिफ्रेंशिएट करते वक्त अगला सीधे ही हमारे से डिफेंस यह लेता है कि मैं यहां पर खाना बना रहा था। इसलिए मोटे तौर पर हम यही प्रयास करते हैं कि अगर एक से ज्यादा सिलेण्डर हैं तो निश्चित तौर पर वह इसका व्यावसायिक उपयोग कर रहा होगा। दूसरा, जो ऑयल कम्पनीज हैं वो इसका रिफिल आडिट करवाती हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, साहब, घरेलू कनेक्शन है। घरेलू कुकिंग गैस है तो क्या होटल में ले जाकर वह खाना बनाएगा आप इतना तो सोचिये उसका कनेक्शन घर का है। अगर होटल में वह मिलता है और वह कहता है कि खाना बना रहा है, तो कहां से लाया वह?

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात से मैं तो इत्तफाक करता हूं लेकिन अगला यह प्ली ले सकता है कि मेरा तो यहां पर रहना सोना सारा कुछ यही पर है उसको मैं कैसे इन्कार कर दूं?

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, कनेक्शन में एड्रेस होता है ...

डा. रामप्रताप : आपकी बात सही है। उसका यह डिफेंस है।

श्री हरजीराम बुरडक : बिना अनुमति के आप कनेक्शन का एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। अगर घर का कनेक्शन हो तो होटल में कैसे खाना बना सकता है ?

डा. रामप्रताप : वह कह रहा है कि मैं यहीं सोता हूं, यहीं रहता हूं। अच्छा दूसरा तरीका इसका यह है कि हम रिफिल ऑडिट करवाते हैं और रिफिल ऑडिट में रिफिल पर तरतीब वाइज लिखा हुआ है और अगर उसने उस आर्डर का वायलेशन किया है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि जो डीलर है उसने इसका कहीं वायलेशन किया है और इसके पेटे हमने इनसे वसूली भी की है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय मंत्री महोदय, जयपुर शहर में मोटर वाहन कुकिंग गैस से चलाये जा रहे हैं इसके हजारों उदाहरण रोजाना नजर आ रहे हैं। आपने एक भी चालान किया ? यह विस्फोटक स्थिति है किसी भी कार का भीड़ भरे बाजार में चलते हुए अगर गैस सिलेण्डर फट गया तो हजारों की मौत हो जाएगी इस तरह की घटनाएं जयपुर शहर में हो रही है। क्या आप कुछ कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

वृद्धावस्था पेंशन/अन्य सहायता की स्वीकृति के दिशा-निर्देश

111. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि व्यक्तिगत योजनाएं वृद्धावस्था पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य प्रकार की सहायता की राशि पंचायतों को स्वीकृत करने का अधिकार है ? यदि हां, तो किस नियम/आवेदन पत्र के तहत ? प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इन योजनाओं की राशि स्वीकृति, भुगतान किन-किन शर्तों एवं प्रणाली से किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन के लिये जो मापदंड निर्धारित किये गये हैं, के अनुरूप राज्य सरकार ने भी कोई दिशा निर्देश/नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचायत समिति जहाजपुर में इन योजनाओं के तहत किस-किस प्रकार की सहायता एवं पेंशन किस-किस व्यक्ति को एवं कितनी-कितनी, कब-कब दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि के दुरुपयोग की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? इनकी जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(26)

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) जी, नहीं ।

(2) राज्य वृद्धावस्था पेंशन तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत पेंशन की स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया एवं प्रणाली का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(3) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सभी जिला कलक्टरों को जारी दिशा-निर्देश परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं ।

(4) पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन की स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है ।

(5) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग–1 में जो उत्तर दिया है उसमें मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह राशि पंचायतों को स्वीकृत करके भुगतान करने और उसके बाद पुनर्भुगतान के लिये भी कोई आदेश जारी हुए हैं ? यदि हुए हैं, तो क्या वह राशि पंचायतों का पुनर्भुगतान नियमित रूप से की जा रही है ? यह मैं जानना चाहता हूं । साथ ही दूसरा भी पूछ लेता हूं, भाग–2 में आपने बताया कि इसके सम्बन्ध में एक कमेटी भी आपने गठित की है जो कि आदेश संख्या 6.1.96, 15003/34 निकला है उसमें आपने यह निर्देश जारी किए हैं कि जिले के समस्त राजनीतिक दलों के विधायकों में से एक-तिहाई को उसमें मनोनीत किया जाएगा । राजनीतिक दलों के अलावा कई जगह निर्दलीय विधायक भी होते हैं, तो क्या इस तरह की आपने इसमें व्यवस्था की है और इस कमेटी की मीटिंगें बराबर होती हैं या नहीं होती है ? इसके सम्बन्ध में भी आप जानकारी दें । इसके साथ ही 6 नम्बर के चरण में आपने कहा है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं मेरा यह आरोप है कि पंचायत के ग्राम बेरी में एक विधवा को जो पेंशन स्वीकृत हुई थी उस पेंशन की आधी राशि उसको प्राप्त हुई और पूरी भरपाई कराने के बाद जिला कलक्टर को उसने शिकायत की और शिकायत के बाद उन्हीं अधिकारियों, उन्हीं कर्मचारियों की जांच के लिये वापस भेज दी जो इसमें शामिल थे ।

एक माननीय सदस्य : टाइम हो गया साहब ।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब तो आप दे दें ।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि राहत के जो दिशा निर्देश जारी किये कमेटी के लिये उसमें राजनीतिक दलों के विधायकों के अलावा और भी विधायक शामिल हैं क्या ? तो राजनीतिक दलों के विधायकों से तात्पर्य होता है जो राजनीतिक दल से ही आते हैं, पर माननीय विधायक निर्दलीय हैं इसलिए सभी विधायकों से तात्पर्य है उस जिले के सभी

(श्री मदन दिलावर)

विधायकों के एक तिहाई विधायक उसमें शामिल किए जाएंगे। उसका तात्पर्य यह है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती कमला : मैं कुछ कह रही हूं, आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्रीमती कमला : सभी माननीय सदस्यों के इंट्रेस्ट और सरकार के भी इंट्रेस्ट का यह सवाल है। संक्षेप में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात से जानकार हैं कि जो इतनी उपयोगी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं उनका लाभ बहुत कम लोगों को मिल रहा है? इसलिए क्या आप और पंचायती राज मंत्री जी मिलकर के यह निश्चित करेंगे कि इन योजनाओं को लागू करने के लिये साल में दो बार पंचायत हैडक्वार्टर्स पर कैम्प लगाये जाएं और खुद पंचायत समिति का स्टाक वहां जाकर लोगों को फार्म दे, फोटो दे और उनकी पूर्ति करें? क्योंकि जो बेसहारा महिलाएं हैं, अपंग लोग है, अंधे लोग हैं वे बार-बार पंचायत समिति के दफ्तर में चक्कर काटने में असमर्थ हैं?....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्रीमती कमला : इसलिए इसका लाभ आम तौर पर नहीं मिल रहा है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है....

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने सप्लीमेंटरी किया है उसका जवाब ही नहीं आया मेरे पास। (व्यवधान) मैंने निवेदन यह किया है कि प्रश्न के भाग संख्या 6 में एक विधवा उसको पेंशन की राशि, 5 हजार या ढाई हजार मिली थी और उसने शिकायत की कि मुझे रजिस्ट्री के द्वारा नहीं मिली। रसीद उसके पास मौजूद है और आप कहते हैं कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अभी। आप बाद में तहकीकात कर लेना। प्रश्नकाल समाप्त कर दिया था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में खनन से आय

151. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में पत्थर की खदानों से वर्ष 1993–94 से 1997–98 तक कुल कितनी रायल्टी व अवैध खनन से पेनल्टी शुल्क की राशि वसूल की गयी? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(2) अवैध खानों से उक्त अवधि में पेनल्टी कितने गुना वसूल की गयी ? वर्ष-वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कार्यरत पत्थर की खदानों से प्राप्त विगत पांच वर्षों की रायल्टी व पेनेल्टी का वर्षवार ब्योरा इस प्रकार है :–

वर्ष	रायल्टी (रु.)	पेनल्टी (रु.)
1993–94	14,63,122	1,36,648
1994–95	12,91,698	1,02,325
1995–96	12,89,517	71,525
1996–97	16,31,061	65,625
1997–98 (अब तक)	13,92,744	12,048
कुल	70,68,142	3,88,171

(2) अवैध खदानों से दिनांक 1.4.93 से 11.8.94 तक की अवधि में पेनल्टी 25 गुणा रायल्टी के बराबर वसूल की गयी एवं दिनांक 12.8.94 से अवैध खदानों से पेनल्टी की राशि, 10 गुणा रायल्टी के बराबर वसूल की गयी है। वसूलशुदा पेनल्टी का वर्षवार ब्योरा इस प्रकार है :–

वर्ष	पेनल्टी (रु.)
1993-94	1,36,648
1994–95	1,02,325
1995–96	71,525
1996–97	65,625
1997–98	12,048

जिला टोंक में सिलिकासैंड का उत्खनन

152. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में सिलिकासैंड एवं क्वार्टज पत्थर के भण्डार मिले हैं ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में चिह्नित किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम नोहटा के पहाड़ में सिलिकासैंड का भारी भण्डार उपलब्ध है ? यदि हां, तो इस पहाड़ की लीज किस-किस पार्टी को कितने-कितने समय के लिए दी गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सिलिकासैंड के उत्खनन से स्थानीय जन जीवन पर कुप्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या के निराकरण के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में सिलिकासैंड एवं क्वार्टज के भण्डारों की खोज हेतु विभाग द्वारा पूर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है। टोंक जिले में खनिज सिलिकासैंड एवं क्वार्टज के खननपट्टे निवाई तहसील में

(खनिज मंत्री)

ग्राम बहड़, नोहटा, गंगापुरा, बरथल तहसील मालपुरा में ग्राम गुलगांव, अड़ूसिया कांटोली, जनकपुरा, दाताजी का देवरा, धानोता तहसील अलीगढ़ के गांव ककोड, नया गांव, गोपालपुरा, बालापुरा एवं तहसील टोंक के गांव काबरा, तुर्कीडारडा में स्वीकृत हैं। जहां उक्त खनिजों का उत्पादन हो रहा है।

(2) जी, हां। इस पहाड़ी में तीन खनन पट्टे स्वीकृत है :- (1) श्री बालाजी मिनरल के पक्ष में जो अवधि 27.11.69 से 20 वर्ष तक स्वीकृत थी व जिसका प्रथम नवीनीकरण दिनांक 27.11.89 से 10 वर्ष हेतु किया गया है,(2) श्री बालाजी मिनरल के पक्ष में दिनांक 6.11.83 से 20 वर्ष की अवधि हेतु, एवं (3) मै. सिलिका किंग के पक्ष में दिनांक 30.12.80 से 20 वर्ष हेतु।

(3) ग्राम नोहटा के समीप स्वीकृत खानों में सिलिकासैंड के खनन से जन जीवन पर प्रभाव पड़ने जैसी कोई शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है और न ही ऐसा तथ्य विभाग की जानकारी में है। उक्त तीनों खनन पट्टे वन क्षेत्र में होने से इनमें खनन कार्य दिसम्बर, 1996 से ही बन्द है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के थानों में कार्यरत पुलिसकर्मी

153 **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितने थाने/चौकियां हैं, उनमें कितने-कितने पुलिसकर्मी कार्यरत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनों-दिन बढ़ रहे अपराधों के बावजूद भी विगत वर्षों में कार्यरत कर्मियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नये थानों एवं चौकियों की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) टोडाभीम थाने का भवन कब तक और कहां पर बनाया जाना प्रस्तावित है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल तीन थाने व दो चौकियां है जिनमें तीन उप निरीक्षक, छह सहायक उप निरीक्षक व छह हैड कांस्टेबल कार्यरत हैं।

(2) जी, नहीं। पुलिस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत थाना टोडाभीम में एक उप निरीक्षक, तीन सहायक उप निरीक्षक एक हैड कांस्टेबल के नवीन पदों का सृजन वर्ष 1997-98 में किया गया है।

(3) जी, नहीं।

(4) पुलिस थाना टोडाभीम का पृथक से भवन बनाने के लिये ग्राम त्रिशूल में खसरा नं 183/1 में से 2 बीघा 10 बिस्वा जमीन का आबंटन किया जा चुका

(गृह मंत्री)

है। राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के कारण भवन निर्माण हेतु वर्तमान में राशि उपलब्ध करना सम्भव नहीं है।

अलवर में शस्त्रों के अनुज्ञा-पत्र

154. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशव-रायपाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक अलवर के यहां जिले के कतिपय अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के बन्दूक/रिवाल्वरों के लाइसेंस निरस्त करने के प्रार्थना-पत्र लम्बे समय से विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उन पर कब तक निर्णय हो जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त लाइसेंसधारी व्यक्तियों के विरुद्ध ज्यादा अपराधिक 302, 307 आदि के मुकदमें दर्ज होने/उम्र ज्यादा होने/उत्तराधिकारियों द्वारा उक्त हथियारों से अवैध शिकार करने आदि के रूप में दुरुपयोग साबित होने पर ऐसे लाइसेंसों को निरस्त करने का नियमों में प्रावधान किया हुआ है?

(3) राज्य में अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जारी लाइसेंस निरस्त करने हेतु अब सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस अधीक्षक अलवर के प्रस्ताव पर 34 शस्त्र लाइसेंसधारियों के अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। न्यायालय द्वारा वाद में सुनवाई पूर्ण होने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) जी, हां। शस्त्र अनुज्ञाधारियों द्वारा शस्त्र का दुरुपयोग किये जाने पर आयुध अधिनियम, 1959 के तहत अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने का प्रावधान है।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

अलवर में महिलाओं पर अत्याचार में वृद्धि

155. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) गत तीन वर्षों में अलवर में महिला अत्याचार, दहेज, अपहरण, बलात्कार, पारिवारिक झगड़ों आदि की कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अलवर जिले में नई पुलिस चौकी/थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर?

(4) क्या विधान सभा क्षेत्र अलवर में पुलिस प्रशासन का कम बजट स्वीकृत किया जाता है? यदि हां, तो कितना-कितना किस कार्य हेतु? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की महिला पुलिस कर्मियों को पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अलवर शहर में महिलाओं पर अत्याचारों के सम्बन्ध में वर्ष 1995 में 60, वर्ष 1996 में 78 एवं वर्ष 1997 में 77 अभियोग पंजीबद्ध हुए है। उक्त आंकड़ों के अनुसार ऐसे अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई हैं। ऐसे अत्याचार बढ़ने के मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के प्रति सजगता एवं सामाजिक परिवेश में आया बदलाव मुख्य है।

(2) गत तीन वर्षों का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	दहेज हत्या	दहेज यातनाएं	बलात्कार	छेड़छाड़	अपहरण
1995	3	29	1	13	14
1996	4	40	5	12	17
1997	3	38	4	15	7

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं। राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा के नियमों में क्रमोन्नत करने हेतु समुचित प्रावधान है, जिनके अनुसार महिला कर्मियों की क्रमोन्नत हेतु विचार किया जा सकेगा।

बाल विवाह पर रोक के प्रयास

156. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में बाल विवाह के कितने अभियोग विभिन्न थानों पर दर्ज हुए और उनमें से कितने रोके जा सके? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे है? यदि हां, तो क्या-क्या एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न थानों में 1 जनवरी, 1995 से 10 मार्च, 1998 तक बाल–विवाह अवरोध अधिनियम के तहत कुल 28 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें अनुसंधान से 15 अभियोग झूठे पाये गये हैं एवं 13 अभियोगों में दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार उक्त अवधि में कुल 93 बाल–विवाह की घटनाओं को रोका गया है।

(2) जी, हां। राज्य में जिला महिला अभिकरणों के माध्यम से महिला विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाल–विवाह पर जाजम, शिविर, फिल्म शो, नुक्कड़ नाटक एवं बैठकों के माध्यम से चर्चा कर चेतना जागृत की जाती है। प्रति वर्ष अक्षय–तृतीया से पूर्व सघन बाल–विवाह रोको अभियान आयोजित किया जाता है जिसमें महिला विकास कर्मियों, महिला समूहों, स्थानीय अधिकारी, अध्यापकों, पटवारी, जाति पंच, जागरूक नागरिकों एवं फिल्म पोस्टरों के माध्यम से अभिभावकों को बाल–विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देकर सही उम्र में विवाह करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

जयपुर में महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में वृद्धि पर रोक

157. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विशेषकर जयपुर शहर में महिलाओं पर अत्याचार एवं बलात्कार के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो राज्य के अन्य शहरों का तुलनात्मक अध्ययन विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि वैश्यावृत्ति के मामलों में भी जयपुर शहर वर्ष 1995 से अन्य शहरों की तुलना में अग्रणी रहा है ? यदि हां, तो किन–किन थानों में किस–किस के विरुद्ध कब–कब मुकदमे दर्ज हुए ? दर्ज मामलों का विवरण जिसमें नाम, वल्दियत एवं पता तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दर्ज प्रकरण में से पुलिस द्वारा 10 प्रतिशत मामलों में भी चालान पेश नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । महिलाओं पर अत्याचार एवं बलात्कार के प्रकरणों में मामूली वृद्धि हुई है । राजस्थान राज्य के बड़े नगर जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर एवं उदयपुर में वर्ष 1995 से 1997 तक महिलाओं पर हुए अत्याचारों एवं बलात्कार के सम्बन्ध में दर्ज अभियोगों का विवरण परिशिष्ट "क" भाग–1 में संलग्न है ।

(2) जी, नहीं । तुलनात्मक आंकड़े परिशिष्ट "क" के भाग–2 में अंकित है एवं जयपुर शहर में वर्ष 1995 से 1997 तक वैश्यावृत्ति के सम्बन्ध में दर्ज अपराधों का वर्ष 1995 से 1997 तक का अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है ।

(3) यह सही नहीं है कि जयपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचारों के सम्बन्ध में सिर्फ 10 प्रतिशत ही चालान हुए हैं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

महंगाई पर नियन्त्रण हेतु कार्यवाही

158. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शक्कर, चाय, प्याज एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आई मंहगाई को नियन्त्रित करने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी व होर्डिंग निवारण अधिनियम के तहत कतिपय प्रकरणों पर कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो गत चार वर्षों में कितने प्रकरण निस्तारित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर जिला कलक्टर्स एवं जिला रसद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।

(2) कालाबाजारी एवं होर्डिंग निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रकरण नहीं बनाये गये।

मलेरिया की रोकथाम हेतु डी.डी.टी. पाउडर का छिड़काव

159. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में प्रदेश में बी.एच.सी पाउडर का छिड़काव किया जाता था, उसे सरकार ने बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने मलेरिया की रोकथाम के लिये बी. एच. सी. पाउडर के स्थान पर डी.डी टी. पाउडर का छिड़काव करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार के पास डी. डी. टी. पाउडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ? यदि हां, तो प्रदेश के समस्त गांवों में छिड़काव नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) डी. डी. टी. पाउडर की पर्याप्त उपलब्धता न होने पर सरकार द्वारा मलेरिया की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में बी. एच. सी. पाउडर उपलब्ध है ? बी. एच सी. पाउडर की भारी मात्रा में खरीद के पश्चात् इसे उपयोग में न लिये जाने के निर्णय का क्या आधार रहा है ? क्या सरकार इस प्रकार राजकोष को हानि पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। भारत सरकार द्वारा दिनांक 1. 4. 97 से बी. एच. सी के उत्पादन व उपयोग पर पूर्णतः रोक लगा दी गयी। यह प्रतिबन्ध जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर इसके विपरीत प्रभाव के कारण लगाई गयी है। (भारत सरकार के द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के फैक्स की प्रति संलग्न है)

(2) जी, हां। राज्य की मांग के अनुरूप डी. डी. टी. पाउडर की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, जो मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हुई। वर्ष 1997 में बी एच. सी. पर लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण केन्द्र सरकार से वर्ष 1997–98 में 3658 मैट्रिक टन डी. डी. टी. की मांग की गयी, जिसके विरुद्ध केन्द्र सरकार ने केवल 1500 मैट्रिक टन डी. डी. टी. का आबंटन किया था। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित माप दण्डों के आधार पर केवल हाई रिस्क एरिया में आने वाले गांवों में डी. डी. टी. का छिड़काव किया जाता है।

(३४)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(3) मलेरिया रोग की रोकथाम नियमित गतिविधियों के साथ-साथ मलेरिया रोगियों का सर्वेक्षण, निदान एवं उपचार व एण्टी सार्वल विधियां, जैविक नियंत्रण विधियां, जन-जागरण में शिक्षा तथा समय-समय पर मलेरिया क्रेश कार्यक्रम के द्वारा विशेष अभियान राज्य के चयनित जिलों में चलाया जाता है।

(4) विभाग के पास केवल 1. 4. 97 से पूर्व की बी. एच. सी. पाउडर की मात्रा उपलब्ध है। वह भी भारत सरकार के द्वारा आपूर्ति की गयी है। राज्य सरकार के द्वारा क्रय नहीं की गयी। चूंकि भारत सरकार द्वारा बी. एच. सी. के उपयोग पर 1. 4. 97 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, अतः राज्य के चार जिलों में उपलब्ध बी. एच. सी. पाउडर उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, जिसके लिये कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

पंचायत मुख्यालय 8 के. वाई. डी. (बीकानेर) पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

160. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आठ के वाई. डी. के ग्राम 11 के. वाई. डी. में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त चक 11 के. वाई. डी. गैर आबाद होने के कारण मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने पंचायत मुख्यालय 8 के. वाई. डी. में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृति हेतु संशोधित आदेश जारी करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो संशोधित आदेश जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम पंचायत आठ के. वाई. डी. में ही उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया था न कि उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम 11 के. वाई. डी. में।

(2) जी, नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम ठाकरियावास (नागौर) के चिकित्सालय के रिक्त पद

161. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ठाकरियावास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में अस्पताल खोला गया था ? यदि हां, तो कब तथा इसमें क्या-क्या स्टाफ कब-कब लगाया और पद स्थापित स्टाफ ने कब-कब वहां पर पदभार ग्रहण किया ?

(2) उक्त अस्पताल में कौन-कौन से

(श्री हरजीराम बुरडक)

से पद सृजित है तथा सृजित पदों पर कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(17) चिस्वा/ ग्रुप–2/95 दिनांक 16. 12. 95 के द्वारा नवीन प्राथमिक स्वा. केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की गयी।

(2) प्राथमिक स्वा. केन्द्र ठाकरियावास में सृजित स्टाफ के पद सृजित पदों पर पदस्थापित स्टाफ एवं उनके कार्यग्रहण करने का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत स्टाफ की संख्या	पदस्थापित कर्मचारी का नाम	आदेश की दिनांक	कार्य ग्रहण करने की दिनांक
1.	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. उग्राराम बिन्दा	21. 5. 96	1. 11. 96 से 2. 5. 97 तक
			डा. बन्दना अग्रवाल	29. 4. 97	उपस्थिति नहीं दी
			डा. परसाराम	25. 10. 97	उपस्थिति नहीं दी
2.	मेल नर्स II	2	श्री मन रूपाराम	—	2/97 से लगातार
3.	लेब टैक्नीशियन	1	—	—	एक पद सृजन से रिक्त हैं 12/95 सृजन से रिक्त
4.	ए. एन. एम.	1	बी. जी. सी. एस.	—	2/98 से
5.	वार्ड बाय	2	श्री मोहनलाल	10/96	4. 10. 96 से इनकी सेवायें अन्य पद रिक्त रहने के कारण प्रा. स्वा. केन्द्र मोलासर में जो 8. 5. 97 तक रहा
			एक पद सृजन से रिक्त है।		
6.	स्वीपर	1	श्री ओम प्रकाश	—	2/98 से

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

162. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कुल कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं और कहां-कहां भवनों का निर्माण कार्य शेष है ? क्या उक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में ए. एन. एम. का पद रिक्त है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में अब कहां-कहां उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित है और कब तक खोल दिए जाएंगे।

(3) क्या सरकार पंचायत मुख्यालय राजगढ़ में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में स्वीकृत नामवार उपकेन्द्रों के स्थानों, शेष रहे भवन निर्माण की सूचना एवं प्रसाविका के रिक्त पदों की सूचना की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी उप केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी, नहीं। ग्राम पंचायत, राजगढ़ के ग्राम डेकटी खेड़ा में उपकेन्द्र स्वीकृत है। अतः ग्राम राजगढ़ में उप केन्द्र खोले जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

सामान्य चिकित्सालय, अलवर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सम्बन्धी लम्बित आवेदन पत्र

163. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामान्य चिकित्सालय, अलवर में पोस्टपार्टम रिपोर्ट चाहने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र कब-कब से लम्बित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उन्हें अब कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जगदीश यादव पुत्र मंगला का पोस्टमार्टम भी उक्त सामान्य चिकित्सालय में 1-2 मई, 1992 को किया गया था ? यदि हां, तो उसकी मृत्यु के कारणों सहित पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भविष्य में मृतक के वारिसान को आवेदन करने पर यथाशीघ्र उक्त रिपोर्ट्स उपलब्ध हो सके, इस हेतु पुख्ता व्यवस्था करने के चिकित्सालयों को निर्देश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सामान्य चिकित्सालय अलवर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(2) वर्तमान में कोई भी प्रार्थना–पत्र लम्बित नहीं है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(3) जी, हां । श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मंगलाराम उर्फ मुन्शीराम अहीर निवासी हुल्मानाखुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर का पी. एम. आर. नं. 92/1992 दिनांक 1. 5. 92 से दर्ज है एवं पोस्टमार्टम हुआ है । पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की छाया प्रति मृत्यु के कारणों सहित सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(4) जी, हां । भविष्य में वारिसान को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध करवाये जाने बाबत नियमानुसार प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धितों को दिये जा रहे हैं ।

(पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नर्स व कम्पाउण्डर के पदों पर नियुक्ति

164. श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में एलोपैथिक नर्स/कम्पाउण्डर के पदों को विज्ञापित करने और भरने की क्या प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में राज्य में कितने नर्सिंग ट्रेनिग सेण्टर कार्यरत है और उनमें प्रवेश की क्या प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) गत पांच वर्षों में उक्त ट्रेनिग सेन्टर्स में कितने-कितने अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) वर्तमान में राज्य में उक्त नर्स/कम्पाउण्डर्स के कितने पद रिक्त हैं और उनको कब तक भर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य में एलोपैथिक नर्स/कम्पाउण्डर के पदों को भरने से पूर्व प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिये एक सामान्य विज्ञापन राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में निदेशालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसमें आवेदन–पत्र प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर आमन्त्रित किये जाते हैं । प्रत्येक केन्द्र पर प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची मंगाकर राज्य स्तर पर वरीयता/योग्यता सूची तैयार की जाती है तत्पश्चात वरीयता एवं च्वाइस के अनुसार उन्हें निदेशालय स्तर से प्रशिक्षण केन्द्र आबंटित किया जाता है । प्रशिक्षण पूर्ण कर राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पंजीकरण के पश्चात् अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र/अंक तालिका सहित सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (क्षेत्रीय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा रिक्त पदों को वरीयता के आधार पर नियुक्ति दी जा

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

कर पदों को भरने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(2) वर्तमान में राज्य में 15 प्रशिक्षण केन्द्र हैं तथा इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया का वर्णन प्रश्न के भाग संख्या 1 में किया गया है।

(3) गत पांच वर्षों में नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन जारी कर प्रवेश दिये गये अभ्यर्थियों का वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष 1993 में विज्ञापन जारी नहीं हुआ। वर्ष 1994–95 हेतु वर्ष 1994 में विज्ञापन जारी हुआ जिसके चयन की प्रक्रिया वर्ष 1995 में पूर्ण हुई।

वर्ष 1995–96 व वर्ष 1996–97	वर्ष 1996 में विज्ञप्ति जारी की गयी जिसके चयन की प्रक्रिया वर्ष 1997 में पूर्ण हुई।
वर्ष 1997–98	दिनांक 4. 12. 97 को विज्ञप्ति जारी की गयी जिसके चयन की प्रक्रिया माह अप्रेल/मई, 1998 में शुरू होगी।

वर्ष 1994–95 व 1995–1996 में ट्रेनिंग सेन्टर्स पर प्रवेश दिये गये अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) वर्तमान में नर्स श्रेणी द्वितीय के 1228 पद रिक्त हैं इनमें से लगभग 900 पद माह अप्रेल/मई, 1998 में उपलब्ध होने की संभावना है। वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा शिथिलता प्रदान करने पर ही पदों का भरना संभव होगा। शेष रिक्त पद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होते ही भरे जाने संभव हो सकेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र माण्डल के नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु स्टाफ

165. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की विधान सभा क्षेत्र माण्डल के ग्राम जवासीया, गोरधनपुरा, मोटाकाखेड़ा, सेथूरीया, नारेली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर नर्सेज की नियुक्तियां कर दी गयी है? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस की नियुक्ति की गयी और नहीं, तो क्यों व अब कब तक नियुक्तियां कर दी जाएंगी?

(3) क्या उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन बनाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्राम नारेला तथा संथुरिया में वर्ष 1995–96 में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये तथा ग्राम गोरधनपुरा

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

मोटाकाखेड़ा एवं जवासीया में वर्ष 1996-97 में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये।

(2) उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसाविकाओं के रिक्त पद एवं पदस्थापन्न का विवरण सलंग्न है। रिक्त पदों को प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी, नहीं। समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही उपस्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के मुर्दाघर में अपर्याप्त सुविधाएं

166. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के मुर्दाघर में लावारिस शवों को सुरक्षित रखे जाने के लिये वाक-इनकूलर डीप-फ्रीजर अपर्याप्त हैं? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि जन सहयोग से (सोसाइटी या किसी माध्यम से) अस्पताल/चिकित्सालयों में उपकरण या अन्य आवश्यक स्थायी प्रकृति की सामग्री उपलब्ध कराने के लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इस सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान किये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में वाक इनकूलर (डी. फ्रीजर) की सुविधा उपलब्ध है जिसमें एक साथ तीन लाशों को रखने की सुविधा है। एक और डीप फ्रीजर रखने की आवश्यकता सम्बन्धित विभाग ने महसूस की है, उस पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) चिकित्सालयों में 10.00 लाख तक के उपकरण या अन्य स्थाई प्रकृति की सामग्री जन सहयोग से दान स्वरूप प्राप्त करने के लिये अधीक्षक/प्रधानाचार्य सक्षम हैं। मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज जन सहयोग या अन्य माध्यम से उपकरण/स्थायी प्रकृति की सामग्री प्राप्त कर सकती है। अथवा खरीद कर सकती है। इस सम्बन्ध में कोई सीमा रेखा तय नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मुफ्त औषधि वितरण

167. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोंली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मित्रपुरा, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलारना चोड़ में वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कितनी-कितनी दवाइयां फ्रीसेल की भिजवाई गयी

(श्री हीरालाल)

है? भेजी गयी दवाइयों की सूची मय कीमत के सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मित्रपुरा, मलारना चोड़ में भेजी गयी दवाइयां किन-किन मरीजों को दी गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोंली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मित्रपुरा तथा प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र, मलारना चोड़ में वर्ष 1996–97 व 1997-98 में रोगियों को निःशुल्क वितरण हेतु भेजी गयी दवाइया की सूची मय तादाद एवं कीमत के सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मित्रपुरा एवं मलारना चोड़ में प्राप्त दवाइयां जिन रोगियों को वितरित की गयी उन रोगियों के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में ब्लड बैंक

168. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने ब्लड बैंक है? इन बैंकों पर कितने ब्लड विशेषज्ञ कार्यरत हैं तथा राज्य सेवा में कुल कितने ब्लड विशेषज्ञ हैं?

(2) क्या चिकित्सा निदेशालय में ब्लड विशेषज्ञों के पद हैं? यदि हां, तो कितने?

(3) क्या चिकित्सा निदेशालय में ब्लड विशेषज्ञ पदस्थापित कर रखे हैं? यदि हां, तो कितने?

(4) क्या ब्लड विशेषज्ञों की सेवाएं एड्स एवं ब्लड सुरक्षा के लिये ली जा रही हैं? यदि नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में कुल 40 ब्लड बैंक राजकीय क्षेत्र में एवं 5 ब्लड बैंक निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रत्येक ब्लड बैंक में एक-एक ब्लड पैथोलोजिस्ट/ब्लड विशेषज्ञ अथवा नेशनल एड्स कण्ट्रोल आर्गेनाइजेशन भारत सरकार द्वारा ब्लड बैंक सेवाओं के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं।

(2) राज्य सेवा में 146 ब्लड बैंक विशेषज्ञ कार्यरत हैं, इनमें से 137 ब्लड बैंकों में पदस्थापित हैं तथा शेष 9 अन्यत्र चिकित्सालयों में कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र के ब्लड बैंकों में 5 ब्लड बैंक विशेषज्ञ (प्राइवेट) लगे हुये हैं।

(3) निदेशालय/मुख्यालय के एड्स सैल में एक पद संयुक्त निदेशक (रक्त सुरक्षा) का सृजित है। चिकित्सा निदेशालय (मुख्यालय) में एक संयुक्त निदेशक (रक्त सुरक्षा) का पदस्थापित है।

(4) संयुक्त निदेशक (रक्त सुरक्षा) की सेवाएं एड्स एवं ब्लड सुरक्षा के लिए ही ली जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र दूदू के सड़क विहीन ग्राम

169. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय कौन-कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 व 1991 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डों में होने के बावजूद भी कई ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं सम्बल ग्राम अभी तक सड़कों से जुड़े हुए नही हैं? यदि हां, तो क्यों एवं कौन-कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखे ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में ग्राम पंचायत मुख्यालय नानण व सिरोही कलां वर्तमान में किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़ा हैं ।

(2) सड़क विकास नीति अनुसार सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ना, नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है । इसमें 1991 की जनसंख्या का कोई आधार नहीं है । राज्य सरकार की नीति अनुसार सभी सम्बल ग्रामों जिनकी 1981 पर जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक एवं कम से कम 400 हो, उनको सड़क से जोड़ने की नीति है । विधान सभा क्षेत्र दूदू में 13 ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं । इनमें से 8 ग्राम पंचायत मुख्यालय मेटल सड़क से एवं 3 ग्रेवल सड़क से जुड़े हुये हैं दो पंचायत मुख्यालय नानण एवं सिरोही कलां किसी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं । विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हें भी सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है । दूदू विधान सभा क्षेत्र में सभी सम्बल ग्राम डामर सड़क से जुड़े हुए है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

धामण्चा (बेगूं) सम्पर्क सड़क का डामरीकरण

170. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की ग्राम पंचायत मुख्यालय धामण्चा सम्पर्क सड़क की कुल लम्बाई कितनी है और इस कुल दूरी में से कितनी कच्ची ग्रेवल सड़क है ?

(2) क्या सरकार इस कच्ची ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय धामण्चा सम्पर्क सड़क की कुल लम्बाई 6 किलोमीटर है, जिसमें से 2 किलोमीटर डामरीकृत एवं 4 किलोमीटर ग्रेवल सड़क है ।

(2) जी, हां । ग्राम धामण्चा पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से सड़क विकास नीति अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ना प्रस्तावित है ।

(५२)

अलवर-भरतपुर राज्य मार्ग पर रूपारेल नदी पर पुल निर्माण

171. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अलवर-भरतपुर राज्य मार्ग पर रूपारेल नदी पर पुलिया छोटी होने के कारण वर्षा में आवागमन अवरुद्ध होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर बड़ा पुल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसे कब तक बना दिया जाएगा।

उत्तर

जी, हां। अलवर भरतपुर राज्य मार्ग पर रूपारेल नदी पर पुलिया छोटी होने के कारण मानसून के दौरान कुछ समय तक आवागमन अवरुद्ध होता है। उक्त नदी पर बड़ा पुल बनाना राज्य के उपलब्ध सीमित संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर विचारणीय होगा।

जयपुर के अपूर्ण ओवर ब्रिज

172. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झोटवाड़ा/मालवीय नगर/गोपालपुरा ओवरब्रिज का काम अपूर्ण स्थिति में ही बन्द कर दिया गया है ? यदि हां तो, क्यों ?

(2) उक्त कार्यों को अब सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। झोटवाड़ा लेवल क्रासिंग पर रेलवे विभाग द्वारा अभी सर्विस लेन का कार्य ही चालू किया गया है, ब्रिज का कार्य चालू नहीं किया गया है। अतः कार्य में शिथिलता आई है। साथ ही लागत में कुछ बढ़ोतरी होने के कारण एवं धन की व्यवस्था में व्यवधान आने के कारण भी प्रगति में अवरोध आया है। मालवीय नगर ओवर ब्रिज की एप्रोचेज का कार्य काफी हद तक हो चुका है। रेलवे विभाग द्वारा रेल लाइन पर ब्रिज का कार्य चालू न करने के कारण कार्य की गति अवरुद्ध हुई है। गोपालपुरा रोड ओवर ब्रिज की एप्रोचेज का कार्य करीब 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। रेलवे विभाग ने रेलवे लाइन पर ब्रिज बनाने का कार्य अभी चालू नहीं किया है। साथ ही धन की व्यवस्था में व्यवधान आने के कारण एप्रोचेज की प्रगति में शिथिलता आई है।

(2) इन रेल ओवर ब्रिजों में रेल बाउड्रीज में ब्रिज का निर्माण रेलवे विभाग द्वारा ही कराया जाना है। एप्रोचेज का कार्य ब्रिजों के कार्यों के साथ-साथ ही सम्पन्न कराने के प्रयास किये जाएंगे। कार्य वर्ष 1999 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

राणासर-जिलिया (नागौर) मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया

173. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रूपाराम)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम राणासर चौराहा से जिलिया तक डामर सड़क बनी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम आनन्दपुरा से जिलिया सड़क के बीच में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इस पुलिया के कारण वर्षा में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो अब तक इस पुलिया के निर्माण नहीं कराने के क्या कारण हैं ? अब सरकार कब तक इस पुलिया का निर्माण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, नहीं । ग्राम आनन्दपुरा से जिलिया सड़क के बीच में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य वर्तमान में हाथ में नहीं लिया गया है ।

(3) जी, हां । कभी-कभी अधिक बरसात के कारण उक्त स्थान पर कुछ समय के लिये यातायात अवरुद्ध हो जाता है । कार्य की महत्वता, प्राथमिकता व धन की सीमितता को देखते हुए यह कार्य पिछले वर्ष नहीं कराया जा सका । अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के अनुसार इसे कराने का प्रयास किया जा सकेगा ।

जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राज मार्ग को चार लेन करने पर व्यय

174. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर-दिल्ली राजमार्ग को चार लेन कराने का कार्य कब शुरू किया गया तथा प्रतिवर्ष इस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? व्यय की गयी राशि में कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई एवं कितनी राज्य सरकार से ?

(2) उक्त मार्ग का कार्य कब तक पूरा होगा एवं उस पर कुल कितनी राशि व्यय होगी ?

(3) उक्त कार्य किस ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है एवं कार्य कब तक पूरा करना था ?

(4) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम कर रहे ठेकेदारों ने कभी ठेके की शर्तों का उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस ने एवं सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जयपुर-दिल्ली राजमार्ग को 4 लेन में करने का कार्य 3 फेज में चालू किया गया जो कि निम्नानुसार है :—

(क) फेज 1 के अन्तर्गत किलोमीटर 231/0 से 248.0 का कार्य दिनांक 14.4.90 को प्रारम्भ किया गया ।

(ख) फेज 2 के अन्तर्गत किलोमीटर 162/500 से 231/0 तक का कार्य मई 1992 में प्रारम्भ किया गया ।

(ग) फेज 3 के अन्तर्गत किलोमीटर 107/180 से 162/500 तक कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इस कार्य पर प्रति वर्ष निम्नलिखित राशि खर्च की गयी :—

वर्ष	खर्चा
1988-89	1.42 लाख
1989-90	3.73
1990-91	149.45
1991-92	169.46
1992-93	1289.93
1993-94	1449.72
1994-95	1740.00
1995-96	3405.50
1996-97	1195.54
1997-98	1189.74
योग:–	10,594.49

यह समस्त राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करायी है।

(2) इस विभाग द्वारा किलोमीटर 162/500 से 248/0 तक का कार्य कराया जा रहा है। किलोमीटर 231/0 से 248/0 तक का कार्य पूरा कर दिया गया है। किमी 162/500 से 231/0 तक मुख्य सड़क का कार्य पूरा हो चुका है। और शेष कार्य जून 98 तक पूर्ण होने की संभावना है। किलोमीटर 162/500 से 107/180 तक का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। किलोमीटर 162/500 से 248/0 तक का कुल खर्चा लगभग 12378.41 लाख सम्भावित है।

(3) किलोमीटर 231/0 से 248/0 तक का कार्य मैं. अमर कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा 13. 10. 92 को पूर्ण करना था व यह कार्य मई 96 को पूर्ण हुआ। किलोमीटर 162/500 से 231/0 तक का कार्य मैं. बिरला जी. टी. एम. द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य अनुबन्ध के मुताबिक फरवरी, 1997 तक पूर्ण करना था।

(4) कार्य अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार समय पर पूरा न करने के कारण ठेकेदार बिड़ला जी. टी. एम. पर अनुबंध की धारा 47.2 के अधीन रुपये 2,35,00,000 की वसूली कर ली गयी है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की अपूर्ण सड़कें

175. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कोटपूतली शहर से बनेटी एवं नारेहड़ा से हरियाणा बार्डर वाया रामकरणपुरा की सड़कें अभी अधूरी पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कोटपूतली शहर में बनेटी सड़क में कोटपूतली से चिमनपुरा के बीच 1

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

किलोमीटर एवं चिमनपुरा से बनेटी के बीच 1 किलोमीटर अधूरी सड़क है। नारहेड़ा से हरियाणा बार्डर वाया रामकरणपुरा तक नारहेड़ा गांव के पास सड़क अधूरी है। इस अधूरी सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 1996–97 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।

(2) जी, हां। स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रगति पर है। अधूरी सड़कों को पूरा करने का कार्य मार्च, 1999 तक सम्भावित है।

राम निवास बाग (जयपुर) में निजी संस्थाओं को लीज पर भूमि

176. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के रामनिवास बाग में खाद्य सामग्री एवं विभिन्न प्रयोजनों हेतु कतिपय व्यक्तियों/संस्थाओं को भूमि लीज अथवा किराये पर दी गयी है? यदि हां तो किन-किन को किस आधार/शर्तों के अध्यधीन एवं कितनी–कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बाग में वर्ड लैण्ड नामक संस्था का आबंटित भूमि से भी अधिक भूमि पर कब्जा है और वह लीज की अथवा अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं कर, अवहेलना कर रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्था की लीज निरस्त करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। खाद सामग्री विक्रय करने हेतु कतिपय जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को उद्यान परिसर में भूमि लीज अथवा किराये पर दी गयी है उनका विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. स्टाल	8'×10'	26
2. ठेला	8'×6'	2
3. ठेला	6'×6'	18
4. स्काउट हैड क्वाटर बिल्डिंग (मैसर्स–किरण कैफे)	650 वर्गमीटर	
5. साइकिल स्टैण्ड चाट बाजार	173×30 फुट	
6. एमब्यूजमैंट पार्क	11,878 स्कवायर मीटर	

(शर्तें संलग्न है)

(2) जी, नहीं। वह लीज की शर्तों की पालना कर रहा है। उसने दिनांक 1.2.97 से 15.4.97 तक लाइसेंस फीस जमा नहीं करवाया है। इसके लिये भी माननीय उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 309/97 राम प्रकाश गुप्ता बनाम स्टेट आफ राजस्थान ने दिनांक 1.12.97 को निम्न निर्णय दिया है :–

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

"So for as payment of Licence fee during the period for which order of maintaining status quo was passed is concerned, the respondance No. 5 is free to claim for adjustment of licence fee, if deposited during that period and the Govt. will considered accordingly.

माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.2.97 को स्टे दिया था जिसे न्यायालय द्वारा 20.3.97 को स्टे वैकेट किया गया। उक्त निर्णयानुसार ठेकेदार द्वारा दिनांक 1.2.97 से 2.2.97 एवं 21.3.97 से 15.4.97 तक लाइसेंस फीस मय ब्याज जमा करवाया जाना है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित प्रक्रिया

177. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार को कई जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मतदाता सूचियों में से कई मतदाताओं के नाम छूट या कट गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां से शिकायतें मिली और प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी?

(2) क्या मतदाता सूचियों में छूटे हुए नाम जोड़े जाएंगे? यदि हां, तो कब तथा किस प्रक्रिया से? इस सम्बन्ध में बने नियम व जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि सरकार को मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने की शिकायतें प्राप्त हुई है। राज्य में कुल 38 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें गंगानगर जिले में 1, सीकर में 3, जयपुर में 9, अलवर में 2, बारां में 4, राजसमन्द में 1, सिरोही में 1, हनुमानगढ़ में 1 तथा जोधपुर में 16 शिकायतें मिली हैं। निर्वाचक नामावलियों में छूटे गये नामों को शामिल करने के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं निर्देशन के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है जिसके लिये राज्य सरकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) मतदाता सूचियों में नाम जोड़े जाने का विषय भारत निर्वाचन आयोग का है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया सम्पादित की जाती है।

ग्राम बागोर (भीलवाड़ा) में संचालित छात्रावास भवन निर्माण प्रकरण

178. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री कालूलाल गूजर)

(1) क्या सरकार की वर्ष 1998-99 में नये अनुसूचित जाति के छात्रावास खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां ?

(2) क्या सरकार भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र में भी छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के ग्राम बागोर में भवनरहित छात्रावास संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस छात्रावास के भवन की स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

(2) संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी, हां। संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

कुशलगढ़ महाविद्यालय के भवन का निर्माण

179. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कुशलगढ़ में महाविद्यालय को खोले कितने वर्ष हुये तथा इस महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु अब तक सरकार द्वारा कितनी राशि की स्वीकृति दी गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कुशलगढ़ महाविद्यालय के छात्रावास भवनों हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई और उनमें से कितने छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं या प्रारम्भ ही नहीं हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी छात्रावासों के निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण हैं? यदि हां, तो अब कब तक इन छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा ?

(4) क्या इन छात्रावासों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये 7 वर्ष हो चुके हैं। इस महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु जनजाति क्षेत्रीय उप योजना में 41.85 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं।

(2) कुशलगढ़ महाविद्यालय के छात्रावास भवनों हेतु 66.57 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इनमें से पुरुष छात्रावास का निर्माण छत स्तर तक हो चुका है। महिला छात्रावास का निर्माण कार्य अब प्रारम्भ होगा।

(3) पुरुष छात्रावास का निर्माण कार्य अभी अपूर्ण है। छात्रावासों का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी, हां। निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान द्वारा करवाया जा रहा है। पूंजी निर्माण कार्य करने वाली निम्न

(उच्च शिक्षा मंत्री)

संस्थाएं सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास संस्था व राजस्थान राज्य पुल एवं निगम है। इनमें से किसी भी संस्था को पूंजी निर्माण कार्य दिया जा सकता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1– श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की कृषि योग्य बारानी भूमि, भूमिहीन किसानों को आबंटित नहीं करने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

2– श्री शांतिकुमार धारीवाल एवं 8 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की करोड़ों रुपयों की भू-सम्पदा का अनियमित आबंटन कर राजकोष को कथित हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में।

3– श्री दयाराम परमार एवं 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य में अंग्रेजी शराब के ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4– श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना में शराब माफिया का आतंक होने से जनता में व्याप्त भय के सम्बन्ध में।

5– श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल एवं 8 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगापुर सिटी से प्रकाशित एक दैनिक सांध्य के सम्पादक पर हुए कातिलाना हमले की घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान) 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव। श्री रामस्वरूप जी मीणा। एक सैकण्ड भी चुप नहीं रह सकते आप ? (व्यवधान) आप दो मिनट बिराजें तो सही। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बिराजे आप दो मिनट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप हमें बोलने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजें दो मिनट। (व्यवधान) बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : खनिज मंत्री जी से स्टेटमेंट दिलवा दो (व्यवधान) आखिर कौन से वे नियम थे जिनमें इन्होंने खानें अलाट की, कम से कम पता तो लगेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें तो सही आप। (व्यवधान) शांतिकुमार धारीवाल साहब, आप बहुत सीनियर है। मैं क्या कहूं आपको।

(श्री ग्रध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य की ग्राम पंचायतों में सचिवों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

2. श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा, की ग्रोर से कोटा जिले की पंचायत समितियों के विद्यालयों में तृतीय श्रेणी ग्रध्यापकों के रिक्त पदों पर पुरानी वरीयता सूची से चयन करने के सम्बन्ध में

3. श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में कृषि भूमि पर लगे पुराने विद्युत कनेक्शनों को नर्सरी योजना में मानकर बिल भेजने से किसानों में व्याप्त ग्रसन्तोष के सम्बन्ध में।

4. श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से वन भूमि पर ग्रन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के किसानों द्वारा किये गये ग्रतिक्रमणों को नियमित करने के सम्बन्ध में।

5. श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मंडी के ग्रालनिया बांध में पड़ी दरारों की मरम्मत हेतु राशि तुरन्त ग्राबंटित करने के सम्बन्ध में।

6. श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से नई राजस्व तहसील छत्तरगढ़ की स्वीकृति में हो रहे विलम्ब से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में

7. श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला मुख्यालय झुंझुनू पर दिनांक 10 मार्च, 1998 को जिला प्रशासन की कथित मिलीभगत से एक व्यक्ति की ग्रचल सम्पत्ति को तहस-नहस करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री ग्रमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र धोद की सड़कों की मरम्मत करने एवं स्वीकृत सड़कों का निर्माण पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से कुम्हेर में बाढ़ के कारण हुई क्षति को दुरुस्त करने हेतु सहायता, विभाग द्वारा दी गयी राशि का नगर पालिका द्वारा दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की ग्रनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय ग्राज की कार्य सूची में जिस प्रकार का क्रम है उस ग्राधार पर राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर जीरो ग्रॉवर समाप्त होने के बाद में चर्चा प्रारम्भ होगी मैं विपक्ष से एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर चर्चा पहले कर ली जाए। उसका कारण है मुझे 5 बजे दिल्ली पहुंचना है। कारण सबको मालूम है। उसके बाद में ग्रगर ग्राप जीरो ग्रॉवर ग्रौर बाकी की चीजें ले लें तो हमको भी ग्रापत्ति नहीं होगी ग्रन्यथा मैं इस डिबेट का जवाब दे पाऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : मैं सदन के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपकी तरफ से दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अब दो तीन सदस्य जो बोलने हैं वह प्रतिपक्ष की तरफ से बोल लें और उसके बाद आप जवाब दें और काम कर लें, ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी इस व्यवस्था में जो आपका सुझाव है उससे कोई भी आपत्ति नहीं है। आपकी तरफ से बोल लें और मैं जवाब दे दूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि करौली और सवाई-माधोपुर दोनों जिलों में ओले पड़े हैं, हजारों किसान बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, तहसील और जिला हैडक्वार्टरों पर धरने पर बैठे हुए हैं। यह बड़े शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा बैराज से बांध बांधकर जो नहर निकाली गयी है, किसानों के टेल पोर्शन पर पानी नहीं पहुंचने से आज किसानों की फसल बरबाद हो रही है। इससे गेहूं और चने की फसल सूख रही है। यह किसानों से जुड़ा हुआ मसला है, आप माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस पर अपना वक्तव्य दिलायें। कोटा बैराज से बांध बांधकर जो इटावा डिस्ट्री-ब्यूटरी निकाली गयी है, पानी टेल एण्ड पर नहीं पहुंचने से किसानों को (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : 17 तारीख को जिस प्रकार की ओलावृष्टि हुई, उससे किसानों की पकी हुई फसल तहस-नहस हो गयी। (व्यवधान) जिस प्रकार से फसल तहस-नहस हुई है और इस कारण जिन किसानों की बरबादी हुई है, उनकी जो पकी हुई फसल थी जिनको रात में बिजली मिली है, चाहे सांप कांटने पर जहर उनको नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा उसके बावजूद भी अपनी फसल को पकाकर तैयार किया था। उस फसल को इस प्राकृतिक आपदा ने तहस-नहस कर दिया। जिस प्रकार से गांवों की हालत हुई है उस सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो उनका सर्वे करवाया जाए और प्राकृतिक आपदा के मुआवजे के जो मापदण्ड आपने तय कर रखे हैं

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : वह मुआवजा बहुत कम है, उस राशि को 75 प्रतिशत से सौ प्रतिशत तक बढ़ाया जाए क्योंकि एक-एक फुट के ओले फसल के ऊपर गिरे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के जो गांव, जो 70 गांव हैं, जिनकी सूची मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया आमेर विधान सभा क्षेत्र और पंचायत समिति झोटवाड़ा के अन्दर काफी गांवों में ओलावृष्टि हुई है

(श्री गोपीराम जाट)

उसका भी पूरा सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण की पंचायत समिति झोटवाड़ा में और पंचायत समिति जमवारामगढ़ में इतने ओले पड़े हैं जितने मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखें। डेढ़-डेढ़ फुट की उनकी पूरी तह-की-तह बिछ गयी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ग्रामीणों से मिलकर उनको राहत देने की बात की है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस सम्बन्ध में खराबा हुआ है उसका तात्कालिक रूप से सर्वे करा कर निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि सरकार उनको राहत पहुंचाएगी। मान्यवर राहत के जो मानदण्ड हैं वे बहुत कम हैं, स्पेशल सहायता इन्हें जब तक नहीं दी जाएगी तक तक कार्य नहीं हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। उजला जी, बिराजें आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैंने कल भी कहा था कि सरसों की फसल खराब हो गयी है और रही-सही गेहूं और चने की फसल भी ओलावृष्टि से खराब हो गयी है। इसलिए मेहरबानी करके कुछ-न-कुछ राहत की घोषणा तो करवाइये।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजें। मदेरणा साहब कुछ कह रहे हैं। उन्हें सुनें। मदेरणा साहब कुछ बात कह रहे हैं, कृपया आप सुनें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को मैं स्मरण करना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को जब गांधी जी के स्टेच्यू पर अपन एकत्रित हुए थे और जब बरसात आयी थी, उस वक्त तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वह तो मोती है। मैंने कहा था कि कई स्थानों पर मोती है और कई स्थानों पर फसल डेमेज भी हुई है। उसके बाद में जब मुझे मिलें, तो दुबारा लगातार बरसात होती रही। 1 अक्टूबर से लेकर आज 18 मार्च तक जिस प्रकार का वैदर में चैंजेज आया है, उतार-चढ़ाव, रोली भी आयी है, सर्दी भी आयी है, बरसात भी बेमौसम हुई है, खलिहानों में ओले पड़े हैं और ओले पड़ने से खलिहानों में जो फसल पड़ी थी वह बरबाद हुई है। इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र आपको नवम्बर के अंतिम सप्ताह में लिखा और आपने 7 दिसम्बर को मुझे उस पत्र का उत्तर भी दिया था। हालांकि मेरे काफी लैटर्स का एक्नोलेजमेंट आप कम ही करते हैं। आपको याद नहीं हो, तो मैं लैटर बता दूंगा लेकिन कोई बात नहीं। मैंने आपको उसका कोई ओलमा नहीं दिया। आप बहुत व्यस्त रहते होंगे और मेरी भी कुछ हैबिट ऐसी ही है। इसलिए मैं ज्यादा आप पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। लेकिन आपने उसमें लिखा है कि नेचुरल केलेमिटी का जो रिलीफ है उस रिलीफ में जो सी. आर. एफ. हमको मिलता है उसमें इस नेचुरल केलेमिटी से जो डेमेज, नुकसान और क्षति होती है उसका कोई प्रावधान नहीं है। मै भारत सरकार से बात कर रहा हूं और इस सम्बन्ध

(12.14 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री परसराम मदेरणा)

में मैं मेरी तरफ से निश्चित कोशिश करूंगा कि आज जो नेचुरल केलेमिटी में रिलिफ देने का प्रावधान नहीं है, यह प्रावधान उसमें लागू होना चाहिये और मेरा प्रयास इसमें निरन्तर जारी है।

उसके थोड़े दिनों बाद ही आपने देखा होगा मैंने खास तौर से कपास, नरमे और दूसरी फसलों का लिखा था। लेकिन कपास और नरमे की फसल में जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल होता है वो करीबन चार हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से होता है। उसका परिणाम यह हुआ, तेलंगाना में 33 किसानों ने, जो दो गांव के थे, उन्होंने आत्म हत्या की, मतलब जहर खाया था उन्होंने। यह बाद पूरे देश के अखबारों में आई। इस संदर्भ में गंगानगर वाले बोल रहे थे, मैंने यह बात गृह मंत्री जी से कही थी कि आप थोड़ा सा लिबरल रहते। अगर इस तरह की अपारच्यूनिटि आप उनको नहीं देंगे, वो एक बड़ी वाजिब मांग सामने रख रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी क्षति हुई है और सभी पार्टियां थी उसमें आज भी मैं समझता हूं कि कुछ पार्टियां बड़ी चौपड़ पर धरने पर बैठी हैं इस डैमेज के मामले को लेकर आप दिल्ली जा रहे हैं और अब जो बारी है वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधान मंत्री बनने की है।....

श्री कन्हैयालाल बैद : इनकी तो जाने की बारी है न ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं यह नहीं कहता। आखिरी मेनडेट तो जनता का है। क्योंकि हो सकता है वाक चातुर्यता, मुख्य मंत्री जी का इतना अनुभव और अनुभव के साथ में आरोप तो लगा रहे थे जातीयता का, लेकिन जातीय समीकरण बनाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मैं उसका विवेचन करूं, क्योंकि आपके यहां पर आत्म निरीक्षण हो रहा है और आप उन कारणों में जा रहे हैं। इसलिए जब आपकी पार्टी है, मैं समझता हूं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है, जिस पर आपको बहुत संक्षेप में बोलना चाहिये। क्योंकि यह तो ज्यादा कंजम्शन के लिये, जनता के बीच कुल मिलाकर टार्गेट गवर्नमेन्ट हो रही है। एण्टी इन्कम्बेंसी और एण्टी एस्टेबिलशमेंट वोट है, यह आपने एक कारण बताया है। देश भर में हुआ है ऐसी बात नहीं है, दो-तीन राज्यो को छोड़कर के।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बीमा फसल योजना जो है उस सम्बन्ध में आपके घोषणा पत्र में भी उसका उल्लेख है, मुझे मालूम नहीं। आन्ध्र प्रदेश में जिस वक्त श्रीमती सोनिया जी कम्पेन के दूसरे या तीसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी आन्ध्र प्रदेश में गये थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया है। अगर यह स्थिति सही है तो आपका जो वर्चस्व है, क्योंकि अखबारों में बहुत आ रहा है और ऐसी बात जब आपके विषय में आती है तो मैं ध्यान से पढ़ लेता हूं। हालांकि समय कम मिलता है। उसमें यह आया है, कल के अखबार में है या परसों के अखबार में है, महानगर टाइम्स में है शायद, "कि आपका जितना सानिध्य और मित्रता कई बरसों से, तीन दशाब्दी से लगातार, अब जो प्रधान मंत्री जी की

(श्री परसराम मदेरणा)

शपथ ले रहे हैं–अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनके साथ है।" कोई भी वित्त मंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला वादा जो किया है, पहले तो वे काया पलट की ही बात कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है मेरे सामने चुनौती है और देश के सामने इतनी मीरियड प्राब्लम्स हैं, पापुलेशन एक्सप्लोज के साथ 95 करोड़ का देश, इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर की पोजिशन, उसके साथ बेरोजगारी, उसके साथ गरीबी, गरीबी के साथ बढ़ती हुई आबादी और उसमें बेरोजगारों की बढ़ती हुई फौज। उस सम्बन्ध में आपको भी नीतियां बनानी पड़ेगी। किसान की बात भी आप कहते हैं कि हम 60 परसेंट खर्च कर रहे है। बार-बार कृषि मंत्री जी भी यही कह रहे है कि हम 60 परसेंट खर्च कर रहे हैं। मैं उसका केलकुलेशन करता हूं तो बिजली भी उसमें शामिल कर देते हैं, दूसरी चीजें-इन्फ्रास्ट्रक्चर को शामिल कर देते है। कई चीजें आप मिला-मिलुकर 60 परसेंट से हांकते रहे। लेकिन जनता ने उस बात को नकार दिया कि 60 परसेंट हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खर्च नहीं हो रहा है और ऐसी सूरत में यह जो डेमेज हुआ है, कल रात को जो हुआ हैं, ओले गिरे हैं। माननीय सदस्य ने स्टेटमेंट दिया है, रात को ही। आपके विधायक जो हैं बहुत विजिल हैं। रात को स्टेटमैंट दिया है कि इस साइज के ओले पड़े हैं, फसल को बहुत नुकसान हुआ है।

श्री रामस्वरूप मीणा : फसल नष्ट हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : ठहर जाओ, आप तो लाये हो, आप ही उसको लाये हो। कल आन्ध्र प्रदेश की एसेम्बी में भी कांग्रेस के सदस्य भी इसको लाये थे और लाने के बाद उनको, पूरे 27 सदस्यों को, एक दिन के लिये निष्कासित भी किया है। इसलिए ध्यान आपने आकर्षित कर दिया, फिर क्या है? यह आज एक ही जगह का प्रश्न नहीं है। राजस्थान के बहुत से इलाकों में यह स्थिति है। मैं आपसे एक बात कहूं मैंने मार्निंग में फोन किया और टेलीफोन से मुझे यह मालूम हुआ कि रायड़ा जो आ गया था खलिहानों में, वह कट गया और कटने के बाद में वह पानी से भीग गया, रात्रि की बात है। एक बात तो फसल बहुत कम हुई है, 1/4 ही रायड़ा हुआ है, जिस तिलहन के अन्दर आप हिन्दुस्तान के अन्दर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद हम दूसरे नम्बर पर हैं और तिलहन बड़ा है, राजस्थान में तिलहन का एरिया बढ़ा है। वह आपके प्रयास या एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स का प्रयास नहीं है। गेहूं की कीमत कम होने लगी, जौ की कीमत कम होने लगी तो लोगों ने उसको बोना शुरू किया है। वे अपने आप ही कुछ इसेंटिव लेकर के देखते हैं कि कुल मिलाकर के दूसरी फसलों के रोटेशन आफ क्रॉप का ध्यान रखते हैं काश्तकार। क्योंकि उसके पास में सदियों का ज्ञान है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वक्त अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव है, आप जब बोलें, इस सम्बन्ध में भी, जो फसल का डेमेज हुआ है उसका भी आप निश्चित तौर से उल्लेख करें और इस सदन को कांफिडेंस में लें।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन

(श्री आर. पी शर्मा)

करना चाहता हूं। भरतपुर के बारे में सिर्फ इतना कहना हैं कि 2 लाख 22 हजार हैक्टेयर भूमि में सरसों की बुवाई की गयी थी। इसमें से एक लाख हैक्टेयर भूमि (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जाएं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कह दी सारी बात।

श्री आर. पी. शर्मा : भरतपुर के बारे में कोई बोला नहीं है। मेरा फर्ज है बोलना। प्लीज सुनिये, आप। 2 लाख 22 हजार हैक्टेयर भूमि में से एक लाख हैक्टेयर भूमि पर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने सारी बात बता दी आपकी तरफ से, आप विराज जाएं।

श्री आर. पी. शर्मा : इसलिये भरतपुर का भी ध्यान रखा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और अन्य माननीय सदस्यों ने ओलावृष्टि के सम्बन्ध में इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री परसराम मदेरणा : ओलावृष्टि नहीं, अतिवृष्टि है। (व्यवधान) नहीं, रेंस ने भी बहुत नुकसान किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ओलावृष्टि और अतिवृष्टि एक....(व्यवधान)....यह बात सही है कि कल रात्रि को कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि हुई, कई जगह फसल को भी बहुत हानि हुई है और मुझे यह भी जानकारी दी गयी कि कई गांवों में पशु भी मर गये। जमवारामगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या, कुछ गांवों के लोगों को लेकर रात को मुझसे मिली थीं। उसी समय मैंने जिला कलक्टर को इनके सामने ही टेलीफोन किया कि सारे जयपुर जिले में जहां-जहां भी इस प्रकार की ओलावृष्टि की घटनाएं हुई हैं, उनकी सूचना प्राप्त करें और तत्काल रिलीफ देने की व्यवस्था करें।

यह बात सही है कि क्लाइमेट में इस प्रकार का कुछ परिवर्तन आया है। मैंने कुछ दिन पहले इस बात की जानकारी की थी कि राजस्थान में वर्षा कब आरम्भ हुई। मुझे जानकारी दी गयी कि 26 जून से राजस्थान में वर्षा आरम्भ हुई। बीच में थोड़ा सा गेप आया है, लेकिन लगातार राजस्थान के किसी न किसी क्षेत्र में बरसात होती रही। अभी एक क्लाइमेट का चेंज है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता कि यह क्लाइमेटिक चेंज किस प्रकार से हुआ है और उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। रोकने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, लेकिन यह निश्चित बात है कि यह क्लाइमेटिक चेंज अगर टेम्परेरी है या क्लाइमेटिक चेंज अगर परमानेंट है यदि परमानेंट जैसी स्थिति होगी तो हमें इसका उपाय परमानेंट बेसिस के ऊपर ही करना पड़ेगा।

जहां तक ओलावृष्टि या फसलों में बीमारी का प्रश्न आता है, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं,

55

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गंगानगर में नरमे में कीड़े की बीमारी के कारण से फसलें नष्ट हुई। जिस समय राज्य सरकार को इसकी सूचना मिली, हमने इसका तत्काल सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के पश्चात् यह देखा गया कि इसमें राहत किस प्रकार से दी जा सकती हैं। राहत देने के दो ही सिस्टम हैं। या तो राजस्थान अपने केलेमिटी रिलीफ फण्ड से इस प्रकार की व्यवस्था करे या नेशनल केलेमिटी रिलीफ फण्ड से इस प्रकार की व्यवस्था करे। जिस समय नरमे में कीड़े की बात आयी, मैंने तत्काल केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी से टेलीफोन पर बात की। बातचीत करने के बाद में उनको इस सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में आप मुझे एक पत्र लिखकर भेज दें। मैंने उनको पत्र लिखा। पत्र का उत्तर आया और उत्तर में यह लिखा हुआ था कि एन.सी.आर.एफ. में जिस प्रकार की हानि के कारण राहत दी जा सकती है उसमें फसलों में बीमारी के कारण से जो हानि हुई है, वह शामिल नहीं है। मैंने फिर पत्र लिखा। मैंने कहा कि इसको शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इसको स्वीकार नहीं करता।

इसी बात को लेकर आन्ध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु और मैं, तीनों प्रधान मंत्री जी से मिले। प्रधान मंत्री जी से मिलने पर उनको बताया गया कि न तो यह केलेमिटी रिलीफ फण्ड में आता है और न यह एन. सी. आर. एफ. में आता है। आखिर नुकसान बहुत हुआ है और जैसा अभी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि आन्ध्र प्रदेश में कई लोग आत्म-हत्याएं करके खतम हो गये, वह प्रसंग भी वहां पर उठाया गया कि लोगों को किसी न किसी प्रकार से राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने कृषि मंत्रीजी से बात की कि इनको राहत क्यों नहीं मिली ? मैंने बीच में ही उनको बताया कि राहत इस कारण से नहीं मिली कि एन. सी. आर. एफ. के जो नार्म्स हैं, उन नार्म्स में यह चीज नहीं आती। इसलिये पहले तो उन नार्म्स को चेंज किया जाए और नार्म्स को चेंज करने के बाद में फिर स्टडी टीम भेजी जाए। वह उसका असेसमेंट करे। गंगानगर के मामले में पर्टिकुलरली मैंने कहा था कि आज स्टडी टीम यदि आप भेजेंगे तो उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं होगा और वास्तविकता की उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। जो कुछ रिपोर्ट हमने तय की है उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमें जिस प्रकार की भी राहत जितनी दी जा सकती है, उस पर चर्चा की जाए।

उस समय उस मीटिंग का एक नतीजा निकला कि एन.सी.आर.एफ. के नार्म्स में परिवर्तन कर दिया गया और उस परिवर्तन के आधार पर यहां स्टडी टीम आयी। स्टडी टीम ने अपनी रिपोर्ट हमको तो नहीं दी है लेकिन एन. सी. आर. एफ. की जो कमेटी है उसके सामने रिपोर्ट रख दी। अब उस कमेटी में रोटेशन से पांच चीफ मिनिस्टर्स मेम्बर होते हैं। मैं इस वर्ष उस कमेटी का मेम्बर नहीं हूं लेकिन मैं लगातार इस बात को परश्यू कर रहा हूं कि उस कमेटी की मीटिंग जिस दिन हो मैं स्वयं जाकर उस कमेटी के सामने अपने स्टेट का पक्ष रख सकूं और ज्यादा से ज्यादा वहां से राहत ले सकूं। इसमें कई

(56)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चीफ मिनिस्टर्स कोशिश कर रहे हैं। यह नुकसान सिर्फ राजस्थान में हुआ हो, इस प्रकार की बात नहीं है। हिन्दुस्तान के कई राज्यों में इस प्रकार का नुकसान हुआ है और दोनों में जहां सी. आर. एफ. का क्वेश्चन आता है उसके नार्म्स में नहीं आते, एन. सी. आर. एफ. का जहां प्रश्न आता है उसके नार्म्स में नहीं आते।

मैं आपको इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि नयी सरकार आयी है, इस सरकार के सामने इस मसले को उस कमेटी के माध्यम से रखा जाएगा और जितनी राहत मिल सकती है, वह राहत दिलाने की मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा। इसमें माननीय सदस्यों को कोई सन्देह नहीं करना चाहिए। बल्कि इतना कहूं कि जब यह एन.सी.आर एफ. के अन्दर नार्म्स बदलने का प्रश्न आया उस समय भी मैंने प्रधान मंत्रीजी से कहा था कि एक बार चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला लें। हम तीन ही आये हैं इससे काम नहीं चलेगा, सारे स्टेट्स में इस प्रकार की विपदा आयी है और इस विपदा को देखते हुए हमें सार्वजनिक रूप से कोई निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि तीन हम मिले, उसी आधार पर इस प्रकार का परिवर्तन आ गया।

दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि जहां ओलावृष्टि का प्रश्न है। बस्सी में भी, जयपुर जिले में सबसे ज्यादा गांवों में कल ओलावृष्टि हुई है। उसकी मेरे पास जानकारी है। जो रात-रात में जानकारी मैं ले सकता था, वह सारी जानकारी ली है ओलावृष्टि के सम्बन्ध में पिछले वर्षों में जितने नार्म्स तय हुए हैं उसमें स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स, केवल ये ही इन्क्लूड होते थे, बड़े काश्तकार शामिल नहीं होते थे। हमने उसमें परिवर्तन कर दिया कि किसी भी काश्तकार को, किसी प्रकार का नुकसान होता है, उस नुकसान में हम कितनी राहत दे सकते हैं उस नार्म्स में चेंज करके सब प्रकार के किसानों को इसमें शामिल किया है। ओले भी वहां मोटे पड़े हैं, यह सही है। फसलें उससे बची भी नहीं होगी। इसका अनुमान लगाकर मैं कह सकता हूं, मैं देखकर तो आया नहीं लेकिन जिस प्रकार के ओलों की साइज देखी, उस साइज से कोई भी आदमी अन्दाज नहीं लगा सकता कि फसल बची होगी। मैं आपको इतना कहता हूं कि सब जगह, चाहे सवाईमाधोपुर में भी नुकसान हुआ है, यहां भी नुकसान हुआ है, बारां में भी जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, अब वहां सारी जांच हो रही है और जांच होने के बाद में ज्यों ही जांच रिपोर्ट कलक्टर्स को मिल जाएगी उन सबको अभी तो यह कह दिया कि जो हमारे नार्म्स तय किये हुए हैं, उन नार्म्स के आधार पर इमीजिएटली रिलीफ देना शुरू करें। उन नार्म्स में परिवर्तन करने की कोई बात आएगी तो बजट के आधार पर, हमारी कितनी क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर या भारत सरकार से हमें कुछ और मिल सकता है, इस मिलने के आधार पर उसमें कुछ वृद्धि करने की आवश्यकता हुई, तो मैं निश्चित रूप से वृद्धि करने में भी संकोच नहीं करूंगा।

कल उजला जी जिन काश्तकारों को लेकर आयी थीं, वास्तव में मैं उनको देख

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर दुःखी हो गया। कहने लगे हमारे पास एक दिन की भी कोई व्यवस्था नहीं रही, फसल हमारी बहुत अच्छी थी; वह नष्ट हो गयी। अन्दाज से मैं कह सकता हूं कि वे दुःखी थे। उन दुखियों को राहत किस प्रकार से दी जा सकती है, निश्चित रूप से वह मैं देने की कोशिश करूंगा। उनको भी संतोष करवाऊंगा और दिल्ली से वापस आने के बाद में मैं चाहूंगा कि जिन इलाकों में इस प्रकार की स्थिति खराब हुई है, मैं स्वयं वहां जाकर देखूंगा। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : भरतपुर के बारे में कुछ नहीं कहा। भरतपुर में फसलों में बीमारी लग गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ तो जाइये। यह बीमारी जहां फसलों में होनी चाहिये वह और कहीं हो रही है। (व्यवधान) अब वह ठीक है, आप बैठ जाइये।

श्री आर. पी. शर्मा : भरतपुर के बारे में कोई सोच नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे यह.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारे राजस्थान की बात हो रही है, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भरतपुर की ही नहीं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, इण्टरप्ट नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना बता देऊं कि अतिवृष्टि के कारण से भी नुकसान हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कहां पर कितना नुकसान हुआ है इसका असेसमेंट करवाया है। फसल ज्यादा अच्छी है, पूरे राजस्थान में, क्योंकि इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस बार जो रबी की बुवाई हुई है, वह आल टाइम रिकार्ड है। आल टाइम रिकार्ड है इसलिए वह नष्ट हुई है, मैं मानता हूं लेकिन आज यह मत समझकर चलिये कि सारी ही फसल नष्ट हो गयी है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : कुओं को छोड़कर के....

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ एरिया को छोड़कर के, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर के मेरा ऐसा अनुमान है कि केवल सरसों ही नहीं, जीरे की फसल तो बिलकुल बरबाद हुई है। यह केवल बरसात से नहीं है, यह जो क्लाइमेट और वेदर का जो चेंज हुआ है, इससे बीमारियां लगी हैं और बीमारी लगने के बाद में जहां एक बीघे में चार क्विंटल होता था, वहां राजस्थान का बहुत ही कम इलाका बचा होगा, जिसमें दो क्विंटल होगा, बाकी तो एक चौथाई फसल रह गयी है, कई जगह। जहां पर आपके ओले वगैरह नहीं गिरे हैं, बरसात नहीं हुई है, वहां पर यह स्थिति हुई है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आई एम ओन ए पाइंट आफ आर्डर सर। (व्यवधान)

58

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर में पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है, माननीय सदस्य, आप स्वयं जानकार हैं।

श्री विष्णु मोदी : जीरो आवर तो आपने खतम कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, आप विराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : किसी भी वक्त पाइंट आफ आर्डर उठ सकता है।

श्री विष्णु मोदी : जीरो आवर तो आपने खतम कर दिया है। पाइंट आफ आर्डर किसी भी वक्त (व्यवधान) तो मैं अब जीरो आवर में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आप पाइंट आफ आर्डर अलाउ नहीं करें तो मैं जीरो आवर में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं कर रहा। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह ओलावृष्टि की बात आज नई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत .... अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाएं।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है। आसन पैरों पर है। आप बोल रहे हैं, यह अंकित नहीं हो रहा है।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हो रहा है।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री महावीर भगोरा, सदस्य विधान सभा चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री महावीर भगोरा। (अनुपस्थित) श्री हरिनारायण, सदस्य विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे। (व्यवधान) आ रहा है। थोड़ा धैर्य रखें। अभी गृह मंत्रीजी देंगे।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा धैर्य रखें। गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। मैं सुन रहा हूं माननीय सदस्य, कृपया बिराज जाएं। आसन पैरों पर है। आपको इस आसन पर बैठने का अनुभव है, कृपया, नियमों का पालन करें। आप बिराज जाएं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री किशन मोटवानी)

जीरो ग्रावर को ग्रापने पोस्टपोन कर दिया। ग्रभिभाषण पर वाद-विवाद के बाद इसको लेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी यह मसला चला था, ग्रजमेर वाला। आज ग्राप इसको सीमा में बांध दें ग्रगर आप कोई समय निश्चित कर दें, उस समय तक इसको आप समाप्त कर देंगे। उसके बाद जीरो ग्रावर चालू करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह ठीक व्यवस्था होगी ग्रौर हम जो कहना चाहते हैं, वह सदन में हम कह सकेंगे।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापने यह व्यवस्था दी है कि जीरो आवर ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : जीरो ग्रावर में बाकी कार्यवाही ले ली जाए। जीरो ग्रावर में ग्राप वक्तव्य करा दें, उसके बाद राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर ....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : ग्रभी आपने व्यवस्था दी है कि जीरो ग्रावर में पाइंट आफ ग्रार्डर नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। मैं आपकी ग्राज्ञा का पूरा पालन कर रहा हूं। ग्राप बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कितने बजे ग्राप इसको लेंगे। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : नहीं, आपने रूलिंग दी है कि जीरो ग्रावर में पाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बिराज जाएं।

श्री विष्णु मोदी : ग्राप इसको जीरो ग्रावर बता रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मेरे को इस पर दो मिनट बोलने की ग्रनुमति दी जाए। मेरे यहां शराब माफिया का इतना ग्रातंक हो रहा है कि वहां पर रोजाना हमले हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ग्राप विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : लोगों को मारा जा रहा है। घातक हमले किये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन मोदी, ग्राप विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं कभी नहीं बोलता हू। ग्राज ग्राप मेरे को टाइम निश्चित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप विराज जाएं। आसन पैरों पर है।

श्री मोहनलाल मोदी : वरिष्ठ सदस्य तो हूं लेकिन मैं ग्रपनी बात कहना भी चाहता हूं। मेरे यहां इतना ग्रत्याचार हो रहा है ग्रौर वह इसलिए हो रहा है, आप जरा टाइम तो दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये, माननीय सदस्य। श्री हरिनारायणजी, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने ग्राज तक आपके ग्रादेशों का कभी उल्लंघन नहीं किया। ग्राप मेरे को कह दें, टाइम दे रहा

(श्री मोहनलाल मोदी)

हूं। (व्यवधान) कहां मिल लेना, मिलने में कुछ नहीं है। मेरे को यह कहना है कि एक व्यक्ति को घातक हथियारों से लेस होकर जीप में बैठाकर के अपने आदमियों के साथ ले गये और वहां पर उसको बुरी तरह से मारा, घायल कर दिया। वह आदमी आज हास्पिटल में जीवन-मरण की स्थिति में है। उसके पास इलाज के लिये एक रुपया नहीं है।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री हरिनारायण (खण्डार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

मई कलां (सवाईमाधोपुर) ग्राम में बरसाती नाले पर पुलिया का निर्माण

(1) सवाईमाधोपुर में मई कलां ग्राम में बरसाती नाले पर पुलिया निर्माण बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित; एवं

सवाईमाधोपुर के ग्राम खानपुर से कमलेश्वर महादेव तक डामर सड़क

(2) सवाईमाधोपुर के ग्राम खानपुर से कमलेश्वर महादेव तक डामर की सड़क बनाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री महावीर भगोरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी है।

श्री मोहनलाल मोदी : जबकि उन्होंने कहा। मेरे को आप बोलने की अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। मैं दूंगा आपको समय, आप बैठिये।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे को आज के बाद .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं, मैं दे दूंगा। श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

सुखेर बांध (उदयपुर) की नहर को पक्का कराया जाना

(1) जिला उदयपुर के सुखेर बांध की नहर को ग्राम जोलावास तक पक्की बनाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

उदयपुर से उबेश्वर जी की अधूरी सड़क का निर्माण

(2) उदयपुर से उबेश्वरजी तक अधूरी पड़ी हुई दो किमी सड़क को पूर्ण कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

ग्राम पंचायत मजावद (उदयपुर) में पुलिया निर्माण

(3) जिला उदयपुर की ग्राम पंचायत मजावद स्थित सुखेर बांध के भराव क्षमता क्षेत्र के ब्रेक वाटर पाज से परमाइथल पर पुलिया निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित; एवं

ग्राम जोलावास (उदयपुर) में पाइप लाइन का विस्तार

(4) जिला उदयपुर की ग्राम पंचायत बगडून्दा के ग्राम जोलावास तक पाइप लाइन का विस्तार करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

बालोतरा को जिला एवं सिणधरी को तहसील बनाये जाने

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बालोतरा जिला एवं सिणधरी को तहसील बनाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करती हूं :-

तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) की नटाटा पंचायत के बंधों की मरम्मत

(1) तहसील जमवारामगढ़ (जिला जयपुर) की पंचायत नटाटा के बंधों की मरम्मत वर्षा से पूर्व कराने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका;

तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के ग्राम पापड़ स्थित बन्ध बासोल का निर्माण

(2) जिला जयपुर की तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम पापड़ स्थित बन्ध बासोल का निर्माण कराये जाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका;

तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के रूपवास ग्राम से राहोरी सड़क का निर्माण

(3) ग्राम रूपवास से राहोरी, तहसील जमवारामगढ़ तक सड़क निर्माण करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका;

तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के ग्राम नरपत्यावास में भूमि कटाव

(4) ग्राम नरपत्यावास, पंचायत इन्द्रगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में भूमि के कटाव से हो रही आवागमन में कठिनाई बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित चार याचिकाएं उपस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ, सभापति याचिका समिति, 1997-98 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। श्री कालीचरण सराफ। (अनुपस्थित) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद। श्री हरिसिंह कुम्हेर।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो सरकार ने अभिभाषण दिया है (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप गृह मंत्रीजी से वक्तव्य कब दिलाएंगे? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अजमेर के दंगों का स्टेटमेंट कब आएगा?

श्री किशन मोटवानी : समय सीमा बांध दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह एक नई परम्परा है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्तुत किया गया है... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह नई परम्परा जीरो आवर को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनका अमेंडमेंट है। कृपया, सुनें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने उस पर संशोधन प्रस्तुत किया है... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद कहा गया (व्यवधान) फिर वक्तव्य कब आएंगे ? माननीय गृह मंत्रीजी जवाब दें। माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे, उसके बाद सदन एडजोर्न हो जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : आपकी क्या व्यवस्था है, इस पर ? आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं। आप किस व्यवस्था से सदन को चला रहे हैं। (व्यवधान) यह कम से कम जानकारी तो होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : जीरो आवर को दस नम्बर पर नहीं लिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप यह बता दीजिये कि आप क्या करना चाह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास में अपना नाम मत लिखवाइये + + + (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : किस तरह से आप सदन को चलाना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी का वक्तव्य आज आएगा। आप बिराज जाएं। हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

एक माननीय सदस्य : कब आएगा ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : दो तीन स्टेटमेंट पेंडिंग हैं।

श्री विष्णु मोदी : सदन को चलाना.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरकार के जवाब से पहले गृह मंत्रीजी का वक्तव्य आना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं।

श्री जुबेर खान : यह नहीं होगा सरकार का (व्यवधान) हमें मालूम है, भाग जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं भागेंगे।

श्री जुबेर खान : एडजोर्न करके भाग जाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भागेंगे नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कई बार ऐसा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : भागने नहीं देंगे। आप बिराज जाएं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जुबेर खान : जबकि वह कल कार्य सूची आ गयी थी। उसमें आज सबसे पहले लिया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : क्रेडिबिलिटी नहीं है, इस सरकार की। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री जुबेर खान : वक्तव्य कल आना था।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे पांच मिनट बोलने का समय दिया जाए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइंट ऑफ आर्डर।

गवर्नर के एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी रखता है। फोर्मल नेचर का कोई काम, जैसे पिटिशन और यह, वह किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य वगैरह।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अगर पूरा सदन यह तय करे कि नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्तावो को लिया जाना है तो सदन वो कर के करेगा। जब यहां यह व्यवस्था कर दी कि गवर्नर के अभिभाषण पर बहस होगी, उत्तर होगा उसके बाद में वक्तव्य आएगा। लेकिन यह भूल जाते हैं, आज 9 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं दो शब्द कहूं। व्यर्थ मैं कभी कहता नहीं हूं। दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नर के एड्रेस पर 10 मिनट भी शांतिपूर्वक चर्चा नहीं हो पायी है। यह क्या व्यवस्था है ? जबकि यह हाइएस्ट प्रायोरिटी का है और जब आपसे निवेदन हैं कि समय सीमा बाध दीजिये। जैसे अमेंडमैंट करने वाले हैं तो उनके लिये पांच, सात या दस मिनट, हमारी तरफ से मुख्य वक्ता होगे उनको दे दीजिये 25 मिनट हम लोगों को अवसर देते हैं तो दे दीजिये 10–10, 12–12 मिनट समय सीमा बांध दो आप, ताकि काम हो सके नहीं तो जो निर्धारित कार्य है वह तो हो नहीं रहा है और सिर्फ + + + हो रहीं है। नहीं, बिलकुल सही है।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा पांच मिनट। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपको सख्ती से नियंत्रण करना चाहिये। यह मैं निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : समय मुकर्रर कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट का समय कर दिया। पांच-पांच मिनट।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का निरर्थक और निस्सार भाषण सरकार ने महामहिम महोदय से दिलवाया हैं उसे देते समय महामहिम महोदय को खुद को भी संकोच हो रहा था स्थिति यह बन गयी थी कि महामहिम महोदय को दो बार पानी पीना पड़ा अपने अभिभाषण के समय।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम के अभिभाषण में सरकार की तरफ से कुछ नीतिगत प्रश्न आने चाहिये कि हम कहां थे, कहां पर हैं, हमारी मंजिल कहां है और उस मंजिल पर पहुंचने की हमारी डगर क्या है। यह महामहिम के अभिभाषण में होना चाहिये था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने इस प्रदेश की क्या स्थिति लाकर रख दी है। किसी भी सरकार की उन्नति के, किसी भी सरकार की प्रोग्रेस के तीन आंकड़े मुख्य रूप से हुआ करते हैं। उस सरकार में उस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या है? वह आय बढ़ रही है या घट रही है? उस प्रदेश का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है या घट रहा है? उस प्रदेश की इकोनोमिक ग्रोथ रेट घट रही है यह या बढ़ रही है? इन बातों से पता चलता है कि उस प्रदेश की तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। अब मैं इन बातों की ओर मुख्य मंत्री महोदय का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं और इस सदन का ध्यान भी दिलाना चाहता हूं। इन तीनों आंकड़ों को देखने के साथ ही आपको पता चलेगा कि हम प्रदेश को पीछे ले जा रहे हैं। आप मुलाहिजा करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बातचीत नहीं करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमारे स्टेट की 1996–1997 से 1997–1998 में प्रति व्यक्ति आय है वह घटी है। 1996–97 में 2247 रुपये हमारी कांस्टेंट प्राइसेज पर आमदनी थी प्रति व्यक्ति और 1997–98 में हमारी यह आमदनी रह गयी 2215 रुपये प्रति व्यक्ति। इसका मतलब यह हुआ कि 32 रुपये प्रति व्यक्ति हमारी आय गिर गयी है, 15 प्रतिशत की गिरावट प्रति व्यक्ति आय में एक वर्ष में आना यह जाहिर कर रहा है कि हम प्रोग्रेस की ओर नहीं जाकर अवनति की ओर जा रहे हैं।

दूसरा, मैंने आपको जो आंकड़ा बताया था वह मैंने बताया कि हमारी इकोनोमिक ग्रोथ रेट क्या है? हमारी इकोनोमिक रेट आप देखें 1996–97 से 1997–98 में जो एक साल पहले। 13.56 प्रतिशत थी वह कम होकर 0.56 प्रतिशत रह गयी। हमारी इकोनोमिक ग्रोथ रेट 13.56 प्रतिशत से घट कर 0.56 प्रतिशत रह गयी। हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप देखें 1995–96 से 1996–97 में 14.77 प्रतिशत बढ़ा था और 1996–97 से 1997–98 में 14.77 की जगह इसकी बढ़ोतरी रह गयी 0.38 प्रतिशत। यह कांस्टेंट प्राइसेज में अर्ज कर रहा हूं आपके लिये। प्रचलित कीमतों पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। 1995–96 से 1996–97 में जो 24.22 प्रतिशत बढ़ा था वह 1996–97 से 1997–98 में 0.56 प्रतिशत रह गया अब आप तीनों देख लिजिये। इस वर्ष में हमारी पर-केपिटा इनकम गिरी, इस वर्ष के अन्दर हमारी इकोनोमिक ग्रोथ रेट गिरी, इस वर्ष में हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिरा। तीनों चीजों के गिरने के बाद भी अगर सरकार यह कहती है कि हम इस प्रदेश को उन्नति की ओर बढ़ा रहे हैं तो मैं समझता हूं, जो आपने आंकड़े दिये हैं और हमें आर्थिक नीति की समीक्षा की किताब दी है उससे मैंने आंकड़े लिये

65

(श्री हरिसिंह)

हैं, आप अवनति की ओर जा रहे हैं। इसका कारण मैं कुछ नीतिगत मुद्दों को दिखाना चाहता हूं आपके सामने। उसकी वजह क्या है? पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, मैं इस बात को मानता हूं कि आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11500 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और वह रकम पिछली कई योजनाओं से ज्यादा है उसके बाद भी आपकी आमदनी और प्रोग्रेस क्यों गिर रही है? मैं आपको इसकी वजह बताना चाहता हूं। महोदय, इसकी वजह यह है कि जो आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें आपका एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सर्विसेज पर 42.73 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन है। आपके टोटल इन्कम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की उसमें आपके 1997–98 में 42.73 प्रतिशत है एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सर्विसेज की। और सर्विसेज से, व्यापार, होटल वगैरह से आपका है 15 प्रतिशत से भी कम। तो जिस स्टेट की आमदनी 42.73 प्रतिशत है एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सर्विसेज से, उस पर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो? यदि उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, तो यही स्थिति होगी। आप 11500 करोड़ नहीं इससे भी चौगुनी रकम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च कर दीजिये, आपकी हालत यही होगी, आप अवनति की ओर जायेंगे। और मेरा यह चार्ज है कि आपको एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सर्विसेज पर जितना पैसा खर्च करना चाहिये उतना खर्च नहीं कर रहे हैं। इसका मैं आपको सबूत पेश करना चाहता हूं, आंकड़ें देना चाहता हूं।

आपने इसमें अपनी जो आर्थिक समीक्षा दी है उसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो आउटले है उसमें आपने एग्रीकल्चर के ऊपर, बिजली के ऊपर, इरिगेशन पर आउटले रखा था वह आपने खर्च नहीं किया, इसकी वजह है कि इकोनोमिक ग्रोथ रेट कम हो रही है आप मुलाहिजा कर लीजिये। आप निकाल लीजिये। आपने कृषि कर आउटले रखा था 1286.92 करोड़ और आपने पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया 1112.14 करोड़ एग्रीकल्चर पर। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 174.78 करोड़ कम खर्च किया एग्रीकल्चर सर्विसेज पर। आपने वही काम किया ग्रामीण विकास पर। आपका टोटल आउटले आठवीं पंचवर्षीय योजना का 1021.75 करोड़ और आपने खर्च किया 875.40 करोड़, 146.35 करोड़ कम खर्च किया। आपने सिंचाई पर आउटले रखा था 1919.99 करोड़, आपने खर्च किया 1836.19 करोड़ इस तरह आपने 83.80 करोड़ रूपया सिंचाई पर कम खर्च किया। सामान्य सेवाओं में आपने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में 58 से 195 करोड़ रूपया खर्च कर दिया, 83.85 करोड़ आपने ज्यादा खर्च किया। जब मैन सोर्स ऑफ इनकम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की 44 प्रतिशत इनकम है, उस पर तो आप कम खर्च करते चले आ रहे हैं और अन्य पर आप ज्यादा खर्च करते जा रहे हैं। इसका नतीजा आप यह देखना चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाह रहा हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना की जो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसको 27 हजार करोड़ पर ले जाना

(श्री हरिसिंह)

चाहते हैं, उसमें आपने क्या आंकड़े दिये हैं इस देश के लिये ? उसमें आपने और सौतेला व्यवहार किया है एग्रीकल्चर के साथ आप आंकड़े देखें ।

आपने कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1880.44 करोड़ रुपये का आउटले ले रखा है । महोदय, आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना में था 11 प्रतिशत एग्रीकल्चर सर्विसेज का और नौवीं पंचवर्षीय योजना में आप इसको घटा कर ले गये हैं 6.80 प्रतिशत एग्रीकल्चर पर जो इनकम आपको 44 परसेंट देने जा रहा है उसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11 परसेंट से 6.80 परसेंट पर ले आये उसको घटाकर । अब ग्रामीण विकास पर हमारा जो आउटले था 8.8 का उसको 8.53 पर ले आये और आप सिचाई की बात करते है । आपने आऊट-ले रखा है 3100 करोड़, आठवीं योजना में हमारा आऊट-ले था 16.6 परसेंट सिचाई पर, और नवीं योजना में आप इसको घटाकर ले आये 11.21 परसेंट । आप बिजली की बात करना चाहते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी तो पांच मिनट ही नहीं हुए । ऊर्जा पर हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना में जिसके लिये आप कहते हैं कि हम इतने मेगावाट बिजली पैदा करेंगे और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं । आठवीं योजना में आपका 28 परसेंट आउट-ले था और 28 परसेंट आउट-ले के बाद में आप एक मेगावाट बिजली राजस्थान को नहीं दे पाये और नवीं पंचवर्षीय योजना में आप उस 28 परसेंट को घटाकर ले आये 23.63 परसेंट के ऊपर । यह आपकी पांच योजनाएं हैं जो आप बताना चाह रहे थे, जिसको आप पढ़ रहे हैं । दिन पर दिन आपका आउट-ले और आपका जो एक्चुअल व्यय है, मुख्य योजना हमारी एग्रीकल्चर, सिचाई और आपकी ऊर्जा पर कम होता जा रहा है ।

दूसरी बात मैं निवेदन कर दूं आपको कृषि में आपको ध्यान देना चाहिये । नीतिगत प्रश्न है मेरा, श्रीमन् आपसे कि हमारी जो पर-व्यक्ति सीमाएं हैं हमारी होल्डिंग हैं, वह कम होती जा रही है, उसमें अगले 10 साल के अन्दर हमारी आबादी दुगुनी हो जाएगी, उसमें कितना हमें खाने के लिये अन्न चाहिये, उसको हम कैसे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं । आपका जो उर्वरक है, उस उर्वरक पर तो आप राजस्थान में अभी 34.8 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं । राजस्थान का हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चर में उर्वरक यूज करने में 17 राज्यों में 13वां स्थान है । 13 वां स्थान है हमारा उर्वरक खर्च करने में ।

सिचाई के लिये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा । सिचाई में राजस्थान का खुद का तो 1.63 परसेंट सदैव आता रहा है । हमें जो पानी लेना चाहिये बाहर से, हमारे जो स्टेट के अन्तर्राज्यीय सम्बन्ध हैं इस समय के हमारे मुख्य मंत्री महोदय अपोजिशन के लीडर थे तब बहुत इल्जाम लगाया करते थे सरकार के ऊपर, कि हम केन्द्र से पानी नहीं ले पाते हैं । अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने

(श्री हरिसिंह)

इंटर-स्टेट एग्रीमेंट्स का कितना पालन करा लिया है ? मैं भरतपुर फीडर और यमुना जल के बारे में बात कहना चाहता हूं कि जिस यमुना जल को लेने के लिये हमने आपको धन्यवाद दिया था और स्टेट ने भी आपको धन्यवाद दिया था। क्या आप उस पानी को अब तक ले पाये ? आप पिछले तीन साल के अन्दर, उससे पहले तीन साल के अन्दर पानी मिलता था यमुना जल का, उसका आप आधा भी नहीं ले पाये और जो पानी मिल रहा है वह इतना खराब पानी मिल रहा है, इतना प्रदूषित मिल रहा है कि उसको मवेशी तक भी नहीं पी सकते। उस पानी के मिलने से तो क्रोप्स के अन्दर बीमारी हो जाती है। श्रीमन्, उस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के अन्दर सरकार गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1.16 बी. सी. एम. पानी यमुना का राजस्थान के लिए मिलना चाहिये। उसका आप 10 परसेंट भी नहीं ले पाये और नहीं ले पाये तो उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं ले पाये आप ? उसके लिये आपने कहां पर क्या स्टेप लिये हैं ? आपने केन्द्रीय सरकार को किस प्रकार विवश करने की कोशिश की थी ? आप इसके सम्बन्ध में सदन को बताएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट के अन्दर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें समय सीमा समाप्त हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : फैक्टरीज का इंफलुएंट्स है, उसमें तेजाब है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : तेजाब आ रहा है उसके अन्दर।

दूसरी बात दो मिनट लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर के अन्दर फ्लड आयी। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि हमारी सरसों की फसल खतम हो गयी है। आपने जवाब दिया है, सरकार ने जवाब दिया है उसके हिसाब से आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। 1995–96 में हमको सड़कों पर नुकसान हुआ था, इस सरकार ने 30 करोड़ 66 लाख का एस्टीमेट बनाया था, 30 करोड़ रुपये चाहिये सड़कों को पुरानी हालत में लाने के लिये। उसमें से सहायता विभाग ने दो करोड़ पैंतालीस लाख रुपये दिये। हमारे सड़क मंत्री बैठे हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें कि क्या आपने सड़कों की मरम्मत के लिये एक पैसा भी, जिसमें 100 पैसे में एक रुपये बनता है, एक पैसा भी आपने भरतपुर जिले के लिये फ्लड की सड़कों को ठीक करने के लिये दिया है क्या ? दिया हो, तो आप बता दीजिये कब आपने ग्रांट दी है और कब पैसा खर्च हुआ और कहां-कहां पर पैसा खर्च हुआ है ?

अब मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जो बांध टूटे थे, उन बांधों के टूटने से सिचाई विभाग को 24 करोड़ 34 लाख रुपये का नुकसान हुआ था, वह आपको देना था और 24 करोड़ में से आपने 6 करोड़ 7 लाख रुपये की सैंक्शन की। उसमें भी जब काम शुरू हुआ तो आधा काम चलने के बाद में आपने उसको स्टाप कर दिया, काम करना बन्द कर दिया। हमारी सड़कों की हालत खराब हो गयी, हमारे इरिगेशन की हालत खराब हो गयी और जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं

(श्री हरिसिंह)

भरतपुर जिले में प्रोग्रेस के ऊपर जहां कभी ओले पड़ते हैं, बाढ़ आती है, सरकार की ओर से हमको रिलीफ नहीं मिलती है। इसलिए मैंने यह अपना अमेंडमैंट मूव किया किया है धन्यवाद प्रस्ताव में कि, "सरकार ने किसानों के साथ में पेयजल, किसानों को सिंचाई और सड़कों का अभाव रखा है उसके लिये इस सभा को बहुत-बहुत खेद है।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आपने समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां बहुत आतंक हो रहा है। वहां इस तरह की स्थिति है कि शराब माफियाओं ने लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर 20 लाख रुपये खर्च किये हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सुभाष डांगी पर कातिलाना हमला करके, उसको मरने की स्थिति में डाल दिया। पुलिस में रिपोर्ट करने गये। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। इसके बाद मैंने टेलीफोन किया जब वह रिपोर्ट दर्ज हुई। गांव वालों ने रास्ता जाम किया। ऐसी परिस्थिति हो रही है, इसलिए आप मुझे दो मिनट का टाइम मेरी पूरी बात सुनने के लिये दीजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये, उन माफियाओं का कद बढ़ा दिया वहां पर आज उनके सामने कोई आदमी बोलने की हिम्मत नहीं करता। पुलिस उनकी पूरी मदद करती है। ऐसी स्थिति वहां हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पूरी बात सुनकर मुझे आप किसी तरह थोड़ा-सा समय चाहे इनके बोलने के बाद दे दें। मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे दिन उसके भाई को भी मारने के लिये आये। पहले होली का दिन था, धुलण्डी के दिन उसके भाई को मारने के लिये आये। अब आप देखिये वह वहां हास्पिटल में बीमार पड़ा है, बहुत गरीब आदमी है। कल मैं उनसे मिलने गया था। उसकी हालत इतनी खराब है कि उसके सिर में 20 टांके आये हैं तीन जगह। मेरे यहां व्यवस्था करायी जाए। पुलिस बिलकुल +++ से काम कर रही है। वहां की पुलिस उनके हाथ में है जो माफिया गिरोह आदेश देता है वह काम होता है। चाहे जिस पर झूठे मुकदमे बना दिये, उसको बंद कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कृपया समाप्त करें। आपकी बात पूरी हो गयी है। समाप्त करें।

श्री मोहनलाल मोदी : ऐसी परिस्थिति हो रही है तो मैं गृह मंत्री जी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लिये माननीय। गृह मंत्री महोदय ने भी आपकी बात सुन ली। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे साथ भी ऐसा हादसा

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहनलाल मोदी)

हो सकता है, जो पहले हो चुका है उसमें कुछ नहीं हुआ और अब जो आगे होने वाला है, मैं पहले से आपको सूचित कर देता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कोई पीड़ा है इसलिये वह बीच में खड़े हो गये। यह माफिया गिरोह की बात मैंने परसों कही थी और माफियाओं के जो सरगना हैं, आप कह रहे थे कि मैं बराबर इंस्ट्रक्शन देता हूं, एस.पी. को देता हूं, डी.आई.जी को देता हूं, मैं खुद रिव्यू करता हूं, मैं सिहावलोकन करता हूं राजस्थान के अन्दर यह जो शराब के माफिया गिरोह हैं या दूसरी तरह के गिरोह हैं इनके जितने सरगना हैं उनकी एक लिस्ट आपकी टेबिल पर रखी है। आप समय-समय पर उनकी गतिविधियों के ऊपर ध्यान दीजिये और जिस व्यक्ति को मारा है ये उससे मिलने के लिए गये हैं। आप अस्पताल जाएंगे, मुख्य मंत्री जी कल अस्पताल पहुंच गये, डिग्गीपुरी के राजा का छत्र चोरी हो गया और डकैती पड़ी और तुरन्त घायलों से मिलने के लिये वहां अस्पताल गये। इस तरह माफिया द्वारा मारा गया व्यक्ति घायल हुआ पड़ा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे मिलकर इस बात को मालूम कीजिये कि यह शराब माफिया गिरोह है, यह लोगों की जान पर हमला कर रहा है और आप कह रहे हैं कि पुलिस तत्परता से और तुरन्त कार्यवाही कर रही है। यह कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत है। इसमें कुछ न कुछ मुख्य मंत्री जी आपको कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में कुछ संस्थाओं की कल्पना की गयी है और उसमें एक संस्था किसी भी राज्य की, महामहिम राज्यपाल की जो संस्था है वह बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और सदन में जब भी साल के शुरू में सदन आहूत होता है, उनका अभिभाषण होता है। एक सैक्रेड डाकुमेंट इस डाकुमेंट में सरकार के साल भर के कार्यकलापों का विवरण हो, आगे सरकार क्या करना चाहती है उसका विवरण हो और फिर सदन में पूरी छूट मिले अपने विचार व्यक्त करने के लिये। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं खेद व्यक्त करता हूं, बहुत अफसोस है इतनी पवित्र संस्था को इस सरकार ने इतना डाउन ग्रेड कर दिया है कि इसके लिए कहते हुए शर्म आती है। चार दिन का समय यहां रखा गया था आज पूरे चार घंटे भी इस पर चर्चा नहीं हो पायी है और इसमें इस प्रकार से इस संस्था को, जो इतनी पवित्र संस्था है, यह डाकुमेंट इतना पवित्र माना जाता है, इसकी यह दुर्गति इस सरकार के द्वारा हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में एक निवेदन करूंगा कि आपने भी हमारा + + + पांच मिनट के लिये आपने हमको समय दिया है। खैर उसके लिये....

श्री उपाध्यक्ष : + + + निकाल दिया जाए।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शिवनाथ सिंह : +++ नहीं है, आपने हमारी समय सीमा बांध दी है, यह कहना है। हां, निकाल दें जो मैं गलत कहूं तो निकालते जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं पड़ता। लेकिन मेरी पीड़ा है, उपाध्यक्ष जी, कि इस प्रकार से सुन्दर अवसर को हमने इस प्रकार से हल्का किया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, डाकुमेंट में राज्यपाल महोदय के मुख से इस प्रकार की बात कहलायी गयी है जो किसी भी सरकार के लिए शोभा की बात नहीं हो सकती है। जिस सम्बन्ध में मैंने यह अमेंडमेंट दिया है, उसके सम्बन्ध में मैं एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अभिभाषण का पैरा 20, "राज्य में विद्युत की बढ़ती मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में केन्द्रीय विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधान तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की कार्य प्रणाली बाधा बन रही है।" मंजूर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं "राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले इन प्रावधानों को संशोधित करने का लगातार अनुरोध किया है, परन्तु भारत सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण यह संभव नहीं हो पाया है।"

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल यहां पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, केन्द्र की तरफ से यहां हैं। उस केन्द्र सरकार के प्रति इस प्रकार के जो शब्द इन्होंने लिखवाये हैं, उनके मुंह से पढ़वाये हैं, मेरे ख्याल से कहीं भी शोभाजनक नहीं है। यह हो सकता है कि कुछ-कुछ कामों में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की मनमानी नहीं चलने दी हो। यह केन्द्र सरकार का अधिकार है, नहीं चलने देनी चाहिए और जो एक छूट लेना चाहते हैं उस छूट को उन्होंने मंजूर नहीं किया होगा चाहे वे केन्द्रीय एजेंसीज हैं। उसके लिये यह राजस्थान सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से इस प्रकार के शब्द कहलवाना शोभाजनक नहीं हैं, यह मेरा एतराज है उपाध्यक्ष जी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस डाकुमेंट में ढिढ़ोरा पिटवाया गया है विकास का। बहुत मुद्दों पर मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने सीमा बांध दी है। मैं कुछ बातों के लिये ही कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बार बार कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मेरी बहुत दिलचस्पी है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वे उस क्षेत्र से आये जरूर हैं पर इन्होंने ग्रामीण विकास को हमेशा कुंठित किया है, ग्रामीण विकास के कार्यों को हमेशा अपने जूतों से पीटा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इनका दृष्टिकोण इस सरकार का दृष्टिकोण ग्रामीण विकास की तरफ हो ही नहीं सकता। पंचायतीराज मंत्री कल कह रहे थे, अब भी +++ सकते हैं, पंचायती राज संस्थाएं 1959 में बनीं थीं, उस वक्त

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

जो पंचायतों के अधिकार थे, पचायत समितियों और जिला परिषद के अधिकार थे, उन सबको आपने खतम करा दिया। आज ग्राम पंचायत नाम की जो व्यवस्था है, उसका जो व्यवस्थापक है, उसको आपने इतने अधिकार दे रखे हैं कि वह ग्राम पंचायत और सरपंच उसके आगे असहाय हैं, वह कुछ नहीं कर सकता। विकास अधिकारी इतना पावरफुल आपने बना दिया है कि प्रधान का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। पंचायत समिति की सर्विसेज के ऊपर प्रधान का कोई नियंत्रण नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक समय था, आपको भी याद है कि किसी भी पंचायत समिति के प्रसार अधिकारी को बदलने के लिए प्रधान की सहमति राज्य सरकार को लेनी पड़ती थी। यहां से चिट्ठियां जाया करती थीं। मैं भी प्रधान रह चुका हूं और आप भी रह चुके हैं। यह चिट्ठियां जाया करती थीं कि हम आपके यहां के फलां विकास अधिकारी को बदलना चाहते है, आप अपनी सहमति दीजिये। हम यहां के फलां प्रसार अधिकारी को बदलना चाहते हैं, सहमति दीजिये। आज स्थिति क्या है? आज प्रधान के सामने इतना संकट है कि वह पंचायत समिति के कार्य को चला ही नहीं सकता। यही हाल जिला परिषद का है। जिला परिषद का जिला प्रमुख आज कुछ भी नहीं कर सकता। सब पावर्स आपने वहां के सी.ई.ओ. को दे रखे हैं। इस प्रकार के विकेन्द्रीकरण की संस्था, जिसे आप पवित्र संस्था कहते हो, उसका हाल आपने यह कर रखा है। इसलिए यह ग्रामीण क्षेत्र के प्रति जो डिसेंट्रलाइजेशन का एक मुद्दा था और जो केन्द्र सरकार का हमारे भारतीय संविधान में इसका अंकेक्षण हैं कि विकेन्द्रीकरण हो और ग्राम जनता की सहभागिता से हम यह प्रशासन चलायें उसको आपने बहुत विपरीत दिशा में मोड़ दिया है और आज ग्रामीण क्षेत्र की जो उपेक्षा हो रही है, ऐसी उपेक्षा किसी की नहीं हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने ग्रामीण विकास के लिए संस्थाएं बनायीं, डी.आर.डी.ए. खास मुद्दा है। केन्द्र सरकार का रूपया डी.आर.डी.ए. में आता है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी हैं कि वह अपना हिस्सा उसमें दे। वह नहीं देती है। उसके बाद में वह रुपया जो केन्द्र से आता है, वह अधिकांश रुपया राज्य सरकार अपने कामों में डाइबर्ट कर लेती है और विकास कार्यों में खर्च नहीं हो पाता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डी.आर.डी.ए. एक सोसाइटीज एक्ट के अन्दर रजिस्टर्ड संस्था है और उसका पूरा जो कार्य-कलाप है, वह उसकी गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से होना जरूरी है। लेकिन यहां गवर्निंग काउंसिल की स्थिति यह बना दी गयी है कि जो चेयरमैन हैं, उसकी सब पावर खतम करके अपने हाथ में ले ली। चेयरमैन जिला कलक्टर होता है और वह सब आदेश केन्द्र सरकार के इशारे पर, सब कार्यवाही कर रहे हैं। न तो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है, न ही गवर्निंग काउंसिल में कोई प्रस्ताव आते हैं और न विकास के काम होते हैं। जहां जिसको सूट किया, जिस भी कलेक्टर को सूट किया कि

72

(श्री शिवनाथ सिंह)

कहां क्या काम होना चाहिए, वह अपने हिसाब से मंजूरियां जारी करते हैं और वह मंजूरियां जारी होती हैं जिनमें अधिक कमीशन सरकारी अधिकारियों को मिले। इस प्रकार की व्यवस्था आपने ग्रामीण विकास के लिये कर रखी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा की हालात आप देख लीजिये। पंचायतीराज में आपने प्राइमरी स्कूल पंचायत समितियों को दे रखे हे। उनकी स्थिति यह है कि किसी भी स्कूल में पूरे अध्यापक नहीं हैं। किसी भी स्कूल में पढ़ने-पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। प्रधान का उस पर नियंत्रण नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र के लड़के आज मजबूर होकर प्राईवेट संस्थाओं में पढ़ने जाते हैं। वह प्राइवेट संस्थाएं इनका शोषण करती हैं। अब हम यह सोचते हैं कि भारत का नागरिक है, उसको समान अवसर मिलेगा। एक शहरी लड़का है उसको पढ़ने-पढ़ाने के इतने साधन हैं और ग्रामीण क्षेत्र का एक लड़का जिसके पास अध्यापक भी नहीं है, पैसे की कठिनाई सहन करने वाला है, उससे हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह शहरी तबके से आने वाले लड़के से मुकाबला कर पाएगा। आज केन्द्रीय सेवाएं हैं, राज्य सरकार की सेवाएं हैं और अन्य सेवाएं हैं उनमें आप देख लीजिये कि ग्रामीण क्षेत्र का अनुपात लगातार घटता जा रहा है और वह इसलिए घटता जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को, लड़कों को पढ़ने की सुविधा नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन करना है कि हमने अलग-अलग सालों का बजट अलग-अलग कामों के लिये दिया। शिक्षा को समर्पित किया, पेयजल को समर्पित किया और चिकित्सा को समर्पित किया। आज चिकित्सालयों की हालत क्या है? एक भी चिकित्सालय ऐसा नहीं है जिसमें सही ढंग से काम होता हो कल ही चर्चा चल रही थी एस.एम.एस. हास्पिटल की। इस राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि हमारे यहां अनियमितता नहीं है। हमारे यहां सफाई ठीक होती है। लेकिन जब पेशेंट वहां जाता है तो उसकी हालत आप देखिये। जो आपने पी.एच.सी. कर रखे हैं, जो रैफरल अस्पताल कर रखे हैं वहां डाक्टर्स नहीं हैं, डाक्टर्स हैं तो वहां साधन नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह तस्वीर आज हमारे सामने इस प्रदेश की है और इस प्रदेश की हालत इस तरह से बिगड़ गयी है कि किसी भी व्यक्ति की, आज इस सरकार में आस्था नहीं है। उसका नतीजा हमने यह देखा इस सरकार में आस्था नहीं होने का परिणाम यह निकला कि राजस्थान से लोक सभा की बीस सीटें इस सरकार के खिलाफ गयीं। अब भी इस सरकार को सोचना चाहिए, यह देखना चाहिए और आत्म चिन्तन करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ मंत्रियों की चर्चा कल आयी। कल रात को टी.वी. पर आ रहा था राजस्थान सरकार के छह मंत्री इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। और उस में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कौशल जी का भी इन्टरव्यू था। इन्होंने कहा कि अभी तक स्तीफे पेश

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं हुए हैं लेकिन यह चर्चा मेरे से हुई है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष जी, कि यह जो केबिनेट में, राज्य मंत्रिमण्डल में अविश्वास चलता है, हेरा-फेरी होती है, आपस में विश्वास नहीं रहता है, इसका पूरे प्रशासन पर असर पड़ता है। हम उस प्रशासन से प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि लोगों को यह गलत मैसेज गया है। सही गया है, वह दूसरी बात है। लेकिन इस प्रकार के केबिनेट के मंत्रियों में आपस में मन-मुटाव, लड़ाई-झगड़ा और इस प्रकार की कोई बात चलती है तो उससे हमारा पूरा प्रशासन प्रभावित होता है और राज्य कर्मचारी स्वछंद बनते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात और निवेदन करूंगा। एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। हमने सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम चलाया। मैंने कल भी संक्षेप में कहा था, आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें रुपया सब विदेशों से मिला हुआ है और उस विदेशों से मिले रुपये का यदि हम सदुपयोग कर पाते तो राजस्थान का नागरिक जो 15 से 35 साल की अवस्था में, और जो हमने एक यूनिट मानी है वह सब के सब साक्षर हो सकते थे। लेकिन इनके द्वारा चलायी जो व्यवस्था है उसके अन्दर एक भी सेंटर नहीं चल रहा है। फर्जी हाजिरी होती है, फर्जी नाम लिखे जाते हैं और सब रुपया गबन होता है। चाहे परचेज में हो, चाहे दूसरी नाटकबाज़ी में हो किसी में भी हो, उस रुपये का सदुपयोग नहीं हो पाया है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं मुझे शर्म आती है जब यह आता है कि राजस्थान में साक्षरता की क्या स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस सब स्थिति को समझना चाहिये, सोचना चाहिये और इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं आलोचना के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं आपके यही रवैये रहे, राजस्थान की जनता के प्रति यदि यही आस्था रही, तो आप इस राजस्थान को रसातल में ले जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, मजबूती से रहे, मजबूती से काम करे। आज आपकी सरकार का, इस सरकार का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, स्वछंद हो गये हैं, मर्जी आए जो करते हैं। मंत्री महोदय आदेश देते हैं, यहां से निर्देश देते हैं, कल ही हमारे राजस्व मंत्री जी कह रहे थे, कि हमने 91 में आदेश दे दिये थे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीयों के आदेशों की पालना नहीं होती है कि सरकार कमजोर है। सरकार कमजोर नहीं हो. तो किसी भी अधिकारी की यह हिम्मत नहीं हो सकती है कि वह सरकार के आदेशों की अवहेलना करे। इसलिए यहां से सर्कूलर निकलते हैं, गाइड लाइन्स निकलती हैं, हमेशा सब कुछ होता है लेकिन उनकी पालना या तो मंत्रियों की मिली भगत से नहीं हो पाती है या अधिकारी इतने स्वछंद हो गये हैं। उपाध्यक्ष जी, हमारे मुख्य मंत्री जी के लिये बहुत कहा जाता है ...

(74)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शिवनाथ सिंह : एक मिनट में। आखिरी में....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट हो गया आपका।

श्री शिवनाथ सिंह : सिर्फ एक मिनट बोलूंगा। हमारे मुख्य मंत्रीजी के लिये बहुत बातें कही जाती हैं। मैं भी इनका प्रशंसक था। प्रशासन पर इनकी पकड़ थी लेकिन यह शेर बूढ़ा हो चला है। इनका आज प्रशासन पर अंकुश नहीं रहा है और प्रशासन पर अंकुश....

श्री उपाध्यक्ष : बूढ़े वाली हालत तो आपकी भी हो गयी है अब।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिये हम दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि किन्हीं जवान हाथों में, कुछ दो–चार महीने के लिये इस सरकार को दे जाइये, आप दिल्ली में पधारो। आपके लिये मुख्य मंत्री का पद हल्का पड़ने लग गया है, इसलिये, आप वहां पधारो और किसी जवान आदमी के हाथ में जो इस्तीफा देने की मंत्री महोदय पेशकश कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक को सौंप दीजिये। चार, छह महीने वह चलाएंगे उसके बाद में तो सत्ता दूसरे के हाथों में आने वाली है। यह वहां बैठेंगे, वह यहां बैठेंगे इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इन बातों पर गौर करना चाहिये और गौर करने के बाद....

श्री परसराम मदेरणा : जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं उनकी आयु 73 साल से ऊपर है। भारत का प्रधान मंत्री भी 74 साल का हो सकता है। यही आयु अपने मुख्य मंत्रीजी की है। अभी तो इनको रहने ही दो वह ज्यादा फायदा रहेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : मुख्य मंत्रीजी यहां काम करते–करते बहुत घिस पिट गये हैं, इनकी हिम्मत नहीं रही है, शेर बूढ़ा हो गया है इसलिये बूढ़े शेर को अपनी मांद में ही जाना चाहिये। मैंने अपना अमेंडमैंट का प्रस्ताव दिया है....

श्री परसराम मदेरणा : बूढ़ा शेर अपना शिकार नहीं कर सकता लेकिन बाकी दूसरे नीचे वाले जो शिकारी हैं वह शिकार ले जाएंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : वह खुद ही खा जाते हैं। "किन्तु खेद है कि राज्य सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिये सारा दोष केन्द्र सरकार पर डाला गया है।" इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी माननीय विधायक महोदय ने एक विषय जो मंत्रियों के इस्तीफे के पेशकश की चर्चा की है उसके विषय में निवेदन करना चाहता हूं। शायद उन्होंने ..

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हम तो आपके फेवर में है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : स्पष्टीकरण तो कर लेने दीजिये जो बात कही है । एक मिनट आपसे अनुमति ली है मैंने बोलने के लिये । बोलने दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री जी, You are one of the Member of the Council of Ministers.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Yes.

श्री परसराम मदेरणा : The Chief Minister is the Chairman of the Council of Ministers. Whatever explanation he gives, that would be more convincing, one thing. आप तो मेहरबानी करके अभी जो आपसे कह रहे थे और अमरारामजी कह रहे थे कि इनके धोद में जो खड्डे हैं, मैं गया हूं । हमको यह बता दीजिये आप तो बाकी यह मिनिस्टर का ...(व्यवधान) यह सामंजस्य बैठ जाएगा । लेकिन आप यह बता दीजिये ।

श्री चन्दनमल बैद : छोड़ दीजिये आप आप इन बातों को तो छोड़ दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : यह पॉट हॉल्स जो सड़कों पर हैं । मैं उन सड़कों से गया हूं धोद वाली पर । आप बताइये उनकी गहराई क्या है ? गहराई एक फुट की है, दो फुट की है । कई सड़कों पर गहराई मैंने दो फुट देखी है । दो फुट के पॉट हॉल्स हैं वहां पर ।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो इधर के बोल चुके, दो उधर के बोल चुके, अब इधर का नम्बर है इसलिए इधर की बात आनी चाहिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह भी बता देता हूं । एक मिनट में पूरी कर लूं ।

श्री चन्दनमल बैद : हमारे तो .

श्री रमाकान्त शर्मा : अब आप दो मैंम्बर उनके बुलवा रहे हैं तो पहले इधर का होना चाहिये ।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया ...

श्री रमाकान्त शर्मा : तो यह बात तय हुई थी केवल यहां के दो बोलकर और फिर जवाब देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें ।

श्री चन्दनमल बैद : व्यवस्था का प्रश्न है । पाइंट आफ आर्डर । मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मुझे 5 बजे दिल्ली पहुंचना था तो मैंने यह कहा था कि आपके दो सदस्य बोल चुके हैं बाकी अब इधर से बोलने दीजिये ..

श्री रमाकान्त शर्मा : बाकी इधर के दो को बोलने दीजिये ।

श्री चन्दनमल बैद : उन्होंने कहा यह सुझाव मुझे मंजूर है । बाकी इधर से कोई नहीं बोलेगा । सब उधर से बोलेंगे ...

श्री रमाकान्त शर्मा : बाकी इधर से दो को बोलने दीजिये आपने यह फरमाया था ।

श्री चन्दनमल बैद : आप पूछ लीजिये मुख्य मंत्रीजी से । मुख्य सचेतकजी से पूछ लीजिये ।

श्री रमाकान्त शर्मा : दो तो बोल चुके। आपने कहा था दो इधर के बोलकर....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री चन्दनमल बैद : आपके नेता ने स्वीकार किया है यह।

श्री विष्णु मोदी : अमेंडमैंट पर बोल रहे हैं। जो दो आदमी बोले हैं वह तो गवर्नर एड्रेस पर नहीं अमेंडमैंट पर बोले हैं।

श्री चन्दनमल बैद : यह कौन होते हैं फिर।

श्री रमाकान्त शर्मा : मेरा नाम है। मेरा नाम है बोलने वालों में।

श्री चन्दनमल बैद : सदन के नेता स्वीकार कर चुके इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री रघुवीर सिंहजी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (उर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिवनाथ सिंहजी ने मेरे नाम की चर्चा करते हुए यह बात कही है कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल के छह मंत्री इस्तीफा देना चाहते हैं और यह असन्तोष का कारण है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलीं। पार्टी के हर कार्यकर्ता को उसका दर्द है। वह चाहते हैं कि कुछ न कुछ कमियां रह गयी हैं उन कमियों को दूर करने के लिये कुछ न कुछ उपाय रखे जाएं और इसी आदेश से—

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्षजी, पाइंट आफ आर्डर है मेरा। कोई भी मंत्री जी बोले मैंने ऐतराज नहीं किया आप बोल रहे हैं मैं ऐतराज नहीं करता। लेकिन यह कहता हूं कि मंत्री सदन में एक्सप्लेनेशन तब ही दे सकता है वोलेंटरी, जब उनके ऊपर कोई आरोप हो और तब कोई बात आवे और उसमें मंत्री....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नहीं, यह मेरे हवाले से बात कही गयी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कोई आरोप नहीं है। कोई आरोप नहीं है मुख्य मंत्री....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरे हवाले से यह बात की गयी है कि छह मंत्रियों के इस्तीफे की बात मैंने की है। मैं उसी को बताना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब नियमों में व्यवस्था है स्पष्टीकरण कभी भी....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह मेरे हवाले से कही गयी बात है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आरोप नहीं है। यह आरोप नहीं है। यह कोई कारण नहीं बनता।

श्री उपाध्यक्ष : उनका नाम आया है इसलिये वह कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। नाम आया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा नाम आया और गलत संदर्भ में बात कही गयी है। गलत संदर्भ में। मैंने इस्तीफे की बात जो की है किसी ने इस्तीफा दिया है, यह बात बिलकुल गलत है। मैंने यह कहा था, जो कि मेरे खुद के इंटरव्यू "आज तक" में आया है कि हमारे यहां के कुछ मंत्रियों ने इसलिए कि यदि पार्टी संगठन को

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हमारी आवश्यकता है, तो हम इस्तीफा देकर पार्टी में काम करने के लिये तैयार हैं, यह प्रस्ताव मेरे सामने रखा और मैंने उस प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं किया है। उनकी पार्टी में सक्षम है। उनको इस्तीफा देकर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही कोई असंतोष ऐसा है कि वह इस्तीफा दे रहे हैं या पार्टी में कोई असंतोष हो यह बिलकुल गलत बात है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय ऊर्जा मंत्री ...

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : आपके इस्तीफे का क्या हुआ ? आपने तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है मेहरबानी करके उनका इस्तीफा स्वीकार कर लें।

श्री परसादी लाल मीणा . आपने तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैंने ऐसा कोई इस्तीफा नहीं दिया। मैंने कब कहा कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाला हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष पद से नहीं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हां, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हुआ है।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या हुआ उस इस्तीफे का ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्या हुआ ? आप कौन हो यह पूछने वाले क्या हुआ ? यह मेरी पार्टी का मामला है। आप कौन हो पूछने वाले ? मैं आपको ओब्लाइज नहीं करूंगा। आपको ओब्लाइज नहीं करूंगा।

श्री बलजीत सिंह (बाड़ी) : आप सोनिया गांधी के बारे में कह सकते हो, हस्तक्षेप कर सकते हो। हम उनकी बातों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो आप सोनिया जी के बारे में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कोई स्टेटमेंट दिया है बी.जे.पी. के अध्यक्ष की हैसियत से दिया है। ये मंत्री भी हैं लेकिन बी.जे.पी. के अध्यक्ष हैं और बी.जे.पी. पार्टी का.... अंदरूनी मामला जो है (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको असंतोष है। केवल आपकी बात होगी कोई। आपकी बात होगी कोई (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उसमें आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है। आप कह रहे हैं मैं तो गलत बात नहीं कहता जब एग्जिट पोल के रिजल्टस आये थे तब आपने एक स्टेटमैंट दिया था कि मैं तो कोटा में जीतूंगा ही जीतूंगा, लेकिन हमारा जो उम्मीदवार जोधपुर में है वह निश्चित तौर पर जीतेगा। वह गलत हो गया। तो गलत होते हैं सही होते हैं यह तो बी.जे.पी के अध्यक्ष का स्टेटमेंट है यहां एक्सप्लेशन देने की क्या जरूरत है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह तो होनी थी कि मैं जीतता-जीतता हार गया और आप जोधपुर में हारते-हारते जीत गये। यह तो बाई-द-वे हैं, यह हो जाता है। माननीय शिवनाथ सिंह जी ने मेरे हवाले से इस्तीफे की बात की इसलिए मैंने यह बात कही है कि किसी का इस्तीफा नहीं आया है।

श्री परसराम मदेरणा : अब वक्त आपके जो पराजय के कारण थे और जो आत्म निरीक्षण कर रहे थे, वह अखबारों में आ रहा है। यह आपका अंदरूनी मामला है तो आप अपने तक सीमित रखते, अखबारों में नहीं देते। अखबारों में आया उसका उन्होंने उल्लेख किया अब ये इस्तीफा दें या नहीं दें यह आपका खुद का अंदरूनी मामला है पार्टी का और यहां आप बी. जे. पी. के अध्यक्ष की हैसियत से तो खड़े नहीं हो सकते। आप यहां पर जो ऊर्जा के मामले हैं उनमें तो +++ अब उसमें (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक गलत तथ्य रखा था वह मैंने बताया है कि किसी ने इस्तीफा नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि आपने कोटा से जीतने की बात कही थी और जोधपुर में कांग्रेस के केन्डिडेट को हराने की बात कही थी ....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जिसकी जीत की बात कही थी वह आया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि इन चुनावों में किस-किस ने कितनी-कितनी सीटों की घोषणा की थी। आपकी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ही तो घोषणा की थी कि हमारी सीटें 250 से ज्यादा आएंगी, 142 पर ही रह गयी। तो यह घोषणाओं का यहां उल्लेख नहीं करते तो ज्यादा अच्छा था।

श्री शिवनाथ सिंह : मुख्य मंत्री जी, मेरा यह नहीं....

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है कि आपने कहा कि मैं गलत बात नहीं कहता। असेसमैंट है, आकलन गलत हो जाता है। मेरा असेसमैंट आपने टी. वी. पर देखा था एग्जिट पोल के साथ यह आया था "आज तक" में, कि 18 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जब राजेश पायलट से पूछा गया टी.वी. पर बातचीत हो रही थी कि आप 17 का कह रहे हो वह 18 का कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मदेरणा जी सही हो सकते हैं। बाई चांस में सही हो गया तो मैं कोई भगवान थोड़े हूं। ठीक है, मेरा असेसमैंट था कभी सही हो जाता है कभी गलत हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति, धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभिभाषण पर चर्चा....

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा का ध्यान रखें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप भी मेरा ध्यान रखें। अभिभाषण पर चर्चा का मूड बन ही रहा था और यह बीच में झगड़ा हो गया सीटों के बाबत। इससे हटकर के सिर्फ 2-3 बातें निवेदन करना चाहता हूं एक रोज टी.वी. पर यह खबर आई कि जयललिता जी ने तेवर दिखा दिये और दूसरे....मैं कोई गलत+++मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लोक सभा के मेम्बर रह चुके हो और +++ बातें करते हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें आप खुद भी मेरी बात को रेलिश करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिलकुल नहीं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह गलत तर्क है आपका।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बेफिक्र रहें। दूसरे रोज यह खबर आयी कि सब गिले और शिकवे दूर हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं उल्लेख नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहीं नहीं है मैं तो खुद कह रहा हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया उधर आयें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो सिर्फ एक लाइन

श्री उपाध्यक्ष : आप मूल विषय पर आ जाइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मूल विषय पर, पर अगर आपने ऐसे ही टोका-टोकी करी तो मूल विषय पर मैं आ ही नहीं पाऊंगा।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कल आपने टीकम चन्द कांत को नहीं रोका था।

श्री रामनारायण चौधरी : समर्थन कर रहे थे, उठाकर देख लीजिये प्रोसिडिंग, कि 80 परसेंट, उसमें सोनिया जी का ही नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उस पर व्यवस्था उसी समय दे दी। उसी समय व्यवस्था दे दी थी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप निश्चित रहें। मैं अभिभाषण से बिलकुल नहीं हटूंगा। लेकिन यह सिर्फ 2 मिनट की बात सुन लें। दूसरे रोज यह टी.वी. पर खबर आ गयी कि जयललिता जी मान गयी और गिले और शिकवे, यह वर्डस यूज में लिये उन्होंने, टी.वी. के समाचार पढ़ने वाले ने, कि गिले और शिकवे सब दूर हो गये। मैं सिर्फ 4-5 लाइनें ही निवेदन करना चाहता हूं इस विषय में कि-

"रात भर उनका तसव्वुर दिल को तड़पाता रहा,
एक नक्शा सामने आता रहा, जाता

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(80)

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

रहा और सब न मिलने की बातें थीं
लेकिन जब वह आ ही मिले,
सारे शिकवे मिट गये और सारा
गिला जाता रहा।"

मुबारक हो आपको।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी, व्यक्तिगत तौर पर आपको मुबारक देता हूं कि आपके अभिन्न मित्र कल भारत के प्रधान मंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ और ज्यादा उत्सवमय हो सकती थी आपके लिये अगर आपकी सरकार के माजने अच्छे होते।

राज्यपाल महोदय का भाषण पढ़ा दिया गया। एक बार फिर आपने वह औपचारिता पूरी की। जनतंत्र की परवाह नहीं की, जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया और थोथे और कपोल-कल्पित आंकड़ों के आधार पर तथ्य-हीन विवरण महामहिम से आपने यहां पर करवाया। यह विवरण करवाया, वह बातें उनके मुंह से कहलवायी जिनको जनता या तो नकार चुकी है, निरस्त कर चुकी है और वास्तविकता से उनका कोई दूर-दूर तक लेना-देना ही नहीं है।

आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय, सन् 1993 में चुनकर हम यहां आये। 1994 के फरवरी का एक अखबार हमने उस वक्त पढ़ा था जिसमें आपकी तरफ से यह घोषणा थी कि राजस्थान का मंत्रिमण्डल हर जिला मुख्यालय पर जाएगा और उसमें यह नाम था कि पहला जिला झालावाड़ होगा। क्यों जाएगा? उसमें उद्देश्य भी बताया गया था, बड़ा अच्छा उद्देश्य था कि जनता से सीधे मिलेंगे। जनता की समस्याओं की जानकारी लेंगे और जानकारी करके उनका निस्तारण और निराकरण करेंगे। वहीं कर देंगे। राहत महसूस हुई। हमें भी बड़ी राहत महसूस हुई कि मंत्रिमण्डल आएंगा साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। समस्याएं जो हमारे पास आती थीं हमने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि भई जाएंगे और निस्तारण, निराकरण करवा के लाएंगे। आज तक यह मंत्रिमण्डल किसी भी जिले में नहीं पहुंचा।

ठीक दूसरी घोषणा उसके बाद में की गयी कि हमारी मुख्य मंत्री जी छापामार पद्धति को अपनएंगे और छापामार पद्धति अपनाकर के राजस्थान के किसी भी गांव और किसी भी कस्बे का दौरा करेंगे। योजना इस तरीके से बनायी गयी कि अपना विमान या हैलीकाप्टर किसी गांव में उतार देंगे और गांव में उतरकर वहां के सरकारी कार्यालयों में जाकर के देखेंगे, जनता से मिलेंगे और जो सरकारी कर्मचारी गफलत में पाया जाएगा उसकी छुट्टी कर देंगे। वह छापामार पद्धति आज तक पता नहीं लगी। बाद में मैंने तहकीकात की इस मामले में कि छापामार पद्धति क्यों नहीं अपनाई गयी तो पता लगा कि 8, सिविल लाइंस में पाकेटमारों की संख्या ज्यादा बढ़ गयी। इसलिए छापामार पद्धति को छोड़ दिया गया।

अब यह पढ़ने में आया कि साहब आत्म विश्लेषण शिविर आयोजित किया जाएगा और जयपुर के आस-पास कोई जमीन देखी जा रही है जहां पर इस प्रकार के आत्म विश्लेषण शिविर आपकी पार्टी के द्वारा लगाये जाएंगे जिसमें आत्मचिंतन होगा। सोचा जाएगा कि आखिर यह हुआ तो क्यों हुआ और क्या इसके कारण थे?

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आदरणीय मुख्य मंत्री जी, आप बहुत सीनियर है आपको ध्यान होगा कि 1975 में जब इमरजेंसी लगायी थी, उसके पहले कांग्रेस ने एक नरौरा शिविर आयोजित किया था। मैं यह समझता हूं कि नरौरा शिविर का परिणाम तो था इमरजेन्सी और इमरजेन्सी में हमने नसबन्दी शिविर लगाया उनका परिणाम जो हमने भोगा उससे तो हम सत्ताविहीन हुए और इस प्रकार के शिविर लगाकर अब के आपकी बारी है। चाहे दिल्ली में अटल बिहारी हैं अब आपकी बारी है। आज तक कोई बात हुई, किसी समस्या का निराकरण हुआ, यह आत्म विश्लेषण शिविर में समय जाया मत कीजिए, हम जो कह रहे हैं उसी को कारण मानिए। हम एक तरह से आपको सुझाव ही नहीं दे रहे हैं, आपको सुधारने का प्रयत्न भी कर रहे हैं और प्रजातन्त्र को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

यह आरोप लगाने लग गये हार का, आपकी ही बैठकों में आरोप लगे कि यह नौकरशाही जिम्मेदार है, लोक सभा चुनावों में पराजय की सारी की सारी तोहमत किस पर थोपी जा रही है, नौकरशाही पर। कहा जा रहा है कि नौकरशाही हावी हो गयी, कार्यकर्त्ताओं के कथनानुसार काम नहीं करती, कार्यकर्त्ता को को-आपरेट नहीं करती और आगे आने वाले विधान सभा के चुनावों में अगर पराजय का मुंह नहीं देखना है तो नौकरशाही पर पाबन्दी लगानी पड़ेगी। उन पर यह पाबन्दी होगी कि कार्यकर्त्ताओं के आदेशों की वह पालना करे, तभी जाकर के इस पराजय को टाला जा सकता है, वरना पराजय को नहीं टाला जा सकता। यह आपकी बैठकों में बातें हुई हैं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इस तरह की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहते हैं, नौकरशाही चाहते है जो आपको वोट भी दिलवा दे, नोट भी दिलवा दे, सभी काम कर दे। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, यह बिगड़ जाएगी। यह सब सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। डराया-धमकाया जा रहा है अधिकारियों को। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी कि वित्त मंत्रालय ने यह सिफारिश की है कि अमुक-अमुक 10–12 महकमों के आला अफसरों, जिन्होंने 250 करोड़ रुपये स्वीकृत प्रावधानों से ज्यादा खर्च कर दिये, यह पैसा पानी की तरह से बहा दिया और राजस्थान की सरकार जो गम्भीर आर्थिक संकट की स्थिति से जूझ रही थी, उसकी माली हालत बिलकुल पतली कर दी। बिलकुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इन अफसरों ने किया, इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से आज फिर मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 33 करोड़ रुपये स्वीकृत प्रावधान था सार्वजनिक निर्माण विभाग में और खर्च कर दिया 87 करोड़ रुपया। यानी 54 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च कर दिया। यह अधिकारियों के बल पर ही हो गया? यह +++?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(८२)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

और आप क्या देख रहे थे ? आप तो वित्त प्रबन्धन का बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट कइयों से ले चुके हो, कुशल वित्त प्रबन्धन का यह कुशल वित्त प्रबन्धन है कि 250 करोड़ रूपये आपने स्वीकृत प्रावधानों से ज्यादा खर्च कर दिया और फिर भी आप कहलवाना चाहते हो, ये दो मुंह की बातें हैं।

यह आप ही की पार्टी के द्वारा छापी गयी किताब है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो दो-तीन लाइनों की बातें सुनाना चाहता हूं क्योंकि कल आप दिल्ली पधार रहे हैं। याद जरूर दिलाना आप वाजपेई साहब को, उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आयी तो राम मन्दिर के निर्माण में आने वाली सभी अड़चनों को दूर करने के लिये कानून बनाएगी। फिर कहा, भाजपा का उद्देश्य केन्द्र में सत्ता हथियाना है, इसमें सिद्धान्तों का कोई महत्व नहीं है सिद्धान्तों से सत्ता नहीं मिलती। इस प्रकार की बातें कल हमारे प्रधान मंत्री जी से, मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात कहें आप।

नेशनल एजेण्डा हो गया। जहां तक आपने यह फरमाया कि 250-300 सीटों की बात करते थे और यह कहते थे और वह करते थे। 1996 में आपने सिर्फ 162 सीटें जीती थीं और इस पर आपने जब यह कहा कि दिल्ली में यह आखिरी बारी है, यह है, वह है, आर-पार की लड़ाई है, जो कुछ होगा उससे निपट लेंगे, यह कर लेंगे, वह कर लेंगे, लेकिन आयी कितनी सी 197, 197 ही तो आयी हैं कुल मिलाकर, 17 का ही तो इजाफा हुआ है और इजाफा क्यों पाया हैं, उन 22 राजनीतिक दलों का शोषण करके, उनको नुकसान पहुंचाया। खुद की कितनी सी बढ़ाई, सिर्फ 17, 17 सीटें बढ़ीं, 22 पार्टी के कन्धों पर चढ़ करके आपने अपना इजाफा सिर्फ 17 सीटों का किया है। कांग्रेस अकेली लड़ी है और वह उस हालत में लड़ी है जबकि आपकी तरफ से यह प्रचार होता था कि मर गयी, खतम हो रही है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस ने चाहे एक ही बढ़ाई, दो ही बढ़ाई, तीन ही बढ़ाई लेकिन अपनी सीटें बढ़ाई।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जयललिता के कन्धे पर नहीं चढ़े।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और बूटासिंह जी ने तो आपको लिख कर ही दे दिया। आप ही ने आरोप लगाया था बूटासिंह पर और बलराम जी जाखड़ पर कि इन्होंने पैसा पानी के माफिक बहाया। अब आप उन बूटासिंह जी को कल गले लगा रहे हो। यह बताइए आप की चुनाव तक तो लक्ष्मीजी आपके साथ थी, पैसा सारा आपके पास था। आन्ध्र की लक्ष्मी भी आपके पास थी, पैसा हमने कहां खर्च कर दिया, हमको कहां से दिलवाया ? कोई मारबल व्यापारी से दिलवाया ही नहीं आपने, किसी से दिलवाते....

आपकी दो मुंह वाली बात बताता हूं। 1967 में मैं छोटा था उम्र में, लेकिन मैंने आपका भाषण कोटा में सुना था, जब आप गोयल साहब का प्रचार करने के लिये पधारे थे। गोयल साहब का प्रचार करते समय आपने कहा था, क्या नारे लग रहे थे, जिस वक्त स्टेज पर आप चढ़े थे,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

झूमता हुआ भारतीय जनसंघ का कार्यकर्त्ता यह नारा लगा रहा था, "इन्दिरा तेरे राज में लाखों गायें कटती हैं।" आपने जब भाषण दिया तो यह कहा की जो गौ रक्षा नहीं कर सके, जो गौ सेवा नहीं कर सके, उसे जीने का अधिकार नहीं। मैं एक नमूना आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपकी यह सरकार गौ रक्षा कर रही है या गौ सेवा कर रही है। आप ही की सरकार का जवाब है, जो मेरे प्रश्न पर मिला है, कोटा नगर निगम के बाबत, मेरा सवाल यह था कि 1994–95 में गौशाला फण्ड यानी धर्मादा कितना इकट्ठा हुआ ? 1 करोड़ 19 लाख1995–96 में 1 करोड़ 11 लाख, और 1996–97 में 1 करोड़ 8 लाख रुपये, यह गौ शाला फण्ड गायों पर खर्च होता है। दूसरा सवाल मैंने इसी में पूछा था कि 1994–95 में गौ शाला में कितनी गायें दाखिल हुई और कितनी गायें मर गयीं ? जवाब मुझें मिला सरकार की तरफ से कि 1994–95 में पहले से जो गायें चल रही थीं वह तो थीं 113 और आमद जो इस साल हुई वह हुई 187, यानी कुल मिला करके 300 गाएं। 1994–95 में वहां आई। मर कितनी गयी, 113, 300 गायों में से एक साल में ही 113 गायें मार दीं, दूसरे साल 178 मार दीं, कुल चार सौ गायों में से और तीसरे साल 505 कुल गायें थीं, उनमें से 331 मार दीं, यह है आपकी सरकार की गौ सेवा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : हां, समाप्त ही कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप यह देखिए, मैं रेलेवेंट बोल रहा हूं आपके एड्रेस के अलावा तो कहीं जा नहीं रहा हूं।

आपको ध्यान होगा मुख्य मंत्री महोदय कि 29 दिसम्बर, 1989 को आपने इसी सदन में दो बातें कहीं। वे दोनों बातें यह थी कि "अगर विधान सभा अध्यक्ष मंत्री बन जाए तो यह विधान सभा का अपमान है और अगर संगठन का अध्यक्ष मंत्री बन जाए तो यह संगठन का अपमान है।" आप दोनों अपमानों के दोषी हो। मामड़ा जी अध्यक्ष थे, आपने उनको मंत्री बनाया, हमारे भाई साहब संगठन के प्रधान बने, अध्यक्ष बनने पर उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया और आपने उनको हरवा दिया। अगर वह बिजली के मंत्री नहीं होते तो बाबू रामजी से भी नहीं हारते न।

राज्यपाल के अभिभाषण में सारा दोष केन्द्र पर डाल दिया गया। यह कहा गया कि बिजली के उत्पादन में केन्द्रीय सरकार के जो प्रावधान हैं वे बहुत बाधक हैं उनमें संशोधन अनिवार्य है लेकिन केन्द्रीय सरकार बिलकुल सहयोग नहीं कर रही और उन प्रावधानों में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं कर रही। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने ही सबसे पहले यह बात उठायी थी कि 100 करोड़ से सीमा 400 करोड़ तक पहुंचा देगें और अपनी मांग के ऊपर केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री साल्वे जी ने 400 करोड़ की सीमा की थी जिसकी वाहवाही आपने महीनों तक लूटी। आपके

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कहने से उन प्रावधानों में परिवर्तन किया गया जिसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और आज एक हजार करोड़ है। अब चूंकि आपके द्वारा 3384 मेगावाट के अनुबंध कर लिये गये और एक भी अनुबंध मेटीरियलाइज हो नहीं रहा है। आप दोष देते हैं केन्द्र सरकार पर कि हमने तो 3384 मेगावाट का लिकेज मांगा था, लेकिन इन्होंने 1415 का दे दिया, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कौनसी राज्य सरकार को उन्होंने पूरा का पूरा दे दिया? आंध्र प्रदेश में यह यूनिट क्यों लगी? कर्नाटक में कैसे लग रही है, उड़ीसा में कैसे लग रही है, तामिलनाडु में कैसे लग रही है? आपके यहां क्यों नहीं लगी?

एक बहाना आपने और बनाया कि डालर की विनिमय दर स्थिर नहीं रही। कौनसे दिन स्थिर रही? रही क्या कभी? मैं तो एक होटल का व्यापारी हूं, रोज रिसेप्शन पर लगाना पड़ता है कि आज यू.एस. डालर की यह दर है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं टू दी पांइट चल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत टाइम ले लिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कतई कुछ नहीं कर रहा हूं। हमें पांच बजे मुख्य मंत्री जी को वहां दिल्ली पहुंचाना है। पहुंचा देंगे, आप फिक्र ही मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे बाद विश्नोई साहब बोलेंगे और विश्नोई साहब के बाद में आदरणीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे बात खतम हो जाएगी। तीन–साढ़े तीन तक तो खेल खतम हो जाएगा।

सोलर एनर्जी की बाबत कितनी लम्बी-लम्बी घोषणाएं आपकी सरकार ने की। क्या हुआ? एनरॉन ने तो एक राकेट टाइप सोलर मोड्यूल वहां पर स्थापित कर रखा है। बाउण्ड्रीवाल तक नहीं बनायी। सन सोर्स वह गुजराती, वह भाग ही गया। पता ही नहीं लगा। तीसरा, एनर्जन, जो श्री लंका की कम्पनी थी, उसने एक किलो मीटर लम्बी चिमनी बनाने की बात की। हमने सोचा देखने का ही मजा आ जाएगा, बच्चों को ले जाएंगे। पता ही नहीं। यह तो आपकी सोलर एनर्जी हुई।

बरसिंगसर के बारे में आपने खुद ने ही बोल दिया कि जो कुछ हुआ आर. पी. मोदी के कारण हुआ। बेच दो सरकार। हमें ही क्या आप तो पूरे राजस्थान को बेच दो। मंजूर है हमें। बिजली का तो ऐसा है साहब, अगर भण्डारी साहब को हटाने से बिजली पैदा हो सकती हो तो हटा दिया, बहुत अच्छा किया आपने, पर बिजली तो पैदा करो चाहे किसी को बिठाओ।

जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में तीन मेगावाट की आपने टर्बाइन लगा रखी है। वर्ल्ड की बेस्ट टर्बाइन है, पॉल सॉइस का

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

इंजन है। वह तो चलाया नहीं जा रही है 35.5 मेगावाट और आप बिजली पैदा कर रहे हैं। गैस पर आज उसी गेल ने, गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने और ऑयल इण्डिया ने आपको यह कह दिया कि हम और गैस देने को तैयार हैं, आप दूसरा लगाओ। छह महीने से कह रखा है कि आप लगाइए इतनी गैस हम देने को तैयार हैं।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, अब इनके पास लगाने को पैसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक से पूरे कंट्रोल में हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है पांच पैसा नहीं देंगे बाबू।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। श्री पूनम चंद जी विश्नोई। कृपया बिराजें। बहुत समय ले लिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पांच मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नो-नो, पांच मिनट नहीं देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या नहीं, नहीं, सर। ऐसा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट बहुत ज्यादा होते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने एक-एक घण्टे बुलाया हैं उन लोगों को। यह गलत बात है। मैं बिलकुल रिलेवेंट बोल रहा हूं। बिजली की समस्या है, कैसे मना कर सकते है आप।

आपके पास पैसा नहीं, वर्ल्ड बैंक देने को तैयार नहीं। उसने कह दिया कि जनरेशन का काम सरकार नहीं करेगी, जनशन काम काम प्राइवेट कम्पनी करेगी। वेस्ट हीट रिकवरी के नाम पर आप यह 35.5 का ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, इतनी ही बिजली वेस्ट हीट रिकवरी से हो सकती है। मतलब यह 70 मेगावाट का हो रहा है। दूसरों के तो ग्लोबल टेण्डर फ्लोट किये, यह किया, वो किया, उन सबको तो एक तरफ छोडिये। मैं तो आपसे यह कहता हूं कि गैस की पुअर क्वालिटी तो है ही वहां पर। जो अन्ता से मिल रहा है वह 90 पैसे के आस-पास मिल रही है, लेकिन वहां रामगढ़ की कोस्ट शायद एक-डेढ़ रुपये से ज्यादा आती है, पुअर क्वालिटी होने की वजह से उसमें डीजल डालना पड़ता है। जब आपके पास आदमी मौजूद था जो रिसोर्सेज डवलपमेंट में मास्टर है वह यहां पर आया, आर.एस.ई.बी. ने उनको लेटर दे दिया। यह लेटर रहा। उसमें लिखा है—

PAN World-wide Incorporated :

"Total capacity of 50 MW in approximately has been accepted. RSEB shall pay a fixed capital of 75 paise per unit. RSEB guarantees the availability factor of 90% PWI will give a discout of

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

5% on the excess capacity generated."

यह लेटर लिखा 8.10.97 को और वह यहां पर आये, आपने यह लेटर लिखा, पी.डब्ल्यू.आई. वाले आये। यू.एस. सेक्रेटरी आफ कामर्स के साथ एक डेलिगेशन में। दिसम्बर में वह डेलिगेशन यहां पर आया था विलियम डेली के साथ। वे आपसे मिले और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले और मिलने के बाद जब वह अपने देश पहुंचे तो वहां से आपके नाम उन्होंने यह लेटर लिखा इस लेटर को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि सदन की जानकारी में भी आ जाएगा।

"Neither of our proposed projects of RSEB successfully passed in 1997 despite a tremendous effort on our side. During the meeting in the presence of Chief Secretary Mr. M L. Mehta, I was told that the State Government would come forward with its decision to my proposal and I would de given all help in my venture. Further more, I was told that I would be informed in a day or two, but my disappointment, I have not heard anyting either from the State Government or from the Rajasthan State Electricity Board. I would be very harsh on my part to let you know my bietter experience with the unnecessary red-tapism and internal issue that have pluked us from the first day. Frankly, we have no interest in the personal politics that out daily within the walls of RSEB and the State Government. The fact remain that neither group seems capable of making decision with a reasonable amount of time."

यह चिट्ठी है और इस चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं गया। जैसे लैला की चिट्ठी का जवाब मजनूं को आज तक नहीं मिला मजनूं तड़फ-तड़फ कर मर गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं। शिक्षा के मामले में कटारिया साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणामों से जो बात छनकर आयी वह यह आयी कि किसी भी शिक्षण संस्था का अगर मूल्यांकन किया जाए तो उसके परीक्षा परिणामों से ही उसका मूल्यांकन होता है। आपके माध्यमिक बोर्ड ने 50 निजी स्कूलों की सूची जारी की है जो प्रथम रहे। हम इतना पैसा खर्च करने के बाद भी राजस्थान का एक विद्यालय ऐसा नहीं बना पाये जिसका रिजल्ट इन निजी स्कूलों के बराबर में हो सकता हो। कहीं न कहीं कसर तो है। हालत यह है इस प्रशासन की, इस प्रदेश की जनसंख्या 4 करोड़ 40 लाख है और राशन कार्डों को अगर आप देखें....

श्री परसराम मदेरणा : 4 करोड़ 40 लाख ? आपको मालूम होना चाहिए यह 5 करोड़ से ऊपर हो गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1991 के बाद जनसंख्या किसने गिनी साहब ।

श्री परसराम मदेरणा : बढ़ रही है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह तो अपन बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं और राशन कार्ड में यूनिट लिखी हुई है । सन् 1991 की बात कर रहा हूं आपसे, अभी की बात नहीं कह रहा हूं । अभी की यूनिट गिनेंगे तो 7 करोड़ तक पहुंच जाएगी, 5 करोड़ 38 लाख की जनसंख्या बतायी है । अब यह आंकड़े आपके सामने हैं । अगर इसके बावजूद भी आपके द्वारा इश्यू किये गये राशन कार्ड को नहीं सुधरवा सकते या इसमें सुधार नहीं करवा सकते तो कर क्या सकते हैं ?

गांवों की हालत यह है, को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब माथे पर हाथ लगाकर बैठे हुए हैं । सब निपट गये आप लोग ।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : आपकी बातें सुनकर सिर में दर्द हो रहा है । अभी तक पूरी+++की है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दर्द का इंजेक्शन भी लगायेंगे । वृद्धावस्था की जो पेंशन मिलती हैं उसके इस सरकार ने अभी तक फार्म ही नहीं छपवाये । आपको पेंशन तक नही मिलेगी ।

श्री सुजानसिंह यादव : आपसे पहले नहीं मरूंगा । अपने कर्मों पर अफसोस करो ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक आपने बहुत अच्छा काम किया । यह जो लाइफ लाइन जो चलायी है उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आये हैं । सस्ती दवाइयां मिलने लगी हैं । 35-35 रुपये में जो पहले थैलियां मिलती थीं ग्लूकोज चढ़ाने की, वह 10-10, 12–12 रुपये में मिलती हैं । लेकिन कई सुधार की जरूरत है । आज भी आपकी मशीनें धूल खा रही हैं । आप पैसे देते नहीं हैं । चिकित्सा के नाम पर वर्ष पूरा चढ़ा देंगे और पैसा देवें नहीं । पैसे दे+++साहब को । बारिश के बाद अगर गड्ढों की एक किलोमीटर सड़क की डेंसिटी नापी जाए तो मुश्किल से 1/10 किलोमीटर आती है और उसके गड्ढे भरने में जो खर्चा होना चाहिए वह मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा 10–15 हजार रुपये का होना चाहिए । लेकिन+++साहब ने झालावाड़ में दो-दो लाख रुपये एक किलो-मीटर गढ्ढे भरने में लगा दिये । दो लाख रुपये लगा दिये । एक लाख रुपये में तो पी.एम.टी. हो जाती है । खुद मुख्य मंत्री जी डग गये हैं । वहां पर हादसा हो गया था । कोई 30–35 आदमी बिजली के तार से अड़ कर जल गये थे । तो जिस रोड से मुख्य मंत्रीजी डग पधारे, आते ही सारे सार्वजनिक निर्माण विभाग को इकट्ठा कर लिया । सारों को इकट्ठा करके कहा कि यह कैसे हुआ । आपने जांच बिठायी । यह आपकी तरकीब बहुत बढ़िया है कि जांच करवाकर के उसकी फाइल अपने पास रख लेते हो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बिराज जाएं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और जहां वह मंत्री गड़बड़ करने लगे, उसको फाइल

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

दिखा देते हो। अब यह ट्रिकें पुरानी हो गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बैठ रहा हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बैठ जाऊंगा एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मजाक तो करो मत और झटाझट बात कहनी हो वह कह दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बात ही तो कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक मामला बड़ा अति महत्व का आया। यह मामला आया कि आर. के. मार्बल वालों को चार खानें दे दी गयीं। आप खुद बता दें कि यह मार्बल पॉलिसी हमने तो बनायीं नहीं, बनायी तो आपने ही है। आक्शन का प्रोवीजन आपने रखा। क्यों नहीं आक्शन करवाये गये? 12 करोड़ की खानें हैं। वह 12 करोड़ रुपये की खानें आपने एक झटके में अलाटमेंट कर दीं। मकराना और मकराना के पास रूपनगढ़, जब आप पधारे थे पांच फरवरी को, क्या हुआ। श्रीमन्, इन बातों का जवाब अभी नहीं, अगले चुनावों के बाद में आपको देना पड़ेगा। आप कितने ही टाल लो लेकिन इस पर जांच बैठेगी कि आखिर यह कैसे हुए। मार्बल पॉलिसी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आपने एक व्यक्ति विशेष को करोड़ों रुपयों का फायदा कैसे पहुंचाया और किस प्रकार से करोड़ों रुपये का इस सरकार को आपने चूना लगाया है। यह जनता का पैसा है। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बुलवाया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का जवाब देने के लिये तत्पर हूं...(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय तो है नहीं (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर. के. मार्बल का मेरे पर आरोप लगाया है 'मेरे पर राज्य सरकार को 12 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आरोप लगाया है तो आप चर्चा में उत्तर दे देना। मैं बोल लूं। (व्यवधान) थोड़ी देर बाद में सरकार की बारी आएगी। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अभी आरोप लगा है, जवाब अभी सुनना पड़ेगा। इस तरह मिथ्या आरोप नहीं लगाये जा सकते। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो आप बैठ जाओ। फिर दे देना जवाब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आप जवाब देते हो तो हमें भी सुनने का मौका देना पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको भी सारी डिटेल सुननी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह दुर्भावना-पूर्ण आरोप है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें माननीय सदस्य। आप बिराज जाएं। आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम बहस को तैयार हैं। इनसे जवाब दिलवाइये, हम बहस को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री पूनमचन्द जी विश्नोई। माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : स्थगन प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन है, चर्चा करा लीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरोप लगाने की पूर्व सूचना इनको देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चर्चा करवा लीजिये, तैयार हैं हम। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : +++

श्री कैलाश मेघवाल : आर. के मार्बल को चार प्लाट मैंने दिये हैं (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपका कोई स्वार्थ नहीं था तो करोड़ों रुपयों की खानें फ्री फण्ड में दे दीं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : नियम के अन्तर्गत जो मुझे विवेक मिला हुआ है उसके आधार पर दिये हैं और मैं यह कह सकता हूं (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : किस आधार पर दीं ? (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : न केवल राजस्थान, न केवल हिन्दुस्तान (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : स्थगन प्रस्ताव हमारा विचाराधीन है, आप उस पर चर्चा करवा लीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस पर पूरा डिस्कशन करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल और नियमों के आधार पर.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप इसका स्पष्टीकरण करें पर पूरी चर्चा करायें (व्यवधान) और माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनको आप कार्यवाही से निकलवायें। पर अगर हिम्मत है सरकार में, हम एक-एक आरोप को सिद्ध करेंगे और चर्चा करायें। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : इनकी अनर्गल आरोप लगाने की आदत पड़ गयी है और इस आदत को कहीं न कहीं प्रतिबंधित करना पड़ेगा+++(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++

श्री कैलाश मेघवाल : +++

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++ आपको हटाना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : हटाने वाली बात छोड़ो। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्तियां अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सुनने का कष्ट करो। ऐसी बातें करने के आप आदी हो गये हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बात का जवाब दीजिये, करवाइये चर्चा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री कैलाश मेघवाल : तैयार हूं चर्चा करने के लिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम भी तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : एक–एक .... (व्यवधान) तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपस में.... (व्यवधान)... इसलिए इनको बाहर निकालो दोनों को। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इस तरह के असत्य आरोप स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। (व्यवधान)प्रतिपक्ष के नेता, राज्य के हित में कई निर्णय लिये जाते हैं। (व्यवधान) उससे कई पार्टीज लाभान्वित होती हैं। (व्यवधान) लेकिन इस तरह के अनर्गल आरोप आपकी पार्टी से लगाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मार्बल पालिसी निकालिये और उसको पढ़कर सुनाइये। (व्यवधान) बस उस लाइन को पढ़ दीजिये। अगर उसमें यह नहीं लिखा हो कि वगैर ग्रॉक्शन के काम नहीं हो सकते तो मैं मेरे आरोप वापस लेने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान) पढ़िये आप। (व्यवधान) राज्य के हित में लिये गये हैं या जेबों के हित में लिये गये हैं ? (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह जो आरोप लगा है इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने दे दिया स्पष्टीकरण। (व्यवधान)

श्री कुबेर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमैंट दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भोमजी के परिवार को (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी के जवाब के बाद में एक स्टेटमैंट दिलवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : सुनने का माद्दा रखिये थोड़ा। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं उसको सुनने का आदी नहीं हूं। मैं मंत्री पद को मेरे सम्मान से ऊपर नहीं मानता हूं। (व्यवधान) अगर मेरे सम्मान पर आंच आये और जो अधिकार मुझे मिले हुए हैं उन अधिकारों के प्रयोग में कहीं पर भी मेरा कोई निर्णय न्यायोचित नहीं है तो मैं इस पवित्र पद को छोड़ सकता हूं लेकिन इस तरह के असत्य आरोप स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। (व्यवधान) पूरी तरह

(श्री कैलाश मेघवाल)

जांच के लिए तैयार हूं। आरोप लगाने की आदत पड़ गयी। अनर्गल आरोप लगाते हैं। (व्यवधान) जिन्होंने जिन्दगी भर....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक काम कीजिये। सदन की कमेटी बना दीजिये जांच करने के लिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाउस की कमेटी बना दीजिये। (व्यवधान)

श्री ज़ुबेर खान : सदन की समिति का प्रस्ताव रख दीजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप क्या करते हैं (व्यवधान) जिन्दगी में हम क्या करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको बिठाओ साहब। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपकी करतबों को भी जानता हूं। (व्यवधान)

श्री ज़ुबेर खान : यह असत्य कह कर नहीं डरा सकते। (व्यवधान) सदन की समिति बनाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, उस कुर्सी पर मैं भी 10 साल रहा हूं लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से +++ होता है नियमों का सदन के संचालन में, उसके लिये मुझे बड़ा अफसोस है। गवर्नर का भाषण होता है, वह सर्वोच्च होता है। कोई जमाना नहीं बदलता। न झूठी चीज जमाने के साथ में सच्ची हो सकती है नई होने से और न पुरानी सच्चाई है वह झूठ बन सकती है। जो सत्कर्म है वे सत्यकर्म रहेंगे और दुष्कर्म दुष्कर्म ही रहेंगे। ठीक है, सभ्यता बदलती है, संस्कृति धीरे-धीरे बदलती है। उनकी गहराई में आप जाना छोड़ो। सर्वोच्च प्राथमिकता का होता है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद अर्पित करना। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस विषय के ऊपर पांच दिन की चर्चा रखी गयी थी, उस पर दो घंटे भी बहस नहीं होने दी। सरकार अपने कार्यकलापों का लेखा-जोखा रखती है और भविष्य में वह क्या करना चाहती है, वह राज्यपाल महोदय के मुख से कहलवाया जाता है। पांच दिन व्यर्थ ही +++ में निकाल दिये। मैं आपको कहता हूं, अपना मुंह देखना लोग पसंद नहीं करेंगे कि अपन सभा के सदस्य हैं। इतना गरिमामय सदन (व्यवधान) आप मत बोलो बीच में। हम चार-चार लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम पांच करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। यहां पर जो खास बातें होनी चाहिए, वही बातें होनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई सुझाव हो, जो शासन की त्रुटियां हों, आप अगर कोई सुधार करना चाहो तो वह देने चाहिए। +++ इस तरह के व्यर्थ के +++ के अन्दर समय व्यतीत करना और धन

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

व्यतीत करना, मैं समझता हूं, यह उचित बात नहीं है, अच्छा कर्तव्य नहीं है। अब मैं अपनी मुख्य बातों पर आ जाता हूं।

मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिलाया है उसमें कांग्रेस राज में और अपने राज की उपलब्धियों का मुकाबला मात्र करके यह दिखाने की कोशिश की है कि वह इतना रुपया खर्च करते थे और हम इतना करते हैं। हमने यह योजना बनाई, वह बनाई। देखिये, मान्यवर, रुपया न तो आप अपनी जेब से लाकर सरकार में जमा कराके खर्चा करते हैं और न हम लाकर के खर्चा करते हैं। जनता का पैसा है, जनता के ऊपर अगर समझदारी से खर्च करें या घर-गृहस्थी में भी समझदारी से खर्च करें तो बैंक डिपोजिट करवाएंगे और फिक्सड एसेट्स या जमीन–जायदाद खरीदेंगे। लिपिस्टिक, पाउडर, मनोरंजन, नाच, क्लबों में खर्च कर देंगे तो वह फकीर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि इसका उपयोग, आपने यह नहीं किया, हमने यह कर दिया, यह नहीं है। लकीर के फकीरपने को हमको छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो चीज आज से 10 साल पहले महत्वपूर्ण थी वह आज महत्वहीन हो गयी है। जो 10 साल पूर्व उसका इलाज था, आज वह इलाज बेइलाज हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने आंकड़े बताये कि 1987 में इतना था, 1984 में इतना था, यह आपको याद दिला दूं, आप तो शुरू से इस सदन में बिराजते हैं, जब राजस्थान का गठन हुआ था उस वक्त राजस्थान पूरे का बजट था 16 करोड़ रुपये और इस साल का अनुमानित बजट, क्योंकि मायाजाल में इतने बूढ़े आदमी को पता नहीं लगता, 16,000 करोड़ का इस साल का बजट है। परसराम जी साहब विराजे हैं, मैं बैठा, खेतसिंह जी यहां बैठे होंगे, थर्ड क्लास में भर्ती होने के लिये इनको 80 मील जाना पड़ा जोधपुर में, खेतसिंह जी को 70 मील और मुझे 20 मील जाना पड़ा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल नहीं थी और दूसरी तरफ लोहावट नाम का गांव है जोधपुर में, उसमें आज 31 प्राइमरी स्कूल, 8 मिडल स्कूल, एक सैकण्डरी स्कूल और एक हायर सैकण्डरी स्कूल है। यह दुनिया है, दुनिया तो राकेट में जाए और आज आप सोचते हैं कि हम तो उसी अवस्था में रहते, यह सम्भव थोड़े ही है। जब इतना बजट बढ़ा है, दिनों–दिन बढ़ता है। आप जानते हैं कि पहली योजना पूरे भारत की 2079 करोड़ रुपये की थी और इस साल में राजस्थान की आप अब की यह योजना 27,000 करोड़ रुपये की बनाने जा रहे हैं। यह तो स्वाभाविक है, होगा ही। यह नहीं कि दुनिया तो राकेटों में घुमे और अपन घोड़े और हाथियों पर जुलूस और सवारियां निकालें, वह थोड़े ही होगा। समय परिवर्तित हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लकीर के फकीर का जो तरीका है, उसको छोड़कर जो परिस्थिति है उसके अनुकूल बजट को ढालो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल कुछ उदाहरण दिये थे, मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं। एक्सीडेन्ट्स से रोजाना राजस्थान में 50 लोग मरते हैं, महीने में 1500 और साल में 18000। भारत–पाक के 2–3 युद्ध और भारत–चीन में युद्ध में इतनी केजुअलटी, इतने लोग नहीं मरे है,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इतने सैनिक शहीद नहीं हुए हैं जितने यहां मरते हैं। क्या आपने बजट में कुछ उपचार बताये हैं, कुछ संकेत दिये हैं या इसी तरह से मरते रहेंगे। क्यों नहीं आप ऐसा करते? कोई सड़क की नीति बना रहे हैं कि हम पंचायत तक जोड़ देंगे। मान्यवर, ग्रेवल की भी सड़क बनती है, वह सस्ते में बनती है। लेबर इंटेसिव है। डामर की सड़क है तो वह कहां बननी चाहिए? एक सिंगल लेन की डामर रोड की मेरे वहां पर कीमत है 9 लाख रुपये प्रति किलोमीटर और जाम्बा गांव से मोटई तक 8 किलोमीटर की दूरी है। मैं वहां डामर से ले जाऊं, क्या मतलब है? जब ग्रेवल वहां पर है और उसको वह बना दे। दूसरी तरफ जहां इतने एक्सीडेन्ट होते हों लेकिन सड़कों की पूरी व्यवस्था नहीं है। चार लेन, छह लेन, यह आप क्यों नहीं योजना बनाते? जब इतने लोग मरते हैं, शहरों में इतने एक्सीडेन्ट्स हो रहे हैं तो ओवर ब्रिज, अण्डर ब्रिज और सड़कों के ऊपर सड़कें जैसे विदेशों में हैं, यह आपने कभी सोचा ही नहीं कि इतना हो रहा है।

आज किसी के, जैसा मैंने कल कहा, आपके और मेरे घर में, खैर अभी तक तो क्या है कि भाई है, वह नहीं कब्जा कर लेंगे, आपके घर में आकर कोई यूं ही बैठ जाए, आप इस जिन्दगी में इस न्याय व्यवस्था से अपनी उम्र में वह मकान खाली नहीं करवा सकते। यह फैसला होगा कोई जाकर 25 साल बाद में। आज किसी के खेत में कोई बैठ जाएं तो इस जन्म में उसका फैसला कानून से नहीं हो सकता। 20 और 25 साल पहले कत्ल हुए हैं. उनका अभी तक फैसला नहीं रहा है। "Justice delayed is justice denied." महोदय, इस पर आपने कुछ विचार किया है, उस पर कुछ आप करने जा रहे हैं कि नहीं या यह आंखों से ओझल है? हम तो पड़ गये 60 पुरुष के कुए में, आप फिर 60 से 120 पुरुष के कुए में पड़ना चाहते हो क्या? सोचने की बात यह है कि आज जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार हमको इस बजट को ढालना चाहिए और करना चाहिए। अदालतों की संख्या बढ़ाओ, कोर्ट्स को और ज्यादा करो। सड़कों का है तो छोटी छोटी जगह सड़क बनाओ। मेरे छालियों को दूध-दही पाऊं और बाकी को आवे तो लाठी की मचाकाऊं", यह फिलोसोफी छोड़कर किस तरह से एक्सीडेन्ट्स हो रहे हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस बात को करना चाहिए।

मुझे बहुत अफसोस है, प्रथम दायित्व है सरकार का न्याय व्यवस्था अच्छी करना तो उसकी हालत मैंने आपको बता दी कि इस जन्म में तो संगीन अपराध का निपटारा कभी हो नहीं सकता। दुर्घटनाओं से आप बचा नहीं सकते। इन सबका कारण क्या है? बढ़ी हुई आबादी। हमने थोड़ी ताकीद की और वोटों से डर गये तो सबने वह छोड़ दिया। मैं अकेला था, 1977 में पार्लियामेंट का केन्डीडेट था कांग्रेस का और आप इतना ही इशारा करते थे कि यह कर देंगे आपरेशन और मैं कहता था, न चीन दुश्मन है और न पाकिस्तान दुश्मन है, असली दुश्मन है अपनी बढ़ती आबादी जो बरबाद हो जाएगी, मिट जाएगी, किसी कीमत पर इसको करना चाहिए। लोग बोले हैं वोट कटते हैं। मैंने कहा वोट कटते

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हैं तो जाने दो, हालांकि वोट मेरे कुछ नहीं कटे। सख्ती से आप अगर आबादी पर नियन्त्रण नहीं करते हैं तो 20–25 साल में पृथ्वी उजड़ जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। मेरे देखने में है, आप जिस बंगले में रहते हैं उसमें मैं भी रहा हूं 10 साल। वहां कम से कम मेरे साथ 15 सियार रहते थे उस बंगले में। सोडाला में दो जरक रहते थे, हाइना। आज जहां कहीं भी जयपुर के आसपास आबादी बसी हुई है, न वहां चूहा रह सकता है, न गोह रह सकती है, न सियार रह सकता है, न कोई नेवला रह सकता है, कोई जानवर नहीं रह सकता है। मक्खी आवे तो उसको छिड़ककर मार दे? मच्छरों को छिड़ककर मार दो, सब जीव-धारियों को खतम कर दो, परन्तु ये सब जीव एक श्रृंखला से बंधे हुए हैं। इंसान भी नहीं बचेगा, खतम हो जाएगा प्रदूषण के कारण। आज हवा का प्रदूषण है, आज पानी का प्रदूषण, पृथ्वी का प्रदूषण, यह सब हो रहा है। इसके कारगर उपाय नहीं होते हैं तो हमारा भविष्य बहुत अन्धकार-मय है।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी उपलब्धि बताई है, एक्सेस डिमाण्ड ली है। पी.एच.ई.डी. की सौ करोड़ की। मैं तीस साल से, जब इन्द्रकुमार जी थे या भार्गव साहब थे हमारे जोधपुर के चीफ इंजीनियर, उस वक्त मैंने एस्टीमेट कमेटी में एग्जामिन किया, मैंने कहा आप तालाबों का क्यों नहीं संरक्षण करते, इनको बढ़ावा क्यों नहीं देते? कहा कि नहीं, और हम भी सब मानने लगे कि ट्यूब वैल हो तो हमको वोट आसानी से मिलेगा। आज हालत क्या हो रही है? कल मैंने उदाहरण दिया था। पांच साल बाद में पश्चिमी राजस्थान में भूजल नहीं रहेगा, खेती उजड़ जाएगी, पाताल खाली हो जाएगा। भू-संरक्षण और जल संरक्षण, ये करते हो, तो एक एकड़ में, जैसे मैंने कल कहा था, एक एकड़ में एक इंच बरसात होती है तो 25 हजार गैलन पानी पड़ता है। पांच इंच मिनिमम है, शाहगढ़, जैसलमेर में, वहां भी सवा लाख गैलन पानी पड़ता है। इसको हार्वेस्ट करो, पानी वहां का वहां मेरे गांव के पास मदेरणा साहब पधारे हुए हैं, एक छोटी सी नाकरी है, गांव का तालाब बड़ा है, दो इंच बरसात हो जाए तो सब पानी पीते हैं। ट्यूबवैल पर दस हजार मवेशी आ गये निष्क्रमण करते तो कहां पानी पिलाओगे उनको? वन्य प्राणी कहां पानी पिएंगे, ट्यूबवैल पर? यह यथार्थ से हट कर के जो योजना ट्यूबवैल वाली है, बहुत ही निरर्थक है। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर इन्जेक्शन इन टू और जितना ड्रा करते हो, इस ओर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए और तीन साल से+++के बाद में भी, ठीक है वह तो शिवारमन साहब, आई.सी.एस. अफसर होते हुए मैंने ऐसे बुद्धिमान बहुत कम देखे हैं, उन्होंने+++ने खोद दिया, वे काफी खतम हो गये लेकिन फिर भी पुनरुद्धार उनका हो सकता है।

सिंचाई की जो पद्धति है, कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, अब फ्लो इरिगेशन का जमाना चला गया। आपने शुरुआत की है, मैंने बधाई दी थी, खेती के

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भी आधुनिकतम तरीके हमको अपनाने पड़ेंगे। खेती की एक बात बता देता हूं कि दुनिया का सबसे दीवालिया धंधा खेती हैं और सबसे दीवालिया इन्सान किसान है। यह मैं आपको बता देता हूं। ठीक है किसी का परिवार बढ़ा नहीं हो, तो उजले कपड़े पहनेता होगा लेकिन खेती से कोई भी मालदार नहीं हो सकता सिवाय इसके कि उसमें जागीरदारी हो या जमींदारी हो। खेती का धंधा लाभ का तब है जब साथ में पशुपालन हो। पशुपालन में जैसे हमारी कम्युनिटी है तो हम भेड़ रख नहीं सकते, बकरी रख नहीं सकते, मुर्गीपालन कर नहीं सकते, शूकरपालन कर नहीं सकते, हम केवल गाय, भैंस और ऊंट रख सकते हैं जो रोज का डेढ़ सौ रुपया खर्चा खाता है चाहे दूध दे और नहीं दे दूध पर हमारी आर्थिक स्थिति निर्भर है। दूध की हालत यह है, एन.डी.डी.बी. ने जब चार्ज लिया, उन्होंने कहा कि आप अगर चुनाव नहीं कराते हो यूनियनों के तो हम आपकी एड बन्द कर देंगे जो वहां से आती है। अब वह क्या है कि एक इम्पीरियल पावर बन गयी है और अपने को उपनिवेश मान कर चल रही है। रानीवाड़ा और धानेरा, यह डेरियां दोनों लगी हुई हैं और दस किलोमीटर का फासला है। रानीवाड़ा में एक लीटर का किसान को साढ़े बारह रुपया मिलता है और राजस्थान में मेक्जिमम साढ़े सात रुपया मिलता है। जब डेयरी दी गयी थी इनको, उस वक्त 38 करोड़ का घाटा था, यह घाटा इस साल सौ करोड़ का हो गया है। पहले आई.ए.एस. लगे थे उनके खिलाफ चार्ज थे कि इन्होंने ओवर-स्टाफिंग कर दिया, रिश्तेदारों को भर लिया। खैर भर लिया होगा, कर लिया होगा, लेकिन अब एक आई.ए.एस. वाला तो नहीं रहा लेकिन चालीस-पचास बड़े-बड़े अफसर, आई.ए.एस. की तो फिर भी ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण और गहराई से होती है, वे यहां छाती पर चालीस–पचास लाकर बैठा दिये। अब आपसे एग्रीमेंट चाहते हैं। किसानों का गला घोट कर, शोषण करके यह एग्रीमेंट और यह सब घाटा पूर्ति करना चाहते हैं। यह इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी है, हम इसका आखिर तक विरोध करेंगे, मैं आपसे अर्ज कर देता हूं, क्योंकि पशुपालन के ऊपर हमारी आर्थिक व्यवस्था, 73 प्रतिशत किसानों की आर्थिक स्थिति कृषि और पशुपालन, इन दोनों के साथ जुड़ी हुई है।

शिक्षा, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात जब देश आजाद हुआ तब होने लगी। लक्ष्मण स्वामी मुदेलियर आयोग और डॉ. राधाकृष्ण आयोग, युनिवर्सिटी के लिये तरह तरह के किये लेकिन आखिर में "ढ़ाक के दो के दो पात"। हम बहुत लम्बे समय तक गुलाम रहे, हमारी प्रवृत्ति गुलाम की है, एक सरकारी अधिकारी अगर क्लास फोर्थ सर्वेंट भी है तो उसके पक्का मकान है और वह बीच में बैठता है और कितना ही बड़ा अगर साधारण नागरिक है तो वह नीचे रहता है उसके। इसलिए इम्पीरियलिस्ट गुलामी के कारण सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम अफसर बनाने के लिये, और अफसर भी ऐसा जिसमें खूब ऊपर की आमदनी हो, वह अफसर बनायें। इसलिए दसवीं में फेल हो गया, तीन बार में पास हुआ तो चौदहवीं में जाएगा, सोलहवीं में जाएगा और आखिर में वह तो नौकरी के लिये पढ़ाया था, खेती का काम

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कर नहीं सकता, तगारी उठाकर मजदूरी कर नहीं सकता। उनमें कोई संस्कार, संस्कार विहीन गुड्डा या रोबोट जो होता है वह हम पैदा कर रहे हैं। हमको मूल में जाना पड़ेगा और शिक्षा के साथ हमारी जो महान संस्कृति है इस देश की, उसको जब तक नहीं जोड़ेंगे और यह ऊंच-नीच के भेदभाव और सरकारी अधिकारी बड़ा और दूसरा नीचा, यह भावना नहीं निकलती है और वह पढ़ाई आज की बिलकुल थोथी और निरर्थक, गुणविहीन, "पढ़िया पर गुणिया नहीं", मतलब पढ़ तो लिया, अक्षरबोध तो हो गया लेकिन गुणवान नहीं बना, वह पढ़ाई है। इसकी तरफ आपने कोई ध्यान दिया है नहीं। राज्य का चौथाई बजट अकेली शिक्षा में जाता है लेकिन परिणाम क्या हैं? बूढ़ों को शिक्षा दे रहे हैं, दस्तखत करवा रहे हैं। हम ऐसे आदमियों को कहते थे कि यह खोटे खातों में साख डालने के लिये ठीक है। किसी का महाजन का खोटा खत है तो कि भाई इस बूढ़े ने अंगूठे दिये थे. कि हां, मेरे सामने साख एक फलाने ने डाल दी। यह व्यर्थ में करोड़ों अरबों रुपये खर्च करना, दो-दो पुए और सस्ती-सस्ती साड़ियां, यह क्यों भिक्षावृत्ति आप फैला रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ें,उस तरह की आपको व्यवहारिक योजनाएं बनानी चाहिए और यह भिक्षावृत्ति की मनोवृत्ति हमारी कभी नहीं रही है उस मनोवृत्ति से हमको छुट्टी लेनी चाहिए।

पांच दिन तक यहां अव्यवस्था रही पुलिस से शिकायत के कारण। किसी एम. एल.ए. की पिटाई कर दी, किसी मुकदमे की सुनवाई नही हुई, यह नहीं हुई, वह नहीं हुई, पुलिस में खराबियां हैं, पुलिस में भ्रष्टाचार है, पक्षपात है। कई-कई तरह की खराबियां जो बताई जाती हैं वास्तव में वह खराबियां हैं और इनका इलाज ही एक है कि हम सख्ती से लड़ें। लेकिन अगर कोई मुझें कहे कि इतने डिपार्टमेंट हैं इनको नम्बर वन का आपकी दृष्टि में एफिशिएंट डिपार्टमेंट कौन सा है, मैं नम्बर वन पुलिस को दूंगा। क्यों दूंगा? सब दुनिया का भ्रमण मेरा किया हुआ है। संसार के महान देशों की राजधानी, जहां भी अम्बेसेडर वगैरह रहते हैं वहां कोई आदमी रात को या दिन को सौ गज या दो सौ गज पैदल जाकर के वापस नहीं आ सकता। हमारे यहां पर औरतें आधी रात को सोने से लदी हुई चलती हैं। हम आराम की नींद सोते हैं। बाढ़ आ जाए आपत्ति आ जाए, आग लग जाए, झगड़ा हो जाए, तत्काल वह मौके पर पहुंचती तो है। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि हवाई जहाज में पुलिस रहती है,वायरलैस से कनेक्टेड है, उनका दावा है कि हम पांच मिनट के अन्दर घटनास्थल पर पहुच जाते है। लेकिन वहां चोर इतने होशियार हैं कि दो मिनट के बाद में उनका पता ही नहीं लगता कि वे किधर चले गये। यह हकीकत है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। पुलिस के एक अफसर मेरे क्लास फैलो थे, मित्र थे, पक्के वे पहले आदमी थे जिन्होंने आई.पी.एस. का एग्जामिनेशन पास किया राजस्थान से। वे गये स्कॉटलैण्ड यार्ड ट्रेनिंग पाने के लिये। मैंने पूछा, भइया जी, क्या ट्रेनिंग पाकर आये, बोले कि कई विधियां हैं, हाथ की ढूंढने की भी है, फोर्जरी, फलानां, डिमका। मैंने कहा कि कोई लुच्चा है और वह माने ही नहीं, सच नहीं बोले तो,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कि अल्टीमेट यंत्र तो डंडा ही है वहां भी। पुलिस को दुर्भाग्य से यह करना पड़ता है। एक्सेस भी हो जाती है, शर्मनाक बात है। पहले थानों में मृत्यु नहीं होती थी। ये पीटना भी मतलब पुलिस को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कि कह मारे, ये माथे में ठोक दे लाठी की तो आदमी तो मर जाए। क्या है कि बहुत खामियां हैं, भ्रष्टाचार है, जातिवाद है लेकिन एक बात के लिये बधाई देता हूं कि दो मामलों में इनमें इम्प्रुवमेंट देखा है। एक तो जो सलेक्शन होता हैं, बाई एण्ड लॉर्ज 90% चाहे कांस्टेबल का है और चाहे सब इस्पेक्टर्स का हो, फेयर होता है यह मैं आपको बता देता हूं। हमारे टाइम में भी काफी पक्षपात होता था लेकिन अब बिना सिफारिश वाले ज्यादातर मेरिटोरियल लोग आ जाते हैं यह मैं आपको बता दूं। यों तो सिफारिश नहीं चले तो फिर मतलब ही क्या है। अमेरिका का भी राष्ट्रपति सफल वह ही है जो मेग्जीमम नेपोटिज्य और फेवरेटिज्म कर सके। तो यहां भी यह चलेगा।

कुछ बातें हैं, आप तृणमूल के व्यक्ति हैं और इसका आपने दुर्भाग्य से विरोध किया लेकिन फैमिली प्लानिंग को कम्पलसरी बनायें नहीं तो कोई अगर धर्म का बहाना करते हैं। जब मानव समाज और प्राणी मात्र ही इस संसार में नहीं रहेगा तो धर्म किसका जाएगा और किसका रहेगा? कौनसा धर्म होगा जो मानव और जीव मात्र का सर्वनाश देखकर पृथ्वी को उजाड़ दे? वह कौनसा धर्म हैं? ऐसा कोई धर्म हो नहीं सकता, न ऐसा धर्म का संदेश हो सकता है। आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

(14.22 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने मुझें कल सहमति दी थी कि 5-7 मिनट के लिये अपने विचार रखूंगी। आप मेहरबानी करके मुझे समय दीजिए। आपका खुद का निर्णय किया हुआ हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्रीमती कमला : मैं आपसे खड़े होने के लिये तो माफी चाहती हूं लेकिन सिर्फ 5-7 मिनट बोलूंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरे बाद में बोल लेना मैं आपका जवाब दे दूंगा।

श्रीमती कमला : आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आप तय करके फिर वापस हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, अब होने दो आज।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : मुख्य मंत्री महोदय, आपको तो 5.00 बजे तक रिप्लाई देना है। अभी तो बहुत समय बाकी बचा है।

श्रीमती कमला : ऐसा है, पांच मिनट के लिये ही निवेदन करूंगी, उससे ज्यादा समय नहीं लूंगी··· (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में बोल लेना···(व्यवधान)····

श्री मगराज चौधरी : नहीं, पांच बजे बाद आप····(व्यवधान)··· बाद में बोलने वाली बात आपने नहीं कही ।

श्रीमती कमला : पांच मिनट के लिये आपका खुद का दिया हुआ निर्णय है, परमीशन दी हुई है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह देना बाद में । बाद में बोलते रहेंगे । ऐसी क्या बात है ?

श्री मगराज चौधरी : मुख्य मंत्री महोदय, आपने यह कहा था कि पांच बजे तक मुझे अपना रिप्लाई पूरा करना है । पांच बजने में अभी समय बहुत बचा हुआ है । हमारी पार्टी की ओर से कुछ और नाम दिये हुए हैं । कृपया उन्हें बोलने का मौका देवें ।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद में बोलेंगे ।

श्री मगराज चौधरी : नहीं, वह अलग मौका आएगा । अभी तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर हम बोलना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री मगराज चौधरी : नहीं, समय तो बहुत बाकी है ।

I fail to understand why are you taking unnecessary so much time particularly when so much time in lift.

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री मगराज चौधरी : अभी तो बहुत समय बचा हुआ है ढाई बजे हैं ।

श्री अध्यक्ष : जीरो ऑवर और होना है ।

श्री मगराज चौधरी : जीरो ऑवर में तो आप बहुत लिमिटेड समय देते हैं न, Very limited time is given in zero hour.

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा में भाग लिया उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं । यह बात सही है कि जैसे विश्नोई साहब ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जिस प्रकार की गम्भीर चर्चा होनी चाहिए थी उसके लिये समय नहीं रहा । मैं विश्नोई साहब आपकी बात से सहमत हूं, पर साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही सहमत नहीं हूं बल्कि जितने भी पुराने सदस्य हैं, विधान सभा के कार्यकाल का जिनको अनुभव है, वे सभी इस बात से सहमत होंगे कि सदन का ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे विषयों की चर्चा पर लगाया जाए जिनका सम्बन्ध सीधे जनता से हो, जिनका सम्बन्ध राज्य की विकास योजनाओं से हो और जिनका सम्बन्ध राज्य की बहबूदी से हो । लेकिन कुछ परिपाटी पूरे देश में ही इस प्रकार की बन गयी कि हम उन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाते बल्कि ऐसे विषयों को लेते हैं जो एक व्यक्ति से सम्बन्धित हो, या एक व्यक्तिशः काम से सम्बन्धि हों । उस प्रकार की चर्चा का सार्वजनिक रूप से न तो कोई स्वागत होगा और न उसका किसी प्रकार से इस राजस्थान की जनता को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लाभ होगा। मैं समझता हूं कि आपके उद्देश्य को माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से समझा होगा और भविष्य में इस प्रकार का ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की चर्चाओं में ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर मिले और हम अपने विचार रख सकें।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं चुनावों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा आप सब लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा जिस समय चुनाव के परिणाम निकले मैंने बिना किसी संकोच के इस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब इस चुनाव को लेकर मैं तो ऐसा समझता हूं वो इंग्लिश में एक कहावत है। Magnanimity in victory and humility in defeat.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ह्युमिलिटी भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ह्युमिलिटी भी है। आप भी सही होंगे। मैं भी सही होऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : ह्युमिलिटी तो आपने दिखाई है पर चर्चिल ने तो यह कहा था–victory magnanimity, defiance in defeat.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं मैंने यह कहा था की विक्ट्री में मेग्नानिमिटी शो करनी चाहिये। डिफाइंस नहीं। मैंने ह्युमिलिटी कहा था कि डिफीट को ह्युमिलिटी के साथ स्वीकार करना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : ... and resolution in war. तीन बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि। 1952 से मैं इस राज्य विधान सभा में आया हूं। 1952 से लेकर चुनाव की दृष्टि से कितने ही उतार-चढ़ाव देखे हैं और उन उतार-चढ़ावा में जिस प्रकार का समय-समय पर परिवर्तन आता गया है उसको मैंने भी अनुभव किया है और माननीय सदस्यों ने भी अनुभव किया होगा। लोक सभा के चुनाव और विधान सभा के चुनाव पहले एक साथ होते थे इनको डिलिंक किया गया। डिलिंक करने के पीछे एक परपज था। परपज यह था कि राज्य विधान सभा के चुनाव और लोक सभा के चुनाव इनके मुद्दे अलग-अलग होते हैं।

श्री विष्णु मोदी : यह परपज नहीं था साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बीच में टोके मत।

श्री विष्णु मोदी : यह परपज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जबरदस्ती परपज था कि नहीं था यह क्या मतलब हैं इस बात का? मुझे मालूम है कि परपज था यह। यह परपज था कि मुद्दे अलग-अलग हैं। और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसको डिलिंक किया था और उस समय डिलिंक करने के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिये उन वक्तव्यों में एक बात आयी थी कि विधान सभा और लोक सभा के मुद्दे अलग-अलग हैं और जनता की अभिव्यक्ति लोक सभा के मुद्दों पर लोक सभा के चुनावों में ही हो सकती है। यह अभिव्यक्ति लोक सभा और विधान सभा के चुनाव साथ कराये जाएं तो नहीं हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकती है। हमारी पार्टी ने उसका विरोध किया था और विरोध किया था इस दृष्टि से कि लोक सभा के चुनाव और विधान सभा के चुनाव यदि अलग-अलग किये तो खर्चा बहुत होगा। सरकार का भी खर्चा होता है और जनता का भी खर्चा होता है। उसका कई सदस्यों ने विरोध किया, कई सदस्यों ने उसका समर्थन किया लेकिन डिलिंक इस बात को लेकर किया था कि मुद्दे अलग-अलग हैं। अब डिलिंक करने के बाद लोक सभा में आपकी जीत हो गयी और जीत के कारण से मैं तो समझता हूं कि आप में अहम् पैदा हो गया। भगवान करे इसी प्रकार का अहम् आप में बना रहे। अहम् बना रहे यह बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप में अहम् बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आज भी कोई बात आई तो मैंने अहम् की बात नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : इश्यू अलग हुए न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें चपला यों हुआ कि ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि ..

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो एडवरटाइजमेंट निकाले कि "हमको यहां परखा है", राज्य सरकार के कामकाज को, "ऐसा ही दिल्ली में परखो" तो उन्होंने परख लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि आप सब लोगों को ध्यान होगा....

श्री परसराम मदेरणा : यह एडवरटाइजमेंट राजस्थान में सबसे ज्यादा आया है। कोई अखबार नहीं राजस्थान का जिसमें यह एडवारटाइजमेंट नहीं आया हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है। मैं आपको याद दिलाता हूं 1977 का चुनाव हुआ था, 1977 के चुनाव के पहले समाचार-पत्रों के आधार पर, मेरे पास कोई आई. बी. की रिपोर्ट नहीं है लेकिन आई.बी. ने यह रिपोर्ट दी थी कि इस समय चुनाव करा दिये जाएं तो कांग्रेस के लिये सबसे बढ़िया समय यही है। उस आई.बी. की रिपोर्ट के आधार पर आपने चुनाव कराये और चुनावों में जो भाषण हुए, उन भाषणों से ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को उस आई.बी. की रिपोर्ट पर यह अन्दाज हो गया कि विपक्ष का अब के तो कहीं ठिकाना ही नहीं। उसी तरह के जैसे आप कह रहे हैं पेम्पलेट्स निकले, उसी तरह के पोस्टर्स निकले, उसी तरह का घोषणा-पत्र जारी हुआ और उसी तरह से नेताओं के प्रवास हुए। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट में सफाया हो गया, एक सीट। उसके बाद में चुनाव हुए 1980 में, 1984 में चुनाव हुए। हम भी जोर-शोर से 1984 के चुनावों में भाषण देते थे कि हमारी स्थित बेहतर होगी। हम भी साथ हो गये। फिर नम्बर आया 1989 में और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(14.31 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

1989 के अन्दर जिस समय चुनाव हुए उस समय आप लोग भी बड़े जोर-शोर से बोल रहे थे। हममें निराशा नहीं थी कि हम 1984 के अन्दर या 1985 में चुनाव हुए उसमें पराजित हो जाएंगे, बुरी तरह से पराजित हुए लेकिन नतीजा क्या निकला? हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। यह जो नतीजे आते हैं चुनाव के, उन चुनावों....

श्री परसराम मदेरणा : 1984 में आपको एक नहीं मिली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कह दिया न, मैंने खुद ही मन्जूर कर लिया। 1989 में आपको नहीं मिली और 1989 के बाद में फिर 1991 में चुनाव हुए। 1991 के चुनावों में वोटों का परसेंटेज हमारे पक्ष में ज्यादा था लेकिन सीट बराबर आयी या एक सीट हमारी कम आयी। परसेंटेज हो चाहे कुछ भी हो, इन स्थितियों में यह देखना पड़ेगा कि चुनाव के नतीजों को लेकर आप विधान सभा के बारे में यह चर्चा करें कि सरकार निकम्मी हैं, यह निकम्मी हैं या वो निकम्मी है या मन में ही सोच लें कि क्या इस प्रकार का कहना उपयुक्त होगा? मैं समझता हूं यह उपयुक्त नहीं है। प्रश्न यह है कि दिल्ली में सरकार बदलने के लिये अटलबिहारी वाजपेयी को हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री बनाने के लिये और स्थायी सरकार देने के लिये यह मुख्य मुद्दा था चुनाव का और इस चुनाव के मुख्य मुद्दे में जनता ने यह स्वीकार कर लिया कि अटलबिहारी वाजपेयी हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री होंगे और वे ही स्थायी सरकार दे सकेंगे। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि इस चुनाव को लेकर आप कोई इस प्रकार के ऊहापोह में नहीं रहें।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो मेंडेट दिया है जनता ने वह त्रिशंकु मेंडेट है, विखण्डित मेंडेट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। मैं आपको बता दूं कि 1996 में जब चुनाव हुए थे, 1996 में भी मेंडेट फ्रेक्चर्ड था। आपको याद होगा उस फ्रेक्चर्ड मेंडेट को आपने तोड़-फोड़ करके बनाया, बाहर रहकर आपने सरकार का समर्थन किया और उस सरकार को दो बार आपने गिराया, गिराकर आपने चुनाव थोप दिये तो हिन्दुस्तान की जनता इस प्रकार के फ्रेक्चर्ड मेंडेट से सबक ले रही है। मैं आज आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति इस देश की बन रही है, कोई पार्टी आज के दिन यह क्लेम नहीं कर सकती कि हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी जल्दी ही मिल जाएगी। यह मेंडेट तो कोएलिशन का होगा और इस कोएलिशन के मेंडेट में यह बात मैं नहीं कहता, आपकी पार्टी के सब नेता बोल रहे हैं कि कोएलिशन का मेंडेट है। 1996 में बोले, आज भी बोल रहे थे। अब कोएलिशन का मेंडेट नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी और यू. एफ., जिस कांग्रेस पार्टी ने यू. एफ. से समर्थन वापस लेकर हम पर चुनाव थोपा आज वह कांग्रेस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पार्टी यह क्यों कहती है कि अन्य दलों से हमारी बातचीत चल रही है, समझौता हो सकता है। जनता को फिर एक चुनाव का बोझ डालें उससे बढ़िया तो यह है कि इस फ्रेक्चर्ड मेंडेट में भी हम कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें कि सरकार चले और सरकार चलकर जो भी समस्याएं हैं सरकार के सामने या जनता के सामने उनका समाधान कर सकें। मैं समझता हूं आपको इससे नाराजगी नहीं होनी चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह : कोई नाराजगी नहीं है। दो महिलाएं हैं जिनकी वजह से राज बन रहा है। आपका राज दो महिलाओं की वजह से बन रहा है।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : इसका मतलब यह है कि अटल बिहारी जी की सरकार के लिए बहुमत हम कांग्रेस वाले जुटाएं ? यही कहते हैं न आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : आपके पास बहुमत है तो सरकार चलाना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार चलाएंगे।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं तो बैठ जाना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है। अब जैसे आप बैठ गये वैसे हम भी बैठ जाएंगे। क्या आपत्ति है ? आप भी तो बैठ गये न। आप 1991 से .

श्री परसराम मदेरणा : अटलबिहारी जी ने अपने एफर्ट प्रारम्भ कर दिये हैं, राष्ट्रीय कंसेंसस बनाकर वह कह रहे हैं। जब उनको अभी जो बुलाया राष्ट्रपति जी ने, उन्होंने कहा कि मैं सर्वानुमति बनाने की ओर मेरे पूरे प्रयास करूंगा। यह उनके करने की बात है, हम तो क्या करें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मै यह नहीं कह रहा हूं। आज जिस प्रकार की वर्तमान स्थिति चुनाव के बाद में बनी है। हमारे पास दो विकल्प हैं या तो सरकार बनाऍं या दूसरी बार चुनाव हो इस प्रकार की स्थिति में लाकर देश को खड़ा करें। मैं ऐसा समझता हूं कि जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि हम सीधे चुनाव में चले जाएं और सरकार बनाएं तो सरकार तो जब ही बनेगी जब हम बहुमत की व्यवस्था कर लें। बिना बहुमत के....

श्री कुबेर खान : यह फैसला तो लोक सभा में ही हो जाएगा। यहां चर्चा क्यों कर रहे है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ी तसल्ली रखें।

श्री विष्णु मोदी : आप वहां जा रहे हैं क्या ? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप यह रिहर्सल कर रहे हैं लोक सभा में भाषण करने की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप इनको रोक सकते हो तो रोको। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि इस चुनाव में यहां इस प्रकार की चर्चा हुई तो मैंने जैसा पहले ही कहा था कि हम हार गये और आप जीत गये। इसमें तो कोई दो राय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं। मैं तो यह चाहता हूं कि जीतने वालों को मेरी इच्छा तो होगी कि इनमें अहम् पैदा हो, भगवान करे, इच्छा मेरी मन्जूर हुई है, आपमें इस प्रकार का अहम् पैदा होने लगा है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने तो सारा अहम् भामड़ा जी को दे रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के सामने समस्याएं क्या हैं और राज्य के सामने समस्याएं क्या हैं। हम छोटी-मोटी बातों के प्रसंग में उलझ गये तो मैं समझता हूं आप मेरे ऊपर स्कोर करने की कोशिश करेंगे और मैं आप पर स्कोर करने की कोशिश करूंगा लेकिन जनता की समस्याओं का हम समाधान नहीं कर पाएंगे। अब विचार यह करना पड़ेगा कि देश के सामने प्रमुख समस्याएं कौन सी है। आज भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़े देकर बताया कि परकेपिटा इनकम इतनी गिर गयी या उसमें इतनी हो गयी, इतनी नहीं हो गयी। कोई इस बात पर विचार करे कि 1951 की जनगणना में राजस्थान की केवल डेढ़ करोड़ की आबादी थी वह आबादी बढ़कर 2001 में जब जनगणना होगी मैं समझता हूं कि 6 करोड़ से कम होने वाली नहीं है। अब ऐसी स्थिति में, 6 करोड़ की आबादी डेढ़ करोड़ के मुकाबले में, तो धीरे-धीरे हमारे संसाधन अपने आप ही कम होते जाएंगे, संसाधन भी कम होंगे और साथ साथ जो एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, मैं आज आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा हानि इस आबादी में बढ़ोतरी के कारण से किसी वर्ग को होगी तो किसान को होगी। किसान की होल्डिंगस् छोटी होगी और छोटी होल्डिंगस् को खरीदने के लिये ग्राहक बाहर से आएंगे, उनकी होल्डिंग खरीदेंगे और आज जो किसान घर का मालिक और खेत का मालिक होते हुए समाज के अन्दर प्रतिष्ठा के स्थान पर बैठा है, वह कभी मजदूरी के काम पर लग जाएगा।

आज पानी का प्रश्न आप उठा रहे थे, राजस्थान में जितने वाटर रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में जैसे आपने स्वयं ने ही कहा कि पांच वर्ष में वाटर रिसोर्सेज बिलकुल खतम हो जाएगे और राजस्थान में पानी का इतना संकट होगा कि पानी की भी हमें और कोई अतिरिक्त व्यवस्था या वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में, मैं और विषयों पर चर्चा नहीं करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन राजस्थान हो, चाहे हिन्दुस्तान हो इस जनता के सामने यह है कि पापुलेशन को किस प्रकार से नियन्त्रित किया जाए। दूसरा, इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट इश्यू एक और है कि देश के अन्दर जिस तरह की निरक्षरता है, आप कितने ही डवलपमेंट के काम करें, कितनी ही आप नई-नई पालिसीज बनाएं, देश में जब तक निरक्षर जनता का को-आपरेशन नहीं मिलेगा या भागीदारी नहीं होगी उस समय तक केवल एक तंत्र के आधार पर हम देश का विकास कर सकें, यह सम्भव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है देश की निरक्षरता का। आप चाहे कितनी ही बातें कहें, एक छोटी-सी बात में भी लोगों को बहकाया जा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अब के इस चुनाव

(104)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के दिनों में केलवाड़ा गया था। आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग इकट्ठा हुए। मैंने उनसे एक बात कही कि हमने बारानी जमीन का लगान माफ किया है और लगान माफ किये हुए भी 3-4 बरस हो गये। कुछ आदिवासी खड़े हो गये और खड़े होकर मुझे कहने लगे कि आपने लगान इसलिए माफ किया है कि किसानों की जमीन पर सरकार कब्जा करना चाहती है। अब आप इसका अनुमान लगा लें कि निरक्षरता का कितना लाभ या कितना शोषण किया जा सकता है। सरकार की कोई नीयत नहीं है, सरकार ले नहीं सकती। कोई भी सरकार, चाहे हिटलर की सरकार आ जाए, किसानों से वह जमीन नहीं छीन सकती लेकिन प्रचार इस प्रकार का चला और उस प्रचार के कारण से इस प्रकार की बात हुई। कल यहां पर एक चर्चा आई थी कुओं के मामले में, शायद विश्नोई साहब ने ही कहा था कि कुओं से पानी कितना एक्सप्लोइट कर सकते हैं, उसकी सीमा है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है और नीचे जाने के कारण जो कुछ पानी अवेलेबल है उसका उपयोग किस प्रकार से हो, उस पर तो चिंता की जा सकती है लेकिन हमने कोई कुआं कानून नहीं बनाया। इस प्रश्न पर विचार किया था कि भूमि में से कितना पानी लिया जाए, इसको नियन्त्रित करने की बात की जाए लेकिन प्रचार यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुओं पर कब्जा करना चाहती है। ये दोनों बातें मैंने इसलिए कही कि आज निरक्षरता के कारण जो सही कदम भी हम उठाना चाहें वह कदम भी उठा नहीं सकते। हमें डर लगता है क्योंकि निरक्षरों की संख्या बहुत ज्यादा है। वोट ये डालेंगे और इस वोट के आधार पर सरकारें बदल सकती हैं, सब कुछ नीतियों का परिवर्तन आ सकता है। इसलिए दूसरा प्रश्न राजस्थान के सामने और देश के सामने आता है निरक्षरता का।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न आता है गरीबी का। आज देश में कितनी ही योजनाएं हों, योजनाओं में गरीबी के आंकड़ों में मतभेद हो सकता है। कई बार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 28 प्रतिशत बता दी जाती है, दूसरा फार्मूला ले आओ 43 प्रतिशत हो गई, एक फार्मूला और ले आओ 44 प्रतिशत हो गई। लेकिन इस प्रतिशत में न जाकर वास्तव में गरीबी है, इस गरीबी को किस प्रकार से मिटाया जा सकता है ताकि गरीब भी सुखी और सम्पन्न जीवन व्यतीत कर सकें। ये तीन प्रश्न हैं।

इसके साथ में चौथा प्रश्न माननीय विश्नोई जी ने जब पानी के रिसोर्सेज के मामले में उठाया था, उसका जिक्र करना चाहूंगा। यह सही है कि पापुलेशन को कन्ट्रोल करें तो भी 5 वर्ष में ही इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है कि जिसमें हमको पर्याप्त पानी मिल जाए और उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाए। यह स्थिति तो नहीं होगी लेकिन पानी के जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं चाहे सिंचाई के हों, चाहे पीने के पानी के हों, उन रिसोर्सेज का मैग्जीमम यूटीलाइजेशन किस प्रकार से हो सकता है, इसके ऊपर हमें चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सदन के माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज नहीं, 15-20 दिन के बाद इस प्रकार का अधिवेशन रखा जाए जिसमें क्वेश्चन आवर जीरो आवर और बिल्स नहीं होंगे और ये ही तीन-चार विषय होंगे । इन चारों विषयों पर मैं माननीय सदस्यों को आमन्त्रित करना चाहता हूं कि वे बैठें, बैठकर चर्चा करने के बाद जो निर्णय निकले उस निर्णय को स्वीकार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई और भी चर्चाएं हुईं । उन चर्चाओं में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, आंकड़ों में नहीं जाना चाहता । इसलिए नहीं जाना चाहता कि जैसे विश्नोई साहब ने कहा, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछले वर्षों में क्या काम हुआ और इन वर्षों में क्या काम हुआ, उसका विस्तार से उल्लेख है । इस विस्तार से उल्लेख को यदि कोई देख ले तो कोई समस्या नहीं रहेगी । लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि आखिर उस एक चीज को तो आपको एप्रिशिएट करना पड़ेगा कि प्लान साइज बढ़ी है, दोनों बार प्लान साइज बढ़ी है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 13वें स्थान पर थे वहां से हटकर हम पांचवें स्थान पर आ गये । पांचवें स्थान पर आकर देश के उन पांच राज्यों में हम हैं जिन्होंने योजना का जितना रुपया मंजूर हुआ है वह रुपया पूरा का पूरा खर्च किया । इसी प्रकार से नाइंथ फाइव ईयर प्लान में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें । कृपया बिराजें । सदन के नेता महोदय बोल रहे है, आप ध्यान रखें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, नाइंथ फाइव ईयर प्लान में अभी बताया कि कुछ कटौतियां हुई हैं....

श्री चन्दनमल बैद : एक नम्बर में आ जाएंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक नम्बर में आने की कोशिश करूंगा । ऐसी कोई कमी नहीं है । कोशिश करेंगे और मैं समझता हूं कि आप तो खुश होंगे कि एक नम्बर में आ जाएं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कर्जे में एक नम्बर में ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, आपको तो कर्जा ही याद रहता है और कुछ नहीं ।

मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि योजना के आकार के सम्बन्ध में अभी थोड़ा विवाद चल रहा है । हमने साढ़े सत्ताइस हजार करोड़ की योजना मंजूर करवायी थी लेकिन आपको एक बात की जानकारी होगी कि प्लान की साइज जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, सेंट्रल असिस्टेंस कम होती जा रही हैं । जिस परसेंटेज में सेंट्रल असिस्टेंस हमें मिलनी चाहिये वह नहीं मिली उसका अभी कोई निपटारा नहीं हुआ । इसके कारण से सेक्ट्रल जो बंटवारा होता है उस बंटवारे में कई दिक्कतें हैं । लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन इस चुनाव के बाद इन सारे मसलों पर विचार करेगा । उसके बाद सेंट्रल असिस्टेंस किस प्रकार से बंट सकती है और उसका हर सेक्टर में किस प्रकार से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक प्रश्न आता है राज्य सरकार के सामने । कई माननीय सदस्यों ने कहा बिजली के प्रसंग में कि बिजली की योजनाएं लगाने का आरोप राज्यपाल महोदय के मुंह से यह कहलवाया गया कि भारत सरकार की नीतियां और कानून होने के कारण से इसमें व्यवधान पैदा हुआ । मैं आपको बताऊं, यह मैंने ही नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के जो शासन में हैं उन लोगों का भी यही मत है । हम सारे मुख्य मंत्रियों ने मिलकर इस बात को केन्द्र सरकार के सामने रखा । उदाहरण के रूप में, मुझे तारीख तो याद नहीं है, सारे मुख्य मंत्रियों ने मिलकर देवेगौड़ा साहब जिस समय प्रधान मंत्री थे उनके सामने इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948, फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 और मिनरल का एक और था, तीनों-चारों बातें हमने रखीं । रखने के साथ में यह भी कहा कि अगर कैचमैंट एरिया का कोई विवाद आता है किसी इंटर-स्टेट एग्रीमैंट का कोई विवाद आता है तो वह तो समझ में आ सकता है लेकिन पानी की योजनाएं भारत सरकार क्यों मंजूर करें, सिंचाई की योजनाएं भारत सरकार के पास क्यों भेजें ? एनवायर्नमेंट का जहां तक प्रश्न है मैं समझता हूं कि फोरेस्ट कंजर्वेशन का काम तो है राज्य सरकारों के पास और फोरेस्ट में यदि कम्पनसेटरी फोरेस्ट दें तो उसके लिये इजाजत लेनी पड़ती है भारत सरकार से । यदि हम कोई सड़क बनाएं और सड़क की जमीन के एवज में रेवेन्यू लैंड ट्रांसफर करना चाहें तो उसकी अनुमति भारत सरकार से लेनी पड़ती है । तो यह जो सारा सेन्ट्रलाइजेशन हो गया पावर्स का उस सेन्ट्रलाइजेशन को डी-सेन्ट्रलाइज किया जाए । मुझे इस बात की खुशी है कि देवेगौड़ा जी ने उस कान्फ्रेंस में कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दिया लेकिन भाषण देने के साथ-साथ उन्होंने कह दिया कि 1948 का जो इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट है इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया जाएगा । सी.ई.ए. का कोई रोल नहीं रहेगा, एनवायर्नमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा और ये सारी बातें राज्य सरकारों को दे दी जाएंगी । हमने बहुत जोर से खड़े होकर तालियां बजाई और तालियां बजाकर उनको कहा कि अगर मेरे से आप इस जगह पर भाषण दिलवाते तो, देवेगौड़ा साहब, आपसे बढ़िया भाषण नहीं दे सकता था । आपने बहुत अच्छा किया, सारी पावर्स डीसेन्ट्रलाइज कर दीं । लेकिन उस डी-सेन्ट्रलाइजेशन के बाद न तो आज तक एनवायर्नमेंट का कोई मसला हल हुआ है न सी.ई.ए. की कनसल्टेंसी का मामला हल हुआ है । न कोई फ्यूअल पालिसी अब तक बनी । (व्यवधान) आपने पढ़ा होगा, धारीवाल जी, बी. जे. पी का घोषणा पत्र । उसमें यह लिखा हुआ है, पढ़ लो । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उसमें जो 50 सूत्र आपने लिखे हैं उसमें पहला सूत्र है, अयोध्या में भव्य मन्दिर बनाया जाएगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अयोध्या तो आपके माथे में ऐसा बैठ गया, मुझे इस बात की खुशी है कि ...

श्री जुबेर खान : दूसरा बिन्दु है 12 घंटे बिजली दी जाएगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अयोध्या तो ऐसा माथे में बैठ गया और मुझे खुशी है कि रामजी आपके सर से बोलने लग गया। भगवान की कृपा से यह बहुत बढ़िया अवसर मिला है। बार-बार अयोध्या, अयोध्या का जिक्र करना, आप सब भी जानते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : इनके तो नाम में ही राम है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी तो एक सलाह है। इस आम चुनाव में निश्चित तौर पर एक निष्कर्ष निकला है कि इस राजस्थान के अन्दर कोई अगर सिंह है तो वह वोटर है। इसलिए आपकी जो ये कुछ लोग चापलूसी करते हैं, आपका नाम भैरोंसिंहजी है, बहुत सादर और सत्कार के साथ हम सम्बोधित करते हैं, वह नाम रहना चाहिए लेकिन ये जो नारे–वारे लगाते हैं ये तो बहुत ज्यादा चापलूस लोग हैं। आप इनकी चापलूसी में मत आओ, अपन तो जो सिंह है उस सिंह का ध्यान रखो। अगर सिंह का ध्यान नहीं रखो तो जिस प्रकार से आपकी सरकार की कार्य प्रणाली है, भगवान आपको सद्‌बुद्धि दे, आप इसी तरह से चलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि कोई नारा लगाए कि राजस्थान में एक ही सिंह और नाम लेते हैं भैरोंसिंह। आपको उससे जलन होती है तो मैं निश्चित....

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, जलन नहीं होती हैं। हम तो कहते हैं और जोर से लगाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह मैं कहता हूं। वह आप काहे को कहते हो? नारे लगते रहते हैं, नारों के कारण मेरा दिमाग खराब हो जाए, इस प्रकार का आदमी मैं नहीं हूं। नारे लगाकर कोई चापलूस अगर यह समझे कि हमने नारे लगाकर इसको बहुत प्रभावित कर दिया, यह भी सम्भव नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : कौन सिंह है, दैनिक भास्कर के एक कार्टून ने बहुत साफ कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जनता की आवाज है, किसकी किस रूप में निकलती है, किसकी किस रूप में निकलती है, इसलिये उसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

मैंने तो केवल एक ही बात कही थी कि बार-बार अयोध्या का जिक्र करें बहुत अच्छी बात है। अयोध्या के जिक्र का मतलब....

श्रीमती कमला : आपके चुनाव का एजेण्डा कुछ और, राज बनाने का एजेण्डा कुछ और, यह क्या हालत है, यह तो बताओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके लिये तो मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही नहीं पढ़ा होगा। आप बता दो अयोध्या....(व्यवधान) आप इतना बता दो ...(व्यवधान) मेरी छोड़ो....

श्रीमती कमला : आप बताओ कि आपके चुनाव का एजेण्डा क्या है और अब राज बना रहे हो, उसमें क्या एजेण्डा है? सबके सामने नमस्कार कर रहे हो, पैर पकड़ रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी एक बात सुन लो आप।

श्रीमती कमला : 22-22 आपके ऊपर लम्बरदार खड़े करके, फिर राज बना रहे हो और एजेंडा सारा छोड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो एक ही बात बता दो....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : एजेण्डा था और उसमें.... (व्यवधान).... 60 बरस करने का....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बार-बार इन्टरवेंशन नहीं होगा। यह अंकित नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : इन्टरवेंशन अंकित नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो केवल जानकारी ली थी कमलाजी से कि अयोध्या के मामले में कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या लिखा है। आपने अपने घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा कि जिस जगह मस्जिद का ढांचा टूटा था वहां मस्जिद बनेगी। कहा है क्या ? नहीं कहा न ? तो आपकी नीयत नहीं है। और आपने यह भी नहीं कहा कि वहां राम मन्दिर नहीं बनेगा। आपने यह भी नहीं कहा कि अयोध्या के अन्दर उस ढांचे की जगह मस्जिद बनेगी और आपने यह भी नहीं कहा कि यहां राम मन्दिर नहीं बनेगा।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री कुबेर खान : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) राजेन्द्र पारीक को जयललिता जी बहुत याद आ रही हैं। तीन दिन से राजेन्द्र जी पारीक का भाषण और बातचीत मैं सुन रहा हूं, एक ही बात कही जाती है, जयललिता, जयललिता। आखिर जयललिता माथे पर कहां बैठ गयीं, मेरे समझ में तो नहीं आया।

श्री राजेन्द्र पारीक : वे सब बातें इसलिए कहीं जा रही हैं कि मेरे साथी आदरणीय घनश्यामजी ने सीकर में अपने भाषण में यह कहा कि अटलजी का। + + + जयललिताजी भी कुंआरी और अटलजी भी कुंआरे हैं, इसलिए मुझे तो बीच-बीच में याद दिलानी पड़ती है क्योंकि मेरे बड़े भाई का सम्बोधन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ये वर्ड्स एक्सपंज कर दिये जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ये एक्सपंज कर दिये जाएं।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद क्या-क्या एडजस्टमैंट हुआ है उसके बारे में जिक्र नहीं करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां मोटे रूप से पहले विश्नोईजी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिये कि उन्होंने पुलिस की प्रशंसा की। वास्तव में आपको याद होगा कि पिछले सत्र में मैंने एक बात कही थी कि पुलिस पर कितने लोगों की नजर है और कितने लोगों की इनको सेवा या सब प्रकार के काम करने पड़ते हैं। उस समय मैंने एक बात कही थी कि आज पुलिस की निगरानी केवल राज्य सरकार के हाथ में नहीं है । आज ह्यूमन राइट्स कमीशन पुलिस की निगरानी कर रहा है, माइनोरिटी कमीशन पुलिस की निगरानी कर रहा है, एन. जी. ओज. पुलिस की निगरानी कर रहे हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कमीशन है वह पुलिस की निगरानी कर रहा है । जहां इतने निगरान पैदा होंगे वहां कई प्रकार की अव्यवस्थाएं पैदा होंगी। आपने जो कई बातें कहीं मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा के गये इस काल में, 1991 से लेकर आज तक, मैंने विधान सभा में एक चार्ज नहीं सुना कि हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गये और रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई । एक चार्ज मैंने नहीं सुना। पहले के जमाने में यही चार्ज लगाते थे कि हम रिपोर्ट दर्ज कराने गये और रिपोर्ट नहीं लिखी अब इस सारी प्रोसीडिंग को निकालकर आप देख लें। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जब फ्री रजिस्ट्रेशन आफ केसेज होगा तो उसमें झूठे भी केस हो सकते हैं, उसमें सच्चे भी केस हो सकते हैं, संख्या तो ज्यादा निश्चित रूप से बढ़ेगी । संख्या बढ़ने के बाद में मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान में जितना भी क्राइम रजिस्टर हुआ है उसमें 27 प्रतिशत मामले झूठे साबित हुए हैं। अब इन 27 को यदि माइनस कर देते हैं तो जिसको लेकर आपको चिन्ता होती है वह इन्क्रीज अपने आप में ही कम हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहता हूं कि जो सच्चे हैं उनमें हमने चालान करवाया है 82 प्रतिशत मामलों में। यह हिन्दुस्तान का एक रिकार्ड है । 82 प्रतिशत मामलों का जहां रिकार्ड है वहां मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि उसमें जो रिकवरी का परसेंटेज है वह रिकवरी का परसेंटेज भी दूसरे राज्यों के मुकाबले में कम नहीं हैं । जयपुर शहर हिन्दुस्तान का दूसरे नम्बर का शहर है जहां पर चोरियों की सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि समय पर रिकवरी नहीं हुई। उसके कारण हैं। समय पर मुल्जिम नहीं पकड़े जाते। कल डिग्गी में घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। घटना होने के बाद जनता ने दो आदमियों को वहीं पकड़ लिया । जनता ने पकड़ा और पकड़ने के साथ ही जो माल वे ले जाना चाहते थे, वह माल भी नहीं ले जा सके । उन्होंने संघर्ष किया । उसकी तो मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन साथ ही पुलिस ने भी, जिस समय उनको जानकारी मिली कि अमुक प्रकार की घटना... (व्यवधान)....

श्री नारायण सिंह : एक डकैती में

(श्री नारायण सिंह)

किसान के घर से रात को माल लूट कर ले गये; उनको मारा, औरतों को पीटा। आप उसके नेक्स्ट-डे वहां गये। आज तक उस डकैती में कोई नहीं पकड़ा गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप आपके होम मिनिस्टर साहब से तो कहिये। क्या बाकी रह गया ? आपका लॉ-एण्ड-आर्डर, कानून व्यवस्था, डकैती, चोरी, बलात्कार, कितना क्या हो गया और आप आंकड़ों में जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि आप जो कह रहे हैं वह बरामद हो गया। नहीं हुआ बरामद लेकिन बरामदगी की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

मैं इतना बता देता हूं आपको कि एक बात का तो ध्यान रखें। कभी स्टेटिस्टिक्स देखें उसकी स्टडी करें, रिसर्च करें। रिसर्च में आपको एक जानकारी मिलेगी कि राजस्थान के क्रिमिनल्स तो कम हो गये, राजस्थान में जो क्राइम करने वाले थे उनकी संख्या कम हुई। कुल संख्या उनकी बढ़ी है लेकिन राजस्थान के क्राइम करने वाले लोगों की संख्या घटी है। जितने भी क्राइम होते हैं उसमें राजस्थान के लोगों का परसेंटेज धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। आज राजस्थान में एक जगह से नहीं, हर जगह से बाहर से मजदूर के रूप में आते हैं, नौकरी के रूप में आते हैं। यातायात के साधनों के कारण से आते हैं। वे लोग चोरी करके निकल जाएं और आप यह समझो कि तुरन्त उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह बिलकुल सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब चुनाव खत्म हो रहे थे उस समय मैं अहमदाबाद की तरफ से आबू रोड आ रहा था। वहां पर रास्ते में एक पैट्रोल पम्प है। मुझे जानकारी मिली कि पैट्रोल पम्प को लूट कर ले गये। मैं वहां रुका, एस.पी. को बुलाया, आफिसर्स को बुलाया, बातचीत की। बातचीत करने के बाद पैट्रोल पम्प पर चोरी करने वाले मिल गये और मिलने के बाद में पूरा गैंग आया। अब उस गैंग से विस्तार से सारी जानकारी की जा रही है कि कहां-कहां से उन्होंने चोरियां कीं और कहां से उन्होंने चोरियां नहीं कीं। इसलिए इमीजिएटली कोई रिलीफ मिलती हो कि चोरी की और बाहर निकलते ही पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने पकड़ लिया, यह तो सम्भव नहीं है।

जैसे बिश्नोई साहब कह रहे थे कि अमरीका में हवाई-जहाज से निगरानी रखते हैं और वहां से वायरलैस से कहते हैं। उसी अमरीका में जहां ब्लैक कालोनीज बनी हुई हैं, वहां पर 6 बजे के बाद रात को कोई जाता नहीं है। शाम को न्यूयार्क के अन्दर जहां ब्लैक कालोनीज हैं, जहां ब्लैक लोगों की बस्तियां हैं वहां छह बजे के बाद कोई जा नहीं सकता और न कोई जाता है। तो आज न्यूयार्क जैसे शहर के अन्दर इस प्रकार की स्थिति है। इसको कण्ट्रोल करने के तरीके कई बार हमने भारत सरकार के सामने रखे हैं, रखकर उनको कहा है, हमें क्रिमिनल एक्ट में अमेंडमेंट करना होगा। पुलिस का अफसर वहां पर जो कह दे उसकी एविडेंस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की कोई वैल्यू नहीं हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। एक पुलिस का सिपाही कह दें कि मेरे सामने इसने अपराध किया है, that is sufficient as an evidence लेकिन यहां पर पुलिस वालों को बिलकुल गलत माना जा रहा है। पुलिस की एविडेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने एक कांफ्रेंस में मामला उठाया था कि बार्डर के ऊपर यह जो स्मगलिंग हो रही है और बार्डर के ऊपर स्मगलिंग का माल पकड़ा जा रहा है, माल पकड़ते वक्त क्या पुलिस वाले चार गवाहों को साथ लेकर जाएंगे कि यहां पर हेरोइन पकड़ी गयी, यहां पर वैपंस पकड़े गये, यहां पर चरस पकड़ा गया? इसके लिये कोई एविडेंस वहां क्रीएट होगी तो आप यह मानकर चलिये, वह एविडेंस ज्यादा सही नहीं होगी। दूसरे कंट्रीज में पुलिस वाले ने एविडेंस दे दी कि मैंने इसके पास से यह पकड़ा है और जब जिम्मेदारी डालेंगे आप तो उसकी वैल्यू होगी। यह कह सकते हैं कि आज हम पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे कि हमारी सही बात के आधार पर यहां लोगों को सजा हो सकती है तो वे भी जिम्मेदारी समझेंगे। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद है। कई माननीय सदस्य जानते होंगे, एक रामसिंह जी यहां एस. पी. थे। मूंछे तो नहीं थीं लेकिन वह पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर हार्ड ओनेस्ट आदमी के रूप में समझे जाते थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बीकानेर में?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीकानेर में नहीं। मनोहरपुर गांव है सांगानेर के पास और मैं नवलगढ़ की आपको बात कह रहा हूं। वे नवलगढ़ में सब इन्सपैक्टर थे। नवलगढ़ में उन दिनों में काफी चोरियां हो रही थीं। चोरियों में उन्होंने मुलजिमों को कह दिया कि आप चोर हो, माल दे तो ठीक है नहीं तो मैं आपका चालान करूंगा। उनका चालान कर दिया। कोई एविडेंस नहीं। माल की रिकवरी नहीं। उनके इनीशिएटिव पर माल की कहीं रिकवरी नहीं हुई। कोर्ट में चालान हुआ तो कोर्ट में इस आधार के ऊपर सजा दे दी कि रामसिंह जी कह रहे हैं कि चोर यही है। अब इस तरह की अगर पुलिस को हम बेईमान मानकर चलें, पुलिस वाला झूठ ही बोलेगा यह एक धारणा लेकर चलें तो निश्चित रूप से मानकर चलिये कि इंसान है, उसमें गिरावट आती है। हम उस गिरावट को किस प्रकार से कम कर सकें, इसका यदि एफर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। इसलिए मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि क्राइम्स के आंकड़ों के आधार पर हम चलें तो उनकी उपलब्धियां भी देखें कि उपलब्धि देखकर इनको किस तरह से एप्रिशिएट किया जाए। मैं पूनमचन्द जी विश्नोई का बहुत आभारी हूं कि आज के वातावरण में उन्होंने खुले रूप से इस प्रकार की बात की कोशिश की है। आज उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : काम पड़ते रहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : कहते हैं कि पुलिस

(112)

(श्री चन्दनमल बैद)

वालों से काम पड़ते रहते हैं इसलिए करनी पड़ी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, कई तो, विश्नोई साहब, आप जैसे भले आदमी हैं, काम पड़ता है तो उनकी प्रशंसा कर देते हैं और कई ऐसे हैं कि काम भी उनसे करवा लें और उन्हीं की आलोचना करते हैं। उनसे थोड़ा बचने की आवश्यकता है।

श्री जुबेर खान : मोदी जी के लिये तो नहीं कह रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इनके लिये नहीं कह रहा। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि सारे सिस्टम में और गवर्नेंस में कई प्रकार की कमियां हैं। मैं इनको इन्कार नहीं कर रहा। बहुत कमियां हैं। आज से नहीं हैं। और कमियां दिन पर दिन इस प्रकार से मल्टीप्लाई होती जा रही हैं कि उनका कोई समाधान नहीं निकलता। आज कह सकते हैं कि लोकायुक्त काम कर रहे हैं। काम करने के बाद में लोकायुक्त रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट देने के बाद में आल इंडिया सर्विस रूल्स के अनुसार वह रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की संज्ञा में नहीं, अब उसकी क्या व्यवस्था करें? इस मामले में कई बार....

श्री रामनारायण चौधरी : लोकायुक्त को हटा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ठीक है। उससे भी चैक है, बहुत बड़ा चैक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज इस प्रकार की दिक्कतें हैं। इसलिए हमने भारत सरकार से कई बार कहा है। इस प्रसंग में कहा है कि इसमें कुछ अपने रूल्स में परिवर्तन करिये कि लोकायुक्त की रिपोर्ट को प्रिलिमनरी रिपोर्ट मानकर उनकी बाकायदा इन्क्वारी की जाए और इन्क्वायरी करने के बाद में कोई कहां सजा हो सकती है या बरी हो सकते हैं, उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं। मैं समझता हूं कि ये चीजें अभी तक नहीं हो रहीं इसलिए अब जो नयी सरकार आ रही है उस सरकार के सामने, जैसे वाजपेयी जी ने कहा, वास्तव में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, बहुत जबरदस्त चुनौतियां हैं। मैं यह चाहूंगा कि चुनौतीपूर्ण वातावरण में राजनैतिक भेदभाव भुलाकर हम देश का किस प्रकार विकास कर सकते हैं। उस विकास में आपका सहयोग निरन्तर मिलता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ तौर से कहा है कि हम नेशनल एजेंडा के आधार पर काम करेंगे, कंसेंसस के आधार पर काम करेंगे। इसमें कोई अभिमान नहीं है, इसमें किसी प्रकार का अहम नहीं है। लेकिन जो राज करने वाले हैं वे भी समझते हैं कि इस कण्ट्री के सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं और ऐसी समस्याओं के आधार पर जब तक पूरी जनता राजनीतिक भेदभाव भुलाकर इस व्यवस्था के ऊपर विचार नहीं करेगी तब तक काम नहीं चलेगा।

कोटा से आने वाले मेरे एक मित्र ने एक गैस के मामले में कहा कि उसको लैटर लिख दिया और यह नहीं लिखा। मैं एक लाइन में ही उनका स्पष्टीकरण कर देऊं कि हमारी व्यवस्था है कि हम इण्डिविजुअल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एप्लीकेशन के ऊपर इस प्रकार का निर्णय नहीं लेते। कम्पीटिटिव बिडिंग करना पड़ेगा, चाहे आल इंडिया कम्पीटिटिव बिडिंग हो, चाहे इन्टरनेशनल कम्पीटिटिव बिडिंग हो। वे गैस चाहते थे, एक कम्पनी को उन्होंने लैटर लिख दिया। अब उस लैटर के आधार पर एक कम्पनी को गैस दे दी जाए या दे देते तो उसकी आलोचना होती। इसलिए मेरे पास आया था मामला। मैंने कहा कि जब तक कम्पीटिटिव बिडिंग नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति या एक कम्पनी को इस प्रकार की गैस अलाटमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब उसका ये जिक्र करें तो करें। ये एक्सपर्ट हैं, लैटर लाये। कहां से लैटर लाये ? (व्यवधान) मैं चोरता नहीं था। मैं कोई लैटर नहीं चोरता था। आप लोग देते थे, मैं पढ़ता था। चोरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अब आपको जो लैटर दिया है वह हम में से नहीं दिया, वह कम्पनी के आदमियों ने दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि कम्पनी की हमदर्दी आपको है। लेकिन मुझे खेद है कि हमदर्दी होने के बावजूद भी इस प्रकार की चर्चा के आधार पर मैं किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करूंगा जो भविष्य में गलत साबित हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप पूछ लो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है कि मैंने मुद्दा यह उठाया था कि आज कोई किसी के घर में बैठ जाए, खेत में बैठ जाए, कत्ल हो जाए और 20 साल या उसकी जिन्दगी में फैसला नहीं हो, यह बात आप नजरन्दाज कैसे कर रहे हैं जबकि प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट की to keep peace and give justice ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप बिलकुल सही कह रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्राइमरी ड्यूटी यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको दो बातें कही है कि क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिये, एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिये और तब जाकर कोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा फैसलें होंगे। जहां तक कोर्ट्स की संख्या का सवाल है, हम लगातार कोर्ट्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। खूब बढ़ रहे हैं, केसेज भी ज्यादा इन्स्टीट्यूट हो रहे हैं। लेकिन जब तक कानून की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, कोई भी कोर्ट फैसला करने को तैयार नहीं होगी। यह मेरे हाथ की तो बात नहीं है। सारा जुडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में नहीं है, यह चीफ जस्टिस आफ इंडिया के हाथ में है। जुडीशियल सिस्टम में हम किसी प्रकार का दखल नहीं कर सकते। हमें भी कई बार भुगतान करना पड़ता है कि हमारे गवर्नमेंट का फैसला समय पर हो जाए तो उसके कारण से जो प्राब्लम्स क्रीएट होती हैं, वे प्राब्लम्स किसी प्रकार से क्रीएट नहीं होंगी। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि यह विषय बिलकुल अलग से विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। यहां शिवनाथ सिंहजी ने पंचायती राज के बारे में चर्चा की, कि पंचायत यह हो गयी, यह हो गयी। आपके कहने का तात्पर्य यह था कि जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहले पंचायत का सिस्टम था वह सिस्टम बहुत अच्छा था, जिसमें डाइरेक्ट इलेक्शन होते थे कुछ इनडाइरेक्ट भी होते थे और यह जो सिस्टम आया है इस सिस्टम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पंजाब की सरकार ने पंचायतों को भंग कर दिया। इसलिए भंग कर दिया कि इस नये कानून के अनुसार पंचायतें जितनी सक्रिय हो सकती हैं, जितना एफिशिएंटली वे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं, उतना नहीं हो रहा। इसलिए पंचायत में एक्ट में परिवर्तन करके इस प्रकार की व्यवस्था ला रहे हैं। मैं आपको एक मिनट बता दूं कि पंचायती-राज सम्मेलन हुआ था। पंचायती राज सम्मेलन हुआ था उसमें शायद कैलाशजी या आपके साथ हम गये। मैंने यही क्वेश्चन रेज किया था कि पंचायत का पहले वाला सिस्टम ठीक था। मुझे खुशी हुई कि मेरे कहने के बाद सब लोगों ने हाथ उठा कर कहा कि इस पंचायत एक्ट में संशोधन करके वही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वे ही अधिकार और वही चुनाव की प्रक्रिया उसमें लागू की जाए। मैं आपकी तरफ से यह कोशिश करूंगा कि भारत सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि इसमें इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए जिससे ये संस्थाएं ज्यादा से ज्यादा इफैक्टिव हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसमें कहां मनाही था ? वह तो आपने ही बनवाया। इसमें संविधान संशोधन में ऐसी कोई मनाही नहीं थी, यह तो हमारे स्टेट लेवल पर हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकार)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकार)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

प्रश्न यह है कि श्री अर्जुनदास मदान, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो एम.एल.ए. का 10 लाख रुपये का कोटा फिक्स कर रखा है उसको कम से कम 30 लाख तो करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री राजेन्द्र पारीक : जैसे एम.पीज. के लिए एक करोड़ रुपये का होता है तो एम.

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एम. एज. के लिए जो 10 लाख का है उसे कम से कम 30 लाख करवाया जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : विधायक कोटा बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : विधायक कोटा बढ़ाया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी, एम.एल.एज. को 10 लाख रुपये मिलते हैं, 30 लाख किये जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा : 30 लाख करो।

एक माननीय सदस्य : मैटीरियल कास्ट बढ़ गयी है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट बैठिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज और कल विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ और हमारी पार्टी के सदस्यों के साथ विचार–विमर्श किया है। उस विचार–विमर्श के आधार पर यह जो वेतन भत्ते का कानून है उसमें संशोधन आज ही सदन के अन्दर बिल के रूप में पेश किया जाएगा।

अनेक माननीय सदस्य : यह नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : हमारी मांग दूसरी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो आप एम. एल. ए. का 30 लाख करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह निर्बन्ध राशि और "32 जिला 32 काम" की राशि है....(व्यवधान) ..

एक माननीय सदस्य : यह तो डवलपमेंट के लिये है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप एक-एक तो बोलिये। (व्यवधान).... आपकी बात समझ में ही नहीं आती है।

श्री रतनलाल ताम्बी : विधायकों के माध्यम से पांच पांच लाख रुपये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। आप विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बोलें, क्या कहना चाहते हैं। सारे एक साथ बोलने लग जाते हैं। (व्यवधान)... विरोधी पक्ष के नेता महोदय खड़े हुए हैं आपके सामने।

श्री परसराम मदेरणा : इससे क्या सम्बन्ध है इसका ? ....(व्यवधान).... यह कोई एक्ट का पार्ट नहीं है, यह तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन हुआ है। वह अलग से बात करने की है। इस बिल के अन्दर तो इसका प्रावधान न तो कोई पांच लाख का था और न चार लाख का है। इसलिए इससे कोई लेना–देना नहीं है। आप यों ही....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : एम. एल. ए. कोटे का।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : एम.एल.ए. कोटे का।

श्री परसराम मदेरणा : एम. एल. ए. कोटे का इसमें कुछ नहीं है। इसमें नहीं है।... (व्यवधान).... सदन का नहीं है यह मामला, दूसरा मामला है। बात करेंगे। (व्यवधान) नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराज जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को एक बात कहना चाहता हूं। आपका अनुभव भी आ गया, मेरा अनुभव भी आ गया। अनुभव यह आया है कि लोक सभा के सदस्यों को जिनको एक करोड़ रुपया दिया जाता था, उनके सामने एक करोड़ रुपया ऐसा संकट बन गया है कि इस गांव में दिया है और इस गांव में नहीं दिया है। तो मैं आपके गले में संकट डालना नहीं चाहता बल्कि संकट निकालना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : हमारा तो नहीं होने से संकट है। इसको 20 लाख आप जरूर करो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। माननीय डाक्टर साहब, विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह सुविधा आपको भी मिलेगी।

सदन की सदस्यता से त्याग पत्र

श्री शांतिलाल चपलोत का सदन के अध्यक्ष पद एवं सदस्यता से त्याग पत्र

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दसवीं राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र, मावली, जिला उदयपुर से निर्वाचित सदस्य श्री शांतिलाल चपलोत ने उदयपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 1998 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 179 (क) के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद से एवं राजस्थान विधान सभा सदन के अपने स्थान का त्याग पत्र कर दिया है। उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आपको बधाई हो।

श्री रामनारायण मीणा का सदन की सदस्यता से त्याग पत्र

श्री उपाध्यक्ष : आगे सुनिये।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दसवीं राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र नैनवां, जिला बूंदी से निर्वाचित सदस्य, श्री रामनारायण मीणा ने कोटा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण बुधवार, 18 मार्च, 1998 को राजस्थान विधान सभा सदन के अपने स्थान का त्याग पत्र कर दिया है और उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

श्री रामपाल उपाध्याय का सदन की सदस्यता से त्याग पत्र

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दसवीं राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा, जिला–भीलवाड़ा से निर्वाचित सदस्य, श्री रामपाल उपाध्याय

(श्री उपाध्यक्ष)

ने भीलवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण बुधवार दिनांक 18 मार्च, 1998 को राजस्थान विधान सभा सदन के अपने स्थान का त्याग पत्र कर दिया है और उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है....(व्यवधान)....गृह मन्त्री महोदय।

शासकीय वक्तव्य

श्री कल्याणजी के मंदिर (डिग्गी) में हुई हत्या व डकैती की वारदात

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में हुई हत्या व डकैती की वारदात के बारे में वक्तव्य।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 16.3.98 को श्री कल्याण जी डिग्गी मंदिर, टौंक में अंतिम आरती के पश्चात लगभग 8.30 पी. एम. पर जब अधिकांश दर्शनार्थी मंदिर से चले गये एवं केवल पुजारी और उसका परिवार शेष रहा तब कुछ बदमाशान शस्त्रों से लैस होकर मंदिर में घुस आये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। गृह मन्त्री जी बहुत ही इम्पार्टेंट वक्तव्य दे रहे हैं, आप शांत रहें।

श्री कैलाश मेघवाल : सेवा पूजन में बैठे श्री यदुराज ब्राह्मण को चुपचाप बैठने की धमकी देकर भगवान श्री कल्याण जी के गर्भ गृह में घुसकर गहने उठा लिये। इस पर मंदिर के पुजारी श्री यदुराज ने सामना किया तो बदमाशों ने कट्टे की बट उसके सिर में मारी और अंधाधुंध फायर किये जिससे श्रीमती शकुन्तला, उम्र 38 वर्ष को गोली लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गई तथा 8 अन्य व्यक्ति घायल हो गये। सर्व श्री लक्ष्मण पुत्र राधेश्याम उम्र 24 साल, जितेन्द्र पुत्र यदुराज उम्र 16 साल, रामरतन पुत्र नरसिंह उम्र 60 साल एवं लक्ष्मण पुत्र रामरतन उम्र 21 साल को जयपुर में एस.एम.एस. अस्पताल में रैफर किया गया। श्री लक्ष्मण की हालत गम्भीर है व अन्य तीन खतरे से बाहर हैं। इनके अतिरिक्त राजकीय अस्पताल, मालपुरा में भी श्री यदुराज पुत्र रामस्वरूप उम्र 33 साल, श्रीमती मधु पत्नी श्री यदुराज उम्र 32 साल, कुमारी बिमला एवं शिमला, पुत्रियां श्री रामस्वरूप भर्ती हैं जो खतरे से बाहर हैं।

मौक ए-वारदात से मुलजिमान रामसिंह पुत्र श्री मूला मीणा एवं बीरबल पुत्र श्री नारू मीणा, निवासी सांवलपुरा के पास पारसोली की ढाणी, थाना अजीतगढ़ को गांव वालों ने धर दबोचा एवं बदमाशों से एक बारह बोर सिंगल बैरल बंदूक, एक देशी कट्टा बारह बोर एवं एक रिवाल्वर 9 एम.एम. भी छीन ली है।

घटना की सूचना मिलते ही जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, टौंक एवं उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय) जयपुर तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। मंदिर पर भारी भीड़ जमा थी जिन्हें समझाइश की गयी। एक अस्थायी पुलिस चौकी मंदिर के बाहर कायम की गयी। मुलजिमान की पतारसी के लिए पुलिस पार्टियां जीपों एव ट्रैक्टरों से जनता की मदद के साथ भेजी गयीं। पड़ौसी थानों एवं जयपुर तथा अजमेर जिले के थानों पर नाकाबंदी करायी गयी। घटना

(श्री कैलाश मेघवाल)

में लिप्त गैंग को नामजद कर लिया गया है और मुल्जिमान की सरकर्मी से पतारसी जारी है। महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) को स्थिति पर निगरानी और मुकद्मे की तफ्तीश का सुपरविजन करने के लिये डिग्गी भेजा गया था। घटना से जनता में उत्तेजना है किन्तु स्थिति नियंत्रण में है। उक्त वारदात के क्रम में थाना डिग्गी पर मुकदमा नम्बर 45/98 धारा 465, 396 397, 302, 307, 323 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया है इस प्रकरण में अभी तक गैंग के सरगना मक्खन मीणा, रामसिंह मीणा अथवा बीरबल मीणा सभी निवासी सांवलपुरा थाना अजीतगढ़ जिला सीकर को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त जीप पुलिस द्वारा बरामद कर ली गयी है तथा जीप के ड्राइवर से कड़ी पूछताछ की जा रही है। शेष मुल्जिमान की गिरफ्तारी हेतु पुलिस पार्टियां विभिन्न स्थानों पर भेज दी गयी हैं तथा उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। प्रकरण का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टौंक के नेतृत्व में गठित एक विशेष अनुसंधान दल के द्वारा किया जा रहा है। इस घटना में मृतका श्रीमती शकुंतला के परिजनों को एक लाख रुपये, घटना में गम्भीर रूप से घायलों को पांच-पांच हजार रुपये तथा अन्य घायलों को दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुख्य मंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गयी है। घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर किया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : डिग्गी राजा का जो मुकुट था और जिस बच्चे ने उठाया, उसका नाम (व्यवधान)····

श्री कैलाश मेघवाल : जीतू।

श्री परसराम मदेरणा : उसको बहादुरी के लिये भारत सरकार के राष्ट्रपति जो इनाम देते हैं, उसमें भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपके समझाव से सहमत हूं और इसकी जो पृष्ठभूमि ·· (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : वह बहुत बहादुर है। बहादुराना वह हिम्मत कर रहा है। अगर वह लड़का नहीं होता तो वहां स्कफल नहीं होती और स्कफल नहीं होती तो लोग नहीं आते और लोग नहीं आते तो वे दो डकैत नहीं पकड़े जाते।

श्री कैलाश मेघवाल : वे भी नहीं पकड़े जाते और ज्यादा गम्भीर घटना भी कर जाते।

श्री परसराम मदेरणा : और दो डकैत नहीं पकड़े जाते तो न तो 12 बोर बंदूक और न वह पिस्तौल पकड़ी जाती। यह तो अंधे के हाथ में जब बटेर आती है तो बीस-बीस चोरियों वाले राज भी साथ-साथ खुल जाते हैं। अभी मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे, मैं समझ गया बात को। क्योंकि कभी न कभी किसी जगह कोई पकड़ में आता है आवारा आदमी, फिर मालूम होता है कि इसने चोरियां कीं। तो वह कहता है ये 15 चोरियां, कि सब खुलवाऊंगा तो कभी आदमी पकड़ा जाता है, आपकी सतर्कता से नहीं। इसलिए यह तो ...

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, हमारी भी सतर्कता, उसकी कंट्रीब्यूटरी रहती है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन अब हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : सतर्कता भी रहती है, निगरानी भी रहती है, चौकसी भी रहती है, कभी संयोगवश भी होता है।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो पकड़े चोर को ठोकने वाले हैं। मुझे यह बताइये कुल मुल्जिम कितने थे इसमें ? आपको दो-तीन तो मिल गये न। एक सरगना भी मिल गया। दो और अक्यूज्ड वहां दूसरे लोगों न पकड़ लिये।

श्री कैलाश मेघवाल : कुल मुल्जिम प्राथमिक तौर पर तो संख्या आयी है 10 के करीब थे पांच अन्दर गये।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, मुल्जिम कितने थे ?

श्री कैलाश मेघवाल : हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कुल मुल्जिम कितने थे ?

श्री कैलाश मेघवाल : कुल मुल्जिमों का जो प्राथमिक आकलन किया गया है क्योंकि जीप बाहर खड़ी रखी थी। और पांच अन्दर गये जिन्होंने अलग-अलग अपने-अपने निर्धारित इस अपराध को घटित करने में अपना जो काम करना था, वह किया और पांच बाहर रहे, ऐसा कहा जाता है। जो तफ्तीश चल रही है उसमें सात नामजद हो चुके हैं और नामजद करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हां, क्या जाता है ? वह तो जो पकड़े गये वे खुद ही कह रहे हैं कि हम पांच आदमी गये थे।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, वे दो थे।

श्री परसराम मदेरणा : अब आपको वे और भी बता देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : वह बता देंगे लेकिन (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कॉमन आब्जेक्ट अगर किसी का होता है, अगर कॉमन आब्जेक्ट है, अगर पांच बाहर खड़े हुए थे तो वह निगरानी करने के लिये खड़े थे, इनको कोई रोके नहीं और इंक्लूडिंग ड्राइवर, they are equally liable.

वह तो कॉमन आब्जेक्ट है उनका, कुछ को अन्दर भेज दिया उन्होंने और कुछ को बाहर रख दिया। तो टोटल में कितने अनलाफुल असैम्बली के मेम्बर थे ? अभी तक जांच में क्या आदमी पकड़े गये हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : आदमी तो अभी तक चार....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सरगना पकड़ लिया, शास्त्री नगर में सरगना को पकड़ लिया। तब आपको अभी तक मालूम हो जाना चाहिये कि दूसरे आदमी किधर गये है, मुल्जिम थे कितने।

श्री कैलाश मेघवाल: प्रतिपक्ष के नेता, दो आदमी जनता ने पकड़े उनको गिरफ्तार करके मालपुरा अस्पताल में क्योंकि उनके साथ जनता ने मारपीट की थी तो भर्ती कराया गया। एक उनका सरगना था जो रात को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। नाकेबन्दी की

(120)

(श्री कैलाश मेघवाल)

गयी है, सब तरफ पार्टियां भेज दी गयी हैं। इस प्रकरण में आपकी जो मूल बात है कि जीतू, जो बालक है, जिसने बहादुरी दिखाई, मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि उसका नाम राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा 26 जनवरी को साहसी बालकों को सम्मानित किया जाता है, उस हेतु अनुशंषित करेगी। इसमें मैं सहमति व्यक्त करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : जीतू भी और लक्ष्मण भी।....

श्री कैलाश मेघवाल : दूसरे स्टेटमैंट भी मैं दे दूं। सबका साथ हो जाएगा।

श्री बनवारीलाल बैरवा : इसका एक्सप्लेनेशन तो देते।

श्री किशन मोटवानी : नहीं, साथ नहीं होगा। एक-एक स्टेटमैंट। (व्यवधान) एक-एक देते जाओ।

श्री कैलाश मेघवाल : भीमराज जी भाटी के बारे में... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर घटना है। अब तक तो डकैती की यह मान्यता रही है कि किसी व्यक्ति विशेष को ही नुकसान पहुंचा है, लेकिन यहां पर लाखों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है, आघात पहुंचा है। पूरा कस्बा बंद रहा है। मालपुरे कस्बे के अन्दर बड़ी भारी परेशानी है, पूरे टौंक जिले के अन्दर आक्रोश है। राजस्थान के जो श्रद्धालु लोग हैं, उस मंदिर में जो आस्था रखते हैं, उन लोगों को बड़ी भारी तकलीफ हुई। मेरा इसके अन्दर यह निवेदन है कि यह जो डकैती हैं, यह सहज रूप में चलते-चलते कर दी गयी हो, ऐसा नहीं है, यह बहुत सोच-समझकर योजनाबद्ध तरीके से की गयी दुर्घटना है। विशेष बात तो यह है कि जहां से डिग्गी मोड़ चालू होता है डिग्गी के लिये जो रास्ता पहुंचता है उसके ऐन नुक्कड़ पर पुलिस थाना मौजूद है थाना होने के बावजूद इस तरीके के लोग वहां आकर योजना बनाते रहे, देखते रहे, उसका रिहर्सल करते रहे और पुलिस को कोई पता नहीं हुआ, यह एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि चूंकि वह थाना वहां रखवाली कर रहा था, उस क्षेत्र की रखवाली कर रहा था, मंदिर की रखवाली कर रहा था यानी रेड अलर्ट जैसा था और बस्तियां बसी हुई हैं, वहा पर गुण्डा बदमाश और इस तरीके का जो अन्वांटेड एलीमेंट जाता है, वह जब तक इनसे मिला हुआ नहीं हो तब तक यह घटना हो नहीं सकती। क्या उस तरफ भी माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान गया है? जो आपने बयान दिया है उस बयान को मैं अभी तक अधूरा इसलिए जानता हूं कि उसके अन्दर जो गया हुआ आभूषण है, जो रत्न हैं, जो गारमेंट्स हैं उनके बारे में कोई विवरण आपने नहीं दिया कि क्या बरामद हुआ है और क्या बरामद नहीं हुआ है। जब तक वह मुकुट और तमाम चीजें बरामद हो जाएंगी तब तक हमारे वहां के लोगों के अन्दर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है उसके अन्दर कोई कमी नहीं आयेगी। उसके लिये माननीय गृह मन्त्री जी साहब जवाब दें, की जो

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

मुल्जिमान पकड़े गये, उनसे क्या-क्या बरामद हुआ है और क्या-क्या चीजें अब जो पकड़े जाने वाले हैं, उनसे बरामद होनी हैं। धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवाई से आने वाले माननीय विधायक ने जो बिन्दु उठाये हैं, वे हैं जो गया है सामान-सिरपेच, 204 ग्राम का सिरपेच, मुकुट के ऊपर का हिस्सा। मुकुट तो इस जीतू ने बचा लिया और इसके ऊपर का जो हिस्सा था वह डकैत लेकर भागने में सफल हुए हैं। लूट में वही गया है अभी की जानकारी के आधार पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई. जी. पी. स्तर के जो हमारे यहां के अधिकारी हैं नमोनारायण जी मीणा लॉ एण्ड आर्डर के, उनको टोटल सुपरविजन सौंपा है कि इस सारे अपराध की पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे अपराध हुआ। इस गैंग के बारे में पता लग गया है। यह बहुत ही बड़ी क्रिमिनल गैंग है जिसके खिलाफ कई-कई 10–11 केस है उनकी सूची आ गयी है। उनके कई दूसरे केसेज आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अभी जो भागे हुए हैं। उनकी कई अदालतों में जमानतें भी हो रही हैं। जिस तरह से तफ्तीश तेजी से चलेगी, ये सारे बिन्दु सामने आएंगे जो आपने कहे हैं कि ये कहां से आये, कैसे आये, पहले किस तरह से इन्होंने सारा जायजा लिया। वास्तविक स्थिति तो यह है कि वह जो एक प्रचार हुआ था कि एक करोड़ का कोई मुकुट चढ़ा रहे हैं, वह स्थिति नहीं थी। उसके बाद में मुकुट की जांच हुई तो वह हजारों में ही निकला है। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य उस लूट की ओर था। इसलिए सारे बिन्दुओं पर विस्तार से निवेदन करना चाहता हूं। नमोनारायण जी मीणा से चर्चा भी हुई हैं मेरी भी हुई है, मुख्य मंत्रीजी की भी हुई है और दूसरे अधिकारियों की डी.जी.(पी.) साहब की भी, कि विशेष तरह की पृष्ठभूमि बनी है और एक तीर्थस्थल पर इस तरह का होना चिन्ता का विषय है। यह कानून एवं व्यवस्था के अधिकारियों के लिये भी एक चुनौती भरा विषय है। तो, किसी तरह की कोई कमी इस केस में नहीं रखी जाएगी। समय समय पर और भी सूचनाएं आएगी उनके आधार पर इसमें एक्ट अपॉन किया जाएगा, उसमें तफ्तीश की जाएगी। क्योंकि नामजद हो चुके हैं, सात मुलजिम थे, हमको विश्वास है कि ये पकड़ में भी आ जाएंगे। उनकी सकुन्नत भी मालूम है उनके जामिन भी मालूम हैं, उनकी रिश्तेदारी भी मालूम है। तो बड़ी तेजी से इस विषय में सारा काम हो रहा है, टीमें भी गठित की गयी हैं। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं इस स्टेज पर कि तफ्तीश सही स्तर पर सब बिन्दुओं, सब पक्षों को ध्यान में रखकर की जा रही है।

श्री मोहनलाल जी के बारे में वक्तव्य।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा का और एक सवाल है। आप सुन लें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान में इन धार्मिक मन्दिरों में चोरी और महन्तों की हत्याएं हो रही हैं। दौसा में महन्तों की हत्या का मामला उठा....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये, सवाल।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो ही प्रश्न हैं, साहब । उस समय तीन महन्तों की जो हत्या हुई थी आप सबने मजाक किया था उसका, बड़े दुःख की बात है लेकिन, माननीय गृह मंत्रीजी, अब आपके सामने यह सवाल आ गया । रोजाना मूर्तियों की चोरियां हो रही हैं । श्री महावीरजी की मूर्ति चोरी हो गयी । डिग्गीपुरी के राजा सारे राजस्थान में, सारे हिन्दुस्तान में सबके इष्टदेव हैं अगर वह बच्चा रक्षा नहीं करता तो आज उस मुकुट का क्या होता ? वह मुकुट भी चला जाता और आपकी और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती । क्या सुरक्षा है राजस्थान के अन्दर ? जब आप मूर्तियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इंसानों की क्या सुरक्षा करेंगे ? वे तो हमारे इष्ट देव हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करते । इसलिए मेरा प्रश्न है कि आज मूर्तियों की रक्षा के लिए, मन्दिरों की रक्षा के लिए और महन्तों की रक्षा के लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं ? इसकी कोई विशेष व्यवस्था कर रहे हैं क्या आप ?

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्दिरों में चोरी के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं चाहे वह दौसा के मन्दिर का मामला हो, पुजारी की हत्या का हो, चाहे जयपुर के पास कूकस का हो, चाहे कल्याणजी के मन्दिर का हो । मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वहां से पुलिस का थाना या चौकी कितनी दूरी पर थी? आधा घण्टे तक वहां यह वारदात होती रही, पुलिस मौके पर कितनी देर बाद पहुंची ? पुलिस के पहुंचने के बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि जीप बरामद कर ली गयी है, जीप बरामद करने के बाद क्या वे चोर, डकैत पैदल भागकर गये ? तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी ? जनता ने गिरफ्तार किया है दो आदमियों को । आपकी पुलिस ने एक भी नहीं किया है दो दिन निकलने के बाद भी । उनके पते-ठिकाने आपको पता चल गये कि फलां गांव के रहने वाले हैं, फलां लोग हैं, आपने जयपुर के सरगना के अलावा, दस में से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया । पूरा जयपुर सम्भाग कल्याण जी को अपना देवता मानता है, लोग पैदल चलकर आते हैं वहां पर इस तरह की वारदात हुई । आज सभी मन्दिरों में जो ऐतिहासिक महत्व के हैं चाहे वह रणथम्भोर के गणेशजी हों, कोई भी मन्दिर हो उनके लिए सरकार सुरक्षा की क्या व्यवस्था करने जा रही है ताकि आइंदा पुजारियों की हत्या नहीं हो, मन्दिरों में लूट नहीं हो ? इसके लिए आप कोई पुख्ता व्यवस्था करने जा रहे हैं क्या, गृह मंत्रीजी ताकि दुबारा ऐसी वारदातें इस प्रदेश में नहीं हों? आप जनता को आश्वासन दें कि धार्मिक मन्दिरों में दुबारा ऐसी वारदातें नहीं होंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतरामजी ।

श्री जीतराम (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालपुरा और डिग्गी जाकर आया हूं । जिस रात को घटना हुई उस रात को मैं अस्पताल में 12.15 बजे पहुंच गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या फरमा रहे हैं आप ?

श्री जीतराम : जिस रात को घटना हुई उस दिन सवाई मानसिंह अस्पताल में मैं रात्रि 12.15 बजे पहुंच गया था....

श्री उपाध्यक्ष : यह जो अभी वक्तव्य दिया गया है उससे सम्बन्ध है क्या ?

श्री जीतराम : हां, मैं लोकल एम. एल. ए. हूं। उस टाइम पहुंचा तो चार लोग घायल थे जिनमें से सबसे ज्यादा लक्ष्मण की हालत खराब थी । मैंने चिकित्सा मंत्री से रात को बात की, गृह मंत्रीजी से बात की कि हाथों हाथ चिकित्सा की सुविधा कराएं। मैं बहुत दुःख से कह रहा हूं कि मुलजिमों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए मैं यह मंत्रीजी से दरख्वास्त करता हूं।

दूसरा, आज लक्ष्मण जिसके सिर में चोट आयी है, बहुत सीरियस है, उसको राज्य सरकार से मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस घटना में जितने घायल सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी उन सबसे मिलकर आये हैं, कुशलक्षेम पूछकर आये हैं और राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि उनकी चिकित्सा मुफ्त में की जाए। दवाई और सारी चीजों की व्यवस्था राज्य सरकार वहां कर रही है। माननीय विधायकजी ने रात्रि 12.30 बजे जब मुझे घटना बतायी तो उस वक्त सारे लोग वहां पहुंच गये थे। घटना दुःखद है, उनमें एक एक आदमी गम्भीर रोग से पीड़ित भी है, ज्यादा चोट लगी हुई है, बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में पूरी तत्परता बरती जाएगी।

अनेक माननीय सदस्य : बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह चिन्ता उचित है। हमारे यहां पर मन्दिरों की मूर्तियां बहुत प्राचीन काल से स्थापित हैं और उनकी अलग-अलग उम्र है। कोई 13 साल पहले स्थापित हुई, कोई डेढ़ हजार साल पहले कोई पांच सौ साल पहले स्थापित हुई इसलिए इन मूर्तियों की विश्व बाजार में एन्टिक वेल्यू ज्यादा है। वह एन्टिक वेल्यू जो है वह इस तरह के अपराधियों को....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : वह एन्टिक वेल्यू जो हैं वह इन मूर्ति चोरियों की घटनाओं को कराने के लिए कई बार उत्तरदायी होती है। इसके लिए हमारे यहां एटिक्विटी लॉ बना हुआ है, उस पर लेते हैं। लेकिन ये मूर्तियां ज्यादातर, आपने कई बार देखा हो तो विदेशों में जाकर बड़े मूल्य पर बिकती हैं इसलिए इन मूर्तियों को चोरने के लिए लगातार अपराधी तत्व सतर्क रहते हैं। योजनाएं भी बनाते हैं और सफल भी रहते हैं। पुलिस ने अनुसंधान में कई मूर्तियां बरामद की हैं और कई मूर्तियां बरामद नहीं भी हो पायी हैं पुलिस के सब प्रयत्नों के बावजूद भी। इस सारे विषय पर राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय पर मूर्ति चोरी के बारे में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित कर रखा है और विशेष रूप से सी.आई.डी. (सी. बी.) उसकी मोनीटरिंग करता है। माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

सदस्यों की उन भावनाओं को पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए हम इस बात की कोशिश करेंगे कि मन्दिरों में मूर्तियां सुरक्षित रहें और मूर्ति चोर अपना कमाल नहीं दिखा सकें, यह विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। इस केस में आपने जो अनेक शंकाएं जाहिर की हैं कि कब आया कब नहीं गया, ये डिटेल्स जो हैं, अनुसंधान के हैं। अब यह तो कल की घटना है, इसमें कोई ढिलाई नहीं आए, इस बात की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : मन्दिर से थाना कितने किलोमीटर दूर है ?

श्री कैलाश मेघवाल : साढ़े तीन या चार किलोमीटर दूर है।

एक माननीय सदस्य : ऑन रोड है।

श्री परसादीलाल मीणा : ऑन रोड है तो आधा घण्टे में पुलिस नहीं आ सकती थी वहां से ?

श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस को सूचना कब मिली, कब नहीं मिली ? वहां तो किसी की शिकायत है नहीं कि पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गयी, यह मेरी रिपोर्ट है।

श्री परसादीलाल मीणा : साढ़े आठ बजे की घटना है, गृह मंत्रीजी, वे सो रहे थे।

श्री कैलाश मेघवाल : आपका तो हर विषय पर यह है कि पुलिस नहीं पहुंची, पुलिस नहीं पहुंची। मेरी सूचना यह है, माननीय विधायक की सूचना यह है, वहां के लोगों की सूचना यह है कि सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गयी। पहुंचने में उसको जितना समय चाहिए था....

श्री परसादीलाल मीणा : कितने बजे पहुंची, मुझे यह बता दो ?

श्री कैलाश मेघवाल : वहां पहुंच गयी वह।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी पुलिस वहां कितने बजे पहुंची ?

श्री कैलाश मेघवाल : पहुंच गयी।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, बताइये आप, कितने बजे पहुंची ? ऐसे नहीं टालेंगे इस बात को आप, बताइये, कितने बजे पहुंची ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह से डेलीगेटेड और माइन्यूट पाइंट में सदन के सामने (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप बताइये, कितने बजे पहुंची पुलिस ? उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब है ? आप संतुष्ट हैं क्या ? सदन संतुष्ट है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। हां, मैं संतुष्ट हूं, सारा सदन संतुष्ट है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप विराज जाएं।

श्री जीतराम : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस वहां 15 मिनट के बाद पहुंच गयी थी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप राजस्थान के गृह मंत्री हैं, थोड़ा जानकारी करके वक्तव्य दीजिये, सीरियसली वक्तव्य दीजिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : पुलिस वहां पर सो रही थी, कितने बजे पहुंची ? (व्यवधान)

श्री जीतराम : सो नहीं रही थी, 15 मिनट बाद पहुंच गयी थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि समय पर पहुंच गयी थी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अगर हम सरकार की कोई कमी बताते हैं तो आप बुरा क्यों मानते हैं ? why do you get irritated ?

श्री जीतराम : आप तो गये नहीं, मैं गया हूं इसलिए मुझे पता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बताएं, घटना के बाद पुलिस कितने बजे पहुंची ? 12 बजे या 11 बजे ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मन्दिरों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं मन्दिरों की सुरक्षा के लिए ?

श्री रामस्वरूप मीणा : दुबारा ये घटनाएं नहीं हों....(व्यवधान) लगातार चोरियां हो रही हैं (व्यवधान) लगातार महन्तों को मारा जा रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : पुजारियों को मारा है उसके लिए क्या किया है ? अपराधी पकड़े गये ? दौसा में पुजारियों की हत्या हुई, आपने क्या किया अब तक ? (व्यवधान) डिग्गी कल्याणजी के यहां जाने का समय नहीं था आपके पास ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उन मन्दिरों में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शांतिलालजी, बिराज जाएं। (व्यवधान) अंकित न हो। कृपया बिराजें माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार व्यवधान डाल रहे है, शांतिकुमारजी, आपका नाम बदलना पड़ेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री जीतराम : × × ×

स्वतंत्रता दिवस पर विधायक पर हमला

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री मोहनलाल मोदी, विधायक पर हमले सम्बन्धी घटना पर वक्तव्य।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिनांक 15-8-97 को नीमकाथाना में नेहरू पार्क स्टेडियम पर स्वतंत्रता दिवस समारोह से सम्बन्धित कार्यक्रम प्रातः 9.15 से दोपहर 12.30 तक सम्पन्न हुआ। स्टेडियम में एक चबूतरा बना हुआ है उसको मंच बनाया गया था जिस पर शामियाना लगाया गया था। इस कार्यक्रम में शांति बनाये रखने के लिये एक पुलिस उप अधीक्षक एक पुलिस निरीक्षक एवं 35 पुलिस कर्मी तैनात थे। इस स्टेडियम को समारोह के तीन दिन पूर्व एंटी सबोटेज चैकिंग करवा कर कब्जा पुलिस में लिया गया था और आर. ए सी. की गार्ड लगा रखी थी। दिनांक 15-8-97 को 9.15 ए. एम. पर एस. डी. एम. श्री कन्हैया लाल स्वामी ने झंडारोहण किया तथा उसके बाद में अन्य कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। छात्र अपने पुरस्कार लेने हेतु मंच पर आने-जाने लगे। इस बीच 11.25 पी. एम. पर अभियुक्त श्री शिवकुमार अग्रवाल, आयु 25 वर्ष जो निहत्था था, दर्शकों में से उक्त मंच के करीब 20-25 फीट की दूरी से चुपचाप चलकर आया और मंच पर चढ़कर श्री मोहन लाल मोदी, विधायक के बायें गाल पर जोर से थप्पड़ मार कर मंच से दौड़कर नीचे आ गया जिसे उपस्थित लोगों ने पकड़ लिया व मौके पर ही कब्जा पुलिस में ले लिया। जिस पर कुल लोगों ने कहा कि यह तो पागल है, कार्यक्रम को चालू रखो। जिस पर विधायक मोहनलाल मोदी ने भी कार्यक्रम को चालू रखने के लिये कहा। कार्यक्रम 12.30 तक चला। थानाधिकारी नीमकाथाना ने थाना पहुंचकर अभियोग संख्या 244/97/ धारा 451, 323, 120 (बी) ताजिराते हिंद पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया। अभियुक्त को मौके पर धारा 151 जा. फौ. में गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 16-8-97 को एस. डी. एम. नीमकाथाना के समक्ष पेश किया गया जिसने उसे न्यायायिक अभिरक्षा में भेज दिया। दौराने अनुसंधान पाया गया कि अभियुक्त श्री शिव कुमार अग्रवाल पूर्व से ही विधायक श्री मोहनलाल मोदी से परिचित है। अभियुक्त का मकान भी नीमकाथाना कस्बे में विधायक के पड़ोस के नजदीक ही है। अभियुक्त के माता-पिता का विधायक के घर आना-जाना है। और दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं? अभियुक्त कई वर्ष पूर्व से ही विकृत-चित्त है जिसका इलाज मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डाक्टर शिव गौतम का चल रहा है। अभियुक्त ने यह भी बताया कि छोटी-छोटी बात को लेकर उसके दिमाग में ग्रंथि बन जाती है जिससे वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। वाद्य यंत्रों की ध्वनि एवं धुनों के साथ उसके कानों में गूंजने लगा कि मोहन मोदी को एक थप्पड़ मारना, दूसरा नहीं। इस पर उसी धुन में उसने एक थप्पड़ मार दिया। अभियुक्त दसवीं पास है जो इतना अवश्य समझता है कि इस समारोह में समाज के प्रतिष्ठित विधायक श्री मोहन लाल मोदी के थप्पड़ मारने से उनका अपमान होगा। अपने इसी आशय की पूर्ति के लिये उसने यह थप्पड़ मारा। अभियुक्त के दिमाग में मोहन लाल मोदी, विधायक के विरुद्ध ग्रंथि बनी हुई थी जिसके निम्न आधार बताये गये हैं—

अभियुक्त का इलाज डाक्टर शिव गौतम द्वारा चल रहा था जिस सम्बन्ध में

(श्री कैलाश मेघवाल)

मोहन लाल मोदी के घर से जयपुर टेली-फोन करवाना चाहता था जो श्री मोदी द्वारा नहीं करने दिया गया। इसके अलावा अभियुक्त को किसी लड़की के मामले को लेकर उसने पड़ोसी द्वारा कमरे में बन्द कर दिया गया था जिसे उक्त विधायक ने मुक्त नहीं करवाया आदि। यह मामला राजनीतिक षड्यंत्र का नहीं होना पाया गया। अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त शिव कुमार, निवासी छावनी नीमकाथाना के विरुद्ध धारा 451, 323, 355, 332 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 6–9–97 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी की 50वीं वर्षगांठ, 15 अगस्त का मामला और एस. डी. ओ. बैठा, डीवाई. एस. पी. बैठा, वहां पर दो-तीन और, चेयरमैन और मैं बैठे, आर. ए. सी. की गार्ड लगी हुई, यह सारा मामला इस तरह का था और जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है सारा तोड़-मरोड़ कर दिया है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? डीवाई. एस. पी. वहां मौजूद है, एस. डी. ओ. मेरे बराबर में बैठा हुआ है और आगे डेस्क लगी हुई है, फिर किस तरह से वह आदमी पहुंच गया? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से भी सारे लोग आकर मिले थे, कि यह सारी कारस्तानी डीवाई. एस. पी. की है जो वहां मौजूद था। उसके खिलाफ मैंने यहां विधान सभा में पचास हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, उसने यह सारी की सारी कार्यवाही करायी। उस पर आपने क्या एक्शन लिया? आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? वह तो जनता ने पकड़ लिया उसको। वहां से कितनी दूर जाकर लोगों ने पकड़ा? पुलिस वहां दौड़ी नहीं, डीवाई. एस. पी. ने वहां कोई कार्यवाही नहीं की, एस. डी. ओ. ने कुछ भी नहीं किया। यह तो आजादी का 15 अगस्त का फंक्शन था, इसलिये मैंने इतना धैर्य रखकर उस कार्यक्रम को चालू रखने के लिये कहा। अगर मैं उस वक्त उस कार्यक्रम को बन्द कराता तो वहां इस तरह की हरकत हो जाती कि उस आदमी को तो मार देते। मैं तो मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्लानिंग की हुई एक साजिश है वहां पर। उसको आप कंट्रोल नहीं करना चाहते। नीमकाथाना में इस तरह की वारदातें आगे भी होंगी। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा कंट्रोल करिये और वहां के जो न्यूसेंस लोग हैं, आपके पुलिस के लोग जो मिले हुए हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिये। आपने पुलिस को बहुत बड़ा तमगा तो दे दिया लेकिन आपके उन अधिकारियों के ऊपर यहां भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वे अगर कोई मामला दर्ज करते हैं तो उनको प्रेशराइज करते हैं वहां पर। ये सारी बातें हैं इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि विधायकों की तौहीन न हो और समाज में उनकी इज्जत बनी रहे, इन सारी बातों को आप सोचकर डीवाई. एस. पी. के खिलाफ पूरी कार्य-वाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

(128)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्षजी, 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस के अवसर पर माननीय सदस्य जो नीमकाथाना से आ रहे हैं, इनको शिव कुमार ने एस. डी. ओ. और आपके पुलिस अफसरों की उपस्थिति के अन्दर अपमानित किया। अपमानित करने के बाद में आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया और पारितोषिक बितरण जो हो रहा था उसको चालू रखा। यह तो माननीय सदस्य का बड़प्पन है, एक बात और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अहिंसा में विश्वास रखती है, हिंसा में विश्वास नहीं रखती है। ऐसे गौरवमय पर्व के ऊपर किसी भी फंक्शन में कोई व्यवधान आना बहुत गलत समझ करके इन्होंने बड़प्पन दिखाया। लेकिन माननीय सदस्य ने बहुत सीरियसली यह एलीगेशन लगाया है कि आपका डीवाई. एस. पी. वहां मौके पर उपस्थित था, पुलिस की गार्ड भी वहां पर थी, शिव कुमार को लोगों ने पकड़ा लेकिन डीवाई. एस. पी. और पुलिस पकड़ने के लिये आगे ही नहीं बढ़ी। इसका मतलब यह है कि मिलीभगत का जो ये आरोप लगा रहे हैं यह सही है। डाक्टर गौतम की बात कर लें, दूसरी बात कर लें, इसमें तो ग्रंथियां कई लोगों के हो जाती हैं। ग्रंथि किसके कैसी होती है, क्यों होती है, यह तो एक सोचने की बात है। वह टेलीफोन कर रहा था तो ग्रंथि पहले वहां बन गयी। फिर वह गौतम से बात करता तो वह कहता, यह दवाई ले ले, ग्रंथि निकल जाएगी। यहां पर यह कुछ मेरी समझ में नहीं आया कि हो सकता है मेंटली डीरेल्ड हों। लेकिन उसने जो कारण बताया है, जैसा कि आपने अभी स्टेटमैंट में पढ़ा है कि मुझे एक रोज बंद कर दिया था उस वक्त एम. एल. ए. ने छुड़वाया नहीं, यह भी उसका एक कारण हो सकता है। उसकी ग्रंथि बनी हुई थी इसलिए उसको बंद किया था कि काहे के लिए बंद किया था? किसने बंद किया था? बंद कराने वाले उसके आदमी थे कि उसके रिश्तेदार थे या मोहन मोदी ने बंद करवाया था? लेकिन ये बड़ा सीरियस चार्ज है कि वहां पर एस.डी.एम. बैठा हुआ है and he is not only the S.D.O., और उसको मैजिस्टीरियल पावर्स हैं और डीवाई. एस. पी. था और उसी डीवाई. एस. पी. के विरुद्ध माननीय सदस्य इस सदन में चार्ज लगा चुके हैं रिश्वत का। उस आदमी को इमीजिएटली वहां से ट्रांसफर करना चाहिए था, अगर थोड़ा बहुत भी आपमें विधान सभा के सदस्यों के प्रति सम्मान होता। असम्मान उनका हुआ है तो यह उनका नहीं हुआ है, इस सदन के हरेक माननीय सदस्य का अपमान हुआ है और वह अपमानित हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी बात उन्होंने रखी है, यह मामला बहुत सीरियस है और आपको इस सम्बन्ध में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट कहना चाहता हूं। यह मामला इस सदन में पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी आ चुका है और माननीय सदस्य ने उस वक्त भी बहुत-सी बातें रखी थीं। सम्बन्धित डीवाई. एस. पी. हैं, उनके खिलाफ उस वक्त भी माननीय सदस्य ने कहा था और आज भी

(श्री शिवनाथ सिंह)

वे कह रहे हैं । ऐसा मामला यह जो आया है, मैंने कल परसों भी कहा है कि इस प्रकार का स्टेटमैंट देना मेरे ख्याल से सरकार के लिए उचित नहीं है और सम्मानजनक भी नहीं है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेटमैंट जो गृह मंत्री का आया है उसको कोई भी दूसरा आदमी अनकन्सर्ड जिसको जानकारी नहीं है वह पढ़े तो इसका मतलब यह हुआ कि वह आदमी बिलकुल इन्नोसेंट था और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । ग्रंथियां आ गयीं, यह आ गयी, सब कुछ आ गया । मुल्जिम के जो स्टेटमैंट होते हैं, मुल्जिम का वर्णन होता है उसको तो यहां गृह मंत्री जी रखने के आदि हो गये हैं और दूसरी जो चीज है उस पक्ष को वे गौण करते जाते हैं । हमने गृह मंत्री जी के स्टेटमैंट को जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे उस आदमी के लिए बचाव में जो कुछ भी हो सकता था माननीय गृह मंत्री जी ने किया । मैं एक दूसरी बात और कह देना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां पुलिस का इतना लवाजमा था, डीवाई. एस. पी. नजदीक था, एस. डी. एम. नजदीक था, सब थे और उनकी तरफ से इतनी निष्क्रियता रही तो जो माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है उसमें मजबूती आती है । यदि ऐसा होता तो तुरत-फुरत में पुलिस वाले सबसे नजदीक थे, जनता दूर थी, पुलिस वाला डीवाई. एस. पी तुरन्त उन पर कार्यवाही करता । वह वहां नहीं हुई, वहां उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और यह कह दिया कि माननीय सदस्य ने कहा कि कार्यवाही चालू रखी जाए इसलिए इनकी सहमति थी । इनकी सहमति तो थप्पड़ खाने में हो गयी, गृह मंत्री जी के हिसाब से मोहन जी मोदी की सहमति थप्पड़ खाकर बैठने की हो गयी । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह सही नहीं है । आपने जो धाराएं बतायी हैं वे धाराएं मोहन जी मोदी के प्रश्न के सम्बन्ध में हैं । लेकिन एक इतना बड़ा 15, अगस्त का अवसर था, स्वर्ण जयन्ती का अवसर था, क्या इस प्रकार के आयोजन हो और उसमें उस प्रकार की कार्यवाही हो तो उसके लिए और कोई धाराएं नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस मामले का शायद चालान हो गया हैं ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे अर्ज करूं, चालान हो गया है ...

श्री उपाध्यक्ष : मैटर सब जुडिस है । गृह मंत्री महोदय ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं सब जुडिस के लिए कह रहा हूं आपसे, मामला सब जुडिस है । उस मुलजिम के खिलाफ सब जुडिस है लेकिन उस मुलजिम का ऐक्शन, 15 अगस्त का ओकेजन, यह सदन का नहीं, माननीय सदस्य का नहीं, यह अपमान पूरे राष्ट्र का है, 15 अगस्त का जो हमारा पर्व है उस पर्व का अपमान है । इस प्रकार की कार्यवाही माननीय गृह मंत्री जी इतनी लाइटली ले रहे हैं, यह मेरे ख्याल से उचित

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं है। सम्बन्धित जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ जब लगातार आरोप लगे हैं तो क्या माननीय गृह मंत्री जी ने जानकारी करनी चाही? कोई सीनियर आफिसर से इनक्वायरी करानी चाही, किसी सीनियर आफिसर से जानना चाहा कि उस डीवाई. एस. पी. का क्या रोल हो सकता है? यह आपने कभी चेष्टा नहीं की। उस पर्सन ने मोहन जी के थप्पड़ मार दिया, उसका चालान कर दिया और आपने कह दिया कि सब जुडिस हो गया। यह मामला सब जुडिस का नहीं है, यह पूरे देश का, राष्ट्र का और राष्ट्रीय पर्व का अपमान है इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को उसी लाइट में इसको देखकर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। यह स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसमें मैं भी स्थगन प्रस्ताव पर सहमति देने और हस्ताक्षर करने वालों में से था। इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरा स्टेटमेंट का जो ड्राफ्ट है वह पुलिस के अधिकारियों के द्वारा ही बनाया हुआ है और मंत्री महोदय ने बिना कोई तकलीफ किये, हालांकि विद्वान हैं, कानून के जानकार हैं, जैसा उन्होंने दिया वैसा का वैसा इन्होंने पढ़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट पढ़ा है उस स्टेटमेंट पर बड़ी बारीकी से चिंतन करिये। जिस तरह से ड्राफ्ट किया है– पास–पास इनके मकान हैं, ये बराबर चोट खाने, थप्पड़ खाने के बाद में बैठे रहे तो क्या भागकर मोहन जी मोदी इसको पकड़ते या चिल्लाते? तो ला एण्ड आर्डर दूसरी तरफ से और डिस्टर्ब होता। यह तो इनका बड़प्पन है और यह तो इनकी अनुशासन-प्रियता का नमूना है। यह जो ड्राफ्ट बनाया है इस ड्राफ्ट में तो उस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, फिर यह चालान क्यों कर दिया? आपने 323 में तथा दूसरे में चालान क्यों कर दिया? इस ड्राफ्ट के हिसाब से तो वह बिलकुल इन्नोसेंट है। गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट के पक्ष के अन्दर कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है उसकी रिपोर्ट है, इसका कोलोबरेशन करवा दिया। ऐसा स्टेटमेंट तो दे दिया लेकिन देने से पहले मोहन जी मोदी को भी बता देना चाहिये था कि आपको क्या करना है और आपके पास में क्या क्या तथ्य हैं। एक विधान सभा का माननीय सदस्य और आप इस विधान सभा के माननीय सदस्य ही नहीं हैं, आप गृह मंत्री भी है। आप गृह मंत्री होने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल के पोते वाली श्रेणी में हैं। कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल और कहां उनका पोता। जिसका आप मुकाबला कीजिये....वह पद है। मैं पोता नहीं बता रहा हूं। राजस्थान की जो 6 करोड़ की अमानत है उसको ये संभाले हुए हैं और इस विधान सभा की एक अमानत है विधान सभा सदस्य। मैं नहीं कहता कि विधान सभा या पार्लियामेंट का मैम्बर कानून के ऊपर है। कानून के ऊपर कोई नहीं है लेकिन कानून के हिसाब से विधान सभा के सदस्य की भी रक्षा होनी चाहिए। मैं नहीं कहता, दूसरा कानून या कोई स्पेशल कानून हो लेकिन कानून से तो रक्षा होनी ही चाहिए। वह रक्षा आपके अधिकारियों ने की नहीं, वह चिंता नहीं की। इस विधान सभा के

(श्री रामनारायण चौधरी)

अन्दर इन्होंने चार्ज लगा दिया था, उस डीवाई. एस. पी. के खिलाफ चार्ज लगा दिया था, उसकी जांच गृह मंत्री जी ने नहीं की। गृह मंत्री जी ने इनसे पूछा तक नहीं, किसी अधिकारी ने इसकी जांच नहीं की तो आपको सारी डिटेल्स में जाना तो चाहिए था। मैं नहीं कहता कि उनकी रक्षा नहीं कर सके। रक्षा तो किसी की भी नहीं होती। रक्षा तो मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, बड़े-बड़े लोगों की नहीं हुई। लेकिन वारदात हो जाने के बाद उसके साथ जस्टिस तो होना चाहिए- इन्साफ तो होना दूसरों की नजरों में होना चाहिए, जिसको चोट पहुंची है उसकी नजरों में भी होना चाहिए। उसके शुभ चिंतकों के बारे में होना चाहिए। हम लोग इसलिए चिंतित है कि माननीय मोहन लाल जी मोदी इस सदन के एक सम्मानित सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, नये नहीं हैं। नये हो तो भी कोई उसका महत्व घटता नहीं, लेकिन बुजुर्ग हैं, सीजंड आदमी हैं, मैच्योर्ड हैं उम्र के हिसाब से और शांति प्रिय है। इस सारे दृष्टिकोण को समझकर उस हिसाब से आपके स्टेटमेंट में 100 पैसे में से एक पैसे का अंश और उस पैसे में भी 100वें अंश के अन्दर भी सहानुभूति नहीं है कि यह कोई वारदात हुई है। आपने तो मारने वाले को क्लीन चिट दे दी है। उसको आपने पागल करार दे दिया, यह कोई बात होती है स्टेटमेंट के अन्दर? ठीक है, आप कोई कमिटमेंट नहीं करते, अदालत में यह मामला था तो उस हिसाब से आप स्टेटमेंट दे देते। लेकिन बड़े घोर असन्तोष की बात है। मैं इस स्टेटमेंट की मेरे तहे दिल से, हृदय से घोर निन्दा करता हूं, इसकी +++ करता हूं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं, रामनारायण जी ने जो अपनी व्यथा कही उसमें अपने आपको जोड़ते हुए, कि यह एक सर्कम्स्टेंशल एविडेंस है कि विधान सभा में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मामला उठा।

वहां घटना घटी, वह उठा नहीं और आर. ए. सी. के गार्ड बाकी का पुलिस महकमा, उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या आप उस डीवाई. एस. पी. के खिलाफ जांच करवाएंगे?

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त के सार्वजनिक समारोह पर जन प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार होना सब के लिए चिंता का विषय है। माननीय विधायकों ने जो चिंता व्यक्त की है उसके साथ मैं अपने आपको जोड़ता हूं। लेकिन दो पक्ष हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विक्षिप्त व्यक्ति और अर्द्ध विक्षिप्त व्यक्ति, इन के साथ कानून की विशेष व्यवस्था है।

श्री मोहनलाल मोदी: जांच करवाई क्या आपने कि वह विक्षिप्त है या नहीं? या आज तक उसने कोई ऐसी कार्यवाही की है? इसमें कहीं भी कोई जांच नहीं हुई है, यह तो खाली उसको बचाने के

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहनलाल मोदी)

लिये और उन अधिकारियों को खुश करने के लिए यह बात की है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के होम मिनिस्टर स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, सेशन कोर्ट का एडवोकेट कैलाश मेघवाल स्टेटमेंट दे रहा है। ऐसा लगता है कि डिफेंस काउंसिल स्टेटमेंट दे रहा है। उस व्यक्ति को बचाने के लिए, आपने कोई मेडिकल बोर्ड बैठाया है? आप किस आधार पर कह रहे हैं?

श्रीमती कमला : अस्पताल में कितने वर्ष से उसका इलाज का रिकार्ड है या उसी दिन एक पर्ची लिख दी?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : वह व्यक्ति अर्द्ध विक्षिप्त हो सकता है, यह स्टेटमेंट + + + कैसे हो गया?

श्री कैलाश मेघवाल : इनके दो पक्ष हैं। (व्यवधान) ... पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप विक्षिप्त कह कर इस बात को कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात सुनिए, विराजिए।

श्रीमती कमला : इस विक्षिप्त व्यक्ति का इलाज कितने वर्ष से कहां हो रहा है? उसका क्या रिकार्ड है? कैसे आपने विक्षिप्त और अर्द्ध विक्षिप्त मान लिया? वह तो विक्षिप्त है उसकी बात है लेकिन जो अधिकारी थे उनके ऊपर क्या कार्यवाही की आपने, जिन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया और विधायक की इस अवसर पर इस तरह की अवमानना हुई? उस दिन तो आपने यूं ही सरसरी तौर पर कह दिया कि वह तो पागल था इसलिए वह केस खतम हो गया, उस दिन तो आप ऐसा बोल गए थे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि इसके दो पक्ष हैं, एक तो.... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात तो सुनिए आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले मेरी बात सुन लें, फिर जवाब दे दें। एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। वैसे इस विषय को लम्बा बढ़ाने की हमारी इच्छा नहीं है लेकिन यहां दो पक्ष सामने आये हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे ऐसा लगता है कि मुलजिम की वकालत की जा रही है कि वह विक्षिप्त भी था, शिव गौतम के यहां उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और उन्होंने उसके रीजन भी नोट करा दिए। उसका बयान भी आ गया कि वह क्यों मोदीजी से खफा था, उसके दो कारण भी नोट करा दिए। उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, विधायक भी आम आदमी है लेकिन आम आदमी होने के बावजूद भी वह जन प्रतिनिधि है। जन प्रतिनिधि द्वारा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में आवश्यक रूप से

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

किसी अधिकारी पर कोई आक्षेप लगाया जाए और वह अधिकारी बदले की भावना से जन प्रतिनिधि की सरेआम और एक त्योहार के अवसर पर तौहीन करवाए, यह प्रश्न यहां जुड़ा हुआ है। एक तरफ प्रश्न है कि वकालत की गई है यहां मुलजिम की, दूसरी तरफ एक जन प्रतिनिधि की आहत भावना है जो उन्होंने सदन में अभिव्यक्त की है। मोटी-सी बात यह है कि चालान पेश हो गया, बहुत खुशी की बात है। मुलजिम जेल में गया, जमानत हो गई, कोई लेना–देना नहीं। जिन्होंने गम्भीरतापूर्वक आरोप लगाया है डीवाई. एस. पी. पर सदन में पचास हजार की रिश्वत का, उस डीवाई. एस. पी. ने षड्यन्त्र करके शिवकुमार अग्रवाल से इनको बेआबरू करने के लिए उस त्योहार के मौके पर, मजलिस में लोगों के बीच में बेआबरू करके जन प्रतिनिधि के गाल पर थप्पड़ लगवाया है, यह सोचने का बहुत गम्भीर विषय है। किसी एक जन प्रतिनिधि के गाल पर थप्पड़ लगे या किसी और प्रतिनिधि के गाल पर थप्पड़ लगे, कहीं कल कोई पागल, होम मिनिस्टर साहब, आपके गाल पर भी थप्पड़ मार जाएगा और यही कह दिया जाएगा। अभी तो प्रश्न यह है कि उस डीवाई. एस. पी. के एक्ट के खिलाफ क्या जांच करवा रहे हैं? माननीय सदस्य ने जो यहां पर आरोप लगाया है

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : मानो तो आपके गाल पर भी थप्पड़ लगा है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि दो पक्ष हैं। माननीय विधायक का आरोप है उसमें सत्यता कितनी है, इनोसेंटली उस आदमी ने अपनी तरफ से उकस करके या किसी क्रोध में आकर, अचानक ऐसी बात हो जाती है, थप्पड़ मार दिया या अधिकारियों के षड्यन्त्र के कारण यह थप्पड़ मारा गया। मैं आई. जी. पी. स्तर के अधिकारी को इस बात की जांच के लिए आदेश दूंगा कि यह जो थप्पड़ मारा गया है क्या यह अधिकारियों के किसी प्रोत्साहन पर या उनके उकसाने पर या उनके षड्यन्त्र से मारा गया है। इस बात की जांच होने पर यदि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई सबूत आया, माननीय विधायक महोदय भी उसमें सहयोग दें, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आज तक क्या किया? अब तक क्या किया?

श्री विष्णु मोदी : आज यह विधान सभा में प्रश्न उठा, उससे पहले आज तक आपने किया क्या? इस एंगल को जो बार-बार मुख्य मंत्री जी को बताया गया, आपको बताया गया तो आपने आज तक खाली चालान पेश करके और पहली बार सदन में इस तरह से पढ़ दिया और उसके बाद में आज आप कह रहे हैं कि आइ. जी. पी. स्तर के अधिकारी (व्यवधान) .... आज से पहले क्या कर रहे थे?

श्री रतनलाल ताम्बी : उनके सामने घटना घटित हुई मौजूद होते हुए, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री कैलाश मेघवाल : आपकी मांग मन्जूर कर ली, उसकी गम्भीरता को देखते

(श्री कैलाश मेघवाल)

हुए । बड़ी गम्भीरता से मन्जूर की है, उसी गम्भीरता से इसकी जांच भी होनी चाहिए । आई. जी. पी. स्तर के अधिकारी को मैंने इस मुद्दे पर जांच के लिए निर्देश दिये हैं ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पर आप इंतजार कर रहे थे इस सैशन का ? आप सुओ मोटो कोई एक्शन ले नहीं सकते, इतने इनकम्पीटेंट सिद्ध हुए हैं आप ।

श्रीमती कमला : आपने विधायक महोदय से तो पूछताछ की ही नहीं । आप विधायक महोदय से पूछताछ करने की व्यवस्था करते तो यह मुद्दा आपके सामने उसी वक्त आता और आप कार्यवाही के लिए कहते । आज आप कह रहे हैं कि अब मैं कार्यवाही करूंगा, इतने दिन तक आपने किया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना कुछ, राधेश्याम जी ? श्री पूनमचंदजी विश्नोई ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई(फलोदी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में बात कह देना चाहता हूं । बाड़मेर के एम. पी. के ऊपर तो हमला किया एक दारू पीकर पागल हुए आदमी ने, इन पर आप इन्क्वायरी करवाएंगे और मुख्य मन्त्री जी यहां पैरवी कर रहे थे कि पुलिस की साक्ष्य को सही माना जाना चाहिए तब भी मैंने एतराज उठाया था कि सजाएं नहीं होती हैं लम्बे समय तक । बाहर तो पुलिस की साक्ष्य मान ली जाती है, यहां नहीं मानी जाती । गवर्नमेंट एक तरफ तो कहती है कि साक्ष्य पुलिस वालों की मान ली जाए तो एम.एल.ए. क्या झूठे हैं ? इन्होंने कहा हैं पूर्ण जिम्मेदारी से और सदन में कहा है । अगर गलत कहते हैं तो ये स्वयं विशेषाधिकार हनन के पात्र होते हैं । और एक बात, वहां से उसको उठाया कि नहीं उन्होंने, डीवाई.एस.पी. ने पास आकर इनको पूछा कि नहीं कि आपके क्या हुआ, क्या बात है और उसको उठा कर ले गए कि नहीं, इस बात का जवाब दे दें ।

श्री कैलाश मेघवाल : ये मुद्दे जांच में आ जाएंगे । जांच आखिर किन मुद्दों पर होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : जांच जैसा कि आपने बताया कि इन अधिकारियों में किसी का षड्यंत्र था कि नहीं ...

श्री कैलाश मेघवाल : डीवाई.एस.पी. का कण्डक्ट ऐसा रहा कि नहीं.. कि जिससे....

श्री परसराम मदेरणा : कण्डक्ट तो उनका क्या रहा है, यह सदन में बता चुके हैं । उस कण्डक्ट के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं बोला । इन्होंने उस पर बहुत सीरियस क्राइम का चार्ज लगाया था । ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान का गृह मंत्री, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल का पोता या पड़पोता बना दिया, यह आपका स्टेटमैंट ऐसा है कि एक बेलेंस माइण्ड का स्टेटमैंट नहीं है । ऐसा नहीं है कि आप खुद ही विक्षिप्त है ।

श्रीमती शशीदत्ता (टीबी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने अभी जो सवाल उठाया, जो स्टेटमैंट माननीय गृह मन्त्री जी ने पढ़ा है, हालांकि

(श्रीमती शशीदत्ता)

मेरे काबिल साथीगण कह रहे थे कि डिफेंस काउंसिल, मैं कहती हूं कि यह किसी क्लर्क का लिखा हुआ भी स्टेटमैंट साबित नहीं होता। एक व्यक्ति, सैकण्ड कंडर टू सी.एम. अगर सदन में ऐसा वक्तव्य पढ़कर सुनाता है तो मैं कहती हूं कि इस स्टेटमैंट का कोई औचित्य नहीं है। खुद अगर ये डिफेंस काउंसिल की हैसियत से, और होम मिनिस्टर की हैसियत से भी बोल रहे हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने एडमिट किया है इस बात को इस स्टेटमैंट में कि अगर मेरे अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे तो मैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करूंगा। इसका मतलब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी की सारी कांस्पिरसी पुलिस महकमे की जानकारी में है। इस कांस्पिरेसी को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा बेतुका स्टेटमैंट होम मिनिस्टर के मुख से दिलवाया है इस सदन में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जो ब्रिफिंग यहां इस सदन में की गई है।

बिलकुल इसमें लीपापोती की गई है। दूसरी बात, मैं सिर्फ माननीय गृह मन्त्री जी को दोषी नहीं ठहराऊंगी। जिन्होंने यह स्टेटमैंट भेजा, पुलिस के उच्चाधिकारी भी यहां बैठे हुए हैं। उनका यह दायित्व बनता है कि वे माननीय गृह मन्त्री जी को यह पुट-अप करने से पहले ब्रीफ करते और जहां-जहां इसमें कमियां थीं उनको दूर करते।

(16.10 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि जब तक यह सत्र चला इस सत्र में लगभग सभी एम. एल. एज. के खिलाफ यहां आरोप लगते रहे। हम भी हैं, सभी हैं, लेकिन मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय, से एक क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछना चाहूंगी, बहुत शॉर्ट टाइम बचा है, छह महीने के लगभग ही बचे होंगे या आठ महीने हैं। मैं एक निवेदन करूंगी माननीय गृह मन्त्री जी से कि इन्होंने अपने गृह मंत्री काल में पता नहीं कितनी बार आश्वासन दिए। लेकिन जब हम लोग यहां होते हुए जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, हमसे लोग यह उम्मीद करते हैं कि हम उनको न्याय दिलाएं। आज कभी इस विधायक का उठता है, कभी मेरा उठता है, कभी राधे श्याम जी का उठता है, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि पांच साल के अपने कार्यकाल में आपने विधायकों के कितने मामलों में आज तक कोई फैसला लिया या नहीं किया?

श्रीमती कमला : विधायक महोदय का जो बयान है वह तो पढ़कर सुनाएं। आपने वह अभी तक नहीं सुनाया। मुझे यह लगता है कि आपने उनसे कोई पूछताछ नहीं की है, न उनके बयान लिए, न उनका वर्जन सुना है। आप किसका सुना रहे हैं, किसका क्या कर रहे हैं, किस पर कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : होम मिनिस्टर साहब, यह तो बताइए कि विधायक महोदय का भी कोई बयान लिया गया था? विधायक महोदय से रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद कोई बयान लिया था क्या?

श्री कैलाश मेघवाल : इस विधान सभा के प्रांगण पर माननीय सदस्यों ने जो

(श्री कैलाश मेघवाल)

भावनाएं व्यक्त कीं और जो तथ्य सामने रखे हैं उन तथ्यों के आधार पर जो जिस्ट आया है उस जिस्ट के आधार पर मैंने उसकी जांच करने के आदेश दिये हैं।

श्रीमती कमला : क्या विधायक महोदय से खुद से पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी ? वो तो असेम्बली में वर्जन्स हैं अपने-अपने।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं न तो जांच अधिकारी हूं, न किसी कानून में मुझे इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी बनने का अधिकार है। यहां पर जो कुछ भी बातें आती हैं, गृह मन्त्री होने के नाते (व्यवधान) ..

श्री सभापति : कृपया एक-एक करके बोलें। सब एक साथ न बोलें।

श्री शंकरलाल अहारी : आपको जांच नहीं करनी हैं, आप तो आदेश दो। सीधे आदेश दो, जांच तो और करेंगे।(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी, आप पहले इनकी सुन लीजिए, बाद में जवाब दे देना।

श्री कैलाश मेघवाल : विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कोई .. (व्यवधान) ....अपनी कई व्यवस्थाएं हैं, प्रिविलेज समिति है जहां प्रिविलेज में या विधान सभा में जितनी समितियां हैं उन समितियों में विधायकों के अधिकार सुरक्षित हैं। गृह मन्त्री तो कोई जांच अधिकारी होता नहीं। यह सही है कि गृह मन्त्री को पुलिस विभाग से जो जानकारी आती है, इस व्यवस्था में, उस जनकारी को शॉर्ट आउट करके उसके आधार पर बोला जाता है, व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यहां पर बहुत कम बोला जाता है। वह सही है या गलत है, ऐसी एजेंसी रहती नहीं। ऑफिशियल वर्जन व सारी व्यवस्था जिस तरह से आती है, आप भी जानते हैं,आप भी इस व्यवस्था में रहे हैं, यहां पर शासन में रहे हैं, हम भी रहे हैं, उसमें चूकें भी होती हैं, कमियां हो सकती है। पुलिस अधिकारी से कभी हम मिसगाइड भी हो सकते हैं, इससे मैं मना नहीं करता। यह जो मानवीय चूकें हो सकती हैं उसको हम यहां पर, यह जो सारी चर्चा होती है उसके आधार पर सुधारने की कोशिश करते हैं, करैक्ट करने की कोशिश करते हैं और यहां पर जो बहस हुई है उससे कुछ सही दिशा में चलने की कोशिश करते हैं। यह सारा मैंने किया था इसलिए मैंने सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए, बहुत ही सम्मानपूर्वक उनको स्वीकार करते हुए जांच के आदेश दिए हैं और यह जांच पूरी होकर दोषियों को दण्डित किया जाएगा।

अब मैं अजमेर वाला एक स्टेटमैंट....

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी, उन्हें सुन लीजिए। हां, बोलिए। एक-एक करके बोलिए। माननीय मोदी जी, विराजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपने सदन से सहमति व्यक्त की है, बहुत अच्छी बात है। हमें आप तारीख तो बता

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

दें, क्योंकि इंक्वायरी तो पांच साल तक चलती रहेगी। हमें आप डेट फिक्स करके बताइए कि 15 दिन के अन्दर यह इंक्वायरी करके जो कसूरवार होगा उसको सजा दी जाएगी। टाइम तो तय करें आप। पांच साल क्या छह महीने बाद अपन मिलेंगे ही नहीं, उसके बाद खतम।

श्री सभापति : विराजिए। माननीय मोदी जी।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, **टोडा** में हरिजन को घर जाकर पीटा गया था उसका मामला यहां हाउस में चला था। वह केस आपने सी. आई. डी. (सी.बी.) के अन्दर भेजा था, उसमें भी आज तक चालान नहीं हुआ। उस मामले में मैंने चार्ज लगाया था इस डी.एस.पी. पर कि इसने 50 हजार रुपये लेकर गलत रिपोर्ट दी, उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। यह चार्ज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : विराजिए। माननीय मन्त्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, आज कुछ बातें ऐसी उठी हैं जो हम यहां आपके सामने नहीं रखना चाहते। मैं माननीय विधायक से यह पूछ लूं कि क्या आपने इस जांच में सहयोग दिया था या 161 के बयान आपने दिये थे? क्या फायदा इन बातों में जाने से? जांच हो जाएगी। मैं अभी यह नया वक्तव्य पढ़ रहा हूं।

अजमेर दरगाह क्षेत्र में हुई घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य। दिनांक 17.2.98.... (व्यवधान)....

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर के बाद शास्त्री नगर पर स्टेटमैंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, उस स्टेटमैंट को आज नियत नहीं किया गया।

श्री जुबेर खान : मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह आप नहीं दबा सकते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कल आपने यह कहा था कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय और सदन के नेता महोदय तय कर लेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : हमने कहा था, चैम्बर में तय करके समय बता दो।

श्री जुबेर खान : मेरा यह निवेदन है कि इतना महत्वपूर्ण मामला, 6-6 आदमी मर जाएं और उस पर चर्चा न हो। आपने जो कमीशन बैठा दिया हम उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई तो ऐसी बात है जो सदन के सामने हम लाना चाहते हैं। आगे इस तरह की घटनाएं न हों, आगे किसी तरह से समाज का वातावरण न बिगड़े, यह बात भी कहने का हमको हक नहीं? यह कल भी उठा था और कल यह कहा था कि आज स्टेटमैंट दिया जाएगा। प्रतिपक्ष के नेता महोदय और सदन के नेता महोदय यह बात कर लेंगे। जो जुडीशियल कमीशन बैठा है उसका तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा।

(श्री जुबेर खान)

प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा था । पहले भी चर्चा हुई है और आपने खुद ने कहा था कि यह सदन इसका मापदण्ड नहीं है कि जांच को प्रभावित करे । हम यहां कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं, कोई उनको काम में ले या न ले । मैं किसी मुद्दे को हल्का नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह के मुद्दे यहां आये, चर्चा की गयी, क्या यह हक नहीं है कि जयपुर सिटी में 6–6 आदमी गोली से भून दिये गए हों ..

श्री सभापति : ठीक है, आपने कल भी यह बात कह दी थी । माननीय सदस्य, अब आप बिराजे । .. (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर वक्तव्य दीजिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए आप । बाध्य नहीं कर सकते, आप मांग कर सकते हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : सदन की व्यवस्था के अनुरूप जो वक्तव्य मैं यहां पर देने के लिए (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सेंसिटिव मामला है, इसमें छह लोग मरे हैं ।

श्री सभापति : अभी तैयारी थोड़े ही है । अभी आपके कहने से दे देंगे स्टेटमैंट ? इसकी तैयारी करनी होती है । कल निर्णय नहीं हुआ ।

श्री जुबेर खान : इन्होंने कहा था कि मैं तैयार हूं । अगर आप कहेंगे तो ।

श्री सभापति : इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तैयार हूं । इन्होंने कहा था कि प्रतिपक्ष के नेता, माननीय नेता, दोनों आपस में मिलकर मुझे जो भी आदेश देंगे वैसा ही स्टेटमैंट मैं दे दूंगा । तैयारी करनी होती है यहां । ऐसे थोड़े ही किया जाता है ।

श्री जुबेर खान : इन्होंने कहा था कि तैयार हूं, दिसम्बर का वाकया किया है । नेता महोदय कह दें कि इस पर चर्चा हो सकती है

श्री कैलाश मेघवाल : विधान सभा सचिवालय की ओर से मुझे कोई निर्देश नहीं मिला है और यह जो सहमति हुई थी वक्तव्य देने की ...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब इसी स्टेटमैंट को आने दीजिए । कृपया विराजिए । अभी इस स्टेटमैंट को तो आने दीजिए ।.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरकार को संवेदनशील होना चाहिए । वक्तव्य देना चाहिए । (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : छह दिन से मैं सख्त एतराज कर रहा हूं । छह दिन से ये मुद्दे चल रहे हैं । क्या शास्त्री नगर के बारे में इनको अभी तक पता नहीं लगा कि क्या है ? स्टेटमैंट जुबानी दे दें ।

श्री सभापति : खैर, इस स्टेटमैंट को तो आने दीजिए इस पर चर्चा तो हो जाए । माननीय मंत्रीजी ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह अफसोस है कि भूतपूर्व अध्यक्ष, विधान सभा, जिन्होंने

(श्री कैलाश मेघवाल)

विधान सभा का संचालन किया है, इतने गम्भीर मुद्दे पर मुझसे चाहते हैं कि मैं मौखिक दे दूं और उसके बाद में सारे माननीय विधायक अपने-अपने सवाल उठाएं। यह सम्भव ही नहीं है, किसी तरह सम्भव नहीं हो सकता। कैसे दे दूं मौखिक आखिर सब बातें तैयारी करनी पड़ेगी।

श्री जुबेर खान : एडजोर्नमेंट मोशन इनको दिए हुए पांच दिन हो गए। एक नहीं, 25 आदमियों ने दे रखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए, स्टेटमैंट हो रहा है।

अजमेर दरगाह क्षेत्र में घटित दुर्घटना

श्री कैलाश मेघवाल : दिनांक 17.2.98 को सिटी पुलिस कंट्रोल रूम से 4 बजकर 55 पी.एम. पर पुलिस थाना गंज पर इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि दरगाह बाजार में भीड़भाड़ एकत्रित हो रही है....

श्री किशन मोटवानी : कितने बजे ?

श्री कैलाश मेघवाल : 5.45 पी. एम. सोरी 4.45 पी. एम पर। पुलिस थाना गंज पर इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि दरगाह बाजार में भीड़भाड़ एकत्रित हो रही है, तत्काल कंट्रोल रूम से पुलिस पार्टी, उड़न दस्ता एवं थानाधिकारी गंज मय पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे। तो उन्होंने पाया कि दरगाह बाजार में, नला बाजार में एवं निजाम गेट के सामने दो समुदाय की तरफ से पत्थर, ईंटें आदि एक-दूसरे पर फेंकी जा रही हैं एवं दुकानों में आग लगायी जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस पार्टी ने दोनों समुदायों पर नियंत्रण करने के प्रयास किये लेकिन करीब 400–500 उपद्रवियों की भीड़ ने दरगाह के निजाम गेट, लंगर खाना गली, दरगाह बाजार की दुकानों, नला बाजार एवं त्रिपोलिया गेट व आस-पास के मकानों से भारी संख्या में पुलिस पार्टी पर पत्थर, बोतलें, ट्यूब लाइटें, एसिड की बोतलें, धारदार हथियार, बल्ब आदि फेंके एवं दरगाह की तरफ से पुलिस पर गोली भी चलायी गयी।

उक्त घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। जिस समय जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मौके पर पहुचे, उपद्रवियों को मैगा फोन से मौके से तुरन्त हट जाने की चेतावनी दी गयी। लेकिन फिर भी इसका असर नहीं हुआ एवं भारी संख्या में पत्थर, एसिड की बोतलें, ईंटों के टुकड़े फेंकने एवं धारदार हथियारों का प्रयोग जारी रहने पर भीड़ को चेतावनी दी जाकर दरगाह बाजार में तीन गोले अश्रु गैस के छोड़े गये। फिर भीड़ पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता देखकर प्रभावी लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज से दोनों तरफ की भीड़ पीछे हटी लेकिन समूह बनाकर जब दोनों तरफ से भीड़ का आना बढ़ रहा था एवं चारों तरफ से बहुमंजिली इमारतों एवं दरगाह की तरफ से पथराव हो रहा था तथा दुकानों में आग लगायी जा रही थी एवं चारों तरफ गलियों से भीड़ का आना

(140)

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रारम्भ हो गया था तब स्थिति का आकलन कर तीन राउण्ड 38 बोर रिवाल्वर के तथा दो राउण्ड 303 बोर राइफल के हवाई फायर किये गये। फायर होते ही दोनों तरफ की भीड़ पीछे हटी लेकिन दरगाह बाजार, धान मण्डी, नला बाजार तथा त्रिपोलिया गेट से जुड़ने वाली गलियों से भीड़ का इकट्ठा होना जारी रहा। उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज अजमेर ने भी मौके पर पहुंच कर भीड़ को समझाया। स्थिति और गम्भीर एवं विस्फोटक होकर जन एवं धन की हानि नहीं हो, इस दृष्टिकोण से सायं 6.30 पी. एम. को दरगाह बाजार से नला बाजार, महेश मेडिकल स्टोर तक, दरगाह से धान मण्डी, दिल्ली गेट से मोती कटला, लाखन कोटड़ी, त्रिपोलिया गेट, ढाई दिन का झोंपड़ा, नागफणी मोड़ तक, सोलह खम्बा, चौधर मोहल्ले तक के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की जाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया इसके अतिरिक्त कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा समस्त नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 जाब्ता फौजदारी लगायी गयी। दरगाह बाजार की दुकानें एवं गेस्ट हाउसेज में लगी आग को नगर परिषद की फायर ब्रिगेड से बुझाया गया। इस घटना में आठ दुकानों एवं भवनों में सामान के जलने एवं तोड़-फोड़ से व दो स्कूटर एवं लूना के जलने से कुल 6 लाख 17 हजार रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है।

उपरोक्त घटना में कुल 25 लोगों के चोटें आयीं जिनमें से 14 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी दो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तथा उपद्रवी जनता के लोगों के चोटें आयीं जिन्हें तुरन्त जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया जाकर इलाज कराया गया। घायलों में से श्री रामगोपाल कांस्टेबल के गले में फायर आर्म्स की चोट आयी है। घायल लोगों में से श्री रामगोपाल कांस्टेबल एवं श्री इलियास के अलावा सभी को बाद में उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। संवेदनशील क्षेत्रों में फिक्स्ड पिकेट्स लगाये गये व मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की प्रभावी रात्रि एवं दिन की गश्त हेतु तैनात कर उनसे गश्त करायी गयी। इसके अलावा अफवाहों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खण्डन किया गया तथा शांति समितियों की बैठकें बुलाकर शहर में शांति कायम रखने हेतु जनता से सहयोग मांगा गया। 18.2.98 एवं 19.2.98 को कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू किया जाकर पालना करायी गयी। दिनांक 20.2.98 को लगभग 1.40 पी. एम. पर जब पुलिस पार्टी इन्दरकोट क्षेत्र में गश्त कर रही थी तो उसने देखा कि कुछ लोग हाईदौस चौक के पास कर्फ्यू तोड़कर आने लगे हैं तथा वहां उपस्थित अधिकारियों एवं पुलिस पार्टी ने कर्फ्यू नहीं तोड़ने एवं उन्हें वापस अपने-अपने घरों में चले जाने की चेतावनी दी तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर मकानों से लोगों को बुलाया और चारों तरफ योजनाबद्ध तरीके से वहां उपस्थित पुलिस पार्टी पर भारी पथराव किया। घरों से गश्त करते हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर हमला मचाकर पत्थर, ईंटे, बोतलें, एसिड की बोतलें आदि फेंकना शुरू किया तथा धारदार हथियारों एवं लाठियों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस

(श्री कैलाश मेघवाल)

अधीक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसी भी तरह से पुलिस को आगे बढ़ने की सम्भावना नहीं होने तथा जन-धन की हानि होने की सम्भावना को देखते हुए वहां उपस्थित उपद्रवियों को ऐसा न करने लिए मैगा फोन से चेतावनी दी गयी तथा उन्हें अपने–अपने घरों में घुस जाने तथा पथराव बन्द करने के लिए कहा गया। लेकिन चेतावनी का कोई असर नहीं होने पर इस क्षेत्र में 21 गोले अश्रु गैस के छोड़े गये। अश्रु गैस छोड़ने पर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आने तथा पथराव जारी रहने से प्रभावी ढंग से लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज से भी गलियों तथा सड़कों से भीड़ पीछे नहीं हटी व छतों से पथराव व बोतल आदि फेंकना जारी रहने पर उन्हें चेतावनी देकर तीन राउण्ड रबड़ गोलियां चलायी गयीं। इसके बाद भी स्थिति नियन्त्रण में नहीं आने पर चेतावनी देकर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पांच राउण्ड हवाई फायर किये गये। लेकिन फिर भी जब भीड़ नहीं हटी तो 303 राइफल के कारगर फायर किये गये जिससे एक व्यक्ति निजाम पुत्र नाथू खां निवासी इन्दरकोट, अजमेर की बायीं जांघ पर एक गोली लगी। जिससे वह घायल हो गया। जिसे तत्काल जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में पहुंचाकर इलाज कराया गया। इस घटना में कुल 27 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के गम्भीर व साधारण चोटें आयीं। जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर, उप अधीक्षक दक्षिण नगर, दो पुलिस उप निरीक्षक एवं एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक शामिल हैं। इस प्रकार लाठीचार्ज के दौरान कई उपद्रवियों के भी चोटें आयीं जिन्हें उसी समय इलाज हेतु जवाहर लाल नेहरु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के समय मौके पर कुछ हथियार जैसे जिन्दा कारतूस धारदार हथियार, तलवारें, एसिड की बोतलें, कैरोसिन के जरीकेन आदि बरामद किये गये हैं। दिनांक 17.2.98 एवं 20.2.98 को घटित घटना के सम्बन्ध में पांच अभियोग पुलिस थाना गंज पर पंजीबद्ध किये गये जिसमें कुल 98 आदमियों को गिरफ्तार किया गया तथा 46 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया है।

श्री विष्णु मोदी : कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री कैलाश मेघवाल : 98 और प्रिवेंटिव डिटेंशन में 46 को। दरगाह पर तथाकथित किये गये एक फायर एवं पुलिस कर्मियों के द्वारा निजाम गेट की सीढ़ियों पर दंगे के दौरान चढ़ जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट करने हेतु दिनांक 18.2.98 को खादिमों की संस्था अंजुमन के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा काली पट्टी बांध दरगाह में धरना दिया गया। धरनार्थियों को समझाइश करने एवं उनके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पर 21.2.98 को जिला मजिस्ट्रेट से वार्ता करने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया।

दिनांक 22.2.98 को अजय नेहरू रक्षा समिति तथा शहर के व्यापारिक संगठनों ने दरगाह के अन्दर तथा ऊपर से

(१५२)

(श्री कैलाश मेघवाल)

दूसरे समुदाय के लोगों पर एवं पुलिस पर पथराव, एसिड फेंकने, ट्यूबलाइट, बल्ब आदि फेंकने, धारदार हथियारों के प्रयोग करने एवं दरगाह में गोली चलाने के विरोध में रोष व्यक्त करने के लिए अजमेर बन्द का आव्हान किया दिनांक 22.2.98 को अजमेर बन्द पूर्ण रूप से तथा शांतिपूर्वक रहा।

इस घटना के कारणों के सम्बन्ध में जो जांच से अब तक तथ्य सामने आये हैं उनके अनुसार दिनांक 17.2.98 को दोपहर बाद श्री असलम खान पुत्र श्री अफजल खान पठान जायरीन निवासी फतेहपुरा बड़ौदरा, गुजरात के परिवार के कुछ सदस्य नला बाजार स्थित इन्दू फोटो स्टूडियो के पास श्री जीवतराम ठेले वाले से परफ्यूम की शीशियां खरीदी थीं लेकिन थोड़ी देर बाद ग्राहक ने श्री जीवतराम के पास आकर परफ्यूम सही नहीं होने की शिकायत कर पैसे वापस लौटाने का आग्रह किया। परन्तु श्री जीवतराम ने पैसा लौटाने से इन्कार कर दिया। इसी बात को लेकर उनकी आपस में कहा–सुनी हो गई एवं श्री असलम के परिवार के सदस्य श्री असलम के पास जो कि नजदीक में ही ठहरे हुए थे, गये तो व्यापारी द्वारा परफ्यूम वापस नहीं लेने की बात बताई। इस पर असलम के साथ दरगाह क्षेत्र में कुछ खादिम एवं मुस्लिम समाज के कुछ लोग जीवतराम के पास आये और परफ्यूम वापस लेकर पैसे लौटाने के लिए दबाव डाला। इस पर जीवतराम के बिका हुआ सामान वापस नहीं लेने पर मुस्लिम समुदाय के इन सब लोगों ने जीवतराम जो हिन्दू हैं, के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। चूंकि नला बाजार बहुत ही संकरा एवं भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है इसलिए इस घटना को देखकर हिन्दू समुदाय के व्यापारी भी इकट्ठे हो गये व दोनों समुदायों में आपस में मारपीट शुरू हो गई। ज्योंही घटना की सूचना मिली, पास में दरगाह बाजार तथा नला बाजार के व्यापारियों ने जल्दी से अपनी दुकानें बन्द करना शुरू कर दिया। और दोनों समुदाय एकत्रित हो गये। दोनों समुदाय के व्यक्तियों ने आपस में हाथों में पत्थर, लाठियां सरिये आदि लेकर एक दूसरे को मारना पीटना प्रारम्भ कर दिया एवं उनके झगड़े ने साम्प्रदायिक रूप ले लिया। घटना से जुडे हुए अभियोगों के निष्पक्ष रूप से तथा शीघ्र अनुसंधान कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, वृत्ताधिकारी (उत्तर) वृत्ताधिकारी दक्षिण थानाधिकारी गंज थानाधिकारी दरगाह एवं सहायक पुलिस अधीक्षक प्रोबेशनर की एक टीम गठित की गई है जो तत्परता से अनुसंधान कर रहे हैं। स्थिति का आकलन कर, आकलन के साथ दिनांक 23.2.98 को 9.30 पी. एम. के 12.30 पी. एम. एवं 2.30 पी. एम. तक, दि. 25.2.98 को प्रातः 7 ए. एम. से सांय 6 पी. एम. तक दिनांक 25.2.98 को प्रातः 6 ए.एम. से सांय 7 पी. एम. तक कर्फ्यू में ढील दी गई, स्थिति का आकलन कर दि. 26.2.98 को कर्फ्यू पूरी तरह से उठा लिया गया। स्थिति को सामान्य करने के लिए शहर के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट नागरिक एवं जन प्रतिनिधियों को बुलाकर दिनांक 18.2.98 एवं दिनांक 23.2 98 तथा

(श्री कैलाश मेघवाल)

24.2.98 को शांति समिति की बैठकें भी आयोजित की गई। शांति समिति में यह मांग आई कि दरगाह क्षेत्र के आसपास थाना स्थापित किया जाए। अतः इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए एवं शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने के लिए दिनांक 24 2.1998 को दरगाह के नजदीक स्थित एक धर्मशाला में थाना प्रारम्भ किया गया है। बैठक में एक राय यह भी थी कि क्षेत्र में झगड़ा व्यापारियों एवं जायरीनों के बीच सामान की खरीद-फरोख्त से पैदा होता हैं जो कि उग्र रूप धारण कर लेता है इसलिए दरगाह बाजार, नला बाजार व्यवसायियों एवं खादिमों की शांति समिति गठित कर ली जाए जो कि छोटे-मोटे मामलों में समझाइश कर अपने स्तर पर ही निपटा लें। नागरिकों की राय को ध्यान में रखते हुए नला बाजार, दरगाह बाजार व्यवसायियों, खादिमों एवं अधिकारियों की एक शांति समिति का गठन किया गया है। अजमेर में अभी शांति है।

(16.34 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय होम मिनिस्टर ने जो तथ्य इस सदन में रखे हैं, उनमें कई जगहों पर विरोधाभास है। किन्तु मैं यह सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जो इस पक्ष के लोग हैं वे आपसे ज्यादा संवेदनशील हैं और साम्पदायिकता को बढ़ावा नहीं देने का हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है और संकल्प है। मैं इस विगत में ज्यादा नहीं जाऊंगा। उसमें कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कहने से फिर एक आग में घी लगने की-सी बात हो जाएगी किन्तु मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं जिससे प्रशासन सतर्क हो जाए, राज्य सरकार सतर्क हो जाए और अजमेर को बार-बार इस कर्फ्यू की जेल से निजात मिले। आप जिस 17 तारीख का उल्लेख कर रहे थे, वह तकरीबन डेढ़-दो बजे का किस्सा है... और उस समय भी....

श्री किशन गोपाल कोगटा : चार बजे का है।

श्री किशन मोटवानी : मुझे पता है न। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप सुनिये, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं उसके डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था हमारे इस क्षेत्र में हो क्योंकि इसमें पूर्व में भी दो बार घटनाएं घट चुकी हैं। 1992 को आप शायद भूले नहीं होंगे। 1992 में तो किसी को भी वहां चोट नहीं आई थी। महज दो घण्टे तक दो समूह सिर्फ मारो-मारो, मारो-मारो की आवाज कर रहे थे, तब भी प्रशासन ने क्या किया? हम तो उस समय भी कह रहे थे। अजमेर के नगरवासी आज भी इस बात के हामी हैं, अगर प्रशासन उसी समय तुरत-फुरत मुस्तैदी के साथ 10 इधर के, 10 उधर के गिरफ्तार कर लेता तो 1992 में हमको कर्फ्यू नहीं दिखता। फिर आज जो 17 तारीख वाला मामला है, मैं यह कहना चाहता हूं कि काश, हमारा प्रशासन, जिस तरहसे समय आपने दिया है, मैंने नहीं दिया है, समय आपने लिखाया है उस समय के अनुसार दो घण्टे तक वहां पर कोहराम चल रहा था

(श्री किशन मोटवानी)

झगड़ा चल रहा था, आपसी लड़ाई दो व्यक्तियों में चल रहीं थी, उस समय में, सिर्फ जीवतराम और असलम खान के बीच में झगड़ा चल रहा था, उस समय अगर आपकी वहां व्यवस्था हो जाती जैसे आज आपने व्यवस्था की है, अस्थाई थाना वहां लगाया है। हमारी मांग तो 1992 से चल रही थी कि स्थाई तौर पर दरगाह बाजार में आप थाना स्थापित कीजिये और those should be manned by committed persons. ऐसे तो नजदीक में आपकी चौकी भी है, दरगाह गेट चौकी भी है, दिल्ली गेट चौकी भी है किन्तु जिस तरह से स्टाफिंग पैटर्न है आपका उनके इस क्षेत्र में अपने-अपने वेस्टेड इंट्रेस्ट हैं। इस क्षेत्र को संवेदनशील आप तो मानते ही हैं, हम भी मानते हैं। उस क्षेत्र में आपके ऐसे अधिकारी होने चाहिए जिनको पीड़ा हो, जिनको समझ हो। अब यह किस्सा 17 तारीख का हो रहा था, डेढ़-दो घण्टे तक आपकी पुलिस कहां गई थी? काश, उस समय भी रोक देते। उसके बाद में जैसा आपने कहा, नला बाजार और निजाम गेट के सामने समूह खड़ा था, क्या उस समय उस समूह से 10-15-20 जनों को गिरफ्तार नहीं कर लेते? आज दुकानदार साफ कह रहे हैं कि अगर उसी समय 15-15, 20-20 जनों को, जिनको कोई किसी जाति का आदमी नहीं मानता, उनको अनसोशल एलिमेंट साफ तौर से दोनों पक्ष कहते हैं, गिरफ्तार कर लेते तो मैं समझता हूं, यह कर्फ्यू वाली बात भी आपको लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने अन्य आंकड़ों के आधार पर जिस तरह से आप बोतलों की, ट्यूब लाइटों की और बमों की बात कर रहे हैं, उससे आप उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहता हूं, आप इसको संकरा कीजिये। जो असलियत है उसको बयान करने की कोशिश करते तो मैं समझता हूं आने वाले समय में हमको अभी बहुत समय निकालना है। आपके प्रशासन को ही शायद, जैसा चल रहा है, यह 786 का उर्स निकालना है। या आपने यह तय कर लिया है कि आप दो महीने में चुनाव करा रहे हैं? 786 का हम पर बोझा डालने की तैयारी कर रहे हैं तो वह अलग बात है किन्तु आप तैयार रहिये। हम तो कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय है, 786 आप निष्पक्षता से निकालने की सोच बनाइये। अगर यह सोच आपने बना ली और जो मैं कह रहा हूं उसको आपने मान लिया तो आप यह मानकर चलिये, यह पीसफुल निकलेगा और अच्छा निकलेगा। वर्ना कर्फ्यू लगने के बाद सारे देश में चिन्ता होती है विदेश में चिन्ता होती है हर जगह से टेलीफोन आते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ हम आएं कि नहीं आएं। अब तो हर हफ्ते मेला लगता है अजमेर में, हर हफ्ते लोग देश-विदेश से आते हैं। वे जानकारी करते हैं और जब जानकारी होती है कि वहां शांति नहीं है, वहां पीसफुल टाइम नहीं है तो लोग आना बंद कर देते हैं। इसका असर किस पर पड़ता है? इसका असर आपके प्रशासन पर पड़ता है, इसका असर हमारे अजमेर के व्यापारियों पर पड़ता है, हमारे प्रदेश पर पड़ता है। मैं आज भी इस बात का कायल हूं कि 17 तारीख को कर्फ्यू आपने लगाया। काश, अगर आप डेढ़ घण्टा पहले व्यवस्थित तरीके से जो

(श्री किशन मोटवानी)

दोषी हैं उक्त कुछ लोगों को आप गिरफ्तार करते। आपकी गिरफ्तारी हुई कब है? आपकी गिरफ्तारी 20 दिन बाद हुई है।

वह कैसे हुई है? मैं अब 20 तारीख के किस्से की बात करना चाहता हूं। आपने 19 तारीख को कर्फ्यू में ढील दी एक घण्टे की दूध के लिए और वहां प्रचारित हो गया कि 20 को जुम्मा है, नमाज की छूट मिलने की संभावना है। आपने वहां इन्दरकोट में ढाई दिन के झोपड़े की जो मस्जिद है उसके मुल्ला को, इमाम को पास दे दिया, कर्फ्यू परमिट दे दिया, इससे लोगों में यह बात फैल गई कि हमको जुम्मे की नमाज का टाइम मिलेगा, दोपहर की नमाज की हमको छूट मिलेगी इसलिए कोई पचास आदमी वहां इकट्ठे हो गये। आपने जिस तरह से 20 का किस्सा सुनाया है वह इस तरह नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी आप निष्पक्ष जांच करा लीजिये, जो मैं बात कह रहा हूं वह सत्य है। आप एक एक बार मेरी कसौटी कर लीजिये, मेरी कसौटी हो, जाएगी अगर आप इसकी निष्पक्ष जांच करें। आप आये थे न 20 के बाद आप अन्दर नहीं गये, आप ऊपर इन्दरकोट नहीं गये। मैं 28 को गया था। मैं तो जयपुर में था। दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे लिए कि मैं वहां अजमेर नहीं था। जयपुर में मेरी मिसेज हास्पिटलाइज थी, मैं यहां था। 28 को गया हूं और 28 को मैं एक-एक घर में गया हूं। अब 20 तारीख को किस्सा हुआ क्या? कोई 25-50 लोग उस मस्जिद में इकट्ठे हो गये थे विद एक्सपैक्टेशन कि अब प्रशासन नमाज के लिए परमिशन दे देगा। एन मौके पर जब परमिशन नहीं आई, रिफ्यूजल आ गया तो पशोपेश की स्थिति हो गई। उस समय आपके आर. ए. सी. के जवान थे, वे उन पचास जनों को घेरकर नंगे पांव वहां से पकड़ कर पूरी बाजार मारते हुए ले गये। इसका रिएक्शन हुआ, आपके एस. पी. पर पत्थर पड़े, आपके कुछ जवानों पर पत्थर पड़ें। मैं इसको झुठलाऊंगा नहीं, मैं इस बात को एग्री करूंगा। जब इस तरह की कार्यवाही पुलिस ने, आर. ए. सी. के जवानों ने उन पचास व्यक्तियों के साथ की जो नमाज पढ़ने गये थे और उनको सड़क से मारते हुए ले जा रहे थे, उसको क्यों नहीं किया, उसको रोक देते वहीं? अगर प्रशासन में थोड़ी भी संवेदनशीलता थी तो उन पचास जनों को वहीं घेरा करके रोक लेते और गाड़ी मंगा कर गाड़ी में बैठाकर चुपचाप ले जाते। चुपचाप ले जाने का रास्ता पीछे भी है। क्यों कर आप उनको पीटते हुए नंगे पांव बाजार से ले गये? रिएक्शन, रिटेलिएशन हुआ। किंतु उससे ज्यादा दुर्भाग्य पूर्ण बाद में बात हुई, दो घंटे बाद। उससे जब एस. पी. साहब घायल हो गये, आपके एडीशनल साहब को चोट आई, आपके कुछ जवानों को चोटें आईं तो दो घंटे बाद बर्बरता का राज आपने कायम किया, आर. ए. सी. और रेपिड ने। यह गुस्सा है, रिटेलिएशन है, मैं कह रहा हूं आपको। आपने भी मन से कोई नहीं किया होगा पर इट वाज रिटेलिएशन फ्राम एडमिनिस्ट्रेशन। जिसको संवेदनशील एडमिनिस्ट्रेशन हम मानते हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का रिटेलिएशन करेगा, आप काश उन बीस घरों को देख लेते। उन घरों की महिलाओं के साथ, उन घरों की बहुओं के साथ, उन घरों की छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की मारपीट

(श्री किशन मोटवानी)

हुई है, जिस तरह से उनके साथ बेइज्जती की गई है, वह अगर आप किस्सा सुनते। मैं आपको बताऊं अखबार नवज्योति का एक सर्वेक्षण। जब मैं 28 को करके आया था, उसके बाद उन्होंने टीम भेजी है। टीम भेजकर उन्होंने उन औरतों के बयान लिए हैं, वह मैं आपको दूंगा। आप ईमानदारी से उन बयानों को पढ़ना और ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ उन पर इन्क्वायरी कराना, तो यह जो किस्सा मैं कह रहा हूं 20 तारीख का, आपके सामने उभर कर आ जाएगा। घरों में उन आर ए. सी के जवानों ने क्या किया? आर. ए सी. के जवानों ने जो वहां एक बच्ची की शादी होने जा रही है, उसके कपड़े तैयार पड़े हैं, उसके जेवर तैयार पड़े हैं, उनकी आलमारियां तोड़ डाली, उनके टीवी तोड़ डाले, उनके जेवरात चुरा कर ले गये, वहां पैसे पड़े हुए हैं उठा कर ले गये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : साढ़े छब्बीस हजार।

श्री किशनगोपाल कोगटा : सुनी-सुनाई बात कह रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : मैं उठा कर कह रहा हूं, आप चोरी का कह रहे हैं। मेरा... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : कोगटा जी, +++ सुन लीजिये।

श्री किशन मोटवानी : आप बैठें। आप बैठें।

श्री विष्णु मोदी : यह कोई तरीका है? एक तो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद में आपको सुनने का भी माद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : वास्तविकता कुछ और ही है।

श्री किशन मोटवानी : अच्छा, भाई, हमने करवाया। बस। कोगटा साहब, आप उस क्षेत्र में नहीं आये, न देखा आपने। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप बता देना, आपको भी हक है बोलने का।

श्री किशन मोटवानी : आप तब बोलना जब आप वहां आये हों। आपके मन में पीड़ा हुई होती तो आप आते। आप नहीं आये। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : कहीं नहीं थी पीड़ा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

शासकीय वक्तव्य
अजमेर दरगाह क्षेत्र में घटित दुर्घटना

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): बिल ला रहे थे न आज, वह वहां गया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : वह भी आ रहा है। बस, पांच-सात मिनट में आ रहा है।

श्री किशन मोटवानी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह चाहता था कि काश। अगर मेरा स्थगन प्रस्ताव जो मैंने डिटेल में दिया और डिटेल में सुझाव दिये हैं, वे आपने पढ़े होते और अपने स्टेटमैंट में कई बातें मुझे कह देते तो इतना उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं उद्वेलित होना नहीं चाहता, न ही मैं चाहता हूं कि सदन इस पर ज्यादा उद्वेलित हो। क्योंकि हम यह चाहते हैं कि अजमेर का जो सौहादपूर्ण वातावरण है वह बना रहे। इससे सारे प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। हमें तो डर इस बात का था कि कहीं इस उपद्रव के कारण अन्य जगहों पर कोई ऐसी दुर्घटना न हो जाए। किंतु यह हमारे लिए सौभाग्य है कि और जगह कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

मैं दो-चार बिंदुओं पर आपसे कहना चाहूंगा कि एक तो आपने जो अस्थायी थाना वहां लगा दिया, अब उसका स्थायीकरण कर दीजिये और कृपा करके वहां जो आप स्टाफ लगाएं ऐसा मिलीभगत वाला स्टाफ मत लगाएं। कोई किसी का चहेता मत लगाना। ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति कई आपकी निगाह में हैं। जैसे आज मुख्य मन्त्री जी एक रामसिंह एस. पी. का उदाहरण दे रहे थे, ऐसे कई हैं यहां। में उसमें विगत में नहीं पड़ूंगा, तो यह मैं चाहूंगा कि आपका स्टाफिंग बिलकुल प्रोपर और वहां का ज्यादा लगाव-लपेट वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसी में एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं आपको। आपका सी.आई.डी. का जो वहां वर्ग काम कर रहा है, जिसको संवेदनशील क्षेत्र आपने मानकर रखा है और वहां सी.आई.डी. का बहुत बड़ा स्टाफ आपने लगा रखा है उसको भी थोड़ा समय रहते बदलते रहिये। उनके वेस्टेड इंट्रैस्ट बहुत क्रीएट हो गये हैं। मुझे तो आज वे कहते फिर रहे हैं कि हमने तो, साहब, इनको कहा था हमने तो प्रशासन को कहा था लेकिन इन्होंने सुना नहीं हमारी बात को। झगड़ा होगा। झगड़ा होने की संभावना तो हमें हर वक्त यों लगती है कि ग्राहक और दुकानदार का झगड़ा होना कभी-कभी अनिवार्य है। किंतु उसको किस तरह से निपटाया जाए, यह एक्युमिन की बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इस किस्से के दो माह पूर्व एग्जेक्टली इसी लाइन पर झगड़ा हुआ। आपने तुरन्त मुस्तैदी के साथ लोगों की गिरफ्तारी की, जो दोषी थे उनको गिरफ्तार किया और उसको प्रिवेन्टिव मैजर्स से आपने रोक दिया। अगर आप उसमें एक घंटा और डिले करते तो आपको कर्फ्यू लगाना पड़ता जैसी आपकी, थोड़ा मैं कहूंगा, नाराज न होइये, आदत पड़ गई है। कर्फ्यू हमारे लिए, अजमेर के लिए एक कलंक है, अजमेर की जनता के लिए एक दुःखदायी घटना है। अब किस तरह से हम उस कर्फ्यू के दौरान वहां रहते हैं, हमारी व्यथा हम जानते हैं। इसीलिए एक मांग मैंने आपसे निवेदन की है परमानेंट थाने

(श्री किशन मोटवानी)

की की। दूसरे, पीस कमेटी की जो बात आपने कही है, मैं अभी आपसे कहूंगा कि आप नाम पढ़ दो तो आप नाम नहीं पढ़ पाएंगे। अभी वह मेटीरियलाइज नहीं हुई। मैं भी प्रयास कर रहा हूं। मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि स्वतः ही....

श्री कैलाश मेघवाल : काम्पैक्ट पीस कमेटी बने, यह आपका प्रयास होना चाहिए। हमारा भी प्रयास यही है।

श्री किशन मोटवानी : काम्पैक्ट हम तो कह रहे हैं। मैं ही खुद उसमें नहीं रहूंगा। मैं कहता हूं कि बाह्य कोई व्यक्ति नहीं रहे। वहां के दुकानदार, वहां के खादिम, वहां के इन्दरकोट के लोग, वहां के दरगाह बाजार के लोग स्वयं बनें, मैं यह प्रयास कर रहा हूं। कृपया उसमें इन्द्राज करियेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : स्वागत है।

श्री किशन मोटवानी : मैं इनको कह रहा हूं कि आपस में आप मिलो। आप जब तक आपस में बैठकर बात नहीं करोगे और हम ऊपर से आप पर कुछ थोप देंगे तो उससे कोई परमानेंट साल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए वह पीस कमेटी का जो आपने मूट-आउट किया, यह अच्छा है।

तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो एक दुकानदारों के जलने का और लूटने का मापदण्ड बनाया है वह 6 लाख समथिंग बनाया है। मैं कहता हूं that is meagre. आप मेरी बात को सुनें, माननीय गृह मंत्री जी, 6 लाख समथिंग आपने नुकसान को आंका है। आप प्रशासन से कहिये, सच्चाई से उसका आकलन करे, नुकसान कहीं-कहीं बहुत ज्यादा हुआ है। अभी तक जो आपने वर्क आउट किया और आज तक जो भी मिलना है वह भी वितरीत नहीं हुआ। क्यों? यह तुरन्त दिलवाइये और इसकी मात्रा बढ़ाइये।

आपसे एक जो मैंने पूर्व में निवेदन किया, अब पुनः कर रहा हूं कि 20 तारीख के इन्सीडेंट को आप कृपया लाइटली न लीजिये। जब मैं 28 को उन बीस-पच्चीस घरों में गया, जाने के बाद मैंने कलक्टर को कहा कि कलक्टर साहब, आप स्वयं जाओ, अगर आप रो कर वहां से नहीं निकलो तो मेरी बात असत्य कह देना उन्होंने एग्री किया किन्तु प्रैशर डवलप हुआ, उनको जाने नहीं दिया गया। आज तक नहीं गये। अब कलक्टर जाएं न जाएं, उससे मुझे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। मैं तो इसलिये भेजना चाहता था कि वे इमीजियेट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हैड हैं, वे जाएं और उसका जायजा लें। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वहां जो इस समय एस. पी. है वह रिटेलियेशन के मूड में है क्योंकि उसके चोट लगी है, उसके अंगूठे का फ्रैक्चर हो चुका है। उनसे बात करते हैं तो वे ऐसी बात करते हैं कि जो आपने बात नहीं कही है। वे कहते हैं कि क्या हमारे ऊपर गालियां आएं, हमारे ऊपर बम आएं और हम उसको देखते रहें, हम उनको घरों में जाकर जांच नहीं करें। मैंने कहा कि जांच करना एक अलग बात है लेकिन घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अन्याय करना, उनको मारना, उनको पीटना, बूढ़ी औरतों को मारना, जवान

(श्री किशन मोटवानी)

औरतों को मारना, यह कहां का न्याय है। किन्तु एस. पी. नहीं करेगा। अब कलक्टर के जाने की भी आवश्यकता नहीं है किन्तु मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस बीस तारीख के इन्सीडेंट को व्यावहारिक रूप से एक जांच का मुद्दा बनाएं तो आपको स्वयं को मालूम पड़ जाएगा। आर.ए.सी. के जवान के लिए मशहूर है, कहते हैं कि आर.ए.सी. का जवान किसी को जानता नहीं, इसलिए हम लोग भी, एम. एल एज होते हुए भी अपने को दूर रखते हैं। आर. ए. सी. वाले को देखते हैं कि टोपले वाला खड़ा है तो भई दूर हो जाओ। परन्तु इस तरह की खुली छूट उनको नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप इंक्वायरी कराएंगे निष्पक्ष जांच कराएंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आर. ए. सी. को अंकुश कर सकते हैं। इसलिए बीस तारीख वाले इन्सीडेंट के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि इंक्वायरी कराएं। जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घरों के जेवरात गये हैं, जिनके घरों में चोरी हुई है Immediatly they have given the report. ऐसा नहीं है कि नहीं की, Immediately they have given the report और कुछ ने तो अदालत में कम्प्लेण्ट्स भी कर दी हैं। उनको कम्पनसेशन देना प्रशासन की ओर से मरहम लगाने की बात होगी। मैंने कलक्टर साहब से भी यही कहा था कि मरहम लगाने की बात करें।

छठी बात, मैं सिर्फ अब एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गिरफ्तारियां उस समय नहीं की 17तारीख वाली गिरफ्तारियां भी उस दिन नहीं की। परन्तु 20तारीख वाली गिरफ्तारियां जो आपने बताई हम कह रहे हैं कि वे उनकी गिरफ्तारियां की हैं जो आप उस मस्जिद में लेकर आये थे। हो सकता है आपका उन व्यक्तियों के प्रति नजरियां हो कि इन्होंने कर्फ्यू तोड़ा। कर्फ्यू तोड़ा है, उन्होंने कोई आगजनी तो नहीं की, उन्होंने कोई मारपीट तो नहीं की। किन्तु आप धाराएं उठाकर देख लीजिए, उन 50 व्यक्तियों के खिलाफ क्या धाराएं लगाई हैं आपने। आपने धाराएं उनके लगाई हैं 307, आपने उन पर कर्फ्यू तोड़ने का आरोप नहीं लगाया। आप अब जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं गिरफ्तारियां आप उस आधार पर कर रहे हैं इन्होंने कि कम्प्लेण्ट की है चोरी की, इन्होंने कम्प्लेण्ट की है तोड़-फोड़ की घरों में। उन व्यक्तियों को बुलाकर बन्द कर रहे हैं। अभी संडे को ही 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनको क्यों बुलाया ? कि आप अपनी कम्प्लेण्ट पर बयान दीजिये। वे बयान देने के लिए गये तो उनको बैठा दिया। शाम को यह बताया कि इनको तो 307 के मामले में गिरफ्तार कर लिया। आपके कलक्टर थोड़े संवेदनशील हैं, सोमवार को जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई गिरफ्तारियां नहीं करेंगे। सोच-समझकर, देख कर मैंने कहा कि आपके पास जो एफ. आई. आर. है वह नामजद नहीं है, आप तो प्रोव कर रहे हैं अब आप अंधेरे में लट्ठी मार रहे हैं इसलिए आपने उनको रख लिया कि जिनकी कम्प्लेंट्स आपके पास मौजूद हैं ये ही हो सकते हैं, लाखों भाई इनको ही लाओ। मैंने कहा कि इस तरह की बात मत करो। तो छठी बात मैं कह रहा था कि इस तरह की गिरफ्तारियां न करें।

(श्री किशन मोटवानी)

और लास्ट बट नोट दी लीस्ट, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि अजमेर को इतनी सुगमता से मत लीजिये, अजमेर को बार-बार कर्फ्यू से ग्रस्त मत कीजिये। मैं तो आपसे चाहूंगा कि एट लीस्ट आप प्रशासन की ओर से अजमेर की जनता से क्षमा मांगे। माफी शब्द थोड़ा ठीक नहीं है इसलिये अच्छी भाषा में क्षमा मांगें कि कुछ कारणों की वजह से हमको कर्फ्यू लगाना पड़ा। आप कर्फ्यू ग्रस्त रहे, हमारी गिरफ्त में रहे और गिरफ्तारी में रहे इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं आपसे चाहता हूं, वैसे बहुत छोटी बात है जो मैं निम्न स्तर की करता हूं परन्तु you must give a package to the Ajmer people, इतनी बार, 92 एंड 97, बीच में जो बच गये हमने आपको इसके लिये शाबाशी दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री किशन मोटवानी : हां साहब, I will finish it. उस बंद वाले आव्हान को जिसको आपने कहा सम्पूर्ण, उसमें जब सवाल आया था उस समय आपने कहा था कि हम संवेदनशील हैं, हम रिलीजियस उन्माद से ऊपर हैं परन्तु उसमें क्या हुआ था? आप जांच करा लीजिये, कौन थे वे लोग जो बंद कराने गये? जांच कर लेंगे, आप अपने मन से चिन्तन कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप मालूम कर लीजिये कि किस तरह का उसमें हम लोगों ने संयम किया। इसलिये मैं अजमेर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसी शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि सदन जानता है दरगाह शरीफ अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक धार्मिक संस्थान है जिसमें सभी समुदाय के लोग जियारत करने जाते हैं। अभी आपने स्टेटमेंट दिया, अजमेर वृत्त से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आपके सामने प्रस्तुत किए ताकि वहां पर पीस एंड ट्रैंक्युलिटी बनी रहे। उर्स मेला लगने वाला है, और उनके इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको पूर्व में जो आकलन करना चाहिए था वह पूर्व अनुमान आपका गलत रहा है या वह पूर्वानुमान आपने नहीं लगाया। उसके बाद में जो घटनाएं घटीं हैं वे इस बात को इंगित करती हैं कि आपने जो प्रभावी अश्रु गैस छोड़ी, आपने रबड़ के बुलेट चलाये और दो-दो दफे आपने लाठियों से प्रहार किये, ये प्रभावी कदम आप अनुमान करके पहले उठा लेते तो शायद यह हादसा नहीं होता। आपने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही कि साढ़े पांच बजे पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना मिली। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि करीबन डेढ़ बजे दुकान पर यह झगड़ा हुआ और दो व्यक्तियों के बीच में हुआ, जीवराज और इस्माइल के बीच में।

श्री कैलाश मेघवाल : जीवतराम।

श्री परसराम मदेरणा : हां, जीवतराम है, मैं मुर्दाराम तो कह नहीं रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि फायर ब्रिगेड वहां पर कितने बजे पहुंची? जैसी मुझे जानकारी मिली है, फायर ब्रिगेड वहां पर दो-ढाई बजे पहुंच गई थी। दो-ढाई बजे फायर ब्रिगेड पहुंची और पुलिस पांच बजे आयी,

(श्री परसराम मदेरणा)

यह बहुत बड़ा लेप्स रहा है । जबकि पुलिस स्टेशन बहुत नजदीक है, वहां पर दुकानें जल रही हैं । इसका उत्तर दें आप कि फायर ब्रिगेड पहले पहुंच जाती है और करीबन डेढ़–दो बजे दुकानों के जलने की बात हो जाती है, 4–5 दुकानें जल जाती हैं तो भी आपने इफैक्टिव स्टैप्स नहीं लिये उस वक्त तक । जिस समय दोनों तरफ से लोग, चाहे वे आपके नला बाजार में थे चाहे सदर बाजार के अन्दर इकट्ठे हुये थे, जिन 86 लोगों को आपने अरैस्ट किया । एंटी सोशल एलीमेंट्स को, अगर आप 17 को ही अरैस्ट कर लेते तो आगे की यह 20 तारीख की घटना नहीं होती । मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने तीन दिन तक एंटी सोशल एलीमेंट्स को नहीं पकड़ा लोग झगड़ा कराते हैं, फिर काफी लोग धार्मिक उन्माद में भी आ जाते हैं लेकिन एंटी सोशल एलीमेंट ऐसे मौकों पर हमेशा देखता रहता है कि झगड़ा हो और हम कोई लूटपाट करें । यह आपने किया नहीं । दूसरी जो 20 तारीख की घटना हुई, बहुत मार्मिक चित्र इन्होंने खींचा है । ये शंकाए हुईं वहां पर आपके कर्फ्यू में ढील देने की वजह से ढील में लोग अपनी खाद्य सामग्री खरीदना चाहते थे, एक अवसर दिया आपने लेकिन पहले दिन ही एक लोकल पत्र में निकल गया था कि कल जुम्मे का दिन है, शायद कर्फ्यू हटा दिया जाएगा । उसके बाद 21 तारीख के भास्कर में यह साफ लिखा है कि आशंका उड़ती थी 20 तारीख को, कि नमाज पढ़ने की इजाजत दी जायेगी, जुम्मे के रोज । मैं आपसे यह पूछता हूं कि ढाई दिन के झौपड़े में मस्जिद के अन्दर, जिस मस्जिद की अभी आप कह रहे थे कि 50 लोग इकट्ठे हुये, कि यह कर्फ्यू हटा दिया जायेगा, वहां के इमाम मुल्ला को आपने पास दिया था, वह पास क्यों दिया अगर आप रिलैक्सेशन नहीं कर रहे हैं ? यह प्रचार क्यों नहीं किया कि जुम्मे के रोज भी कोई रिलैक्सेशन कर्फ्यू में नहीं करने वाले हैं ? यह भ्रांति वहां पर फैलती रही और इस भ्रांति के परिणामस्वरूप वे 50 आदमी इकट्ठे हो गये । इकट्ठे होने के बाद में आपने उनको पकड़ा वहां से और पकड़कर ठोकते-ठोकते ले गये । जब उनको पीटते हुये ले गये तो यह पथराव हुआ, वे खुद ही कह रहे हैं कि उसका रिएक्शन हुआ । 20 के बाद में आपने सर्च शुरू की, करीबन 50 घरों में आपने सर्च की । ज्यादा की होगी, 50–60 घरों में की होगी । उन घरों के अन्दर केवल महिलाएं थीं, बूढ़ी महिलाएं, दूसरी महिलाएं, मध्यम आयु की और जवान लड़कियां एक आदमी अरैस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब वे लोग थे ही नहीं वहां पर । उनसे पूछा गया कि तुम्हारे घर के लोग कहां हैं, तो उन्होंने कहा बाहर गये हुये हैं । सर्वे किया हैं नवज्योति ने, एक एक महिला के बयान लिये हैं कि किस तरह से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और सामान लूटकर ले गये । यहां तक भी हुआ है कि आपकी पुलिस ने 20 तारीख को चार दुकानें लूटी हैं । जलीं वह तो अलग है 17 तारीख की बात, लेकिन 20 दुकानें आपने लुटी है । कौन–कौन सी दुकाने है, इनकी भी आप जांच करवाने की कह रहे हैं तो आप उनका भी नाम बता देना अभी कि वे कौन-कौन

(श्री परसराम मदेरणा)

सी दुकानें हैं। मुझे यह जानकारी मिली है कि 4 दुकानें पुलिस ने लूटी हैं। जिस बर्बरता से पिटाई की इन लोगों के घरों में घुसकर, यह किसी भी संवेदनशील पुलिस फोर्स का एक्शन नहीं था। इसमें आपकी पुलिस ने बहुत एक्ससेस की। लेकिन क्योंकि वहां पर शांति बनी रहे, उर्स का मेला लगने वाला है, लाखों लोग बाहर से आते हैं, अगर आप एंटी सोशल एलीमेंट्स को पहले रोज ही गिरफ्तार कर लेते तो आपको यह कर्फ्यू इतने दिन लगाना ही नहीं पड़ता। यह बात भी अखबारों में आयी थी उन दिनों की जियारत करने के लिये बहुत-से लोग दूसरे प्रांतों के आये हुए हैं और वे भी गैस्ट हाउसेज में ठहरे हुए हैं। वे इसलिए नहीं जा सकते कि अभी उनको इजाजत नहीं मिली हैं। वे जाना चाहते थे, यहां आ गये हैं तो जियारत करके जाएंगे। उस जियारत का भी अन्तरराष्ट्रीय असर पड़ता हैं, कि वहां पर बार बार कर्फ्यू लग सकते है, लॉ–एण्ड–आर्डर बिगड़ सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो जेनुइन लोग वहां आना चाहते हैं वे भी वहां आने में हिचक जाते हैं। इसलिए इसे संवेदनशील क्षेत्र समझकर इन्होंने यह बात कही है कि परमानेंट पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश किया जाए। आपको वहां पर नया थाना बनाकर परमानेंट पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए।

दूसरा आग लगने से जिन दुकानों की क्षति हुई और आपने जो आकलन किया है, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आकलन बहुत नीचा है। इसका आप सही आकलन कराइये और सही आकलन कराने के बाद में आप आकलन को कम्पनसेट कीजिये। दूसरा हमारा यह आपको सुझाव है।

तीसरा, जो रिटेलियशन आपने 20 तारीख को पुलिस में किया वह अनलाफुल एक्ट था। अनलाफुल एक्ट के अन्दर जो ज्यादतियां हुई, जिन्होंने एक्ससेस किये हैं और महिलाओं का सामान उठाकर ले गये हैं, केस ले गये हैं, उनके ओर्नामेंटस ले गये हैं, वह भी इस अखबार में मैंने पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद में मैंने इसकी कटिंग रखी अपने पास। यह नवज्योति में आया था। इसमें सभी महिलाओं ने, यह बात की हैं कि हमारे घरों से ये ले गये, हमारे हजारों रुपये ले गये, इतना सामान ले गये, इतना गहना था वह ले गये। हमारे शादी होने वाली थी इस बच्ची की। ये सब बातें इस अखबार में आयी हुई हैं, आपने इसकी जांच करवायी? आपको इसकी जांच करानी चाहिए थी। जब इतने डिटेल में एक सर्वे आया है तो सर्वे के मुताबिक आपने जांच भी नहीं की? इसलिए क्योंकि ऐसा हादसा दुबारा वहां पर नहीं हो रिपीट नहीं हों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, इस कमेटी के अन्दर जो सदर बाजार के लोग हैं, इधर इन्दरकोट बाजार के लोग हैं, नला बाजार के लोग हैं, खादिम भी पर रहते हैं, इन सब लोगों की एक मिलीजुली कमेटी का जो सजेशन दिया है, मैं समझता हूं सजेशन लोकल आदमी होंगे तो आप उनको झगड़ने ही नहीं देंगे। पहले झगड़ते तो दो लोग हैं, और वहां पर एक परफ्यूम के मामले को लेकर झगड़ा है। परफ्यूम खरीदा है और वापस ले गये कि नहीं, कि यह परफ्यूम हम जाकर बताएंगे। वहां जायरीन दूसरे

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं, बाहर के लोग हैं गुजरात के । तो उन्होंने कहा कि परफ्यूम तुम ले जाना है तो ले जाओ । महिलाएं थीं । तो वहां पर इस्माइल आया कि परफ्यूम यह अच्छा नहीं है, बहुत पैसे चार्ज कर लिये जो काटना है वह काट लो लेकिन यह परफ्यूम तुम वापस ले लो । इसी बात के ऊपर उसने थप्पड़ मारी और झगड़ा हो गया । झगड़ा होने के बाद में फिर लोग इकट्ठे हो गये । इसके बाद में दुकानें जलनी शुरू हो गयी । दुकानें एक समुदाय की हैं । जियारत करने के लिए ज्यादा लोग जाते हैं दूसरे समुदाय के, इसमें हिन्दू भी आते हैं काफी तादाद में, और मुसलमान ज्यादा आते हैं । देश भर से आते हैं और दूसरे मुल्कों के लोग भी यहां पर आते हैं । कोई भी घटना घटती है अजमेर के अन्दर और दरगाह शरीफ के आसपास, तो उसका निश्चित तौर पर अन्तरराष्ट्रीय जगत में खराब असर पड़ता है और प्रशासन के ऊपर भी बात आती है । प्रशासन का दायित्व है कि ऐसा दोहराया नहीं जाए, रिपीट नहीं हों इस प्रकार के इन्सीडेंट । वहां शांति और व्यवस्था बनी रही, इस सम्बन्ध में आपको स्टैप्स टाइमली लेने चाहिए और आने वाले उर्स के पहले सब माकूल व्यवस्थाएं वहां पर करनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : और एक है केस की । चार दुकानें जो 20 तारीख को रात-बिरात में लूटी हैं, एक तो सोहन हलवा खा गये, दूसरे दो दुकानों की कैसेट ले गये ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप इनका जवाब तो आने दीजिए ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा जो अजमेर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने बतायीं । मैं कुछ पाइंटेड प्रश्न गृह मंत्री जी पूछना से चाहूंगा । एक चिनगारी थी जिसने बवंडर का रूप धारण कर लिया । मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पूरी घटना के दौरान पुलिस ने रीजनेबल रैस्ट्रेन रखा, संयम रखा । पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ वह भी अक्षम्य है । लेकिन जिला कलक्टर महोदय की जो भूमिका थी वह निःसंदेह ठीक नहीं थी । मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अजमेर में जो साम्प्रदायिक तनाव हुआ और वातावरण बिगड़ा इसके क्या कारण थे ? क्या यह एक दिन की घटना थी, या इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में जो लोक सभा का चुनाव हुआ उसका वातावरण था ? दूसरा आप बताने का कष्ट करें कि क्या इंटलीजेंस ब्यूरो ने भी इस मामले की इन्वेस्टीगेशन की है ? क्या सेंट्रल इंटलीजेंस ब्यूरो की जांच के बारे में आपको आभास है कि सेंट्रल इंटलीजेंस ब्यूरो ने वहां के प्रशासन, वहां के संघ और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अंगुली उठाई है ? अगर इसका आपको आभास है तो बताने का कष्ट करें । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 17.3 को कलक्टर महोदय ने पुलिस को लाठी चार्ज और अश्रु गैस के जो आदेश दिये उन आदेशों को देने में देरी क्यों की गई जिसके कारण से यह बात ज्यादा भड़क उठी ? जिला कलक्टर महोदय, जब बात बिगड़ रही थी उस वक्त वहां पर अनुनय-विनय कर रहे थे । अनुनय-विनय करने का

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

वह समय नहीं था। गृह मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि इस घटना के पश्चात् वहां की भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने अल्पसंख्यकों को पकड़ने के लिये पुलिस प्रशासन को प्रेरित किया या नहीं किया ? और किया तो क्यों प्रेरित किया ? 20 तारीख को नमाज की स्वीकृति देने का एक आभास प्रशासन द्वारा दिया गया जिसके कारण वे वहां इकट्ठा हो गये और उसके बाद नमाज की स्वीकृति नहीं दी गई जिसके कारण से सारी बात बिगड़ी। इस प्रकार से जो दोहरा वातावरण वहां बना, दोहरा मापदण्ड अपनाने का जो एक मैसेज गया, इस प्रकार से क्यों हुआ ? कर्फ्यू के जो पास जारी किये गये उसमें भी पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाया गया ?

गृह मंत्री जी इस विषय के महत्व को देखते हुए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि क्योंकि यहां पर पुलिस में और पब्लिक में आपस में लाठी–भाटा जंग हो चुका हैं, पथराव हो चुका है, पुलिस की ही एजेंसी से अगर आप जांच करवाएंगे तो उसमें वहां विश्वास पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए कृपया इसको गहराई से विचार करके, इसके दूरगामी परिणाम को देखते हुए इसकी जांच सी.बी.आई. से कराएं। इस जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस पर सबको विश्वास होगा।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण 786 वां उर्स वहां पर आने वाला है और अभी भी वहां दोनों समुदायों के लोगों में दूरियां हैं, उनके मन में खाइयां हैं। इसलिए 786 के उर्स को जो इंटरनेशनल रेपुटेशन का है, इंटरनेशनल महत्व का है, इस उर्स को सफलतापूर्वक कराने के लिये आपकी क्या कार्य योजना है ? क्या उस दिशा में आप सोच रहे हैं ? इन बातों का जवाब दें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, घटना का समय माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है कि इनको 4.45 पर रिपोर्ट मिली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अजमेर में सिटी केबल दिखाया जाता है, जब वहां झगड़ा शुरू हुआ उस वक्त से लेकर जब तक पुलिस वहां पहुंची और उसके बाद तक की कैसेट पूरे अजमेर के लोगों ने सिटी केबल पर देखी। क्या आपने वह कैसेट जब्त की है ? क्या आपने उस कैसेट के आधार पर लोगों को पकड़ा है ? आपने अपने बयान में कहा है कि दो समुदाय के लोग इकट्ठा थे, आपस में लाठी–भाटा और पथराव हो रहा था। आपने 98 लोगों का गिरफ्तार होना बताया है। 786 के उर्स में आप अपनी सरकार की कितनी ही ताकत लगा दें, चाहे वहां पर मिलिट्री फोर्स आ जाए, चाहे वहां रैपिड फोर्स या आपकी आर. ए. सी. लगा लेना, 786 का उर्स आप नहीं करा पाएंगे और आज आपका यह बयान अधूरा रह जाएगा अगर आज आपने यह नहीं बताया कि 98 लोग जो गिरफ्तार हैं उनमें एक समुदाय के कितने लोग हैं और दूसरे समुदाय के कितने लोग हैं। वहां 17 तारीख से लेकर ...

155

श्रीमती उजला अरोड़ा : झगड़ा कराना है क्या ?

श्री विष्णु मोदी : दोनों समुदायों का झगड़ा हुआ है, सबके सामने है। इसमें कौन झगड़ा कराना चाहता है ? झगड़ा कराने का इतिहास तो आपका है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : झगड़ा एक समुदाय ने किया, दूसरा बचाव कर रहा था केवल। खुद को बचाने के लिये सुरक्षा कर रहा था।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झगड़ा शुरू हुआ दुकानदार से और एक ग्राहक से और परिवर्तित हो गया दो समुदायों के झगड़े में। बयान में कहा है कि दो समुदायों के लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो जो 98 लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनमें एक समुदाय के कितने हैं और दूसरे समुदाय के कितने हैं ? मैं आपके माध्यम से फिर करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, साम्प्रदायिकता फैलाना, जैसा भाई मोटवानी जी ने कहा, हमारा ध्येय नहीं है। हमारा यह ध्येय ही नहीं हैं। मैं तो अजमेर की शांति के लिये, इस प्रदेश की शांति के लिये यह मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह दो समुदायों का झगड़ा नहीं था, यह सिर्फ प्रशासन और एक समुदाय के लोगों के बीच का झगड़ा था। 17 तारीख को कर्फ्यू लगाया और 20 तारीख का जो वर्णन किया है अजमेर से आने वाले माननीय विधायक ने, वह भी कम है। इतनी बर्बरता शायद राजस्थान के इतिहास में पुलिस के द्वारा कभी नहीं की गई, आज तक नहीं की होगी। उसकी मैं बात बताना नहीं चाहता, इस बात से कोई भड़काने वाली कार्यवाही नहीं करना चाहता लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनने पर रोना आता है कि इस तरह की घटना हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी आज घोषणा करें, इस से काम नहीं चलेगा कि पुलिस की इन्क्वायरी करा लेंगे, आप जब तक इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं कराएंगे तब तक न मरहम लगेगा, न 786 का उर्स भरेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घरों की तलाशी ली गई कर्फ्यू के दौरान, यह कह कर कि यहां पर हथियार हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि कितने घरों की तलाशी ली गई और कितने हथियार बरामद हुए ?

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो यह घोषणा करो कि अगली बार गृह मंत्री ये होंगे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मसले में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने फैसला किया था कि मैं यह बात नहीं बोलूंगा लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि दरगाह से गोली चली। तो क्या हथियार बरामद हुआ जिससे गोली चली ? या दरगाह पर गोली चली ? दरगाह से गोली चली तो क्या हथियार बरामद हुआ ? या दरगाह पर गोली चली ? उपाध्यक्ष महोदय, 17 तारीख से लेकर 26 तारीख तक इतना कुछ घटा है कि कर्फ्यू के दौरान इन्दरकोट मोहल्ले में एक आदमी बीमार था, तड़प-तड़प कर मर गया क्योंकि उसको दवाई नहीं मिली। 20 तारीख को जिस क्रूरता से,

156

(श्री विष्णु मोदी)

जितना + + + ताडव नृत्य वहां हुआ, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। उसके रिश्तेदार मरता हुआ देख रहे थे 20 साल के लड़के को कि वह उसको दवाई के लिये पुकार सके। क्या आपने वहां डाक्टर तैनात किये? क्या आपने एम्बुलेंस तैनात की? और तैनात की तो कब की? नहीं की तो क्यों नहीं की?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मसला गम्भीर है। 786 का उर्स आने वाला है और उसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि उसमें आकलन आप मान लीजिए कि कम से कम दो करोड़ से ऊपर आदमी इकट्ठा होने वाले हैं। अगर इन अनुतरित सवालों का जवाब नहीं मिला तो यह हादसा बड़ा हादसा होगा। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि 20 तारीख की बर्बरता की जुडीशियल इंक्वायरी हो और आप अभी जब जवाब दें तो 98 में से किन किन समुदायों के कितने लोग गिरफ्तार किये गये, कितने कितने हथियार बरामद किये गये, उसकी जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय 17.2.98 को जो घटना घटी, मैं उस सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि असलम खान बड़ोदा से आया था। वहां पर बारात आयी हुई थी, निकाह हो गया था। वे बाजार में सामान खरीदने गये, महीलाएं भी साथ में थी.

श्री किशन मोटवानी : निकाह नहीं हुआ था।

श्री उगमराज मेहता : पहले आप सुन लीजिए। (व्यवधान) आप सुन लीजिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल : ये एक निकाह की बात कर रहे हैं और यह दूसरा है। (व्यवधान) और आप बीच में इंटरप्शन क्यों कर रहे हैं?

श्री उगमराज मेहता : एक हजार रुपये की चप्पले खरीदी उन्होंने। बाजार में महिलाएं एक जगह सामान खरीद रही थीं।

श्री कालीचरण सराफ : आप तो मोटवानी जी, यहां आराम फरमा रहे थे, ये वहां पर थे।

श्री उगमराज मेहता : महिलाएं कुछ सामान खरीद रही थीं। पास-पड़ोस में महिलाओं में और जीवतराम जी दुकानदार में कीमत के बारे में कोई कहा-सुनी हो गयी। असलम खान वहां आया और जीवतराम से कहा सुनी करके उसके एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद असलम खान के व्यक्ति जहां बड़ोदा से बारात आयी थी उनके घर जाकर 15–20 व्यक्ति सहित हथियार लेकर आये और उस जीवत राम की दुकान के ऊपर हमला किया, मारपीट की और उसका सामान बाहर निकाला। इतने में लोग-बाग इकट्ठे हो गये। लोगों ने समझाना-बुझाना चालू किया। इतने में नला बाजार में अफवाह फैल गयी और वे दरगाह बाजार में चले गये। कौन? हमलावर सारे। दरगाह बाजार में जाकर वहां करीबन हजार, दो हजार एक वर्ग के व्यक्तियों ने दुकानों में लूट-खसोट करके आग लगाना चालू कर

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उगमराज मेहता)

दिया दरगाह बाजार में, उस समय पुलिस पहुंची। पुलिस के आते ही ऊपर से पत्थर बरसने लग गये। ये पत्थर कहां से आये गृह मन्त्री जी ? वहां पत्थर ऊपर से, इतने कहां से आ गये ? जब पुलिस आयी उनका रास्ता बंद कर दिया गया। जहां पुलिस आयी थी वहां झाड़ियों और पत्थरों का ढेर ऊपर से आने लग गया। यहां तक कि डी.एस.पी. के चोट आयी, वह एक जगह बैठ गया। उसके पांव से खून बहने लग गया। 17 तारीख की उस घटना के बाद में जिस समय पुलिस फोर्स ने संयम बरता, संयम बरतने के बाद में फिर उनके ऊपर हथियार, तलवारें लटकाने लग गये, तलवारें ऊपर से दिखाने लग गये। उसके बाद में कर्फ्यू लगा।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा, दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय सदन की सहमति से आधे घण्टे के लिये बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य अजमेर दरगाह क्षेत्र में घटित दुर्घटना

श्री उगमराज मेहता : बीच में लाठी चार्ज भी किया। हवाई फायर भी किया। उसके उपरान्त भी वे काबू में नहीं आये, फिर उन्होंने कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू के बाद में 20 तारीख की बात मैं कहता हूं आपको। जिस समय एक घण्टे का कर्फ्यू उठाया था, ढाई दिन के झोपड़े पर नमाज पढ़ने के लिये एक जायरीन ने खादिम के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। पुलिस वालों ने उसे रोक दिया कि आपके पास तो कर्फ्यू पास नहीं है। वहां इक्ट्ठे होकर आ गये खादिम लोग और फिर दरगाह शरीफ के अन्दर से पत्थर आये, बोतलें आयीं। ये कहां से आ गये हथियार अन्दर से ? मैं कहना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि खादिमों के पास में जितने व्यक्ति हैं, काम करने वाले हैं और गैस्ट हाउस में काम करने वाले हैं, सारे बांग्ला देश के व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के व्यक्तियों को आगे करके ये हमला करवाते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दरगाह शरीफ की तफतीश की जाए, हथियारों का जखीरा उसके अन्दर बरामद हो सकता है। उसकी जांच की जाए।

पुलिस रिवाल्वर तो फायर करती है, किंतु जो बरामद हुआ है वह पिस्तौल का यूज्ड कारतूस, पीछे का हिस्सा बरामद हुआ है। गृह मंत्री जी यह बताएं। जो पीछे का हिस्सा बरामद हुआ है वह पिस्तौल का था और पुलिस वालों के हाथ में पिस्तौल नहीं रिवाल्वर होती है।

श्री किशन मोटवानी : यह तो गृह मन्त्री जी ने कहा है कि पहले पिस्तौल चली हैं (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : आप सुनो तो सही।

श्री किशन मोटवानी : यह कहने की क्या बात है ? (व्यवधान) सच बोलने

(श्री किशन मोटवानी)

की बात करो, पिस्तौल चलाने की बात कही है। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मोटवानी साहब।

श्री किशन मोटवानी : लेकिन आप असत्य क्यों बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : एक फायरिंग दरगाह शरीफ के अन्दर से हुआ। मैं गृह मंत्री जी को ...

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री उगमराज मेहता : मैं चार लाइनें ही निवेदन कर रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं पाइंटेड बात कहना चाहूंगा।

श्री किशन मोटवानी : आप पाइंटेड बात नहीं कह रहे हैं, आप आग में घी डाल रहे हैं।

श्री उगमराज मेहता : मेन बात यह है कि लाखों रुपये दरगाह शरीफ के नाम से मनीआर्डर के बोरियां की बोरियां इकट्ठा होकर आती हैं। वहां पर पोस्ट मैन लेकर आता है। सालाना चार सौ करोड़ रुपये दरगाह शरीफ के नाम से आते हैं और ये सारे खादिम लोग आपस में बैठकर उसकी बंदरबांट कर लेते हैं। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि दरगाह क्षेत्र का ट्रस्ट बनाया जाए। ट्रस्ट बनाकर उसको अपने अधीन ले और वहां की व्यवस्था करे। जितने भी बांग्लादेश से आये हुए व्यक्ति हैं उनको अजमेर से बाहर किया जाए। अजमेर जिले में जो दंगा करवाते हैं वे बांग्लादेश से आये हुए हैं। हथियार बंद व्यक्ति आज बाहर से, पाकिस्तान से हथियार लेकर आते हैं और वहां पर जमे हुए हैं, मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अजमेर जिले में अशांति नहीं फैले इसलिए इन बांग्लादेशियों को बाहर निकालिये। जितने अभी वहां हथियार हैं उन हथियारों को बरामद किया जाए यह मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष: किशन गोपाल कोगटा। (व्यवधान) सुन लीजिए, मैं आपको बुला लूंगा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक छोटा-सा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने किशन गोपाल कोगटा को पुकार लिया, कृपया विराजें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, सदन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इतना अति-संवेदनशील सवाल है, इसको यहीं तक रखा जाए कि आगे इसमें कैसे विचार रखें सुझाव रखें कि उसमें क्या कदम उठाए जाएं कि साम्प्रदायिकता का माहौल नहीं बिगड़े।

श्री किशन गोपाल कोगटा: जो कहानी गढ़ी गयी थी वह सदन में बतानी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मेरा निवेदन दोनों तरफ के सदस्यों से है कि इसमें टू-दी-पाइण्ट रहें और यह वातावरण बनाएं कि वातावरण आगे खराब न हो। इसको बिगाड़ने की कोशिश न करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर नला बाजार में जो घटना घटी उसके बारे में मेरे को 2-3 सवाल पूछने हैं। 17 तारीख को जब घटना घटी, मैं अजमेर में ही था। जैसे ही घटना घटी...

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : मोटवानी जी नहीं थे। मोटवानी जी तो उस दिन सारे दिन बाहर रहे। न विष्णु जी मोदी गये, न मोटवानी जी गये।

श्री किशन मोटवानी : मैं वहां नहीं था, मैंने कब कहा ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : अनूप मण्डल आ रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : साथ में आना आप भी। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह घटना वहां दिन को घटी। शाम को जैसे ही प्रशासन तुरन्त वहां पहुंचा, मैं राज्य सरकार को और प्रशासन को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत बड़ा हादसा हो रहा था, उसको बचाया। जिस गति से, जिस विवेकपूर्ण ढंग से स्थिति को सम्भाला और बड़े हादसे को बचाया, राज्य सरकार और प्रशासन ने तुरन्त निर्णय लेकर उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। इसके साथ-साथ मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि 17 तारीख को जो घटना घटी वह एक व्यापारी और एक कस्टमर की घटना थी। छोटी-सी बात थी जो साधारणतः प्रत्येक दुकान पर होती रहती है, भाव की बारगेनिंग। घटी-बड़ी, लेकिन इस छोटी-सी बात को लेकर, परफ्यूम को लेकर जो इतनी बड़ी घटना हुई इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, 17 तारीख की जैसी घटना घटी, प्रशासन वहां पहुंचा। कर्फ्यू लगाने के पहले वहां के सब नागरिकों को समझाया कि अपने-अपने घर में चले जाओ, स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में दरगाह से गोलियां चलीं। मेरा एक ही प्रश्न है कि जो 24 घायल व्यक्ति हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी और कांस्टेबल भी हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय वे किस प्रकार से, किस वजह से घायल हुए ? क्या गोलियों से घायल हुए।

श्री उगमराज महता : पिस्तौल की गोली लगी है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक मिनट ... (व्यवधान) क्या गोलियों से घायल हुए हैं कांस्टेबल या पत्थरों से, या ट्यूबलाइट के डण्डों से, या बल्ब में तेजाब भरकर ऊपर से फैंका ? यह तेजाब, ये पत्थर, ये ट्यूबलाइट के डण्डे, ये गोलियां ये फरसे कहां से आये ? यही एक प्रश्न है कि 24 व्यक्ति घायल हुए प्रशासन के पुलिस वाले अधिकारी, किस-किस के क्या-क्या चोटें आयीं और किस प्रकार आयीं ? इससे स्पष्ट हो जाएगा कि गोलियां दरगाह से चलीं। दरगाह पर तलाशी लेने की जैसी बात कर रहे थे कि तलाशी लेनी चाहिये, अब हुआ क्या ? निजाम गेट के ऊपर दरगाह के नाजिम लोग, सबने हड़ताल कर दी और अन्दर किसी को नहीं जाने दिया खादिमों ने। पचास-साठ-सौ जने सीढ़ियों पर बैठ गये। अब उस दरगाह के अन्दर जाने की कोई व्यवस्था नहीं। नहीं तो

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

तलाशी होती और स्पष्ट पता लगता कि कितना हथियारों का जखीरा उन्होंने वहां दबा रखा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसे षड्यंत्र बताया है मैंने, योजनाबद्ध तरीके का, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन 98 लोगों को अरेस्ट किया इन 98 लोगों में से राजस्थान के बाहर के कितने लोग हैं ? उनके क्या एड्रेस हैं ? हो सकता है कि गुजरात से बरात आयी हो और उसके दस-पांच जने हों लेकिन उसके अलावा बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और आसाम के कितने लोग हैं, जो वहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं और मौका पा कर अजमेर जैसे शहर, सेंसिटिव स्टेशन पर ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं जहां हिन्दू और मुस्लिम बंधु सब एक साथ व्यापार करते हैं और भाई-भाई की जैसे रहते हैं । इसके पीछे अगर ठीक ढंग से जांच हुई तो पता लगेगा कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि बाहर से आकर अजमेर जैसे स्टेशन को डिस्टर्ब्ड स्टेशन बनाना चाहते हैं । पहले भी एक घटना हुई थी । पाकिस्तान से कुछ हथियार आये और गुजरात में वे पकड़े गये । बरामद किये मुजरिमों से । उसमें से सिर्फ तीन व्यक्ति अजमेर के थे । दो साल पहले । जब यह पता था कि अजमेर के लोग पाकिस्तान के हथियार अजमेर में ला रहे हैं तो उनको पहले ही कार्यवाही करनी चाहिये। जो भी कार्यवाही हुई सो तो ठीक है । आने वाले समय में उर्स का मेला है 786 वां सबसे बड़ा मेला है और उस पवित्र स्थान पर सारे विश्व के लोग आएंगे जब सारे विश्व के लोग आएंगे तो अजमेर को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता है । अब ऐसा पता लगा है प्रशासन से कि लगभग सात हजार बंगाली, बांग्लादेश से आकर वहां बस गये। उनके राशन कार्ड भी बन गये । मेरा यह कहना है कि जो विदेशी लोग वहां पर दरगाह के आस-पास बसे हैं, जो रिक्शे के माध्यम से छोटे मोटे धन्धों के माध्यम से वहां आये, वे बस गये, उनकी पहचान करनी चाहिये और उनको वापस अपने स्थान बांग्लादेश भेजना चाहिये ।

मुझे एक बात और कहनी है । अजमेर के जो खादिम लोग हैं उन्होंने इन बांग्लादेश के गरीब लोगों का शोषण किया है, दुरुपयोग किया है । जब ऐसी कोई सेंसिटिव स्थिति आती है तो उन लोगों को आगे कर देते हैं । वे लोग तो बच जाते हैं और ये लोग मारे जाते हैं, पिटते हैं । अन्त में कहते हैं, साहब, हम कमा-खाने के लिये आये हैं, हम शरणार्थी हैं । लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर इन दो बातों का पता लगाया तो निश्चित रूप से अजमेर पश्चिम से आये माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि यह एक नियोजित षड्यंत्र है, न कि कोई दो सम्प्रदायों का दंगा । वहां पर तो एक समुदाय के लोग रहते हैं, नला बाजार में । बस दुकानें है । इसका मतलब यह है कि वे व्यक्ति वहां पर दंगा करने आते हैं, बाकी उनके परिवार, उनका घर वहां से दूर है । साम्प्रदायिक दंगे दो समाज के बिना नहीं हो सकते लेकिन वहां तो एक ही समाज है । जिस रफ्तार से, जिस एक्टिवनैस से हथियार, गोले बारूद आदि लेकर सब लोग आये, उसकी भी जांच होनी

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

चाहिये। इतना ही मुझे कहना है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमारजी। श्री शांतिकुमारजी हैं क्या ? ये तो एक वाक्य सुनाएंगे जरा। सुनाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): आधा मिनट लूंगा, साहब, सिर्फ आधा मिनट यह आज की राजस्थान पत्रिका है। 18मार्च की और इसमें एक कालम आता है वह खबर मैं आपको गृह मंत्रीजी को सुनाना चाहता हूं ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहता हूं कि गम्भीरता से लें इस मसले को इन मसलों पर से गम्भीरता अगर सरकार नहीं गयी तो जो जनता में छवि बनती जा रही है सरकार की....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, इस अखबार में जो लिखा है उसके भाव व्यक्त कर दीजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, वही मैं कर रहा हूं, साहब। बस चार लाइनें लिखी हैं इसमें। (व्यवधान) ...

श्री किशन गोपाल कोगटा : अब तो अटलजी साहब प्रधान मंत्री की शपथ ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : केसरीजी टुकर-टुकर देखेंगे और अटलजी शपथ लेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें यह लिखा है, बोल तो लेने दो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पांच वर्ष में अब नम्बर आया है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें लिखा है, गृह मंत्री महोदय, कि—

"डिग्गी का कल्याणजी,
सुणज्यो म्हारी राय।
\+ + +
कठै रिपोट लिखाय ।।"

जय हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बिन्दुओं पर नहीं जाना चाहूंगा जो हमारे दूसरे माननीय साथी सदस्यों ने कह दिये हैं। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जब कभी भी कोई ऐसा विवाद आता है, बहुत–से लोग तो यह साम्प्रदायिकता में बात करके कहते हैं, जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, लेकिन मैं भारतीय होने के नाते बड़ी पीड़ा से कह रहा हूं कि जब कभी इस तरह का मुद्दा आता है तो इस हाउस को इस तरह से तनावग्रस्त बनाने की कोशिश की जाती है हमारे कुछ साथियों द्वारा....(व्यवधान) मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। इसको मानवता के आधार पर क्यों नहीं लिया जाता ? मेरा निवेदन यह है कि एक वाकया घटित हो गया, उसमें किसकी कमियां रहीं, किसके दोष रहे, किसको रिलीफ मिलना है, कहा जांच होनी है, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपका है। लेकिन कम से कम हम लोगों को ऐसी तो चर्चा करनी चाहिये कि आगे इस तरह के दंगे फसाद नहीं हो, इस तरह का वातावरण नहीं बने। (व्यवधान) आप क्या करो ? मैं

\+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जुबेर खान)

कह रहा हूं, अगर बांग्लादेशी हों तो आप निकाल कर फेंकिये, हम कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं, राज आपका है आठ साल से। कितने साल और चाहिये बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिये ? कितने दिन चाहिये ? हम कहते हैं कि जो भी कोई बांग्लादेशी हो, या कोई भी विदेशी हो, चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो, ईसाई हो, जिस आदमी की नागरिकता यहां की नहीं है, उसको सरकार को निकालना चाहिये। बड़े दुःख की बात है सत्ता पक्ष के सदस्यों के लिये कि आठ साल तक सत्ता में बैठकर भी सदन में रोना पड़ता है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि 786 का उर्स है 786 बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब वैसे तो धर्म को मानो तो बहुत बड़ी बात है और नहीं मानो तो नहीं मानने वाले भी जिन्दगी जी रहे हैं, हमसे अच्छी जी रहे है। लेकिन इसका महत्व होता है, हर समुदाय में होता है। अजमेर दरगाह का मैं जहां तक मानता हूं, आप अलवर में ही देख लो, मेरे ख्याल से हमारे मेव से ज्यादा हिन्दू भाई वहां पर जाते होंगे, आस्था रखते हैं। तो वहां पर सब लोग जाते हैं। जितने लोग जाएंगे, उतना ही चाहे रेल हो, चाहे बस हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे पकौड़ी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे ज्वेलर हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो सबको फायदा पहुंचता है। मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर तो आप जांच करवाते रहिये और जो कुछ निर्णय लेना है ले लीजिये लेकिन अपने माननीय सदस्यों ने जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा है उस पर जरूर गौर करवाइयेगा। ये कह रहे हैं खादिम बांग्लादेशी, खादिम तो हम जैसों को नहीं बनने दें, वहां तो ऐसे-ऐसे आदमी खादिम बैठे हैं।

श्री उगमराज मेहता : काम करने वाले खादिमों के लिये नहीं कहा। (व्यवधान) काम करने वाले बांग्लादेश से आये हैं, व्यक्ति जो हथियार लिये, उनको सामने कर देते हैं (व्यवधान) वे अधिकांश बांग्लादेश के लोग हैं।

श्री जुबेर खान : जांच करवाइये। जो दोषी है उसको सजा दीजिये, लेकिन 786 वाला उर्स अच्छी तरह से भरे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें विदेशों से भी बहुत लोग आएंगे। विदेशों से लोग आएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में कोई न कोई तो फायदा पहुंचेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखें। अब तो देखिये, हाथ जोड़कर निवेदन है, खूब साम्प्रदायिकता हो ली, वोट तो जहां जाना है वहां जाना है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसलिए आप भी अपनी सोच बदलो। जैसे अटलजी ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दा खादिमों का नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा जनसंख्या बढ़ने का है। आप जनसंख्या के लिये कानून लाइये, सबसे पहले जुबेर खान उसका स्वागत करेगा। यहां वकालत करेगा कि इसको कम्पलसरी कर दीजिये। अगर भारत में रहना होगा तो जनसंख्या के सिद्धान्तों और नीतियों को मानना होगा। आप लेकर आइये, कौन मना कर रहा है ? आप लेकर आइये। आप कोई भी बाहर का हो, बिहारी, आसामी, उड़ीसा, उसके

(श्री जुबेर खान)

ऊपर लांछन नहीं लगा सकते । हमारे राजस्थान के भाई भी उड़ीसा, बंगाल, दरभंगा कलकत्ता में कमा रहे हैं । लेकिन अगर कोई भारत के बाहर का है तो आपको पूरा हक है, निकालिये । हमको तकलीफ होती है, हर बार यहां से भाषण आता है बांग्लादेशी । आप निकालिये इनको, कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन इसको साम्प्रदायिकता से मत जोडिये । पिछले कुछ दिनों से रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर साम्प्रदायिकता का कभी थोड़ा–बहुत मामला आया है तो कस्बों में आता है । कस्बों में भी दो–चार में ही आता है, गांवों में कभी नहीं आता है इसलिए इस जहर को इस पवित्र सदन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में मत पहुंचाइये जहां लोग भाई चारे से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक-दूसरे के दुःख-दर्द में काम आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय ।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो खुद का प्रश्न था उसका भी जवाब नहीं आया । (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर है कि 17 तारीख को जो झगड़ा हुआ वह दुकानदार और ग्राहक के बीच में हुआ लेकिन उस झगड़े को भी योजनाबद्ध तरीके से साम्प्रदायिक झगड़ा बनाया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय श्री गोपीचन्दजी गुर्जर साहब । अंकित नहीं होगा । बिना आज्ञा के बोल रहे हैं इसलिए अंकित नहीं होगा ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारता हूं ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारता हूं । गृह मंत्री महोदय ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों अजमेर में जिस तरह की घटनाएं घटीं और आज इस विधान सभा के प्रांगण पर जिस तरह के विचार रखे गये, उसमें मैं अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य श्री किशन मोटवानी के भावों का स्वागत करता हूं । यहां यह अन्तर देखने में आएगा कि अजमेर का निवासी जिसकी प्रतिबद्धता अजमेर से है, उसने जो सुझाव

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

रखे हैं, जो वक्तव्य दिया है उसमें बर्दाश्त की बात थी, संयम की बात थी, अजमेर में शांति स्थापना की बात थी, अजमेर का नागरिक-जीवन शांत होकर आने वाले उर्स की सफलता की बात थी और इसमें सभी पक्षों का सहयोग लिया जाए, इस तरह के सुझाव इन्होंने दिये।लेकिन जिनकी प्रतिबद्धता नहीं होती, जैसे हमारे रोमिंग एम्बेसेडर हैं न यहां से लड़ लिये वहां से लड़ लिये ऐसे पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक ने अभी से आशंकाएं व्यक्त की हैं कि यह मेगा उर्स कभी नहीं होगा, हो नहीं सकता, यह नहीं हो सकता। यह उनके मन की भावना उन्होंने प्रकट की है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये कहां–कहां से लड़ आये ?

श्री कैलाश मेघवाल : आप तो हल्की बात करते हैं, बैठ जाइये। (व्यवधान) आप बैठ जाइये, आपकी हल्की बात है। बहुत हल्की बात करते हैं, बैठ जाइये आप। (व्यवधान) आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। (व्यवधान) आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बैठ जाइये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने यह कैसे कहा ? नहीं, ये कहां–कहां से लड़ लिये, पहले आप बताओ ? आप कहां कहां से लड़े और ये कहां–कहां में लड़े हैं ? बताओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें। श्री शांतिकुमार धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनसे तो पूछो आप। जो कुछ बोलें, कम से कम सही तो बोलें। जो मर्जी आये जो ही बोल लेवें ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इनको नाम से पुकारा है फिर भी नहीं बैठ रहे हैं। बैठें आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप गलत बोल रहे हो। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : बैठ जाइये, माननीय सदस्य, आपके नेता महोदय कह रहे हैं। अब तो बैठो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अच्छा, महावीर जी कह रहे हैं तो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सदस्यों को और सदन के द्वारा राजस्थान, हिन्दुस्तान और विश्व के अजमेर की

(श्री कैलाश मेघवाल)

दरगाह शरीफ में श्रद्धा रखने वाले सभी भाई–बहनों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाला जो मेगा उर्स है उसको पूरी तरह व्यवस्थित करने में, नियमित करने में कि शांतिपूर्वक उर्स सम्पन्न हो, राजस्थान सरकार पूरी तैयारी के साथ चल रही है और इसमें किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सारे पक्ष आये हैं। ये जो कुछ घटनाएं घटी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी चिंतित थे। मैं भी गया और मुख्य मंत्री जी ने सभी पक्षों से व्यक्तिगत चर्चाएं की। वहां के खादिमों की संस्थाओं से और खादिमों से व्यक्तिगत चर्चा की, दरगाह दीवान साहब से व्यक्तिगत चर्चा की, दूसरे व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि थे, उन सबसे व्यक्तिगत चर्चा की। सब व्यक्तिगत चर्चा के निचोड़ के बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सब को यह आश्वस्त किया है कि हम को कुछ बर्दाश्त भी करना चाहिये और कुछ संयम भी रखना चाहिये। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो कुछ कहा जाए उससे राजस्थान में सामाजिक सौहार्द रहे, इसके लिए हम सब प्रयत्न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने क्षतिपूर्ति की बात कही है। मैं सदन के प्रांगण में एक स्थिति रखना चाहता हूं। सवेरे यहां पर चर्चा हुई थी कि कई प्रदेशों में फसल का नुकसान हुआ है लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान न नेशनल कैलेमिटि रिलीफ फण्ड में है न प्रांतों के रिलीफ फण्ड में है। ऐसी ही स्थिति यहां बनती है। हमारे यहां माननीय सदस्य मानवीय आधार पर मांग तो करते हैं लेकिन इस तरह के दंगों में या दूसरे कारणों से अगर दुकानें जल जाती हैं तो उनकी क्षतिपूर्ति का कोई कानून नहीं है। लॉ आफ कोर्ट्स, सिविल लॉ अलग से है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार अपने दूसरे फण्ड्स से फण्ड निकाल कर मानवीय आधार पर सहायता करने की कोशिश करती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह आकलन तो कितना भी हो, और भी ज्यादा आएगा, दुकानदार बीमा भी कराते हैं लेकिन क्षतिपूर्ति की निश्चित राशि किसी कानून के अन्तर्गत दिये जाने जाने का कोई प्रावधान नहीं है, उसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक दुकानदार को, जिसकी दुकान जली है, 15,000 रुपये प्रति दुकान के लिए एक अनुदान क्षतिपूर्ति के रूप में देने के निर्देश दिये हैं जो इनको कल या परसों पहुंचा दिये जाएंगे। ये आदेश कर दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। वहां के सभी समुदायों के प्रतिनिधि माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे। इस बात को भी अक्सर स्वीकार किया जाए कि जब इस तरह के झगड़े हो जाते हैं तो पुलिस बढ़ा-चढ़ा कर धाराएं लगाती है और उस समय गिरफ्तारियों में भी विवेक नहीं रहता है लेकिन धीरे-धीरे जब शांति की स्थिति बनती है तो वह सारा सोर्टिंग होता है। मुख्य मंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि पांच केस जो रजिस्टर हुए हैं इनका स्ट्रिक्ट क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाए कि इनमें कहीं किसी तरह की प्रति नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

हो । किसी तरह की पुलिस के द्वारा ज्यादा धाराएं लगायी गयीं तो उनको भी ठीक करा लिया जाएगा । उसके आधार पर जो लोग 151 में गिरफ्तार थे उनको तो छोड़ दिया गया है और दूसरों को भी जमानत के रूप में जहां हो सके उसमें हम सहयोग देने को तैयार हैं । सारे पक्ष, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अजमेर का हर पक्ष यह चाहता है कि शांति स्थापित हो क्योंकि इस उर्स के साथ उनके आर्थिक हेतु भी हैं । उन झगड़ों में ये आर्थिक हेतु भी कई कारण हैं । माननीय मोटवानी जी इस बात से सहमत होंगे कि दरगाह बाजार और आसपास की दुकानों पर एक–एक चीज पांच–पांच सौ, छह–छह सौ बार बिकती है और हिन्दू और मुसलमान सब दुकानदार इस षडयन्त्र में शामिल रहते हैं । यही कई बार झगड़ों के कारण होते हैं । इस सारी स्थिति में पूरे संयम और बर्दाश्त की स्थिति चल रही है । जिला प्रशासन को वहां के प्रभावित क्षेत्रों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आयी है । पुलिस प्रशासन जैसा है, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेगा उर्स की दृष्टि से अच्छे, सक्षम और पर्याप्त संख्या में आफिसर वहां पर लगाये जाएंगे । इसकी अभी से व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है क्योंकि जियारत के लिये आने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या होगी । उस संख्या को कहां ठहराया जाए, उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं किस तरह पूरी की जाएं, कानून व्यवस्था कैसे बनी रहे कि वे ठीक ढंग से, व्यवस्थित जियारत कैसे कर सकें, इस सारी दृष्टि से एक मास्टर प्लान जिला प्रशासन राज्य प्रशासन के निर्देशन में तैयार कर रहा है और मैं यही विश्वास दिला सकता हूं कि मेगा उर्स बड़ी ईमानदारी से और शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया जाएगा । जो कुछ दूसरे मुद्दे भी रखे गये हैं उन मुद्दों के आधार पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर माननीय सदस्यों की जिस तरह की भावनाएं और राय आयी है इनका हम राजस्थान में साम्प्रदायिक सौहार्द, विशेषकर अजमेर में साम्प्रदायिक सौहार्द .... प्रतिपक्ष के माननीय नेता, मैं माननीय उपाध्यक्ष के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो अस्थायी थाने को स्थायी करने का एक सुझाव दिया है, इंस्पेक्टर स्तर का वहां पर एक थाना स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाएगा । इन्हीं शब्दों के साथ सभी सदस्यों की भावनाओं का स्वागत करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप शास्त्री नगर वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या ? (व्यवधान) बिल लेना जरूरी है, छोड़िये । मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि कई दिनों से यहां पर, दूसरे कब्रिस्तानों पर भी अतिक्रमण हुए हैं । राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ का अभी जो बोर्ड बना हुआ है, उसकी जो गतिविधियां हैं उसको लेकर लम्बा–चौड़ा ज्ञापन पूर्व में भी मुस्लिम समुदाय के लोग दे चुके हैं और आज भी इसी मामले को लेकर वे धरने पर बैठे हैं । जोधपुर के लोग हैं । हमारे तीन कब्रिस्तान है, उन पर अतिक्रमण हुआ है । उन्होंने आपको जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के अन्दर बीसों कब्रिस्तानों का उल्लेख किया गया है । इस सबके लिये उन्होंने कहा है कि आपका जो

(श्री परसराम मदेरणा)

चेयरमैन है वह चेयरमैन आज हिराकत का बायत बना हुआ है। आप मेहरबानी करके जब नया एक्ट आ गया है तो उस नये एक्ट में वक्फ बोर्ड को कांस्टीट्यूट कीजिये और सब जगह सर्वे करवाकर जहां पर ट्रेसपास हुए हैं उन सबको हटाइये। क्योंकि वक्फ मिनिस्टर दूसरे हैं लेकिन यह कौंसिल आफ मिनिस्ट्री, उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : (उप मुख्य मंत्री) : अभी प्रक्रिया चालू कर देंगे, इसमें सब चुनाव जल्दी कराने वाले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा, अब आप बिल लाइये।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति, 1997–98 का आठवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ, सभापति, याचिका समिति, 1997-98 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (सभापति, याचिका समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति, 1997–98 का अष्टम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सदन की सदस्यता से त्याग–पत्र

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दसवीं राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 1998 को राजस्थान विधान सभा सदस्य के अपने स्थान का त्याग कर दिया है और उनका त्याग–पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री रघुवीर सिंह कौशल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(संशोधन) विधेयक, 1998 व राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया गया।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक 1998 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर.स्थापित भी करेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बिल सरकुलेट कीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री हरिशंकर भाभड़ा उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : गरीब लोगों को कुछ नहीं दिया और आपने अपने वेतन बढ़ा लिये, इसलिए मैं विरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप मत लेना।

श्री अमराराम (धोद) : हां, मैं नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : राष्ट्र गान।

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा।
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नाम जागे
तव शुभ आशिष मागे।
गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।
(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.59 बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 104 की सूची)

परिशिष्ट अ

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम प्राधिकृत उ. मू. दुकानदार
1	2	3
1.	कोट	1. ग्राम सेवा सहकारी समिति, कोट
2.	हल्देना	2. ग्राम सेवा सहकारी समिति, हल्देना
3.	रींदली	3. ग्राम सेवा सहकारी समिति, रीदली
4.	मण्डावर	4. ग्राम सेवा सहकारी समिति, मण्डावर
		5. क्र.वि.स. समिति, मण्डावर
5.	गढ़हिम्मत सिंह	6. ग्राम सेवा सहकारी समिति, मण्डावर
6.	जटवाड़ा	7. ग्राम सेवा सहकारी समिति, जटवाड़ा
7.	ऊकरून्द	8. मानसिंह मीणा
8.	घोलखेड़ा	9. काडूराम मीणा
9.	पाखर	10. भूदेव प्रसाद गुप्ता (श्रमणश्री)
10.	रसीदपुर	11. ग्राम सेवा सहकारी समिति, रसीदपुर
		12. बुद्धाराम शर्मा
		13. ओम प्रकाश गुप्ता
11.	सालेमपुर	14. ग्राम सेवा सहकारी समिति, सिन्दूकी
12.	पाली	15. बृजमोहन शर्मा
		16. जगदीश प्रसाद शर्मा
13.	रामगढ़	17. कमलेश एण्ड कं.
14.	रोतहृडिया	18. ग्राम सेवा सहकारी समिति, रोत
		19. संजय आॅयल स्टोर रोत
15.	महुआ	20. प्रहलाद कुमार गोयल
		21. राकेश कुमार शर्मा
		22. गणेश नारायण एण्ड संस
		23. दामोदर प्रसाद गुप्ता
		24. राधामोहन गोयल

172

1	2	3
		25. ग्राम सेवा सहकारी समिति, महुआ
		26. अशोक कुमार गुप्ता
		27. मुकेश कुमार गुप्ता
		28. गिर्राज प्रसाद सैनी
		29. सुनिल कुमार सिंगल
16.	समलेटी	30. गिल्याराम मीना
17.	खोचपुरी	31. बनवारीलाल शर्मा
		32. ग्राम सेवा सहकारी समिति, खोचपुरी
18.	ठेकड़ा	33. कल्याण प्रसाद शर्मा
19.	हुडला	34. ग्राम सेवा सहकारी समिति, हुड़ला
		35. कमलेश मीणा
20.	कमालपुर	36. घनश्याम मीणा
21.	गंगवाना	37. विशम्भर दयाल गुप्ता
		38. भीमसिंह गुर्जर
22.	बालाहेड़ी	39. गोयनका उपभोक्ता भण्डार
		40. ग्राम सेवा सहकारी समिति, बालाहेड़ी
23.	टुडियाना	41. सियाराम गुर्जर
		42. बाबूलाल बैरवा
24.	नोरंगवाड़ा	43. ठण्डीराम मीना
		44. निरंजन कुमार गुप्ता
25.	साथ	45. धर्मसिंह मीणा
26.	खेड़लागदाली	46. राधेश्याम मीणा
		47. छोटेलाल मीणा
27.	गहणोली	48. ग्राम सेवा सहकारी समिति, गहणोली
		49. रूपसिंह सैनी
		50. मनोहर सिंह गुर्जर
28.	गाजीपुर	51. रामनिवास विशम्भर दयाल गुर्जर
		52. पदम सिंह गुर्जर
29.	पावटा	53. अनिल कुमार गोयल
		54. धर्मसिंह गुर्जर
		55. गिर्राज प्रसाद गुर्जर

1	2	3
30.	बाड़ाबुजुर्ग	56. जयसिंह मीणा 57. ग्राम सेवा सहकारी समिति, खेड़ला
31.	ग्रोण्डमीणा	58. दीलीप कुमार मीणा
32.	तालचिड़ी	59. ग्राम सेवा सहकारी समिति, शिशवाड़ा 60. श्रीमती केशर देवी
33.	ढण्ड	61. ग्राम सेवा सहकारी समिति, शिशवाड़ा
34	बड़ागांव	62. ग्राम सेवा सहकारी समिति, बड़ागांव
35.	नाहिड़ा	63. ग्राम सेवा सहकारी समिति, नाहिड़ा
36.	बनावढ़	64. रामावतार गुप्ता
37.	सलेमपुर	65. शिवदयाल शर्मा
38.	केशरा	66. माधोसिंह राजपूत
39.	खेड़ला बुजुर्ग	67. ग्राम सेवा सहकारी समिति, खेड़ला बुजुर्ग
40.	पलानहेड़ा	68. बच्चूसिंह मीणा
41.	रायपुर	69. राजबहादुर मीणा 70. अरूण कुमार जैन, तालचिड़ी

प्रश्न के भाग (1) की सूची

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	नाम खुदरा ग्रनुज्ञापत्रधारी	स्थान
1	2	3
1.	रामदयाल गोविन्द प्रसाद	महुग्रा
2.	ग्रग्रवाल वस्तु भण्डार	मण्डावरा
3.	दयाराम जगन सिंह	पावटा
4.	कुशवाहा ग्रॉयल ट्रेडर्स	महुग्रा
5.	ताराचन्द मुकेश कुमार	नोरंगवाड़ा

1	2	3
6.	बाबूलाल गुप्ता	टुडियाना
7.	राजेश कुमार एण्ड ब्रदर्स	खेड़ला
8.	मदनलाल भौंरीलाल	बालाहेड़ी
9.	अग्रवाल आॅयल स्टोर	पाखर
10.	रोशनलाल मीणा	ऊकरून्द
11.	कृष्ण मुरारी गुप्ता	रसीदपुर
12.	शिवराम मीणा	मोण्डमीना
13.	हेतराम एण्ड कम्पनी	मण्डावरा
14.	हरिनारायण मीणा	हल्देना
15.	जगदीश प्रकाश शर्मा	खोचपुरी
16.	फतेह सिंह एण्ड संस	गाजीपुर

(175)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 108 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों के पदवार रिक्त पदों का विवरण दिनांक सहित

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से पद रिक्त हैं
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगूं	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	1/97
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काटुन्दा	चिकित्सा अधिकारी	1	1/97
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, भैंसरोड़गढ़	चिकित्सा अधिकारी	1	5/95
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेघपुरा	नर्स द्वितीय	1	6/96
एड पोस्ट रावतदा	नर्स द्वितीय	1	11/97
	प्रसाविका	1	3/97
उच्चीकृत उप केन्द्र, बडोदिया	नर्स द्वितीय	1	8/97
उच्चीकृत उप केन्द्र, झरझनी	नर्स द्वितीय	1	4/96
	प्रसाविका	1	9/97
उप केन्द्र, राजपुरा	प्रसाविका	1	9/96
उप केन्द्र, लुहारिया	प्रसाविका	1	9/96
उप केन्द्र, टोलू का लुहारिया	प्रसाविका	1	9/96
उप केन्द्र, दौलपुरा	प्रसाविका	1	9/96
उप केन्द्र, डोराई	प्रसाविका	1	5/97
उप केन्द्र, धामन्चा	प्रसाविका	1	8/97
उप केन्द्र, शादी	प्रसाविका	1	5/96
उप केन्द्र, मण्डावरी	प्रसाविका	1	6/96
उप केन्द्र, बरकियास	प्रसाविका	1	5/97
उप केन्द्र, श्रीनगर	प्रसाविका	1	5/97
उप केन्द्र, चावण्डिया	प्रसाविका	1	4/96
उप केन्द्र, ईटावा	प्रसाविका	1	2/97
उप केन्द्र, उमरथुना	प्रसाविका	1	3/97
उप केन्द्र, सुवानिया	प्रसाविका	1	7/97
उप केन्द्र, रामपुरिया	प्रसाविका	1	2/96
उप केन्द्र, रघुनाथ का खेड़ा	प्रसाविका	1	9/96
उप केन्द्र, रोड़ीमयनण	प्रसाविका	1	9/96

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

चेचट (रामगंजमण्डी) की मन्दिर माफी की भूमि पर खनन प्रकरण

112. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर माफी की जमीन का खनन कार्य हेतु उपयोग हो सकता है ? यदि हां, तो किन-किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मी-नाथ जी के मन्दिर' कोटड़ी तहसील चेचट निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मण्डी की जमीन खनन कार्य हेतु किसी को आबंटित की गई है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) क्या सरकार किन्हीं अन्य मामलों में भी मन्दिर माफी की जमीन रामगंज मण्डी क्षेत्र में खनन कार्यों हेतु आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । किसी भी निजी अथवा खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे में भू-स्वामी अथवा खातेदारों की सहमति से खनन कार्य किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18 के क्लॉज (29) में प्रावधान है जो निम्न प्रकार है :–

"The lessee/lessees shall obstain from entering upon the surface of any occupied Government land or of any private land comprised within the leased area without previously obtaining the consent of the occupant in writing."

(2) जी, हां । लक्ष्मीनाथजी मन्दिर कोटड़ी, सब तहसील चेचट निर्वाचन हेतु रामगंज मण्डी की खातेदारी जमीन सम्मिलित करते हुए एक खननपट्टा शासन के आदेश प. 4 (137) खान/ग्रुप-2/83 दिनांक 7 जून, 1983 से तत्कालीन अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 के अन्तर्गत नियमानुसार स्वीकृत किया गया है ।

(3) रामगंजमण्डी क्षेत्र में मन्दिर माफी (खातेदारी भूमि) में खनन पट्टा आबंटन करने सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र विभाग में विचाराधीन नहीं हैं ।

तहसील शेरगढ़ के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक/प्रसाविका का पदस्थापन

113. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील शेरगढ़ में कितने प्रसा-विका प्रशिक्षण केन्द्र हैं ? क्या उनमें सभी स्थानों पर प्रसाविका लगी हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(2) शेरगढ़ तहसील में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं और कौन-कौन डाक्टर कहां-कहां, पर पदस्थापित हैं ?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ में प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(2) तहसील शेरगढ़ में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है जिनमें से दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है । पदस्थापित डाक्टरों की सूची संलग्न है ।

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	डा. एन.के. जुगतावत	—
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	डा. रमेश कृष्ण व्यास	—
		चिकित्सा अधिकारी	3	डा. के.एल. कलवानी डा. विजय लक्ष्मी डा. राजेश कुमार चौधरी	— —
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोमेसर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1		1
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोइन्तरा	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. जोगेश्वर प्रसाद	—
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेतरावा	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. धर्मेन्द्र कुमार सुथार	—
5.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, देचू	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. भंवर गोयल (उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) में कार्यरत	—
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेना	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. राजेन्द्र कुमार शर्मा	

1	2	3	4	5	6
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	डा. जोधराज विजयवर्गीय	
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	डा. टी.आर गहलोत	—
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	डा. एल.आर. परमार	—
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. रमेश चन्द बंसल	—
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केतुकलां	चिकित्सा अधिकारी	1	डा पी.सी. सोनी	—
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथडाऊ	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. संजीव सिन्दल	—
10.	आर.एफ.डब्ल्यू.सी., चामू	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. घनश्याम रामदेव	—
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विराई	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. कल्पना सोई	—
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगोलाई	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. हरी प्रसाद	—

विधान सभा क्षेत्र खण्डार का सड़क निर्माण प्रकरण

114. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूरी पहाड़ी, डूंगरी, गोठडा व डेहकवा जिला सवाई-माधोपुर की सड़कों का कार्य ए.डी.पी. द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब चालू किये गये थे ? उक्त कार्य अधूरे पड़े रहने के क्या कारण हैं और अब कब तक पूरे होने की सम्भावना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम आदलवाड़ा कलां बवारिया, भेडोला, जुवाड, डिडापच, गम्भीरा, झोपडा, दूमोदा, रेडावद और सिगेर कलां टापुर की सड़कों के कार्य अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । भूरी पहाड़ी, डूंगरी, गोठडा व डेहकवा जिला सवाईमाधोपुर की सड़कों का कार्य ए. डी. पी. के अन्तर्गत

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कराया जा रहा है। यह कार्य माह नवम्बर, 1994 को चालू करवाये गये थे। उक्त कार्य संवेदक द्वारा बन्द कर दिये गये हैं तथा संवेदक द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जो कि विचाराधीन हैं। संवेदक से कार्य अनुबन्ध समाप्त कर कार्य की निविदाएं पुनः आमंत्रित की जा रही हैं। तत्पश्चात् कार्य शुरू करवाकर शीघ्र पूरा करवा दिया जायेगा।

(2) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम आलदवाडा कलां, झौपडा, बलरिया, भेडोला, जुवाड, डिडायच, गम्भीरा, दुमोढ़ा, रेडावद, सिगोरकलां और टापुर के कार्य जवाहर रोजगार योजना के एवं आश्वासित रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत थे जिनमें सिगोरकलां टापुर एवं दुमोढ़ा के कार्य प्रगति पर हैं जो माह जून, 1998 तक पूर्ण होने की सम्भावना है शेष सभी कार्य स्वीकृति के अनुसार पूर्ण कर दिये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के उपाय

115. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में अपराधों की वृद्धि का क्या कारण है ?

(2) उक्त क्षेत्र में अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिये सरकार ने क्या कारगर कदम उठाये हैं ?

(3) उक्त उठाये गये कदमों के परिणाम संतोषजनक रहे हैं ? यदि नहीं, तो भविष्य में सरकार की अपराधों को रोकने की क्या योजनाएं हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में अपराधों में कुछ वृद्धि के मुख्य कारण जनसंख्या में तेज गति से बढ़ोतरी, आवागमन के साधनों में वृद्धि, राष्ट्रीय उच्च मार्ग व अन्तरराज्यीय मार्गों पर यातायात का दबाव, बेरोजगारी के कारण आर्थिक समस्या तथा प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल श्री महावीर जी में दर्शनार्थियों की भीड़ के आवागमन है।

(2) अपराधों की रोकथाम के लिये गश्त एवं नाकाबन्दी की जाकर बदमाशों की आमद रपट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। यातायात को सुव्यवस्थित चलाने के लिये यातायात पुलिसकर्मी लगाये गये हैं।

(3) जी, हां। पुलिस द्वारा अपराधों के नियंत्रण हेतु उठाये गये कदमों से अपराधों में नियंत्रण हुआ है और गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों में कमी आई है।

जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में रोगियों को राशन वितरण

116. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में राशन उपलब्ध करवाने

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

वाले ठेकेदार ने जनवरी माह से राशन की सप्लाई रोक दी है जिससे भर्ती रोगियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है ?

(2) क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) यह ठेका कौनसी फर्म को दिया हुआ है ? नाम दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) वर्ष 1996 से 1998 तक चिकित्सालय में कितना राशन वितरीत किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । जांच करवाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं ।

(3) वर्ष 1998 के लिये किसी भी ठेकेदार ने खाद्य सामग्री प्रदाय करने के लिये निविदा प्रेषित नहीं की है जिसके कारण किसी भी फर्म को ठेका नहीं दिया जा सका ।

(4) वर्ष 1996 एवं 1997 में जिला चिकित्सालय, गंगानगर में प्रदाय की गयी खाद्य सामग्री का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

1.1.96 से 31.12.96 तक खाद्य प्रदाय का विवरण

क्र. सं.	मद	मात्रा
1.	आटा	45 क्विंटल
2.	दलिया	51 क्विंटल
3.	दालें	1040 किलो
4.	मसाले	213 किलो
5.	दूध	25333 लीटर
6.	सब्जी	1667 किलो
7.	घी	480 किलो
8.	रसोई गैस	—
9.	मरम्मत कार्य	—

1.1.97 से 31.12.97 तक खाद्य प्रदाय का विवरण

क्र. सं	मद	मात्रा
1.	आटा	44 क्विंटल 60 किलो
2.	दलिया	45 क्विंटल 10 किलो
3.	दालें	1280 किलो
4.	मसाले	253 किलो
5.	दूध	18387 लीटर
6.	सब्जी	2171 किलो
7.	घी	480 किलो
8.	रसोई गैस	—
9.	मरम्मत एवं सामान क्रय	—

जिला टोंक में सड़क निर्माण प्रकरण

117. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने टोंक जिले में वर्ष 1994–95 से 1997–98 तक विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य कराये हैं ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र-वार विवरण मय सड़कों के नाम, लम्बाई, लागत व कार्यों की प्रगति के सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि अभी तक सब पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है ? यदि हां, तो सड़क विहीन पंचायत मुख्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार शेष बचे पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से कब तक जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां । टोंक जिले में वर्ष 1994–95 से 1997–98 तक सड़कों के कराये गये कार्यों के नाम, लम्बाई, स्वीकृत लागत, भौतिक प्रगति का विवरण परिशिष्ट "क" पर अंकित है ।

(2) जी, हां । टोंक जिले में कुल 231 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से 143 डामर, 11 मेटल एवं 54 ग्रेवल सड़कों से कुल 208 पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुए हैं । शेष सड़क से नहीं जुड़े पंचायत मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(3) जी, हां । एक पंचायत मुख्यालय सांवला (पंचायत समिति देवली) जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र में है एवं इसके विस्थापन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है । शेष 22 पंचायत मुख्यालयों के लिये विभिन्न प्रकार की सड़कों के निर्माण का कार्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति पर है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम बनेटी व पनियाला (कोटपूतली) में पुलिस थाने की स्थापना

118. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जयपुर जिले में नये पुलिस थाने व चौकियां खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ग्राम बनेटी व पनियाला में पुलिस थाने खोलने की मांग विगत काफी अर्से से किये जाने पर भी अभी तक थाना नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार उक्त स्थान पर थाने की स्थापना कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नये पुलिस थाने व चौकियां खोलने का वर्तमान में औचित्य नहीं है ।

(2) जी, हां । पुलिस थाना खोलने का समुचित औचित्य नहीं है ।

हेपेटाइटिस "बी" टीके पर अनुदान

119. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (प्रासीन्द): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में हेपेटाइटिस "बी" बीमारी से कौन-कौन से जिलों में कितने मरीज प्रभावित हुये, उनमें से कितनों की मृत्यु हो गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हेपेटाइटिस "बी" इंजेक्शन हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना व राज्य कर्मियों को उक्त टीका लगाने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

उत्तर

(1) हेपेटाइटिस से वर्ष 1995 में 4963 रोगी एवं 82 मृत्यु, वर्ष 1996 में 4185 रोगी एवं 25 मृत्यु तथा वर्ष 1997 में 3592 रोगी एवं 93 मृत्यु हुई है। हेपेटाइटिस "बी" की जांच व सूचनाओं का संकलन राज्य में वर्ष 1997 से प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1997 में हेपेटाइटिस "बी" के 584 रोगी पाये गये एवं 67 मृत्यु हुई है। हेपेटाइटिस "बी" के रोगी 20 जिलों में चिह्नित किये गये तथा मृत्यु 9 जिलों में हुई है। जिसका जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। हेपेटाइटिस "बी" की रोकथाम के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक प. 16 (19) एम.ई./ग्रुप–1/96 दिनांक 6.11.97 द्वारा समस्त मेडिकल कालेजों, अस्पतालों/चिकित्सालयों में पदस्थापित डाक्टर्स पैरा-मेडिकल स्टाफ एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों को टीकाकरण हेतु राशि रुपये 70.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। टीकाकरण पर होने वाले व्यय में से 50 प्रतिशत सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाना है।

भाग 1 की सूची

वर्ष 1995, 96, 97 के राज्य में जिलेवार हेपेटाइटिस के रोगियों व मृत्यु का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 1995		वर्ष 1996		वर्ष 1997	
		रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	173	0	11	0	227	09
2.	अलवर	172	5	70	0	53	00
3.	बांसवाड़ा	34	6	4	0	5	00
4.	बारां	13	1	79	0	47	00

1	2	3	4	5	6	7	
5.	बाड़मेर	69	1	21	0	22	0
6.	भरतपुर	338	13	324	4	221	0
7.	भीलवाड़ा	0	0	18	0	89	0
8.	बीकानेर	152	16	100	8	154	1
9.	बूंदी	151	0	69	0	56	0
10.	चित्तौड़गढ़	61	0	17	0	00	0
11.	चूरू	27	0	65	0	81	0
12.	दौसा	200	0	35	0	46	0
13.	धौलपुर	75	4	88	3	87	0
14.	डूंगरपुर	55	1	33	2	27	0
15.	गंगानगर	225	4	1269	7	563	3.
16.	हनुमानगढ़	590	7	659	0	598	1
17.	जयपुर	934	2	368	1	494	0
18.	जैसलमेर	121	1	128	0	74	0
19.	जालौर	49	1	117	0	68	0
20.	झालावाड़	138	0	122	0	33	0
21.	जोधपुर	520	0	185	0	164	0
22.	झुन्झुनूं	5	0	0	0	01	0
23.	कोटा	219	6	61	0	147	[illegible]
24.	नागौर	15	3	7	0	43	[illegible]
25.	पाली	116	3	112	0	77	0
26.	राजसमन्द	20	0	28	0	57	0
27.	सवाईमाधोपुर	92	0	37	0	36	0
28.	सीकर	51	8	63	0	53	0
29.	सिरोही	25	0	9	0	09	0
30.	टोंक	67	0	33	0	49	0
31.	उदयपुर	256	0	53	0	11	0
	योग	4963	82	4185	25	3592	9

ाष्ट

जिलेवार विवरण

वर्ष 1997 (27. 12. 97 तक)

	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्टूबर		नवम्बर		दिसम्बर		कुल योग	
मृ.	रो.	मृ.	रो.	मृ.	रो.	मृ.	रो.	मृ.	रो.	मृ.	रो.	मृ.	रो.	मृ.
—	1	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	11	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	03	1
1	5	0	3	2	—	—	2	0	4	0	—	—	22	6
0	2	0	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	18	1
0	28	0	2	1	4	0	7	0	4	0	5	0	210	32
2	22	1	9	0	4	1	13	3	5	0	5	0	159	15
0	2	0	11	0	1	0	—	—	—	—	—	—	17	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0
1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1
0	5	1	2	0	2	0	4	1	30	6	0	1	51	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0
—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	1
0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0
-	2	0	—	—	—	—	—	—	2	0	7	—	5	0
-	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0
—	—	—	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0
—	—	—	1	0	—	—	—	—	1	0	—	—	2	0
—	—	—	1	1	—	—	—	—	9	0	—	—	10	1
—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	1	0
—	—	—	24	0	27	0	—	—	—	—	—	—	51	0
5	70	2	59	4	49	2	27	4	55	6	17	1	584	67

विधान सभा क्षेत्र पाली की सड़कों के जीर्णोद्धार पर व्यय

120. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पाली विधान सभा क्षेत्र के —

1. घुमटी – जवड़िया – केरला – चाटेलाव गढ़वाड़ा
2. घुमटी–चोटिला–बिठू–मोरिया
3. जैतपुर–मान्डावास–चैन्डा–वायद
4. जैतपुर–मान्डावास–चुंटाणो
5. रूपावास – मुलियावास – सुकरलाई – जैतपुर
6. पाली–मंडिया–गिरादड़ा की ढाणी–रूपावास–भांवरी–राणा–कुलथाना

सड़क मार्गों पर 1 जनवरी, 1994 से 20 फरवरी, 1998 तक मरम्मत जीर्णोद्धार एवं पेवर कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब खर्च की गयी ? खर्च की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर वर्षवार एवं विगतवार रखें ।

उत्तर

प्रश्न में क्रम संख्या 1 से 6 की सड़कों पर दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 20 फरवरी, 1998 तक मरम्मत एवं पेवर कराने के लिये किये गये खर्चे का विवरण निम्नानुसार है :–

मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं पेवर कार्यों पर किया गया व्यय (लाखों में)

सड़क क्र.सं.	1/94 से 3/94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (2/98 तक)	योग
1.	0.35	1.02	0.23	2.52	0.02	4.14
2.	1.17	1.54	1.42	1.80	0.57	6.50
3.	0.03	—	—	0.56	0.17	0.76
4.	0.10	0.40	—	0.81	0.94	2.25
5.	0.05	0.91	0.82	0.78	0.68	3.24
6.	0.53	24.27	23.35	11.02	20.17	79.34

विगतवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में महिला थाने की स्थापना

121. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अलवर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में महिला थाना खोले जाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकार को पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

जी, नहीं ।

ग्राम पंचायत बिल्लू (मकराना) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

122. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम पंचायत बिल्लू में विभिन्न कारणों को दर्शाते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार जनहित में, बिल्लू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प. 13(22) चि. स्वा. /2/97 दिनांक 23-2-98 के द्वारा पंचायत समिति, मकराना जिला नागौर के ग्राम बिल्लू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर दिया गया है ।

(2) इसका उत्तर प्रश्न के भाग I में अंकित है ।

तहसील पीपल्दा में सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति

123. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ल्ड बैंक की योजनान्तर्गत तहसील पीपल्दा जिला कोटा में गैता से बम्बूलिया, बोरड़ा से ढीपरी, चम्बल बोरदा से रोवदा, गुडला रोड से नीमोला तक सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि से ? सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त सम्पर्क सड़कों पर अब तक कुल कितनी-कितनी राशि का कार्य किया गया ? प्रत्येक सड़क पर किये गये खर्चे का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने पर ग्रामवासियों, जन प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर शिकायतें की गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो इसके लिये कौन दोषी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त सड़कों का निर्माण कार्य सरकार अब कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? कार्य पूर्ण करने के लिये विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ल्ड बैंक की योजना अन्तर्गत तहसील पीपल्दा जिला कोटा में सम्पर्क सड़क गैता से बमूलिया, बोरदा से ढीपरी, सम्पर्क सड़क ककरावदा एवं सम्पर्क सड़क निमोला स्वीकृत की गयी थी । इन सड़कों पर स्वीकृत राशि एवं पूर्ण होने की अवधि परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उक्त सम्पर्क सड़कों पर किये गये खर्चे का मदवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) उक्त सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने पर ग्रामवासियों जन-प्रतिनिधियों द्वारा की गयी एक शिकायत के सन्दर्भ में उक्त सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित संवेदकों को दिये गये ठेके का कार्य बन्द होने के कारण वापस लेने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

(4) उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूर्व में दिये गये ठेकों को वापस लेकर शेष बचे हुये कार्यों हेतु नये सिरे से निविदायें आमन्त्रित कर वर्ष जुलाई, 1999 तक पूर्ण करवाना प्रस्तावित है। यह कार्य पूर्ण करने के लिये विभाग द्वारा पूर्व में आबंटित संवेदकों के संविदाओं पर कार्य पूरा नहीं करने के कारण विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। **(विवरण/कार्यवाही विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

ग्राम पंचायत बारहमाकी (भरतपुर) के सरपंच की हत्या का प्रकरण

124. **श्री मोतीलाल** (रूपवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, रूपवास (भरतपुर) की ग्राम पंचायत बारहमाकी के सरपंच की कुछ समय पूर्व हत्या कर दी गयी थी और इस सम्बन्ध में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था व इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हत्या के मुकदमे को जीप से एक्सीडेंट में बदल दिया गया है? क्या उक्त मृतक की गर्दन व धड़ अलग-अलग जगह बरामद हुई थी? यदि हां, तो इस प्रकरण को एक्सीडेन्ट का किस प्रकार माना गया?

(3) क्या उक्त मृतक की विसरा जांच कराई गयी थी? यदि हां, तो उसमें क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई? रिपोर्ट, की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम पंचायत, बारहमाकी के सरपंच श्री रमेश की दुर्घटना में मृत्यु होने का अभियोग उसके भाई श्री फतेहसिंह निवासी दौलतगढ़ ने दिनांक 1.7.97 को पुलिस थाना उद्योग नगर, भरतपुर में दर्ज कराया था जिसकी निष्पक्ष जांच वृत्ताधिकारी, वृत्त ग्रामीण भरतपुर द्वारा की जा चुकी है।

(2) जी, नहीं। अज्ञात जीप से श्री रमेश, सरपंच की मोटर साइकिल से टक्कर हो जाने पर हुई दुर्घटना में उसकी गर्दन उक्त जीप में उलझकर आगे जाकर गिरी, जिससे उसके धड़ व गर्दन (सिर) अलग-अलग बरामद हुई। अतः दुर्घटना माना गया।

(3) जी, नहीं। मृतक का विसरा नहीं लिया गया।

सेवारत कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन

125. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री महावीर भगोरा)

(1) क्या सेवारत राज्य कर्मचारी विभाग से सम्बन्धित जानकारियों एवं जन उपयोगी सामग्री के प्रकाशन/सम्पादन हेतु पत्र–पत्रिकाओं के पंजीयन आदि के लिये अधिकृत हैं ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है व इस सम्बन्ध में विभाग के किन–किन कर्मचारियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सिरोही जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समाचार पत्र प्रकाशन की अनुमति हेतु माह अक्टूबर, 1994 में विभाग को कोई पत्र प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । राजस्थान असैनिक सेवाएं (आचरण नियम), 1971 के अनुसार राजकीय सेवारत राजसेवकों को विभाग से सम्बन्धित जानकारी व अन्य जन उपयोगी सामग्री के प्रकाशन सम्पादन हेतु राज्य सरकार/विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है । राज्य सरकार/विभाग विशुद्ध साहित्यक कलात्मक, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के मामलों इत्यादि में जबकि प्रकट करना विधि द्वारा बाधित नहीं होने की स्थिति में अनुमति प्रदान की जा सकती है । यद्यपि उपरोक्तानुसार उत्तर नकारात्मक होने से अग्रिम सूचना आवश्यक नहीं रहती । तथापि उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल सिरोही जिले के मेल नर्स से मासिक पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ।

(2) जी, हां । आवेदन पत्र कार्यवाही विचाराधीन है ।

राज्य राज मार्ग के संचालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

126. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि स्टेट हाईवेज सिस्टम को ठीक किये जाने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे ? यदि हां, तो कब और कितनी सहायता राशि के लिये ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रयोजनार्थ विश्व बैंक को निर्धारित मानदण्डों/शर्तों के अनुरूप "प्रोजेक्ट रिपोर्ट" प्रस्तुत कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) जी, हां । यह सही है कि स्टेट हाईवेज सिस्टम को ठीक किये जाने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे । प्रस्तावों का स्पष्ट भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप माह अक्टूबर, 1997 में रुपये 1800 करोड़ की सहायता के लिये विश्व बैंक को प्रस्तावित किया गया था ।

(2) जी, नहीं । केवल फिजिबिलिटी अध्ययन की रिपोर्ट माह जुलाई, 1997 में विश्व बैंक को प्रस्तुत की गयी थी । पूरी रिपोर्ट के अन्य भागों को अगस्त, 1998 तक पूरा होकर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये जाने की योजना है ।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की प्रति)

D. O. No. T: 14020/10/94-MAL

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली–110011

SMT. RENU SAHNI DHAR, IAS
Joint Secretary

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE NEW DELHI–110011

Dated March 20, 1997

BY FAX

MOST IMMEDIATE

Dear. Sh. Bihari,

You are already aware that the Ministry of Agriculture. Govt. of India through a Gazette Notification dated 1.1.1996 has banned manufacture and use of Benzene Hexa Chloride (BHC) w. e. f. 1.4.1997 keeping in view the adverse effects of BHC on environment and public health.

2. As the BHC is used under National Malaria Fradication programme (NMFP) and no substitute to BHC has stabilised till now, this Ministry urged the Committee of Secretaries (COS) at the time of consideration of a Note of Banning Production of DDT/BHC moved by the Ministry of Commerce to extend the period of use of the BHC in public health programmes till a suitable substitute to BHC has stabilised. The Committee of Secretaries, however, decided that the ban on manufacture and use BHC w. e. f. Ist April, 1997 which had already been notified should be implemented and no review of the decision was warranted.

3. In view of the decision of the COS it will be necessary to discontinue use of BHC from 1.4.1997 in public health programmes including malaria.

4. I would, therefore, request you to intimate us immediately as to whether the State Government will be able to fully utilize the stock of BHC already in hand by 31st March, 1997 or not. In case the entire quantity of BHC in hand cannot be utilized in full by that date, you may kindly intimate the quantity of BHC likely to remain in stock after 31 3.1997 so that a conscious view can be taken about utilization of the balance quantity of BHC beyound 31.3.1997.

5. As the matter is urgent and requires a decision at the highest level. I shall appreciate if you could kindly look into the matter personally and send us the requisite information within a week.

With regards,

Yours Sincerely,
Sd.
(Renu Sahni Dhar)

Shri O. P. Bihari
Principal Secretary (Health)
Govt. of Rajasthan
JAIPUR.

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची)

स्वीकृत उप केन्द्रों के स्थानों की सूची 1	उपकेन्द्र शेष रहे भवन 2	उपकेन्द्रों पर प्रसाविका के रिक्त पद 3
1. टाकरदा	1. सोनगर	1. डोराई
2. प्रतापपुरा	2. उमरथुना	2. धामन्चा
3. रघुनाथ खेड़ा	3. ईटावा	3. शादी
4. धागड़मऊ कलां	4. केरपुरा	4. मण्डावरी
5. गोपालपुरा	5. सुबानिया	5. श्रीनगर
6. रामनगर	6. रामपुरिया	6. रावदड़ा
7. श्रीपुरा	7. रघुनाथ का खेड़ा	7. चावन्डिया
8. बाडोलिया	8. रोडीमयनण	8. ईटावा
9. बडोदिया	9. लुहारिया	9. उमरथुना
10. झरझनी		10. सुबानिया
11. जालखेड़ा		11. झरझनी
12. धावतकलां		12. टोलुका लुहारिया
13. खातीखेड़ा		13. दौलतपुरा
14. रेनखेड़ा		14. राजपुरा
15. एकलिंगपुरा		15. रोडीमयनण
16. रोडीमयनण		16. रघुनाथ का खेड़ा
17. कुम्राखेड़ा		17. लुहारिया
18. बलकुन्डीकलां		18. बरनियास
19. देवपुरा		19. रामपुरिया
20. जावदा		
21. टोलुका लुहारिया		
22. दौलतपुरा		
23. राजपुरा		
24. दुधि तलाई		

(92)

1	2	3
25.	मन्डेसरा	
26.	लुहारिया	
27.	दौलतपुरा (पं. सं. बेंगू)	
28.	सोनगर	
29.	चावडियां	
30.	नाल	
31.	मण्डावरी	
32.	ठुकराई	
33.	शादी	
34.	डेकडीखेड़ा	
35.	केरपुरा	
36.	ग्रावलखेड़ा	
37.	पाखुन्दा	
38.	मडावदा	
39.	गोविन्दपुरा	
40.	धाम-चा	
41.	कल्याणपुरा	
42.	मोतीपुरा	
43.	दुगार	
44.	सामरिया कलां	
45.	डोराई	
46.	अनोपपुरा	
47.	ग्रामल्दा	
48.	रावड़दा	
49.	बरनियास	
50.	रामपुरिया	
51.	ईटावा	
52.	सुवानिया	
53.	उमरथुना	
54.	गोपालपुरा	
55.	मेघ निवास	
56.	रायती	
57.	श्रीनगर	

193

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 164 की सूची)

क. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	वर्ष 94–95 में प्रवेश दिया गया			96–97 में प्रवेश दिया गया		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, जयपुर	24	56	80	24	56	80
2.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, उदयपुर	30	70	100	30	70	100
3.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, जोधपुर	30	70	100	30	70	100
4.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, बीकानेर	12	28	40	12	28	40
5.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, अजमेर	12	28	40	12	28	40
6.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, कोटा	18	42	60	18	42	60
7.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	18	42	60	18	42	60
8.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	18	42	60	18	42	60
9.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा	18	42	60	18	42	60
10.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर	18	42	60	18	42	60
11.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्री गंगानगर	18	42	60	18	42	60
12.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली	18	42	60	18	42	60
13.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर	18	42	60	18	42	60
14.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर	18	42	60	18	42	60
15.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाड़ा	12	28	40	12	28	40
		(अनुसूचित जन जाति के लिये)			(अनूसूचित जन जाति के लिये)		

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची)

उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत का वर्ष	पदस्थापित प्रसाविका का नाम	पदस्थापन दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1. जवासिया	1996–97	श्रीमती पुष्पा धारीवाल	03.04.97	वर्तमान में इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रमों को गति प्रदान कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुये इन्हें पंचायत मुख्यालय, दूडिया में लगा कर कार्य लिया जा रहा है।
2. गोवंधनपुरा	1996–97	—	—	सुश्री रेखा जायस सिंह म. स्वा. कार्यकर्ता को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा ने आदेश क्रमांक 7890–97 दिनांक 3.6.97 के द्वारा पदस्थापित किया था, किन्तु स्थानीय विधायक महोदय की अभिशंषा पर इन्हें गोवंधनपुरा के बजाय उपकेन्द्र रामपुरा में पदस्थापित आदेश क्रमांक 2137–43 दिनांक 9.6.97 के द्वारा कर

1	2	3	4	5
				दिया गया। पद सृजन कि दिनांक 21.11.96 से पद रिक्त चल रहा है।
3. मोटाका खेड़ा	1996–97	—	—	पद सृजन की दिनांक 21.11.96 से पद रिक्त चल रहा है।
4. सेंथूरिया	1995–96	श्रीमती प्रेम जाट	23.05.96 से 06.10.97	श्रीमती प्रेम जाट म. स्व. कार्यकर्ता का स्थानान्तरण नागौर हो जाने के फलस्वरूप इन्हें 6.10.97 को मध्यान्ह पश्चात् कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके बाद पद रिक्त है, किन्तु उपस्वास्थ्य केन्द्र पर कार्य की अधिकता को मध्य नजर रखते हुये उपकेन्द्र पर श्रीमती लीला सैन, म. स्वा. कार्यकर्ता को कोटड़ी से लगाया गया है, जो दिनांक 15.11.97 से कार्यरत है।
5. नारेली	1995–96	श्रीमती कुन्ती देवी	24.11.96 से 25.04.97	26.04.97 से पद रिक्त है।

वर्तमान में भीलवाड़ा प्रशिक्षण केन्द्र से 48 अभ्यर्थियों ने महिला स्वा. कार्यकर्ता का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है, जिन्हें शीघ्र ही म. स्वा. कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दे दी जायेगी, जिससे रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

195

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 169 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	ग्राम पंचायत मुख्यालय	वर्तमान स्थिति
1.	अखेपुरा	मेटल सड़क
2.	गंगोती कलां	मेटल सड़क
3.	झरना	मेटल सड़क
4.	गहलोता	मेटल सड़क
5.	मोखमपुरा	मेटल सड़क
6.	बिगोलाब	मेटल सड़क
7.	सादुंलपुरा	मेटल सड़क
8.	आईदान का बास	मेटल सड़क
9.	गैंजी	ग्रेवल सड़क
10.	रसीली	ग्रेवल सड़क
11.	हिरनोदा	ग्रेवल सड़क
12.	सिरोही कलां	बिना जुड़े
13.	नानण	बिना जुड़े

परिशिष्ट 9

(विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

ग्राम पंचायतों में सचिवों के पदों को भरा जाना

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में सचिवों के बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सचिवों के साथ न्याय नहीं कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बताया कि सहायक सचिवों को ग्राम सेवक पदेन सचिव पर नियुक्त दी जावे इसके बावजूद भी सरकार ने आज तक इनको नियुक्ति नहीं दी है जबकि पंचायतों के अन्तर्गत सचिवों का अभाव है। 3—4 पंचायतों को मिलाकर एक सचिव दे रखा है।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इनको नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

पंचायत समितियों में रिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर पुरानी वरीयता सूची से चयन

मान्यवर, कोटा जिला परिषद के द्वारा पिछले समय में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती वरीयता सूची के आधार पर की गयी थी, परन्तु इनके चयन के बाद भी अधिकांश पद रिक्त थे। जहां एक तरफ अध्यापकों की कमी से शालाओं में अध्ययन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता वहीं दूसरी तरफ अधिकांश शिक्षित बेरोजगारों का चयन नहीं होने से वे आज भी बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, रोजगार के लिये तरस रहे हैं।

अतः छात्रों के भविष्य व शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुरानी वरीयता सूची में से ही रिक्त पदों पर और नियुक्ति करने का कष्ट करें।

[श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)]

जोधपुर शहर में कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन के बिल

महोदय, जोधपुर नगर के आस-पास सिंचित भूमि पर किसानों के कुओं में विद्युत कनेक्शन बहुत पुराने हैं। विद्युत बोर्ड ने एक आदेश निकाल कर इन किसानों के कनेक्शनों को नर्सरी में मान कर नर्सरी योजना में चार्ज करना शुरू कर दिया है।

(198)

किसानों ने नर्सरी की योजना में कोई कनेक्शन आवेदन कहीं किये हैं जबकि ये कनेक्शन 30 साल पुराने और योजना के पहले के हैं। नर्सरी में कनेक्शनों का चार्ज करना एक तरह से किसानों का शोषण है।

किसानों में इस कारण भारी असंतोष व रोष है। मैं माननीय विद्युत मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि नर्सरी के जो आदेश दिये गये हैं उनको वापस लिया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके।

[श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)]

सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के किसानों के द्वारा वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन

महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी एवं वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आदिवासियों के वन भूमि के अतिक्रमणों को नियमन करने हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और केन्द्रीय सरकार को नियमन हेतु सिफारिश की है उसी प्रकार कृषि करने वाले सामान्य व अन्य पिछड़े वर्गों के कृषकों के भी कई जगह वन भूमि पर कई वर्षों से अतिक्रमण हैं उन्हें भी राजस्व एवं वन विभाग दोनों मिलकर नियमन करने हेतु सिफारिश करे। क्योंकि कृषि करने वाले आदिवासियों के अलावा अन्य वर्गों के भी किसान हैं उन्हें भी अपनी आजीविका चलाने के लिये कृषि के अलावा अन्य कोई सहारा नहीं है।

अतः माननीय राजस्व मंत्री जी का एवं वन मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आदिवासियों की तरह सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्गों के किसानों को भी वन भूमि के अतिक्रमणों के नियमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

[श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी)]

आलनियां बांध (रामगंजमण्डी) की मरम्मत

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामगंजमण्डी में आलनिया बांध 1962 में बनकर तैयार हुआ था जिससे कुल 14000 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। यह बांध पक्का बना हुआ है जो कि चूने की चुनाई से तैयार हुआ था। धीरे-धीरे समय के साथ-साथ बराबर पानी के प्रभाव में रहने से लगातार बांध में से चूना रिसता रहा। प्रथम बार बांध में 1981 में कुछ हल्की दरारें देखी गयी जिनका प्रारम्भिक ट्रीटमेंट किया गया और फिर लगातार ये दरारें बढ़ती गयी। 1997 में इन दरारों की संख्या 24 थी

श्रौर फरवरी, 1998 में इनकी संख्या बढ़कर 29 हो गयी । इनसे लगातार पानी बहता रहता है । इन दरारों में कई दरारें पूरे बांध की मोटाई में हैं श्रौर यह कभी भी टूट सकता है । इन दरारों में कितनी चौड़ाई बढ़ रही है यह देखने के लिये इनमें बांध की पट्टियां लगायी गयी जो दो महीने के अन्तराल में ही टूट गयी । इससे यह लगता है कि दरारों की चौड़ाई बढ़ती जा रही है ।

1994 में डैम को डैम सेफ्टी में लिया गया, किन्तु इस पर किसी प्रकार का बजट स्वीकृत नहीं किया गया । इसके पश्चात फरवरी माह में इरिगेशन सेक्रेटरी श्रौर चीफ इंजीनियर ने भी बांध का निरीक्षण किया, किन्तु अभी तक किसी प्रकार का बजट नहीं मिला । यदि बांध पर सुरक्षा के उपाय नहीं कराये गये तो बांध कभी भी टूट सकता है और इसके नीचे कई गांवों की आबादी नष्ट हो जाएगी ।

[श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)]

नई राजस्व तहसील छत्तरगढ़ की स्वीकृति में विलम्ब

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी का निम्न मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं :—

मेरे क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ की समाप्ति पर उसके स्थान पर नई राजस्व तहसील छत्तरगढ़ की स्वीकृति में विलम्ब से जनता को जो परेशानियां हो रही है उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

वर्तमान में उक्त तहसील के गांवों को दो तहसीलों यथा खाजूवाला एवं पूगल में समायोजित कर रखा हैं । इससे कृषकों को बहुत दूर दूर से तहसीलों में जाना होता है । इस क्षेत्र में यातायात की कोई सुविधा नहीं है । पूगल तहसील से कई गांव 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर बसें हुए हैं जहां से यातायात के अभाव में यात्रा करना कितना खर्चीला एवं कष्टदायक है ।

इसके अलावा छत्तरगढ़ में तहसील भवन एवं स्टाफ, क्वार्टर्स का भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है । राज्य सरकार ने यहां पर राजस्व तहसील स्वीकृति का आश्वासन भी दे रखा है ।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार इस मुद्दे पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेकर जनता की भावना का आदर करते हुए जनता को राहत देवे ।

[श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)]

राज्य कर्मचारी संघ राठौड़ ग्रुप को फायदा

महोदय, झुन्झुनूं जिला मुख्यालय पर दिनांक 10 मार्च, 1998 को जिला प्रशासन द्वारा एक कर्मचारी संघ राठौड़ ग्रुप को नाजायज फायदा देने के लिए श्री सुरेन्द्र बेनीवाल आदि की अचल सम्पत्ति को तहस नहस कर दिया और राठौड़ कर्मचारी संघ के लोगों का नाजायज कब्जा करवा दिया। यह कार्यवाही किसी भी कानून प्रक्रिया के तहत नहीं की गयी, राठौड़ी कार्यवाही की गयी। उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार, झुन्झुनूं ने पचास साठ पुलिस कर्मचारियों को बुलाकर श्री सुरेन्द्र बेनीवाल आदि के पुख्ता निर्माण को ध्वस्त कर दिया, कोई नोटिस नहीं दिया गया श्री सुरेन्द्र बेनीवाल की इमारत अपनी स्वयं की जमीन पर निर्मित थी, किसी अन्य की जमीन पर निर्माण कार्य नहीं हुआ था। कर्मचारी संघ राठौड़ ग्रुप की नजर श्री सुरेन्द्र बेनीवाल की जमीन को इसने कब्जे में लेने के लिये लगी हुई थी और जब किसी प्रकार से सफलता नहीं मिली तो राज्य सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन की मदद लेकर यह कार्यवाही उन्होंने की। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। श्री सुरेन्द्र बेनीवाल आदि चार पांच व्यक्तियों को धारा 151 सी. आर. पी. सी. के तहत गिरफ्तार किया गया, जमानत नहीं लगी और जेल भेज दिया गया। यह सब उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं की नादिरशाही कार्यवाही, जो इस प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही करने के आदि है। अतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

[श्री अमराराम (धोद)]

धोद (सीकर) विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

महोदय, मैं धोद (सीकर) विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दयनीय हालत है। सड़क चलने लायक नहीं है तथा मंत्री के आश्वासन के बाद भी आज तक मरम्मत नहीं करायी गयी है। उदाहरणस्वरूप सीकर से डीडवाना वाया लोसल, सदेद से शाहपुरा, सीकर धोंद एवं अन्य सम्पर्क सड़कों की भी दयनीय हालत है। अतः 15 दिनों में सड़कों को शीघ्र मरम्मत करवायी जाकर चलने लायक बनाया जावे। धोद (सीकर) विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों का निर्माण भी आज तक नहीं करवाया गया है। अधिकारी आर्थिक स्थिति खराब होने का रोना रोते हैं। कई सड़कें राजनैतिक कारणों से भी नहीं बनाई जा रही है।

अतः मेरा निवेदन है कि सीकर जिले में सड़कों की मरम्मत एवं स्वीकृत सड़कों का निर्माण अति शीघ्र करवाया जावे।

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

कुम्हेर में बाढ़ के कारण क्षति व सड़कों की दुर्दशा

महोदय, निवेदन यह है कि नगरपालिका, कुम्हेर में बाढ़ के कारण हुई क्षति तथा सड़कों की दुर्दशा को सही करने हेतु 20–25 लाख रुपये की सहायता विभाग राजस्थान ने अनुदानस्वरूप राशि दी गयी है। इस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। महज मिट्टी डलवा कर राशि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। शहर से श्मशान भूमि तक सड़क निर्माण के नाम पर मिट्टी डलवा कर और गलत पेमेंट कर लाखों रुपयों की क्षति नगरपालिका को पहुंचाई गई है। कोई सही नाप-तौल भी नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त इस नगरपालिका के सचिव अथवा अधिशासी अधिकारी के पद पर कोई पूर्णकालिक अधिकारी नहीं है तथा तहसीलदार कुम्हेर कार्य को समय नहीं दे पाते है। इस कारण विकास कार्य अधूरे हुये पड़े हैं। विकास का बजट लेप्स हो जायेगा और जनता विकास से महरूम रह जायेगी। कार्यों के ठेके भी नहीं दिये जा रहे हैं। हालात बिगड़ चुके हैं।